छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा षष्ठम् सत्र

गुरुवार, दिनांक 27 फरवरी, 2020

(फाल्गुन 08, शक सम्वत् 1941)

[अंक 04]

Website Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरूवार, दिनॉक 27 फरवरी, 2020

(फाल्गुन 8, शक् सम्वत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत् हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा):- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आज काला कोर्ट नहीं लाये?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जितना भी बोल लें। उनका प्रश्न होगा। हम पूरा प्रश्न पूछेंगे।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भूपेश बघेल सरकार की नीतियों के कारण केन्द्र सरकार ने हमारी सरकार को भूपेश बघेल जी और कवासी लखमा जी को ईनाम दिया है इसलिए सदन की ओर से बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बहुत-बहुत बधाई। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में क्या बधाई होती है?

<u>अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि</u>

<u>डॉ. गोविन्द सिंह, सहकारिता, सामान्य प्रशासन एवं संसदीय कार्य मंत्री</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज की अध्यक्षीय दीर्घा में माननीय डॉ. गोविन्द सिंह जी सहकारिता, सामान्य प्रशासन एवं संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन उपस्थित है। मैं उनका अपनी ओर से एवं इस सदन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सब के साथी रहे हैं। आज वे यहां हैं हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ.शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, साथी रहे हैं, वे अभी भी साथी हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वे साथी अभी भी हैं। वे छोड़कर चले गये हैं। (हंसी)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मंच में अदला-बदली कर लिया जाए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, साथी रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों के साथ मध्यप्रदेश में विधायक थे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने समय में गृह राज्य मंत्री थे।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोण्डागांव जिले में मोबाइल कंपनी द्वारा नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में लगाये गए मोबाईल टावर

1. (*क्र. 15) श्री सन्तराम नेताम : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोण्डागांव जिले के अंतर्गत नगरपालिका एवं नगर पंचायतों में किस-किस मोबाईल कंपनी द्वारा कितने टॉवर लगाए गए है ? (ख) कितनी कम्पनियों द्वारा टावर लगाने के पूर्व अनुमति ली गई है ?- कितने टावर बिना अनुमति के स्थापित है ? (ग) बिना अनुमति के स्थापित टावरों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? (घ) इन टावरों से निकलने वाले रेडियेशन के नियंत्रण के लिए क्या-क्या उपाय किए गए ? रेडियेशन नियंत्रण के उपाय नहीं करने वाली किन-किन कंपनियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) कोण्डागांव जिले के नगरीय निकायों में मोबाईल कंपनी द्वारा लगाये गये टावर की निकायवार संख्या निम्नानुसार है :—

नगर पालिका कोण्डागांव

क्र.	कंपनी का नाम	टॉवरों की संख्या
1.	बी.एस.एन.एल.	04
2.	जियो	01
3.	आईडिया	01
4.	एयरटेल	04
5.	टाटा डोकोमो	02
6.	रिलायंस	01
	कुल	13

नगर पंचायत फरसगांव

क्र.	कंपनी का नाम	टॉवरों की संख्या
1.	बी.एस.एन.एल.	01
2.	एयरटेल	01
3.	टाटा डोकोमो	01
4.	रिलायंस	01

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

5.	आईडिया	01
	कुल	05

नगर पंचायत केशकाल

क्र.	कंपनी का नाम	टॉवरों की संख्या
1.	बी.एस.एन.एल.	02
2.	एयरटेल	03
3.	वोडाफोन	02
4.	रिलायंस	02
	कुल	09

(ख) 05 कंपनियों द्वारा टॉवर लगाने के पूर्व अनुमति ली गई है. 03 टॉवर बिना अनुमति के स्थापित है. (ग) माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण पर स्थगन होने के कारण कार्यवाही नहीं की गई है. (घ) मोबाईल टॉवर से निकलने वाले रेडियेशन के नियंत्रण के लिये उपाय भारत सरकार दूरसंचार विभाग से किये जाते हैं.

श्री सन्तराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता था कि कोण्डागांव जिले में...।

श्री अजय चन्द्राकर :- पहले जानना चाहते थे या अभी जानना चाहते हैं?

श्री सन्तराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जानना चाहता हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जानना चाहता था, ऐसा बोल रहे हैं।

श्री सन्तराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं।

श्री कवासी लखमा :- ये क्यों बीच-बीच में टोक रहे हैं।

श्री सन्तराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो मंत्री जी की आदत है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- संतराम जी, अब तो आपकी सरकार बन गई है। आपको जानने की क्या जरूरत है?

श्री सन्तराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उधर अलग से बताते हैं। यहां अलग होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के प्रश्न के जवाब में आया है कि कुल 27 टॉवर लगे हैं और उन्होंने यह भी बताया कि कुल 03 टॉवर बिना अनुमति के लगाये गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जो अनाधिकृत रूप से टॉवर लगाये गये हैं, वे कौन सी कंपनी के हैं? और स्थगन के पहले त्वरित कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नगर पंचायत फरसगांव में जो एयरटेल, टाटा डोकोमो और रिलायंस का एक टॉवर अनाधिकृत रूप से लगाये गये थे और उनको तत्कालीन सी.एम.ओ. ने नोटिस भी दिया था कि बिना अनुमति के न लगाये जाएं।

श्री सन्तराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जो प्रश्नावधि में माननीय उच्च न्यायालय से किस तिथि को स्थगन प्राप्त की गई? तथा शासन के द्वारा किस तिथि को स्थगन समाप्त करने के पहले पीटिशन दायर क्यों नहीं की गई ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यायालय ने वर्ष 2006 में इस संबंध में स्थगन दिया हुआ था, जिसमें यहां का भी शामिल था।

श्री सन्तराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। कृपया उल्लेख करें कि बिना अनुमति के 3 टॉवर कैसे लगे? और विभाग के द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको पहले ही बताया कि विभाग ने संबंधित कंपनी, जो 3 है उनको नोटिस दी थी और नियमों में प्रावधान है कि जो बिना अनुमति के टॉवर लगा देते हैं उन पर 15 से 50 गुना समझौता शुल्क वसूल करके उनको नियमित किये जाने का प्रावधान है और हमारी नगर पालिका ने उनको नियमित करने के लिए पहले ही नोटिस दिया हुआ है और 15 से 50 प्रतिशत उसका समझौता शुल्क वसूल करेंगे। इसमें नगर पंचायत स्तर पर निर्धारित शुल्क 25 हजार रूपये ...।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना अनुमति के अजय चन्द्राकर [XX][1] ऐसा क्यों करते हैं ? (माननीय अजय चन्द्रकार द्वारा अध्यक्ष महोदय से अनुमति मांगने पर) ये क्या जानबूझकर करते हैं ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी [XX] करने की आदत नहीं छूटी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका नगर निगम स्तर पर 75 हजार रूपये शुल्क है और नगर पालिका स्तर पर 50 हजार शुल्क है और नगर पंचायत स्तर पर 25 हजार रूपये समझौता शुल्क रखा गया है उनको नोटिस दी गई है और नोटिस में उनको 15 से 50 गुना शुल्क वसूली करने का प्रावधान है जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

श्री सन्तराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है, उसके बाद आप प्रश्न कर लीजिएगा।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो असंसदीय शब्द बोला गया, उसको विलोपित कर दीजियेगा।

---

[1] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

असंपादित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- असंसदीय शब्द किसने बोल दिया ?

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, [XX][2] ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय जोगी जी, वह अजय चन्द्राकर की आदत है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति है, मैंने अभी कुछ नहीं कहा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपने [XX] कहा है न। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने [XX] कहा और [XX] असंसदीय शब्द है, तो माननीय सदस्य ने उसको विलोपित करने का निवेदन किया है। उन्होंने बताया कि उनका काम ही है, वह बार-बार करते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- जो विलोपित करने योग्य है, उसको विलोपित कर देंगे ।

श्री अजय चन्द्रकार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बोला ही नही हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप शांत रहिये। चलिये कुलदीप जुनेजा जी।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है। मोबाइल कंपनी द्वारा स्थापित टॉवर के रेडियेशन नियंत्रण हेतु क्या भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है? क्या विभागीय अधिकारियों द्वारा स्थापित टॉवरों की अनापत्ति प्रमाण पत्र की जॉच की गई है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनापत्ति प्रमाण पत्र निगम, नगरपालिका देती है। टॉवर में रेडियेशन की जॉच भारत सरकार की संस्था करती है। बी.एस.एन.एल. विभाग टॉवर के रेडियेशन की जॉच करता है। लेकिन रेडियेशन की जॉच के लिए आज दिनांक तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर कहीं रेडियेशन के बारे में जॉच करनी है, कोई शिकायत है तो बता दीजिएगा, उसको जॉच करवा लेंगे।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो प्रक्रिया है। उसकी जांच के लिए कोई शिकायत नहीं करनी है।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगी कि पूरे प्रदेश में लगे हुए टॉवरों के रेडियेशन से जनता प्रभावित हो रही है, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर रेडियेशन का प्रमाण पत्र नहीं है, कंपनियों को 5 हजार गुना पेनाल्टी में भी टॉवर लगाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मोबाइल टॉवर से निकलने वाली रेडियेशन के नियंत्रण के लिए भारत सरकार की जिम्मेदारी ही काफी नहीं होनी चाहिए, हमारी सरकार को भी एक नोडल अधिकारी बनाना चाहिए और इसके लिए

[2] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समन्वय करवाकर नोडल अधिकारी बनाकर इसकी जांच करवायें, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन मोबाइल टॉवरों की रेडियेशन पर नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारी बनायेंगे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

<u>राज्य में कारखाने/स्थापनायें का ई.एस.आई. एक्ट के तहत पंजीयन</u>

2. (*क्र. 645) श्री अजय चंद्राकर : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य के सभी कारखाने/स्थापनायें ई.एस.आई. एक्ट (Employee State Insurance Act) के तहत आते हैं ? यदि हां तो क्या राज्य के सभी कारखानें/स्थापनायें उनमें कार्यरत कर्मचारी/श्रमिक ई.एस.आई. के अंतर्गत पंजीकृत हैं ? यदि हां तो जिलेवार संख्या में बतायें ? (ख) नियमानुसार पात्र श्रमिकों का पंजीयन न किये जाने पर शासन द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध की गयी ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) राज्य के वे सभी क्षेत्र जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू है में स्थित सभी कारखानें/स्थापनायें जिनमें 10 या 10 से अधिक व्यक्ति कार्यरत है पर लागू होता है. वर्तमान में छ.ग. राज्य के दस जिलों (रायपुर, दुर्ग, कोरबा, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, गरियाबंद, धमतरी एवं बलौदाबाजार) में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम सम्पूर्ण जिले में लागू है तथा शेष 17 जिलों में वर्तमान में केवल नगर पालिका मुख्यालय क्षेत्र में लागू है. वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियोजक का दायित्व है कि वे अपने संस्थान/कारखाने में नियोजित सभी पात्र कर्मचारियों का पंजीयन ई.एस.आई. आनलाईन पोर्टल में स्वयं करें. जिलेवार संख्या †[3] संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) श्रमिकों के पंजीयन न किये जाने पर कार्यवाही का अधिकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत राज्य शासन के पास नहीं है अपितु कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास है. अतः इस संबंध में राज्य शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है. वर्तमान में नियोजक द्वारा अपने संस्थान/कारखानें तथा उसमें कार्यरत पात्र कर्मचारियों का क.रा.बी. अधिनियम के तहत पंजीयन के बाद ई.एस.आई. पोर्टल में स्वयं ही किया जाता है तथा इसके उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होने पर ही कार्यवाही कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा की जाती है.

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे विधानसभा की नियम, परपंरा सब चीज में बहुत आस्था है, पर मेरे दल ने निर्णय लिया है कि इस प्रश्न से संबंधित मंत्री का सत्र भर बहिष्कार करना है। इसलिए मैं प्रश्न नहीं करना चाहता। आप मुझे जो सजा देंगे, वह मान्य है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

[3] परिशिष्ट “एक”

अध्यक्षीय व्यवस्था

प्रश्न की सूचना देने के उपरांत प्रश्न नहीं पूछना उचित संसदीय परंपरा नहीं

अध्यक्ष महोदय :- इस पर मेरी व्यवस्था यह है कि प्रश्न की सूचना देने के उपरान्त जब प्रश्न, प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित हो जाता है और सदन में संबंधित माननीय सदस्य का नाम प्रश्न पूछने के लिए पुकारा जाता है, उस समय संबंधित माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पूछना उचित संसदीय परम्परा नहीं है। किसी भी माननीय सदस्य की किसी की माननीय मंत्री से किसी विषय को लेकर असहमति हो सकती है किन्तु अपनी असहमति को व्यक्त करने के लिये विधानसभा के माध्यम से अपना विरोध व्यक्त करना मैं उचित नहीं मानता। माननीय सदस्यगण शासन से प्रश्न पूछते हैं और उत्तर देने की जवाबदेही विधानसभा में संबंधित विभाग के मंत्री की है, न कि किसी व्यक्ति की।

अत: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे विधानसभा में प्रदत्त उनके अधिकारों का उपयोग करते हुए माननीय मंत्री से प्रश्न पूछकर उत्तर लें ताकि वे जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित कर सकें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अक्षरश: आपकी बातों से सहमत हूं और मुझे दु:ख और खेद है कि आपकी व्यवस्था के साथ मैं अपने दल के निर्णय से भी बंधा हुआ हूं। और मुझे इस बात का भी बहुत दुख है कि हमने कक्ष में व्यक्तिगत तौर पर संसदीय कार्य मंत्री जी, सबको कार्य पद्धति, विषय पद्धति, वाद व्यवहार की पद्धति को अवगत करवाने की कोशिश की। मैं यह नहीं कहता कि मेरा या मेरे साथियों का ये व्यवहार कार्य श्रेष्ठ है। लेकिन 20 साल के इसमें किसी तरह से इस तरह की बातें महसूस नहीं कीं और इससे हम दु:खी हैं। इसलिए मैं बहुत विनम्रता से आपकी हर सजा स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द चौबे) :- आपने आंसदी से गाईडलाईन कहें या दिशा निर्देश दिया। माननीय अजय चन्द्राकर जी तो लगातार दो कार्यकाल संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं।

श्री अजय चन्द्रकार :- इसीलिए मैं विनम्रता के साथ हर सजा मानने के लिए तैयार हूं, जो सजा दें।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में हमारी मर्यादाएं हैं, हमारी सीमाएं हैं । आपने प्रश्न किया, सभी माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं । आपका उत्तर पाने का भी अधिकार है, सब नये सदस्य हैं, नये मंत्रिमण्डल को एक साल हुआ है, हास-परिहास में कोई बातें होती हैं, होती रहती हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह हास-परिहास नहीं है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप तो मध्यप्रदेश विधानसभा के भी सदस्य रहे हैं न, 320 सदस्यों के बीच आप बैठा करते थे ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूं । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हास-परिहास बिल्कुल नहीं होता है । अभी जैसे मैंने कुछ नहीं कहा था ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आज आप बहुत गंभीर हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात आज मैंने कुछ नहीं कहा था तो भी मेरा नाम आ गया। दूसरी बात यह है कि इतिहास में आपने यह परम्परा बनायी है कि जॉर्ज फर्नांडीज साहब का आपने बहुत दिनों तक संसद में बहिस्कार करके रखा था लेकिन मैं उसको उदाहरण नहीं मानता हूं, मैं ऐसी चीजों का पक्षधर नहीं हूं । मैं यह बात बिना किसी दुख के बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं कि माननीय अध्यक्ष जी मुझे जो सजा देंगे, उसको भी मैं मानने के लिये तैयार हूं, मैं बिल्कुल उन परंपराओं के प्रति आग्रही हूं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अब जॉर्ज साहब का पार्लियामेंट में कब बहिस्कार हुआ था और उसका उदाहरण लेकर...।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, मैं उसका उदाहरण नहीं दे रहा हूं । चूंकि आप उस दल से हैं इसलिये मैंने आपको यह बात कही । मैंने यह बोला कि मैं उससे सहमत नहीं हूं लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं कि मैं माननीय अध्यक्ष जी की सजा को मानने के लिये तैयार हूं लेकिन मैं उनसे प्रश्न नहीं करूंगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे भी और आपके दल से भी एक तो पहला दुर्भाग्य यह है कि आपकी प्रथम पंक्ति पूरी खाली है, मैं आपसे निवेदन करता तो आप निर्णय लेते लेकिन आपने कहा कि विधायक दल का निर्णय है । चूंकि प्रथम पंक्ति खाली है तो मैं किससे आग्रह करूं ?

श्री अजय चंद्राकर :- प्रथम पंक्ति खाली है उसको छोड़िए, हम निर्णय लेने के लिये सक्षम हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- यदि आप सक्षम हैं तो थोड़ा उदार बनिए । आपका सम्मान और हम सबका सम्मान बढ़ेगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- आपकी बात बिल्कुल सही है कि सदन का सम्मान बढ़ेगा, सदन में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गयी, जिस तरह की बात कही गयी, जिस तरह की चीजें हुईं, दुर्भाग्य से उस समय आप इतनी उच्च भावना को प्रकट करने के लिये खड़े नहीं हुए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं जब वहां बैठा करता था । यहां माननीय आज के नेता प्रतिपक्ष बैठा करते थे, श्री राजेश मूणत जी का भी उस समय ऐसा ही बायकाट हुआ था, श्री धर्मजीत भैया भी उस समय सदन के सदस्य थे । मैंने कहा कि सदन चलना चाहिए, हम सबकी जवाबदेही है । मैं प्रतिपक्ष का नेता था तब भी मैंने कहा कि आपसे भी ज्यादा

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जवाबदेही मेरी है और मैंने कहा कि अगर वे माफी नहीं मांगते तो मैं खेद व्यक्त कर सकता हूं लेकिन सदन चलना चाहिए, यह चर्चा का स्थान है । आप प्रश्न करें, आप चर्चा करें, हम आपका सम्मान करते हैं, हास-परिहास में बातें हो जाती हैं, हम पक्ष और विपक्ष में बैठे हैं, प्रतिपक्ष की बातें होती हैं, कुछ सकारात्मक बातें होती हैं और कुछ नकारात्मक बातें होती हैं । आपके बहुत सारे सुझाव हम मानते हैं, आप और हम दोनों मिलकर इस प्रदेश का विकास चाहते हैं तो आप अपना प्रश्न क्यों नहीं करना चाहते हैं ? आप अपनी बातों को सदन में क्यों नहीं रखना चाहते हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- संसदीय कार्यमंत्री जी, मैं तमाम् दलीय प्रतिबद्धता से हटकर माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशों का संपूर्ण आस्था और विश्वास और सम्मान करते हुए आपकी हर बात से भी सहमत होते हुए । यह विषय आपकी माफी के प्रति नहीं है, विषय यह है कि इन घटनाओं का निरंतर होना, हम दुश्मन नहीं हैं । मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं । कल मैंने आपने खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, आपने उसमें बहस की मांग की है, स्वस्थ परंपराएं हैं लेकिन स्वस्थ परंपराओं में अपमानित करना स्वस्थ परंपरा नहीं हैं और लगातार अपमानित करना सदन की स्वस्थ परंपरा नहीं है । एकाध सदस्य ने नहीं प्रत्येक सदस्य ने किसी भी बात में उसको अनुभव किया कि लगातार इसकी तरह की भाषा और भाषा में ही नहीं सारी चीजों में और इसलिये मैं तो सजा के लिये तैयार हूं । मैं बहुत विश्वास करता हूं, मैं आज बता देता हूं, जो मुझे बोलना नहीं चाहिए कि कल हम प्रश्नकाल बाधित करना चाहते थे, नहीं हुआ तो यह सौभाग्य है कि प्रश्नकाल चले मैं इसका हमेशा समर्थक आदमी रहा हूं, वह अवसर नहीं आया कि कल प्रश्नकाल शोक केंडोलेंस में निकल गया लेकिन इन घटनाओं के लिये यदि आप संसदीय कार्यमंत्री जी ही यह सुनिश्चित करते हैं तो माफी विषय नहीं है, आप यह सुनिश्चित करते हैं कि इस तरह का व्यवहार सदन में उनके द्वारा नहीं होगा या उसकी जगह में आप उत्तर देंगे तो मैं अभी पूछता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय धर्मजीत जी कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कैसी परंपरा होगी कि मैं उनकी उपस्थिति में उनकी जगह उत्तर दूंगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें एक निवेदन है कि चूंकि सदन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां बनती हैं जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में वाद-विवाद या टकराव की स्थिति बन जाती है उन चीजों में कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं जो व्यक्तिगत रूप से किसी सदस्य को दिल के अंदर ठेस पहुंचाती है। इस सदन में इसके पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उनके मंत्री का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था और विपक्ष में रहकर हम लोगों ने उनका बायकाट किया था और उस बायकाट के दौरान न तो उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता था और न ही उनसे कोई बात की जाती था बाद में वह मसला संसदीय कार्यमंत्री और अध्यक्ष महोदय के हस्तक्षेप के बाद हल हुआ । इस सदन में भी डॉ.

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

शिवकुमार डहरिया जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनसे प्रश्न नहीं पूछने का अपना एक निर्णय लिया । इस संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि जब इस प्रकार की कोई बात उठी है तो उसके लिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे विनम्र आग्रह था, अभी भी है और आगे भी रहेगा । आप इस सदन के सबसे ज्यादा वरिष्ठ सदस्य हैं । आप संसदीय कार्यमंत्री हैं, हर बात की पहल अध्यक्ष जी करें यह भी उचित नहीं है । अगर आपकी पहल होती, दोनों पक्षों के बीच उनके क्या मतभेद हैं, आखिर यह मसला किन बातों पर बना ? अगर उसका प्रयास किया जाए तो मैं समझता हूं कि ऐसी बातें टल सकती हैं । अध्यक्ष महोदय, सदन में व्यक्तिगत् किसी की दोस्ती या दुश्मनी नहीं होती । यह तो एक मंच है, जिसके माध्यम से हम बात करते हैं । यदि कोई बात हो जाए तो उस ठेस को दूर करने का भी प्रयास होना चाहिए । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस विषय पर आप पहल करें और भारतीय जनता पार्टी और माननीय मंत्री जी के बीच का जो मसला है या अन्य किसी का भी कोई मसला हो तो उसको एक बार हल करिये । क्योंकि यदि हम सदन में आकर स्वस्थ चर्चा करेंगे तभी इस सदन की सार्थकता है । यह हमारे व्यक्तिगत् राग या द्वेष की जगह नहीं हो सकती । यह मेरा आग्रह है, इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी और माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस मसले का अध्यक्ष महोदय के कमरे में बैठकर निराकरण करें और उसके बाद इसे आगे की नज़ीर न बनने दें ।

श्री अजीत जोगी (मरवाही) :- अध्यक्ष महोदय, मैं अपन ला ए सदन के सबसे बड़े सियान मानथौं अउ सियान के हैसियत ले हमर आदरणीय मंत्री शिव डहरिया जी जेन बचपन से मोर संग रहे हे, आज भी हे, एती-ओती बइठे हन ए अलग बात हे ।

अध्यक्ष महोदय :- कहे ला मनथे कि नइ मानय ?

श्री अजीत जोगी :- वही ला बोलत हौं ना, वही ला बोलत हौं । त ए पूरा समस्या के हल हो जाही । आदरणीय मंत्री जी मैं कहत हौं कि एक वाक्य बोले मा आदमी के कद बढथे, घटय नइ । आज तक जौन अपन समझौता बर, मैं नइ कहावं माफी मांग, क्षमा मांग, ये वापस ले, वो वापस ले । एक वाक्य अच्छा सा बोल दे, जेमा अजय चन्द्राकर जी ला लगय, मोला लगय, पूरा विपक्ष ला लगय अउ हमर ले बढ़कर आदरणीय अध्यक्ष जी ला लगय कि ये मसला खत्म हो गए हे । अगर हमर तुम्हर 30 साल के वास्ता हे ओखर से ज्यादा हो ही । तैं छात्रावास में रहेस तब तोला पकड़े रहेंव (हंसी) । अउ तब के तोला उंगली पकड़के इहां तक लाए हौं । त मोर निवेदन ला ठुकराबे मत । आदरणीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से निवेदन करत हौं, तोला जइसे बोलना हे, मैं नइ कहंव माफी मांग, मैं नइ कहंव क्षमा मांग, मैं नइ कहंव अपन शब्द ला वापस ले, मैं तोर सियान होके, तोर संरक्षक होए के, तैं हमर आदरणीय मंत्री हस । एक वाक्य वाक्य मीठा बोल दे अउ हम सब ला संतुष्ट कर दे तो पटाक्षेप हो जाही । "तुलसी मीठे वचन से सुख उपजै चहुं ओर" एला जानत हस चौपाई ला ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- सर, लेकिन चंद्राकर जी को भी थोड़ा सुधरने के लिए बोलिए, बहुत बोलते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- अब आप डिस्टर्ब मत कीजिए ।

श्री अजीत जोगी :- माननीय मंत्री जी मोर इज्जत रख दे । एल खत्म कर ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डा. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय चंद्राकर जी हमारे पुराने साथी हैं और मेरे मन में उनके प्रति बहुत श्रद्धा हैं । मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं । निश्चित रूप से वे हमारे सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य भी हैं । वे पुराने मध्यप्रदेश में भी सदस्य रहे हैं। वे संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं। मेरे मन में उनके प्रति पूरी श्रद्धा है। पक्ष-विपक्ष में नोक-झोंक होना संसदीय प्रक्रिया है, यह प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। मैं सारे ही विपक्ष का सम्मान करता हूं। मैं नेता प्रतिपक्ष जी का सम्मान करता हूं। सारे सदस्यों का जहां तक हमारी सरकार की तरफ से जो सहयोग हो सके, मिल सके, वह भी मैं अपनी तरफ से करता हूं, लेकिन पक्ष-विपक्ष में कभी नोक-झोंक हो जाया करता है तो उसे दिल से न लें। मेरी सभी सदस्यों के प्रति अगाध श्रद्धा है। आदरणीय जोगी जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं। वे मुख्यमंत्री भी रहे हैं और निश्चित रूप से जब वे कलेक्टर थे तब हम लोग छात्रावास में पढ़ते थे और जब हमने राजनीति शुरू किया था तब सबसे पहले रात में दो बजे जब ये कलेक्टर थे, तो हमने ही इनका घेराव किया था। वे उस समय भी अच्छा काम करते थे और आज भी अच्छा काम करते हैं। उनके प्रति भी मेरी श्रद्धा है। लेकिन जब मोला छात्रावास में पकड़े रहिसे तो बोचके में बहुत टाइम लगीसे। (हंसी) उनके प्रति मेरी श्रद्धा है और सारे सदस्यों के प्रति मेरी श्रद्धा है और मैं उन सबका सम्मान करता हूं।

श्री अजीत जोगी :- अजय, आप पूछ लीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- एक बात अउ कह देवथव। दारू चढ़कर उतर जाती है। पैसा चढ़कर उतर जाए तो उतरता नहीं। आप अपने नशे में जीते हैं, हम तो थोड़ी शरारत कर लेते हैं। (मेजों की थपथपाहट) मैं चन्द्राकर जी और सारे सदस्यों का सम्मान करता हूं।

श्री अजीत जोगी :- चन्द्राकर जी, पूछ लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, आप बोलिए।

श्री अजीत जोगी :- आप पूछ लीजिए, अब उन्होंने बोल दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ तो लूंगा, लेकिन हमने इस बात का दल से निर्णय लिया था।

अध्यक्ष महोदय :- दल की तरफ से आप पूछ लीजिए। दल क्या कह रहा है ?
चलिए, दल के नेता प्रतिपक्ष जी, उन्हें इजाजत दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मिनट।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- शिवरतन जी छोडिए।

श्री अजीत जोगी :- उन्हें अनुमति दे दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए।

श्री अजीत जोगी :- रहने दीजिए पटाक्षेप हो गया। रहने दीजिए, मेरी बात मानिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मिनट मैं बोलूंगा। हम लोगों ने जो विधायक दल से निर्णय लिया, वह एक घटना के घटित होने से निर्णय नहीं लिया। पिछले 14 महीने से सत्र के दौरान जितनी भी घटनाएं घटीं, उसका व्यक्तिगत रूप से हमने आपको भी अवगत कराया और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी अवगत कराया और जब उसमें सुधार नहीं हुआ तो हमें अपने दल से निर्णय लेना पड़ा। यह स्थिति निर्मित ही नहीं होती। जब हम आपको मौखिक रूप से बता रहे थे कि भाई साहब, यह हो रहा है, इसे ठीक करवाइए..।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए हो गया न, इसे और लंबा मत खींचिए। नेता प्रतिपक्ष जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह ठीक है कि हमारी दलीत प्रतिबद्धता अलग-अलग हो सकती है, पर हम पूरे प्रदेश का विकास चाहते हैं। एक दूसरे के कोई व्यक्तिगत दुश्मन तो हैं नहीं। तो इसमें थोड़ा विचार करना चाहिए। आपने मौखिक बातों पर ध्यान नहीं दिया।

श्री अजीत जोगी :- आदरणीय कौशिक जी बोल लें, उसके बाद प्रश्न पूछें।

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे कई अवसर आये हैं। जब मैं आसंदी में था तब भी एक अवसर आया। पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों का उतना ही सम्मान है। अगर कोई बात आ जाए तो उसका समाधान भी यहीं होना है। किन्तु किसी बात को लेकर सामान्यत: प्रश्न में या किसी विषय या चर्चा में ऐसे कई अवसर आये, जिस पर हम लोग सीधे यह चाहते हैं कि प्रश्न है तो प्रश्न के ऊपर जवाब हो और उसका उत्तर आये, लेकिन उसमें ऐसे कई जाति-सूचक संबंधी व्यवधान आये और उसमें लिखकर भी आया है। हम लोग नहीं चाहते कि पक्ष-विपक्ष लड़ते रहे। यह सदन के हितों के लिए है। आप भी जनता के हित के लिए हैं और हम लोग भी जनता के हित के लिए हैं। इसलिए जो बातें आयी हैं, उनका समाधान भी होना चाहिए। लेकिन खासकर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक बार अजय चन्द्राकर जी से आपकी बात हुई थी, उसमें जाति को लेकर लंबे समय तक वह विषय चला कि आपने जाति के कारण कहा है। इसमें हमारे सम्माननीय सदस्य माननीय धर्मजीत सिंह के ऊपर भी एक आरोप लगा। वास्तव में यदि चाहते हैं कि इस बात का मीट आउट होना चाहिए तो आप आसंदी पर बैठे हैं और हमें आप पर पूरा भरोसा है। हम आपके संरक्षण में काम करते हैं। बाकी सारे शब्दों का उपयोग करें, लेकिन जाति सूचक शब्दों का किसी के ऊपर आरोप न लगाये कि मैं इस जाति का हूं इसलिए आपने कहा है। यदि ऐसी स्थिति दोबारा निर्मित होगी, तो उस स्थिति में हम सबको विचार करना पड़ेगा।

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

इसलिए यदि समाधान चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि ऐसे जाति सूचक शब्दों का उपयोग आज के बाद सदन के अंदर कभी चाहे इधर से उनको बोले तो खराब न लगे या उधर से इनको कहे तो खराब न लगे। आप उसमें गलतियां निकालें न कि आप जवाब ठीक नहीं दे रहे हैं। हम बोलेंगे कि आप डायवर्ट कर रहे हो, ये सारी बातें करें। लेकिन उन शब्दों को लाकर स्थिर करते हैं कि मैं इस जाति का हूं इस कारण आप ऐसा बोल रहे हैं, तो उसमें सबको पीड़ा होती है। इस पीड़ा से हम सबको निकलना चाहिए, बचना चाहिए। गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। बड़े मन से गलतियों को स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि इस विषय में गतिरोध समाप्त होना चाहिए।

राज्य में कारखाने/स्थापनायें का ई.एस.आई. एक्ट के तहत पंजीयन

2. (*क्र. 645) श्री अजय चंद्राकर : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य के सभी कारखाने/स्थापनायें ई.एस.आई. एक्ट (Employee State Insurance Act) के तहत आते हैं ? यदि हां तो क्या राज्य के सभी कारखानें/स्थापनायें उनमें कार्यरत कर्मचारी/श्रमिक ई.एस.आई. के अंतर्गत पंजीकृत हैं ? यदि हां तो जिलेवार संख्या में बतायें ? (ख) नियमानुसार पात्र श्रमिकों का पंजीयन न किये जाने पर शासन द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध की गयी ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) राज्य के वे सभी क्षेत्र जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू है में स्थित सभी कारखानें/स्थापनायें जिनमें 10 या 10 से अधिक व्यक्ति कार्यरत है पर लागू होता है. वर्तमान में छ.ग. राज्य के दस जिलों (रायपुर, दुर्ग, कोरबा, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, गरियाबंद, धमतरी एवं बलौदाबाजार) में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम सम्पूर्ण जिले में लागू है तथा शेष 17 जिलों में वर्तमान में केवल नगरीय निकाय मुख्यालय क्षेत्र में लागू है. वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियोजक का दायित्व है कि वे अपने संस्थान/कारखाने में नियोजित सभी पात्र कर्मचारियों का पंजीयन ई.एस.आई. आनलाईन पोर्टल में स्वयं करें. जिलेवार संख्या † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) श्रमिकों के पंजीयन न किये जाने पर कार्यवाही का अधिकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत राज्य शासन के पास नहीं है अपितु कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास है. अतः इस संबंध में राज्य शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है. वर्तमान में नियोजक द्वारा अपने संस्थान/कारखानें तथा उसमें कार्यरत पात्र कर्मचारियों का क.रा.बी. अधिनियम के तहत पंजीयन के बाद ई.एस.आई. पोर्टल में स्वयं ही किया जाता है तथा इसके उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होने पर ही कार्यवाही कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा की जाती है.

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके प्रति धन्यवाद, संसदीय कार्यमंत्री जी के प्रति धन्यवाद, नेता प्रतिपक्ष के प्रति धन्यवाद और जोगी जी ने भी बात कही, उनके प्रति भी धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आप सारे सदन के वरिष्ठ हैं। आप लोगों के एक-एक शब्द से परम्पराएं स्थापित होती हैं। आप लोगों का सुदीर्घ अनुभव है। मैं उस भावना का सम्मान करता हूं। मुझे इस प्रश्न का संशोधन मिल गया है। प्रश्न में जो भी उत्तर आया है, मैं उससे संतुष्ट हूं।

<u>वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग रायपुर में कार्यरत उड़नदस्ता दल</u>

3. (*क्र. 785) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या वाणिज्यि एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 03.02.2020 तक में रायपुर संभाग स्तर उड़नदस्ता दल एवं कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला रायपुर में किस-किस स्तर के अधिकारी/कर्मचारी कब कब से कार्यरत है ? पदनाम सहित पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) क्या प्रश्नांश "क" के दल में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्य में अनियमितता/भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत पर जांच संस्थित है ? यदि हां तो कब से तथा क्या जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है ? यदि हां तो जांच प्रतिवेदन में क्या पाया गया ? यदि नहीं तो जांच कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? (ग) क्या प्रश्नांश "क" के अधिकारियों/कर्मचारियों को जांच संस्थित होने पर भी प्रश्नांश "क" दल/कार्यालय में पदस्थापना प्रदान की गई है ? यदि हां तो किस नियम के तहत ? अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 03.02.2020 तक में रायपुर संभाग स्तर उड़नदस्ता दल एवं कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला रायपुर में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी की पदनाम सहित जानकारी प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" पर †[4] संलग्न है. (ख) जी हां. प्रश्नांश "क" के दल में कार्यरत :—

1. श्री यदुनंदन सिंह राठौर जिला आबकारी अधिकारी के विरूद्ध/भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत पर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो छ.ग. के पत्र क्रमांक ब्यूरो/राय/अपराध क्रमांक 12/2018 धारा 7 13(1)डी., 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 दिनांक 02.07.2018 को प्रकरण कायम किया गया है. प्रकरण दिनांक 17.12.2018 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जांच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित पाया गया है.
2. श्रीमती ममता शर्मा, आबकारी उप निरीक्षक के विरूद्ध कार्य में अनियमितता/भ्रष्टाचार संबंध शिकायत पर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक ब्यूरो/राय/1598/2002 दिनांक 17.07.2002 अनुसार जांच संस्थित है. जांच प्रक्रियाधीन है. जांच पूर्ण करने का समय बताया जाना संभव नहीं है.

[4] † परिशिष्ट "दो"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

3. श्री जे. पी. एन. दीक्षित सहायक जिला आबकारी अधिकारी जिला रायपुर को दिनांक 13.01.2019 को शासन द्वारा कार्य में अनियमितता की दृष्टि से निलंबित किया गया था. दिनांक 17.05.2019 को श्री दीक्षित को बहाल किया गया तथा दिनांक 17.09.2019 से विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है. जांच पूर्ण होने की अवधि बताया जाना संभव नहीं है.
4. श्रीमती सुप्रिया तिवारी आबकारी उपनिरीक्षक जिला रायपुर को कार्य में अनियमितता की दृष्टि सेआबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 07.01.2020 को निलंबित किया गया था. दिनांक 12.02.2020 को निलंबन से बहाल कर विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है. जांच पूर्ण होने की अवधि बताया जाना संभव नहीं है.
5. श्रीमती कमलेश्वरी देवांगन आबकारी आरक्षक जिला रायपुर के विरूद्ध दिनांक 13.03.2018 को कार्य में अनियमितता की दृष्टि से विभागीय जांच संस्थित की गई थी. जांच प्रक्रियाधीन है. जांच पूर्ण होने की अवधि बताया जाना संभव नहीं है.

(ग) जी हां. प्रश्नांश "क" के अधिकारी :—

1. श्री यदुनंदन सिंह राठौर जिला आबकारी अधिकारी को कार्यालय उपायुक्त आबकारी अधिकारी को कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, रायपुर संभाग रायपुर में शासन की स्थानान्तरण नीति के तहत पदस्थापना प्रदान की गई है.
2. श्रीमती ममता शर्मा, आबकारी उप निरीक्षक को कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला रायपुर में शासन की स्थानांतरण नीति के तहत पदस्थापना प्रदान की गई है.
3. श्री जे. पी. एन. दीक्षित, सहायक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय उपायुक्त आबकारी जिला रायपुर को निलंबन से बहाल कर पुनः कार्यालय उपायुक्त आबकारी जिला रायपुर में पदस्थ किया गया है, किन्तु निलंबन पूर्व कार्यस्थल पर दीक्षित की पदस्थापना नहीं की गई है.
4. श्रीमति सुप्रिया तिवारी आबकारी उप निरीक्षक, कार्यालय उपायुक्त आबकारी जिला रायपुर को निलंबन से बहाल कर पुनः कार्यालय उपायुक्त आबकारी जिला रायपुर में पदस्थ किया गया है, किन्तु निलंबन पूर्व कार्यस्थल पर श्रीमती तिवारी की पदस्थापना नही की गई है.
5. श्रीमती कमलेश्वरी देवांगन आबकारी आरक्षक को उनकी तत्समय पदस्थापना क्षेत्र में परिवर्तन कर अन्य क्षेत्र में पदस्थापना की गई है.

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न आबकारी विभाग से है। जो उड़न दस्ता दल बनाये जाते हैं, क्या वह दल अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। तिल्दा नेवरा एरिया में खुले आम ओवर रेट में शराब की बिक्री हो रही है तो उड़नदस्ते की टीम क्या कर रही है ? क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, अगर सदस्य का कहीं किसी जगह के बारे में शिकायत हैं, हमारी सरकार के विभाग का उड़न दस्ता ठीक काम कर रहा है। अगर कहीं कोई शिकायत है तो बता दे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब में ही आया है कि बहुत सारे उड़न दस्ते की टीम के ऊपर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन पुन: उसी स्थान का चार्ज दे दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहूंगा कि आरोप सिद्ध होने के बाद उनको पुन: क्यों चार्ज दिया जाता है ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कार्रवाई चल रही है। हमने सजा के लिए लिख दिया है। अगर वहां से आयेगा तो हम कार्रवाई करेंगे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्न संख्या-4 श्री दलेश्वर साहू।

<u>राजनांदगांव नगरीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत मॉडूलर शौचालय एवं डस्टबीन की खरीदी</u>

4. (*क्र. 669) श्री दलेश्वर साहू : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजनांदगांव नगरीय निकाय में वर्ष 2018 से प्रश्नावधि तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत मॉडुलर शौचालय एवं डस्टबीन की खरीदी की गयी है ? यदि हॉ तो किस एजेंसी से खरीदी की गयी ? निविदा एवं भुगतान की जानकारी देवें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : राजनांदगांव नगरीय निकाय में 2018 से प्रश्नावधि तक किसी भी प्रकार से मॉडूलर शौचालय एवं डस्टबीन की खरीदी नहीं की गई है.

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय जी,मेरा प्रश्न स्वच्छ भारत मिशन के तहत खरीदारी के सम्बन्ध में प्रश्न था। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत राशि से माडूलर शौचालय और डस्टबीन नहीं खरीदे हैं तो क्या-क्या खरीदारी किए हैं, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं ? आपने इस मद की राशि का कहां-कहां खर्च किए और किस मद में खर्च किए हैं, कौन से कार्य में खर्च किए हैं, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य का प्रश्न स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.) के तहत नगरीय निकाय क्षेत्र राजनांदगांव में कौन-कौन से खरीदी वर्ष 2018 से प्रश्नावधि तक की गई है ? तो मेरा जवाब है कि उस सम्बन्ध में कहीं कोई खरीदी इस मद से नहीं की गई है।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी आप उस मद का कहीं कोई उपयोग तो किए होंगे, वह बता दीजिये। यदि खर्च नहीं किए हैं और पैसा रखा हुआ है तो जितना पैसा रखा है, वह बता दीजिये ? इस दो साल के अन्तर्गत कहीं न कहीं उपयोग तो किए होंगे ?

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने बहुत सारी खरीदी की थी। उस सरकार के द्वारा जो खरीदी की गई थी, एक साल में कई साल के लिए खरीदी कर ली जाती थी, दो साल, तीन साल के लिए भी खरीदी हुई थी। अभी हमारे पास सामग्री है। इसलिए हम स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभी तक कोई खरीदी इस सरकार में हमने राजनांदगांव निकाय में नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री सौरभ सिंह।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राशि पूछना चाह रहा हूं। राशि बचा है या नहीं, खर्च किए है या रखा हुआ है। मंत्री जी, आप बता दीजियेगा कि क्या आप पैसा.....।

डॉ. शिव कुमार डहरिया:- आप बता दीजियेगा, मैं उसको देखूंगा।

श्री दलेश्वर साहू :- जी।

<u>जांजगीर चांपा जिले में अंग्रेजी/देशी शराब की बिक्री</u>

5. (*क्र. 147) श्री सौरभ सिंह : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चांपा जिले में वर्ष 2019 और 2020 में दिनांक 30.01.2020 तक कितनी पेटी अंग्रेजी और देशी शराब की बिक्री हुई है ? (ख) उपरोक्त पेटी से प्राप्त कार्टूनों को किस-किस एजेंसी को किस-किस दर से कब-कब बेचा गया है ? दुकानवार जानकारी बताएं.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) जांजगीर चांपा जिले में वर्ष 2019 और 2020 में दिनांक 30.01.2020 तक अंग्रेजी और देशी शराब की बिक्री की जानकारी निम्नानुसार है :—

अवधि	बिक्री की मात्रा (पेटी में)		
	देशी मदिरा	विदेशी मदिरा स्प्रिट	विदेशी मदिरा माल्ट
1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक	312106	47414	38301
1 अप्रैल 2019 से 30 जनवरी 2020 तक	813133	145305	113697

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(ख) उपरोक्त पेटी से प्राप्त कार्टुनों को बेची गई एजेंसी का नाम, दर एवं दिनांक की दुकानवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है.

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि जांजगीर-चांपा जिले के पिछले वित्तीय वर्ष के तीन महीने और इस वित्तीय वर्ष के 10 महीने में जो देशी शराब की बिक्री हुई है, वह 20 प्रतिशत कम हुई है । मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जांजगीर-चांपा जिले में इस देशी शराब की आपूर्ति किस डिस्टलरी से की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय :- पीने में कमी आई है या सप्लाई में कमी आई है ?

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्न उसी में है । पीने में कमी आई है, यह मंत्री जी बोल रहे हैं । हम बोल रहे हैं कि सप्लाई में कमी आई है। पीने वाले तो बढ़ रहे हैं । पूरे देश में छत्तीसगढ़ पीने वालों में नम्बर वन पर है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, यह जांजगीर जिले का प्रश्न है, शासन को नुकसान नहीं होना चाहिए ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए कह रहा था कि जांजगीर जिले में देशी शराब पीने में कमी आई है । उसके लिए आसंदी भी चिंतित है । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल । हो सकता है कि देशी शराब में कमी हो रही हो और विदेशी शराब बढ़ गया हो । (हंसी)

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, सभी में कमी आई है। उसमें भी कमी है । देशी शराब किस डिस्टलरी से सप्लाई होती है ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न उद्भूत नहीं होता । (हंसी)

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उद्भूत इसलिए नहीं होता, उसका कारण यह है कि शराब की बिक्री 20 प्रतिशत कम हो गई । अगर शराब की बिक्री 20 प्रतिशत कम हो गई तो राष्ट्रीय औसत यह बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शराब की बिक्री है । इसका ये मतलब है कि छत्तीसगढ़ में शराब पीने वाले सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं । तो तीन तरह से शराब आ रही है । या तो शराब बिना परमिट के डिस्टलरी से आकर बिक रही है या प्रदेश के बाहर की शराब आ रही है या वहां देशी शराब बन रही है। नम्बर दो की शराब बन रही है । ये तीन मामले हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- महुआ का ताड़ी बनवाओगे तो वहां शराब की खरीदी कौन करेगा ।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, ये तीन मामले हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी चिन्ता से मैं भी चिंतित हूं, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि वहां देशी और विदेशी शराब की खपत कम हो रही है । इससे स्पष्ट दिखता है कि वहां पीने वाले कम हो रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह गंभी प्रश्न है । जो बात हम बार-बार बोल रहे हैं कि बिना परमिट के शराब बिक रही है, लेकिन मंत्री जी बताने के लिए राजी नहीं हैं कि किस डिस्टलरी से शराब की सप्लाई हो रही है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप वहां अपना विशेष उड़नदस्ता बनवाकर चेक करवा लीजिए कि कहीं बाहर से शराब तो नहीं आ रही है ।

श्री अजीत जोगी :- डिस्टलरी का नाम तो बता दीजिए ।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, हम आपके आदेश का पालन करेंगे, हम जरूर जांच कराएंगे । लेकिन सौरभ सिंह को बधाई देना चाहिए कि शराब बंद हो रही है, यह अच्छी बात है ।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आप उस डिस्टलरी का नाम बता दीजिए कौन से डिस्टलरी से शराब की सप्लाई हो रही है । वहां सिर्फ तीन डिस्टलरी है । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पीने वाले बढ़ गए हैं तो खपत कैसे कम हो गया ? उसमें गल्ला एक रखते हैं या दो रखते हैं ? कई लोग बता रहे हैं कि हर दुकान में दो गल्ला रखते हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, वहां दो पेटी रखी जाती है । एक वैध और एक अवैध । एक उसकी पेटी और एक दूसरी पेटी करके रखी गई है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सरकार यह क्यों नहीं बताती कि दो गल्ला क्यों रखते हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बेहद गंभीर मामला है कि शराब भट्ठी में दो पेटी रखी जाती है । दो नम्बर की बिक्री क के लिए रखी जाती है ।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, दो गल्ला है, उसमें लिखा रहता है।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप कौन सा ब्राण्ड लेते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं ऐसा समझता हूं ...

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार समाचार-पत्रों में छपा है और इनके विभाग के अधिकारियों ने कार्यवाही की है कि यहां के दुकान में दूसरे प्रदेश के शराब की बिक्री हो रही है, उसको पकड़े भी हैं, उसके खिलाफ कार्यवाही भी की गई है और ऐसा न हो कि दूसरे प्रदेश की शराब को अपने दुकान में बेच रहे हैं, इसको गल्ला अलग रख हुए हैं और इसके कारण प्रदेश को राजस्व का हानि हो रही है, शराब पीने वालों में कमी नहीं हुई है, मंत्री जी गलत बात बोल रहे हैं । उसमें आय को बता रहे हैं। आप पूरे प्रदेश की बात करेंगे तो 500 करोड़ रूपए की आय बढ़ी है । जांजगीर-चांपा जिले में शराब की खपत कम हुई है, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन ये दो नम्बर की शराब बिना परमिट के शराब दुकानों में बेच रहे हैं, उसके लिए क्या उपाय करेंगे, उसमें मंत्री जी को जवाब देना चाहिए।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी संरक्षण में अवैध शराब बिक रही है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो और गंभीर बात है ।

श्री नारायण चंदेल :- यह बहुत ही गंभीर विषय है, यह छोटा-मोटा विषय नहीं है और दो गल्ले वाले बात की जांच होनी चाहिए कि दो पेटी कैसे रखी जाती है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो पेटी में एक वैध के लिए और दूसरा अवैध के लिए रखी जाती है । यदि माननीय विधायक सदन के अंदर बोल रहे हैं तो इस बात की जांच होनी चाहिए । दोनों विधायकों ने इस बात को गंभीरता से कहा है कि शराब दुकान में दो पेटी रखी जाती है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं जांच करवाने के लिए उनको निर्देश दे दूंगा ।

श्री नारायण चंदेल :- जांच के लिए सदन की कमेटी बना दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- हम जांच कराएंगे, ये कराएंगे ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश का पालन करेंगे। जब भी ऐसी शिकायत आती है तो हम जरूर जांच करते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो विधायक गंभीरता से कह रहे हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को कहा कि सरकारी संरक्षण में अवैध शराब बिक रही है और दो पेटी दुकानों में रखी जाती है । एक वैध के लिए और दूसरी पेटी अवैध के लिए । ये बहुत गंभीर विषय है। यदि सदन की जानकारी में यह बात आई है तो इसकी जांच सदन की समिति से करानी चाहिए । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, ये आपके जिले का मामला है, बहुत गंभीर मामला है । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, ये आपके जिले का मामला है।(व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है । आपके दुकान में बिना परमिट के दारू बेच रहे हैं । गल्ला में दो पेटी रखे हुये हैं। (व्यवधान) विधायक दल की कमेटी के द्वारा जाकर किसी भी दुकान में उसके स्टॉक की चेकिंग कर सकते हैं । यह मंत्री जी आश्वस्त करेंगे क्या । या हर जिले में एक टीम बनायेंगे । जिले में टीम बनायेंगे, उसमें नाम हम लोग भी देंगे । किसी भी दुकान में जाकर स्टॉक को चेक कर सके, यह मंत्री जी आश्वस्त करेंगे क्या । यह पूरे प्रदेश में चल रहा है । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आसंदी से आदेश होना चाहिये । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- बेरियर के बाद एक बेरियर और लगाना पड़ेगा । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- सदन की जांच कमेटी की घोषणा हो जाये । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- आप लोग 15 साल में कितनी बार समिति बनाये हैं । (व्यवधान)

अभिलेख/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- सरकार की समिति की बैठक में आप लोग क्यों नहीं जाते । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- नेताजी, लगातार आप लोग 15 साल तक देखते रहे । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आ जाये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आश्वस्त करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी कुछ जवाब दे रहे हैं । आप शांति से रहें।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- छत्तीसगढ़ में जब भी कोई पेपर में आता है, शिकायत में आता है, जांच करते हैं । समिति के बारे में जो बोल रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है, असत्य है । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- डिस्टलरी के नाम बताने को तैयार नहीं है । पूरे प्रदेश में दो नंबर का शराब बेच रहे हैं । कार्यवाही के नाम पर केवल प्लेसमेंट एजेंसी के ऊपर कार्यवाही की जा रही है । जो सरगना है, उसके ऊपर कार्यवाही नहीं करते हैं। आखिर इतना मॉल कहां से ला रहे हैं, कहां खपा रहे हैं । उसका जवाबदार कौन है, मंत्री जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं । सरकार के संरक्षण में, इनके दुकान में अवैध दारू की बिक्री हो रही है, मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट होकर हम सदन से बहिगर्मन करते हैं ।

समय :
11:37 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा अवैध दारू की बिक्री के विरोध में शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिगर्मन किया गया ।)

श्री बृहस्पत सिंह :- यह तो पहले से मालूम था कि भागना है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री रेखचंद जैन ।

एक माननीय सदस्य :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में अच्छी ब्राण्ड के शराब की कमी है । शराब प्रेमियों के लिए अच्छी ब्राण्ड की शराब और बियर नहीं मिल रही है ।

<u>जगदलपुर नगर निगम को स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्राप्त राशि</u>

6. (*क्र. 612) श्री रेखचन्द जैन : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्वच्छ भारत मिशन के तहत वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-2020 में जगदलपुर नगर

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

निगम को कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है ? (ख) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में प्राप्त राशि किस-किस मद पर कितनी-कितनी खर्च की गई है ? वर्षवार, मदवार जानकारी देवें ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) एवं (ख) जानकारी परिशिष्ट में †[5] संलग्न है.

श्री रेखचंद जैन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में जगदलपुर नगर पालिक निगम को कितनी राशि प्राप्त हुई, यह प्रश्न लगाया था, मुझे इसका उत्तर भी मिला है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि अभी जगदलपुर नगर पालिक निगम में व्यक्तिगत शौचालय के लिए क्या आवेदन लिये जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की हमारे विभाग में व्यवस्था है । निश्चित रूप से उसके लिए आवेदन लिये जाते हैं । सरकार की ओर से प्रति शौचालय 19,200 रूपये का प्रावधान है, जिसमें 2 हजार रूपये हितग्राही का शेयर भी रहता है ।

अध्यक्ष महोदय :- रेखचंद जी ।

श्री रेखचंद जैन :- माननीय मंत्री जी, अभी एक वर्ष से जगदलपुर नगर पालिक निगम में लोग आवेदन लेकर घूम रहे हैं, लेकिन वहां पर व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए आवेदन नहीं लिया जा रहा है । जो आयुक्त महोदय हैं, वह डबल चार्ज में है, आफिस में बैठते नहीं है । जनता परेशान है । मैं चाहता हूँ कि व्यक्तिगत शौचालय जो स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य है, घर-घर में शौचालय होना चाहिये, यह प्रक्रिया नहीं हो पा रही है और जगदलपुर नगर निगम को ओ.डी.एफ. घोषित कर दिया गया है, लेकिन आज ओ.डी.एफ. की स्थिति नहीं है । शौचालय बनना बहुत जरूरी है और 48 वार्ड में 30 वार्ड स्लम बस्ती है, जहां गरीब परिवार झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी इस मामले पर कुछ कार्यवाही करें।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय सदस्य जी ने कहा है कि एक साल से आवेदन नहीं लिये जा रहे हैं । माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो माननीय आयुक्त हैं, वह अगर जानबूझकर आवेदन नहीं ले रहे हैं तो हम उस मामले को दिखवा लेंगे और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो सुविधायें हैं, वह लोगों को मिलनी चाहिये, यह भी सुनिश्चित करें ।

श्री मिश्रा

मिश्रा\27-02-2020\a18\11.40-11.45

[5] परिशिष्ट "तीन"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>प्रदेश में शासन द्वारा देशी/विदेशी शराब दुकानों का संचालन</u>

7. (*क्र. 497) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने स्थानों पर शासन द्वारा देशी/विदेशी शराब का संचालन किया जा रहा है? जिलेवार ब्यौरा देवें? (ख) कंडिका "क" की दुकानों में बेची जाने वाली विदेशी शराब शासन द्वारा किन-किन कंपनियों से खरीदी जाती है? (ग) वर्ष 2017-2018, 2018-2019 में इन्हें कितनी कितनी राशि भुगतान की गई? कंपनीवार ब्यौरा देवें ? (घ) कंडिका "ख" की कंपनियों का चयन का आधार क्या है?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) प्रदेश में छत्तीसगढ़ शासन के पूर्ण स्वामित्व में गठित सार्वजनिक उपक्रम छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 650 स्थानों पर देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन किया जा रहा है. जिलेवार जानकारी प्रपत्र "अ" पर ††[6] संलग्न है. (ख) कंडिका "क" की दुकानों में बेची जाने वाली विदेशी शराब छत्तीसगढ़ शासन के पूर्ण स्वामित्व में गठित सार्वजनिक उपक्रम छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रपत्र "ब" में †† संलग्न अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड में अनुबंधित कंपनियों से खरीदी जाती है. (ग) वर्ष 2017-2018, 2018-2019 में छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कंपनियों को की गई भुगतान की राशि की कंपनीवार जानकारी प्रपत्र "स" एवं प्रपत्र "द" पर †† संलग्न है. (घ) छत्तीसगढ़ राज्य में छ.ग. स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड में पंजीकृत कंपनियों से प्रतिवर्ष उनके ब्राण्ड/लेबल का रेट ऑफर के माध्यम से लैंडिग प्राईस आमंत्रित किया जाता है. छत्तीसगढ़ शासन के पूर्ण स्वामित्व में गठित सार्वजनिक उपक्रम छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विदेशी मदिरा के मांग अनुसार ही छ.ग. स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, पंजीकृत कंपनियों से विदेशी मदिरा की खरीदी करती है.

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय,मेरा प्रश्न छत्तीसगढ़ में देशी/विदेशी शराब दुकानों से संबंधित है और किस कंपनी से सरकार शराब खरीद रही है इस पर है। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड में 77 कंपनियों का पंजीयन है और 2017-18 में इन्होंने 42 कंपनियों से शराब खरीदा। 2018-19 में 47 कंपनियों से शराब खरीदा। जब आपके कार्पोरेशन में 77 कंपनियां पंजीकृत हैं तो आप केवल 42 और 47 से ही क्यों शराब खरीदे, बाकी कंपनियों से क्यों नहीं खरीदे? ये जो 77 कंपनियां हैं इसमें छत्तीसगढ़ की कितनी कंपनी है या छत्तीसगढ़ की कितनी कंपनियां हैं जिनसे आप शराब लेते हैं यह बता दीजिए?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शराब कंपनी वाले हमारी सरकार के पास आवेदन नहीं करते हैं। इसके लिए एक कंपनी बना हुआ है। पहले भी जब शराब प्रायवेट बिकती थी तब

[6] परिशिष्ट "चार"

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

भी उसे कंपनी बेचती थी, अभी भी सरकार नहीं बेच रही है। वे कंपनी के पास आवेदन करते हैं और मांग जो आती है उस आधार पर लेते हैं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न किससे पूछूंगा? भाई, कंपनी तो सरकार की है ना, सरकार शराब बेच रही है। मेरा सीधा-सीधा प्रश्न है कि आपने बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा 77 कंपनियों को पंजीकृत किया और आपने वर्ष 2017-18 में 42 कंपनियों और वर्ष 2018-19 में 47 कंपनियों से शराब खरीदा, तो बाकी कंपनियों से आपने शराब क्यों नहीं खरीदा?

श्री अजय चन्द्राकर :- (माननीय मंत्री श्री कवासी लखमा के बगल में वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) बैठे हैं जो श्री कवासी लखमा जी को कुछ समझा रहे हैं।) माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्नोत्तर का सुनें कि बाजू में जो बैठे हैं उनका सुने? दोनों तरफ से सुनने में तो इनका दिमाग ही काम नहीं करेगा। उनका भी सुने, इनका भी सुने, किसका उत्तर दें वह तो फंस जायेंगे।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए कहा गया है कि आप लोग थोड़ा सहयोग करें।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन 77 कंपनियों में छत्तीसगढ़ की कितनी कंपनियां हैं मैं ये जानना चाहता हूं?

अध्यक्ष महोदय :- मेरी बात सुनिए, इस मामले में माननीय अकबर जी को ज्यादा अतिरिक्त जानकारी है, मैं उनसे कहता हूं कि वह उनकी तरफ से जवाब दे दें।

श्री अजय चन्द्राकर :-माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उत्तर दिलवा दीजिए इसमें कोई बात नहीं है लेकिन आपकी ही व्यवस्था थी कि एक बार उनको अवसर दे दिया गया था, आज फिर दोबारा हो रहा है। एक उदाहरण बन रहा है। यह उदाहरण न बने।

अध्यक्ष महोदय :- चूंकि इतने लंबे-चौड़े और उलझन वाले प्रश्न हैं, मैं आज की व्यवस्था के लिए व्यवस्थित किया हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आजे भर हे।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी कंपनियां माल नहीं रखतीं। पहले तो इनका पंजीयन होता है, रेट ऑफर के आधार पर पंजीयन किया जाता है। उसके बाद अलग-अलग ब्रांड की जो डिमांड होती है उसके हिसाब से उसको मंगाया जाता है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डिमांड के आधार पर शराब नहीं मिल रही है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की कितनी कंपनी है? आपने कहा कि मांग के आधार पर देते हैं तो ये कौन-कौन सी कंपनियां हैं जो आपको माल नहीं दे रही है और आप उनसे मांग किए हैं? यह सरकार आज जो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में शराब बेच रही है, आरोप इसी बात का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है कि छत्तीसगढ़ में शराब के ऊपर जो ये बड़ा खेल हो रहा है और सरकार के द्वारा किया जा रहा है, आप बतायें ना कि जब आपने पंजीयन कराया है तो आप 77 कंपनियों से क्यों नहीं खरीद रहे हैं?

श्री अजीत जोगी :- जो कमीशन देता है, उसी से खरीदते हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खाली छत्तीसगढ़ का पंजीयन के लिए कोई बंधन नहीं है। पूरे देश के जो भी चाहते हैं वह अपने रेट ऑफर के आधार पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। और जिनको पंजीयन कराना है उससे लिया जाता है। लेकिन यह बहुत विस्तृत जानकारी है यदि आपको चाहिए तो मैं उपलब्ध करा दूंगा।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल 77 कंपनियां हैं, छत्तीसगढ़ की कितनी कंपनी है? आप बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ की 5 है या 10 है या 20 है?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की 10 कंपनियां हैं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जवाब दिया डिमांड के हिसाब से किया जाता है, डिमांड के हिसाब से बलौदा बाजार में नंबर-1 की शराब आज तक नहीं बिक रही है।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधायकों को नहीं मिला, यह बहुत गंभीर प्रश्न है।

श्री सौरभ सिंह :-माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक बहुत गंभीर प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- आप कौन सी ब्रांड लेते हैं?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो कंपनी शराब बेचती है कितने प्रतिशत प्राफिट पर अपने दुकान में बेचती है? उसमें कितने प्रतिशत कमाई करके सरकार उस शराब को बेचती है?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राफिट वगैरह के बारे में गणना की जरूरत है और यह इस प्रश्न में है नहीं। आपने कंपनी का पूछा तो आपको बता दिया कि छत्तीसगढ़ की 10 कंपनियां हैं।

अध्यक्ष महोदय :- एक तो आप सब लोग शराबबंदी की बात करते हैं और शराब के बारे में इतना बहस करना चाहते हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- शराबबंदी कर दे तो हम थोड़ा बंद हो जायेंगे। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- शराबबंदी कर दे। (व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- शराबबंदी कर दे, तो हम थोड़ा बंद हो जायेंगे। इस सदन में घोषणा कर दें। सदन में फिर शराब के ऊपर बहस होना बंद हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑल (व्यवधान) चला रहे हैं। (व्यवधान)

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- एक तरफ आप शराबबंदी की बात कर रहे हो और यह आपका जिला है। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- शराब के मामले में सदन का बहिष्कार कर चुके हो। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- यह आपका जिला है।

केशव प्रसाद चंद्रा :- शराब की कमेटी बनी है। कमेटी की बैठक नहीं कर रहे हो। शराबबंदी आप इधर ले लिये हो, शराब बिकवा रहे हो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- केशव चंद्रा जी, एक मिनट।

श्री नारायण चंदेल :- ये हमारे जिले का मामला है।

श्री बृहस्पत सिंह :- बहिष्कार के बाद इनको बोलने का हक कहां से आ गया?

अध्यक्ष महोदय :- केशव चंद्रा जी, मेरे ख्याल से आपका शराब से कोई लेना देना नहीं है। आप उसमें इतने गमगीन मत हो जाईये। माननीय चंद्राकर जी।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केशव चंद्रा जी और प्रमोद शर्मा जी के ब्रांड....।(व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना राजस्व आ रहा है कि सरकार आंकड़े भूल गयी है। ये परिशिष्ट में है कि जिनको भुगतान किया गया है, उसमें रूपये लिखा है। हजार, लाख, करोड़ है कि अरब है, कितना भुगतान किया गया यह मैं जानना चाहता हूं। रूपये भर लिखा है। एक, आंकड़े पार हो गये हैं। दूसरा, सौ प्रतिशत यदि हम खरीदते हैं तो छत्तीसगढ़ की जो कंपनी है उनकी सप्लाई का प्रतिशत कितना है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सप्लाई का प्रतिशत मांग के आधार पर ही निर्धारित होता है। छत्तीसगढ़ की 10 कंपनियां है। जितनी मांग होगी उसके हिसाब से सप्लाई होगी। अब जितनी मांग के आधार पर जो है पूरी विस्तृत जानकारी दी हुई है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या होता है, यह बड़ा डिप्लोमेटिक उत्तर है। इसमें कौन डिमांड क्रियेट करेगा कि मुझे ब्लैक लेबल पीना है, ब्लू लेबल पीना है, ग्रीन लेबल पीना है, देशी पीना है, पौव्वा पीना है।

श्री बृहस्पत सिंह :- चंद्राकर जी, आपकी कंपनी की सारी है कि नहीं। (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- पूरा ब्रांड का नाम चाहिए । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- चंद्रा जी को कौन सा ब्रांड चाहिए ? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- कौन सी कंपनी को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए बहुत स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ के कंपनियों के डिमांड क्रियेट होने का कोई संबंध नहीं है। उसमें कोई संबंध नहीं है। या तो

अशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

सरकार यह बता रही है कि डिमांड के आधार पर है तो डिमांड क्रियेट कैसे होता है ये बतायें ? मूल प्रश्न है, इस तरह डिमांड क्रियेट होता है ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका डियो डिमांट क्रियेट करता है। डियो करता है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ बेवरेजेस कार्पोरेशन और छत्तीसगढ़ मार्केटिंग (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- दिखाया जाता है कि आप इस कंपनी का लिखे हैं। ये बात क्रियेट करवाया जाता है। ये उनका सिस्टम है। इतना बड़ा उत्तर आया है। इसमें पूरा छपा है।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए-बैठिए। प्लीज बैठिए न। ननकीराम जी कंवर बोलेंगे। सीनियर आदमी है, बोलने दीजिए।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं उनका जवाब दे देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं दे रहा हूं, मैं जवाब दे दूंगा।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं । आपकी सरकार ने नशाबंदी की घोषणा की थी। शराबबंदी बंद करने की घोषणा की थी। उसको लागू क्यों नहीं की ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भुगतान के बारे में आपने जानकारी चाही है, भुगतान रूपया में है। दूसरी बात यह...।

श्री अजय चंद्राकर :- बजट में लिखते हैं, हजार लिखते हैं, लाख लिखते हैं, करोड़ लिखते हैं। जो रूपया लिखे हैं, ये जो आंकड़ा दिये हैं, वह हजार है....।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप पूरा फिगर पढ़िए न।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं पूरा फिगर पढ़ लिया।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप पूरा फिगर पढ़िए। दूसरा यह जो, आपने डिमांड की बात की।

श्री अजय चंद्राकर :- इतना रूपया हजार है, इतना करोड़ है, इतना लाख है, ये पूछ रहा हूं।

श्री मोहम्मद अकबर :- उसका जो डिजीट है, उसको आप मिलान करके जब पढ़ेंगे तो क्लीयर होगा।

श्री अजय चंद्राकर :- आप बहुत विद्‍वान हैं। जहां पर भी सरकार लिखती है, रूपया हजार में, लाख में, करोड़ में, यह लिखा रहता है। आप बजट खोलकर देख लीजिए, ऐसा यह लिखा रहता है। जो डिजीट लिखा है वह हजार में है, लाख में यह रूपया है। यह सरकारी दस्तावेज में लिखा रहता है। आप इस पर क्यों नहीं लिखते ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- मेरा यह कहना है कि जितना डिजीट होगा, उसके हिसाब से पांच डिजीट होगा तो एक लाख होगा। आप डिजीट को मिलान करो। दूसरी बात यह है कि आपका...।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, ऐसा है, आप दोनों विद्वान सदस्य हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- आप देखिए।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज आप बैठिए। आप भी बैठ जाएं। देखिए, जब आप लोग शराब बंदी के प्रति इतने चिंतित हैं। यहां भी चाहते हैं कि शराबबंदी हो।

श्री अजय चंद्राकर :- वहां नहीं चाहते।

अध्यक्ष महोदय :- जस्ट मिनट। तो शराब में इतनी देर चर्चा की अनुमति नहीं देता। इन्दू बंजारे।

श्री अजय चंद्राकर :- क्या बात है ? क्या बात है ?

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कभी कभार तो पूछता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आपका तो हो गया ना।

श्री ननकीराम कंवर :- तो जवाब तो आ जाए।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अंतिम प्रश्न, माननीय जो वरिष्ठ सदस्य ने कहा है कि सरकार शराबबंदी कब करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल। इंदू बंजारे।

श्री अजय चंद्राकर :- डियो क्रियेट डिमांड। इनडायरेक्ट डियो।

<u>अकलतरा विकासखण्ड में संचालित केप्टिव पावर प्लांट एवं लाफार्ज सीमेंट के द्वारा CSR मद में व्यय राशि</u>

8. (*क्र. 534) श्रीमती इन्दू बंजारे : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड में संचालित केप्टिव पावर प्लांट एवं लाफार्ज सीमेंट संयंत्र आरसमेटा के द्वारा सी.एस.आर. योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक जनवरी 2020 तक कितनी राशि किस-किस कार्य पर खर्च की गई है ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड में संचालित केप्टिव पावर प्लांट एवं लाफार्ज सीमेंट संयंत्र आरसमेटा (नवीन नाम-न्यूवोको विस्टास कारपोरेशन लिमिटेड) के द्वारा सी.एस.आर. योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक जनवरी 2020 तक किये गये कार्य एवं व्यय राशि की जानकारी †[7] संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा था कि जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड में..।

अध्यक्ष महोदय :- आज पूरा प्रश्न जांजगीर जिले का ही होना है क्या ?(हंसी)

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष जी का असर है।

श्रीमती इन्दू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विकासखण्ड में केप्टिव पावर प्लांट और लाफार्ज सीमेंट संयंत्र आरसमेटा के द्वारा सी.एस.आर. मद से जो प्रभावित ग्राम हैं उनमें कितनी राशि, किन-किन कामों में खर्च की गई है मैंने माननीय मंत्री जी से इसकी राशि की जानकारी मांगी थी, उसकी जानकारी मुझे प्राप्त हो गई है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- आपको जानकारी मिल गई है। चन्दन कश्यप।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- जब मूल प्रश्नकर्त्ता संतुष्ट हैं तो अनुपूरक प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डी.ओ. टाईप डिमाण्ड क्रियेट हो गया है। प्रश्न का डिमाण्ड आउट क्रियेट हो गया है।

अध्यक्ष महोदय :- चंदन कश्यप का पहला प्रश्न आया है।

<u>नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के श्रमिकों का पलायन</u>

9. (*क्र. 717) श्री चंदन कश्यप : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 से जनवरी 2020 के मध्य कितने मजदूरों के द्वारा अन्य राज्यों हेतु पलायन के प्रकरण प्रकाश में आये एवं कितने बंधन श्रमिकों को अन्य राज्यों से मुक्त कराया गया ? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार अन्य राज्यों से वापस आये बंधक श्रमिकों के रोजगार हेतु क्या कार्यवाही की गई? श्रमिकों को गुमराह कर ले जाने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) प्रश्नांकित अवधि में नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में मजदूरों के द्वारा अन्य राज्यों हेतु पलायन के निरंक प्रकरण प्रकाश में आये हैं. उक्त अवधि में बेहतर रोजगार हेतु अन्य राज्यों में प्रवास पर गये 104 बंधक श्रमिकों को अवमुक्त कराया गया है. (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार अन्य राज्यों से वापस आये बंधक श्रमिकों के रोजगार हेतु पुनर्वास सहायता राशि

[7] परिशिष्ट "पांच"

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

के भुगतान की कार्यवाही संबंधी जानकारी ††[8] परिशिष्ट में संलग्न है. श्रमिकों को अन्य राज्यों में ले जाने वाले 02 ठेकेदारों के विरूद्ध पुलिस थाना, नारायणपुर में एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है.

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में बंधक श्रमिकों के पुनर्वास सहायता राशि में क्या किसी प्रकार का संशोधन किया गया है यदि हां तो कब और पुनर्वास सहायता राशि दिये जाने का क्या दिशानिर्देश है ? तथा वर्ष 2019 में विमुक्त कराये गये शेष 8 श्रमिकों को पुनर्वास राशि कब तक प्रदाय किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- आपका ये प्रश्न पहला प्रश्न है।

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, इनको पर्याप्त उत्तर दीजिए। पूरा संतुष्ट करिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हां जरूर। हमारे माननीय विद्वान सदस्य ने जो प्रश्न किया है निश्चित रूप से पूर्व में जो नियम थे, उसमें पहले 40 हजार रूपये तक हमारे राज्य की तरफ से दिया जाता था और 10 हजार रूपये केन्द्र की तरफ से दिया जाता था। पहले 50 हजार रूपये की राशि बंधकों को तुरंत उपलब्ध करा दी जाती थी, लेकिन केन्द्र सरकार ने नियम में परिवर्तन किया है। ये 17 मई, 2016 को केन्द्र ने इस संबंध में नियम बनाये थे और नियमों में संशोधन किया है। अब तत्काल सहायता योजना के तहत ऐसे बंधक श्रमिकों को मुक्त किये जाने पर 20 हजार रूपये तत्काल देने का प्रावधान है और इसके अलावा श्रमिकों जो मुक्त श्रमिक हैं, जिन लोग बंधक बनाते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण दायर किया जाता है और जब न्यायालय में निर्णय हो जाता है उस स्थिति में पुरूष श्रमिक को 1 लाख रूपया प्रति श्रमिक दिये जाने का प्रावधान है और महिला एवं बच्चों को 2 लाख प्रति श्रमिक दिये जाने का प्रावधान है। यौन उत्पीड़ित और ट्रांसजेंडर को 3 लाख रूपये प्रति श्रमिक दिये का प्रावधान है और हमारे प्रदेश में प्रत्येक जिले में इसके लिए 10 लाख रूपया प्रति जिला दिये जाने का निर्णय हुआ है जो हम जिलों को दे देते हैं । यदि इस तरह की कोई घटना होती है तो तत्काल उस पर सहायता राशि दी जाती है और हमारे माननीय सदस्य जी ने कहा है कि जो 104 विमुक्त श्रमिक थे उनमें से 95 श्रमिकों को सहायता राशि मिल चुकी है। मात्र 9 सदस्य हैं। 08 वे बता रहे हैं एक और है, जिनको अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। इसके लिए संबंधित जिले के कलेक्टर्स को लिखा गया है। उनका बैंक खाता नहीं होने और बाकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उनको सहायता राशि नहीं दी गई है। कलेक्टर्स को कहा गया है कि उनको प्रक्रिया पूर्ण करके तत्काल सहायता राशि दे दी जाये और वह उनको जल्दी मिल जाएगा।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट विधायक जी। माननीय मंत्री जी अभी आपने बताया कि वहां ट्रासंजेंडर श्रमिक हैं तो क्या ये 09 वही ट्रासंजेंडर श्रमिक तो नहीं है, जिनको भुगतान नहीं हुआ।

---

[8] परिशिष्ट "छ:"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। वह तो प्रावधान बताया था।

अध्यक्ष महोदय :- पहले यह बताये कि ट्रासंजेंडर श्रमिक कितने होंगे?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। इस तरह के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। अगर इस तरह के प्रकरण आते हैं तो उनको दिये जाने का प्रावधान है। अगर जानकारी में आये तो बता दें तो उनको भी दिया जा सकता है।

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन दो ठेकेदारों के विरूद्ध में एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है। अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनकी कब तक गिरफ्तारी होगी, आदरणीय मंत्री जी इसका जवाब देंगे ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों में प्रावधान है। हमने एफ.आई.आर. करा दिया है। उनके खिलाफ न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर दिया गया है और इसमें जो कानून, नियम है उस आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री सन्तराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है तो उसमें चालान कैसे पेश हो गया? हम ये जानना चाह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी कब होगी? जब विवेचना में है अभी माननीय मंत्री जी बोले कि न्यायालय में है। न्यायालय में नहीं है। उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। चालान ही पेश नहीं हुआ है। फिर आप कैसे गलत बता रहे हैं।

श्री अजीत जोगी :- फरारी में किया होगा।

श्री सन्तराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। उसमें आप अपराध क्रमांक, चालान का क्रमांक बता दीजिये। कौन सा चालान क्रमांक है, आप वह बता दीजिये?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. दिनांक 20.11.2014 को 22 बजकर 10 मिनट पर दर्ज किया गया है। इसका पंजीयन क्रमांक एफ.आई.आर. 173/14, 174/14 है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश से अन्य प्रदेशों में बहुत से मजदूर काम करने जाते हैं। क्या सरकार के पास उन मजदूरों के पंजीयन की कोई ऐसी कोई व्यवस्था है, क्योंकि घटना होने के बाद पता चलता है कि हमारे प्रदेश के मजदूर हैं। इस देश के साथ अन्य देशों में भी जाते हैं, क्या सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि हम उन मजदूरों का पंजीयन कराकर अन्य प्रदेशों में भेजें ताकि हमको जानकारी मिले सके?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से हमारे श्रम विभाग में इसकी व्यवस्था है। अगर पंजीकृत ठेकेदार हैं तो उनका पंजीयन किया जाता है। पंजीयन करने के जो नियम-कानून हैं, उन नियम-कानूनों के तहत पंजीयन होता है। श्रमिकों को दूसरे जगह काम करने के लिए ले जाने की व्यवस्था है। लेकिन अगर कोई बिना पंजीयन के ले जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही किये

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

जाने का प्रावधान है।

श्री चंदन कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या विमुक्त बंधक श्रमिकों को पुनर्वास सहायता के अलावा शासन से आवास एवं स्थानीय स्तर पर कोई रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है? यदि हॉ तो इसकी जानकारी देने का कष्ट करें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य जी बहुत जागरूक हैं, निश्चित रूप से इस तरह से जो विमुक्त हमारे श्रमिक होते हैं, उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हमारे सरकार की व्यवस्था है। मनरेगा के तहत उनके जॉब कार्ड बनाये जाते हैं, उनके राशन कार्ड बनाये जाते हैं और स्थानीय स्तर पर जो निर्माण कार्य होते हैं, उनमें उनको प्राथमिकता दी जाती है ताकि वह और दूसरी जगह काम के लिए न जा सकें।

बिलासपुर जिले में शराब बिक्री से प्राप्त राजस्व

10. (*क्र. 279) श्री शैलेश पाण्डे : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में शराब बिक्री से दिनांक 1 मार्च, 2019 से 31 जनवरी, 2020 तक कितनी राजस्व विभाग को प्राप्त हुआ ? (ख) होटल और बार में शराब पिलाने का क्या समय शासन द्वारा निर्धारित है ? (ग) बिलासपुर शहर में कितने स्थानों पर शराब पिलाने की अनुमति प्रदान की गई है ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) बिलासपुर जिले में शराब के विक्रय से दिनांक 01 मार्च 2019 से 31 जनवरी 2020 तक 397.88 करोड़ (तीन सौ सनतान्बे करोड़ अठ्यासी लाख) रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है. (ख) होटल और बार में शराब पिलाने का समय शासन द्वारा निम्नानुसार निर्धारित की गई है :—

क्र.	होटल बार का प्रकार	खुलने का समय	बंद होने का समय
1.	एफ.एल. 2 रेस्टोरेंट बार	12.00 बजे दोपहर	10.00 बजे रात्रि
2.	एफ.एल. 3 होटल बार	12.00 बजे दोपहर	10.00 बजे रात्रि
3.	एफ.एल. 3 (क) शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट	12.00 बजे दोपहर	10.00 बजे रात्रि
4.	एफ.एल. 4/4(क) क्लब अनुज्ञप्ति	12.00 बजे दोपहर	11.00 बजे रात्रि
5.	एफ. एल. 3 स्टार एवं	12.00 बजे दोपहर	12.00 बजे रात्रि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उसके ऊपर का स्तर के

होटल बार

(ग) बिलासपुर शहर में कुल 18 होटल और बार में शराब पिलाने की अनुमति दी गई है.

श्री शैलेश पांडे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे शराब पर बहुत चर्चा हो गई है। वैसे हमारे माननीय मंत्री जी बहुत भोले भी हैं। मैंने माननीय मंत्री जी से सवाल किया था कि रेस्टोरेंट बार में कितने बजे से कितने बजे तक शराब पिलाई जा सकती है उसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने मुझे एक आदर्श समय सारणी दी है। पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस आदर्श समय सारणी में शराब नहीं पिलाई जाती है, यह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब लोग जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय विधायक जी, हम नहीं जानते।

श्री शैलेश पांडे :- शराब देर रात तक न पिलाई जाये, क्या इसको रोकने के लिए छापे मारे जाते हैं या क्या कदम विभाग द्वारा उठाये जाते हैं?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सुनिश्चित किया जाता है कि निर्धारित समय में ही बार खुले रहें, लेकिन इस प्रकार की जहॉं भी शिकायत प्राप्त होती है, वहां तत्काल कार्यवाही भी की जाती है।

अध्यक्ष महोदय :- क्या निर्धारित समय को आपने आदर्श समय की उपाधि दी है?

श्री मोहम्मद अकबर :- नहीं, आदर्श वह बोल रहे हैं। आदर्श उनका कहना है।

श्री शैलेश पांडे :- क्योंकि जो निर्धारित समय है, मैं तो देखता रहता हूं कि कई बार रात-रात भर शराब पिलाई जाती है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष जी, ये कह रहे हैं कि मैं रात-रात भर घूम कर देखता हूं, आप इनको रात को घूमने के लिए मना करिये। (हंसी)

श्री रश्मि आशीष सिंह :- क्षेत्र में कार्यक्रम में गये रहते हैं और वहां से लौटते रहते हैं तो वास्तव में एन.एच. में स्थित बार भी खुले रहते हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो गंभीर विषय है। सत्तापक्ष का एक विधायक रात्रि 10 बजे के बाद दुकान खुली है, शराब बिक रही है, उसको नहीं रोक पा रहे होंगे, तो बाकी जगह क्या हालत होती होगी?

श्री शैलेश पांडे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि आपने दुकानों में शराब बेचने का जो समय निर्धारित किया है और बार का खुलने का जो समय है, दोनों समय लगभग समान है। आपको दुकानों में बिक्री करने का समय कम करना चाहिए और बार के समय में अंतर होना चाहिए। नहीं तो यह होता है कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक शराब पिलाई जाती है। यह गलत है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- माननीय विधायक जी, आप क्या चाहते हैं 12 बजे दिन के बजाय थोड़ा शाम को दुकान खुले?

श्री शैलेश पांडे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि शराब को बंद करना जरूरी है, यह समाज की बुराई है, लेकिन इसको जागरूक रहते हुए बंद किया जाये। क्योकि यह होता है कि एक बार वाला सोचता है कि बाजू वाला तो 12 बजे तक खुलता है, मैं क्यों नहीं खोलूंगा। वहीं दूसरा वाला सोचता है कि 2 बजे तक खोलता है, मैं क्यों नहीं खोलूंगा। यह एक दूसरे को देखकर होता है। कोई नहीं चाहता है कि हर व्यक्ति अपने घर में जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 पटल पर रखता हूं ।

पूच्छा

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो चुकी है । प्रदेश की राजधानी में मुख्यमंत्री निवास के नजदीक डकैती होती है । मुख्यमंत्री निवास के नजदीक हत्या होती है, प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष के घर में चोरी होती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी जाती है, प्रदेश के मंत्री को जान से मारने की धमकी दी जाती है, वसूली की बात की जाती है, सदन के सदस्य को जान से मारने की धमकी दी जाती है, पूरे प्रदेश में बालात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, डकैती की घटनाएं बढ़ी हैं, नक्सलवादी घटनाओं में लोगों को मारा जा रहा है, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो चुकी है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में हम लोगों ने स्थगन दिया है, आप स्थगन स्वीकार कर उस पर चर्चा करायें ।

अध्यक्ष महोदय :- वह विचाराधीन है ।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े शब्दों में कहा गया कि कानून का राज होगा । साल भर में सरकार हंफरने लगी, झाग फेंकने लगी । कानून की व्यवस्था क्या शब्द है यह माननीय गृहमंत्री जी भूल गए । यहां के जिम्मेदार मंत्री भूल गए, माननीय मुख्यमंत्री जी भूल गए । क्या यह अराजकता की स्थिति है या कोई और दूसरा कारण है । एक बात और है कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री कवासी लखमा जी जो बैठे हैं उनको जान से मारने की नहीं बल्कि वसूली की धमकी दी गयी, वे दारू मंत्री हैं इसलिए वसूली की धमकी दी गयी या और कोई कारण है ? उनके पास किसी तरह का पैसा आता है इसलिये धमकी दी गयी लेकिन इन्होंने हरियाणा से आदमी लाया, उनको सम्मानित किया और सम्मानित करने वालों को दूसरे दिन उन्होंने कार्यवाही कर दी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बुरी स्थिति तो तब होती है जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मारने की धमकी दी जाती है, एक विधायक को धमकी दी गयी, सोमानी अपहरण कांड हुआ, यह जानना चाहते हैं कि एक दिन कहां से पकड़कर लाया गया उसके बाद वह वाश हो गया, हम लोग यह जानना

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चाहते हैं कि फिरौती दी गयी कि सीधे छड़ाया गया, इस विषय में मौन रहा गया । कवर्धा की एक बच्ची का हुआ, छत्तीसगढ़ में माबलांचिंग हो रही है, क्यों माबलांचिंग हो रही है ? अभी बस्तर में एक माबलांचिंग हुई, कुछ दिन पहले कवर्धा में एक माबलांचिंग हुई, छत्तीसगढ़ में माबलांचिंग का इतिहास नहीं था । रेप हो रहे हैं, समूह में 7 लोगों की हत्या हो गयी । ऐसा कोई भी अपराध नहीं है जो छत्तीसगढ़ में रोज नहीं घट रहा हो, आप रोज समाचार-पत्रों को देख लीजिए । गृहमंत्री जी कहां पर है मालूम नहीं, डी.जी.पी. कहां पर हैं मालूम नहीं है, सब ओर अव्यवस्था है । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- क्या ये शून्यकाल पर बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल चल रहा है तो ये भाषण कैसे दे रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- यह शून्यकाल है मैं उसी पर बोल रहा हूं, मैं आपसे पूछकर नहीं बोलूंगा । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आपकी अनुमति से बोलने के लिये खड़े हुए हैं और ये लोग उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैंने उनको अनुमति दी है, वे बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं । आप बोलिए । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ शांति का प्रदेश माना जाता था । इस एक साल में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ हो गया है । आपसे आग्रह है कि इसको स्वीकार कर सब काम रोककर तत्काल चर्चा करायी जाए ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की कानून व्यवस्था की यह हालत है कि जांजगीर-चांपा जिले के मुलमुला थाना के अंतर्गत ग्राम नरियरा में उपसरपंच चुनाव के बाद जिन लोगों ने भी उपसरपंच का चुनाव जीता और जो हारे, उनके घर में घुसकर मारपीट किए । मारपीट करने की थाने में रिपोर्ट की गयी, उसमें कोई कार्यवाही नहीं की गयी, कल फिर उनके घर में गये और उनके घर में फिर से मारपीट की । महिलाओं के साथ मारपीट की गयी और किस-किस में मारपीट हो रही है, सी.सी.टी.व्ही. कैमरे का फुटेज बता रहा है, वह आदमी जिसके घर में मारपीट हुई उसके घर में सी.सी.टी.व्ही. कैमरा है । सी.सी.टी.व्ही. कैमरे का फुटेज बता रहा है कि वहां 13 लोग गये हैं और उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं करके इस तरह की व्यवस्था है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर-चांपा जिले में सरपंच के चुनाव के बाद जो आदमी सरपंच का चुनाव कोषा में हार गया, उन लोगों के घर में घुस-घुसकर मारा गया कि मोर पैसा ला लेहा तेला निकालो, नहीं तो पीटिहौं । उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई । दहशत में पूरा गांव बंद हो गया लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई । सिर्फ एक मुलमुला थाने का यह हाल है, चुनाव के बाद से लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

इस पर चर्चा होनी चाहिए ।

(गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू सदन से बाहर गए)

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी सुन रहे थे, उठकर चल दिये । यह शासन की गंभीरता है । अगर वे सदन में नहीं होते तो बात अलग थी, गृहमंत्री जी उपस्थित थे और अभी जब चर्चा शुरू हुई तो वे उठकर चले गए, यह गंभीरता है शासन की ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन दिया है कृपा पूर्वक उसको ग्राह्य करें ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सूची है कि कहां हत्या हो रही है, कहां बलात्कार हो रहे हैं, कहां फिरौती मांगी जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- वह मुझे भी दे दीजिएगा ।

(गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने सदन में प्रवेश किया)

श्री नारायण चंदेल :- जो अवैध शराब का कारोबार इस प्रदेश में चल रहा है, वह माफियाओं के द्वारा चल रहा है । शराब के कारण हत्या, लूट, डकैती, फिरौती बढ़ रही है । यह सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है । सरकार की नाक के नीचे हो रही है । अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस सरकार को निर्देशित किया जाना चाहिए कि कानून और व्यवस्था का राज होना चाहिए । अगर किसान अपने धान की खरीदी के लिए आंदोलन करते हैं तो यह सरकार उनके ऊपर लाठी चार्ज करती है । गांव में रहने वाला सुकालू, दुकालू, समारू, बैसाखू, कहारू, डहारू के ऊपर लाठी चार्ज करती है। लज्जा नहीं आती इस सरकार को । अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में आम लोग असुरक्षित हैं । हम लोगों ने स्थगन दिया है सारी कार्यवाही रोककर उस पर चर्चा कराएं ।

श्री केशव चन्द्रा (जैजैपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में पुलिस अराजकता की स्थिति निर्मित हो गई है । अध्यक्ष महोदय, आपके और हमारे जांजगीर-चांपा जिले में इंदौर की टीम आकर ट्रैलर, स्कॉर्पियो से गांजा सप्लाई कर रही हैं । स्थानीय जांजगीर-चांपा पुलिस को पता भी नहीं है और पुलिस से पूरे प्रदेश की जनता का विश्वास समाप्त हो गया है । अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के एक सम्मानित सदस्य ने एक आरोप लगाया था कि थानेदार से बात करते हैं तो वह बद्तमीजी से बात करता है, यह इस सदन की बात है । अध्यक्ष महोदय, कल मेरे दल की विधायक श्रीमती इंदू बंजारे जी आ रही थीं तो इस विधान सभा के सामने उनको 10 मिनट तक रोक दिया गया । (शेम शेम की आवाज) वहां इनको रोक दिया गया, एक विधायक जब विधान सभा आ रही है तो उसे रोका जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, किसी भी पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पुलिस अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कर रही है ।

अप्रमाणित/असंशोधित के लिये नहीं

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- धान पकड़ रहे हैं, दुनिया का काम कर रहे हैं लेकिन जो कानून व्यवस्था बनाना चाहिए । पीड़ित व्यक्तियों की सुनवाई होनी चाहिए, हत्या रोकना चाहिए, डकैती रोकना चाहिए, यह काम छत्तीसगढ़ पुलिस नहीं कर रही है । इसमें हमारा स्थगन है, कृपया इस पर चर्चा कराइए ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तुरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस प्रशासन का एक उदाहरण बता रहा हूं कि किस तरह से कानून व्यवस्था खत्म हो गई है । ग्राम गोड़ाडीह में उप सरपंच का चुनाव हुआ । उप सरपंच के चुनाव में एक ऐसा आदमी जिसके बारे में गांव वाले बोलते हैं कि वह कभी दारू नहीं पीता और न ही बेचता । राजनीति में कैसे पुलिस प्रशासन का उपयोग करके मीडिया लेजाकर उसके खेत खलिहान से दारू की बोतलें जप्त की गईं । पूरे गांव के लोग गवाह है, उसको उस दिन चुनाव में अनुपस्थित करने के लिए पूरा दबाव बनाया गया । इस तरह से पुलिस प्रशासन भी राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए सहयोग प्रदान कर रही है । उसकी भूमिका बदल गई है । अध्यक्ष महोदय, माइनिंग के काम को पुलिस प्रशासन पकड़ रहा है, रेत को पकड़ने का काम पुलिस प्रशासन कर रहा है । उसके मूल काम, कानून व्यवस्था बनाने के काम को पूरी तरह से चरमरा दिया गया है । मेरे क्षेत्र में रोड साइड एक्सीडेंट हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- अध्यक्ष महोदय, कानून-व्यवस्था के बारे में हम लोग इसलिए चर्चा चाहते हैं कि हमारे विधान सभा के माननीय उपाध्यक्ष का घर भी चोरों से बच नहीं सका । आपके विधान सभा क्षेत्र की वर्तमान कलक्टर के बंगले में भी चोरी हो चुकी है । अपहरण की, बलात्कार की, लूट की, डकैती घटनाएं बढ़ रही हैं यह चर्चा हम इसलिए चाहते हैं कि इस पर विस्तार से चर्चा हो और पुलिस को कैसे चुस्त दुरूस्त करके काम किया जा सके, उसके लिए हमने आपसे आग्रह कर रहे हैं। यदि यह चर्चा होगी तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था ठीक होगी । कानून-व्यवस्था ठीक रहेगी तो प्रदेश में शांति का वातावरण रहेगा । लेकिन यदि सरकार चर्चा ही न कराए तो हम उनका तथ्य से अवगत कैसे करा सकते हैं और यदि वह तथ्य ही नहीं जानेंगे तो सरकार को सब ठीक ही ठीक दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि हम पुलिस की बुराई कर रहे हैं। पुलिस ने अच्छे काम भी किये हैं। एक सोमानी को गिरफ्तार किया है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। बहुत सी अच्छी बातें भी हुई हैं। लेकिन बहुत सी तकलीफें हैं। आम जीवन से जुड़ा हुआ मसला है। अगर हम उसमें चर्चा कर रहे हैं तो यह किसी के खिलाफ चर्चा नहीं है। यह प्रदेश के हित में चर्चा होगी, इसलिए हमने स्थगन दिया है। अध्यक्ष महोदय, जब विधान सभा उपाध्यक्ष सुरक्षित नहीं हैं तो बाकी की बात छोडिए। मैंने तो कल राज्यपाल जी के अभिभाषण में आपको बताया था। लोरमी में एक घटना हुई थी। मैंने किसी बात से एस.पी.साहब को फोन किया तो एस.पी. मुझे ही बोलते हैं कि आप उन्हें सरेण्डर करवाओ। मेरा घर कोई अपराधियों का अड्डा है क्या, जो मैं सरेण्डर करवाउंगा। विधायक से बात करने की भी अक्ल नहीं है। मुझे बोलते हैं कि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आप सरेण्डर करवाओ। मैंने कहा कि आप अरेस्ट कर लो। हालांकि उसमें हाईकोर्ट से जमानत हो गई। वे मनगढ़ंत दफा-धारा लगाते हैं। उन्हें कहीं से किसी मंत्री का फोन चला जाता है कि इसमें गैर-जमानती दफा लगा दो। मंत्री के फोन के बाद गैर जमानती की दफा में धारा 34 में 302 लगा देते हैं। इस टाइप की तो स्थिति है। इसलिए हम यहां पर चर्चा करना चाह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- थैंक यू। थैंक यू।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं प्रामाणिक रूप से बोल रहा हूं कि मंत्रियों के फोन जाने के बाद दफा और धाराएं बढ़ा दी जाती हैं। जो दफा जुर्मी नहीं है, उसे जुर्मी बना दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह बुरी परंपरा है। आपको कानून और व्यवस्था संभालने की इस प्रदेश की जिम्मेदारी जनता ने दी है और अगर आप उस प्रशासन का दुरूपयोग व्यक्तिगत रंजिश निकालने में करेंगे तो यह भी आपत्तिजनक है और आम जनता की हिफाजत नहीं कर सकेंगे तो आपकी सक्षमता पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हुआ है। इसलिए हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह का जवाब चाहते हैं। आप अगर संरक्षण देकर हमें मौका देंगे तो हम निश्चित रूप से इस पर बहस करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज जिस विषय पर हमने स्थगन लाया है, यदि आज छत्तीसगढ़ प्रदेश को पहले जाना जाता था, तो बहुत भोले-भाले प्रदेश के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज प्रदेश की स्थिति देखिए। कानून और पुलिस नाम की कोई चीज है या नहीं। कानून और पुलिस को खुला छोड़ दिया जा रहा है। बस्तर की घटना देखिए, जहां पर किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया जा रहा है। पुलिस जब फ्री हैण्ड हो गई तो किसानों को दौड़ा-दौड़ा कर मारा जा रहा है। यदि उन्हें इतना अधिकार है तो यहां पर जो लूट-पाट हो रही है, उससे वे प्रदेश को सुरक्षित करें। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। रोज रेप की घटनाएं हो रही हैं। एक छोटी सी बच्ची का रेप कर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं। हमारे धमतरी विधान सभा की अभी एक सप्ताह पहले की घटना है। केवल इसी शराब के कारण एक पति ने नशे में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। एक पत्नी ने अपनी बहन के साथ मिलकर उस नशेड़ी पति की हत्या कर दी। इस प्रकार की जघन्य अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। माननीय महोदय जी, मेरा निवेदन है कि इस स्थगन को स्वीकार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- रजनीश जी।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- अध्यक्ष महोदय, यह सरकार 14 महीने पहले आयी थी और सरकार आने के बाद लगाकर पुलिस अधिकारियों का, बड़े-बड़े अधिकारियों का बार-बार ट्रांसफर किया

असंपादित/प्रकाशन के लिए नहीं

जाना, उन्हें प्रताड़ित किया जाना और जो काम चाह रहे है, वैसा काम करवाये जाने के कारण पुलिस का मनोबल भी खराब हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर :- लोग आत्महत्या कर रहे हैं।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- आने वाले समय में जो दो-तीन महीने का समय है धान खरीदी में उन्हें लगाया गया। इसके चलते निश्चित रूप से प्रदेश में कानून व्यवस्था की बहुत ही खराब स्थिति है और इन सब बातों को लेकर हमने स्थगन का प्रस्ताव दिया है। मैं निवेदन करता हूं कि इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करके इस पर चर्चा कराई जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रमोद कुमार शर्मा।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन का प्रस्ताव लगा है। पूरे छत्तीसगढ़ में पुलिस की स्थिति बहुत ही खराब है। खासकर बलौदाबाजार जिले में इतनी ज्यादा चोरी कुछ वर्ग के लोगों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वहां पुलिस मौन है। माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी। कौशिक जी कुछ कहना चाहेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- खुद उनके ही दल के माननीय मंत्री, जयसिंह अग्रवाल जी पुलिस से परेशान हैं। हम लोगों ने इसे पेपर में पढ़ा है।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- आप कैसे बोल रहे हैं कि पुलिस से परेशान है।

श्री शिवरतन शर्मा :- पेपर में छपा है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- पूरी भारतीय जनता पार्टी मेरे से परेशान है। मैं कहां पुलिस से पेरशान हूं ?

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- पुलिस और कलेक्टर की तो बात छोडिए। क्यों मंत्री जी।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैं तो पहले ही आप लोगों से परेशान हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। लूट, हत्या, डकैती, अपहरण जैसी घटनाएं हो रही हैं और यह मैं नहीं बोल रहा हूं, सरकार का अभी जो प्रश्न में जवाब आया है। पिछले के पिछले साल जो घटना हुई है, उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। पता नहीं इस सरकार के आने से क्या हो गया है ? अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वे जब चाहे जिसे भी उठा ले। आपको उदाहरण बताया गया। आम लोगों की बात छोड़ दीजिए, जब मंत्री को धमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कलेक्टर के यहां यदि चोरी हो जाए। सी.एम. हाउस के आगे यदि हत्या हो जाए। इस प्रकार से प्रदेश में सरकार की स्थिति चल रही है। कवर्धा में डोनेश राणा 9 वर्षीय बालक की अपहरणकर्ताओं के द्वारा हत्या कर दी गई। भिलाई में प्रथम नामक छात्र का अपहरण किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे भी एक गंभीर मामला एक दीपक बैज की पुलिस कस्टडी में हत्या हो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गई। हम लोगों ने इसमें प्रश्न लगाया तो प्रश्न लगाने के बार उसमें एफ.आई.आर. हुई। एफ.आई.आर. दर्ज होने के बार आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए लेकिन गिरफ्तारी के बजाय पुलिस वाले शिकायतकर्ता के परिवार वालों को जाकर धमका रहे हैं कि आप इस मामले में शांत रहें। कल रात में टी.व्ही. में समाचार देख रहा था, इसमें मुझे सही गलत नहीं मालूम लेकिन वह महिला एक कद्दावर मंत्री से मिलने गई। मंत्री जी ने कहा कि मैं गृहमंत्री को पत्र लिखूंगा। यदि एक कद्दावर मंत्री, गृहमंत्री जी को गिरफ्तारी के सम्बन्ध में पत्र लिखे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रदेश में कैसी सरकार यहां चल रही है ? इसी प्रकार बालोद के सरेगांव में एक छोटी बच्ची के साथ 3 नकाबपोशो के द्वारा छेड़छाड़ की गई, उसको उठाने का प्रयास किया गया। मैं उस बच्ची के साहस और बहादुरी को सलाम करता हूं। अगर वह पुलिस के भरोसे रहती तो डूब जाती। लेकिन अपने हिम्मत के कारण छूटकर आई। आप पुलिस के ऊपर लोगों का भरोसा घट रहा है, भरोसा उठ रहा है। इस प्रकार के मामले पूरे प्रदेश में व्याप्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग चाहते हैं कि आज की सारी कार्यवाही रोककर के इस पर चर्चा कराई जाये। ताकि आने वाले समय में अपराध पर अंकुश लगाया जा सके, अपराधियों का मनोबल तोड़ा जा सके। यहां पर ऐसा लगता है कि पुलिस का संरक्षण उनको मिल गया है और खुले आम घूम-घूमकर लूटने, डकैती, अनाचार करने का प्रयास कर रहे हैं, यह गंभीर और निंदनीय विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग चाहते हैं कि इस पर तत्काल चर्चा कराई जाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा प्रदेश जल रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- आप तो अभी आये हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पुलिस का मनोबल पूरी तरह टूट गया है। 59 पुलिस वालों ने आत्महत्या की है।

श्री कवासी लखमा :- टी.व्ही. में नहीं देखा है क्या, जहां अमित शाह रहते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी यह छत्तीसगढ़ की विधान सभा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर विषय है कि छत्तीसगढ़ के 59 पुलिस वालों को आत्महत्या करना पड़े। मैं सोचता हूं कि पूरे सदन को सोचना चाहिए। यहां कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ इसलिए रही क्योंकि इन लोगों ने पुलिस का मनोबल पूरी तरह समाप्त कर दिया है, इस सरकार ने समाप्त कर दिया है। राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो गया है। पिछले एक साल जितने बच्चों का अपहरण हुआ है। अहपरण के बाद बच्चों का कंकाल मिल रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति और कोई नहीं हो सकती है। बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। परन्तु ये पुलिस कुछ नहीं कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में है। माननीय मंत्री जी, आप जांच करवा लीजिये कि एफ.आई.आर. समाप्त किए जाने के लाखों रूपये लिए जा रहे हैं। (शेम-शेम की आवाजें) यह आज तक इतिहास में नहीं हुआ है कि मैं आपके खिलाफ एफ.आई.आर. समाप्त कर दूंगा, पैसा दे दीजिये। यह धंधा चल रहा है। जमीनों के मामले में पुलिस

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

एफ.आई.आर. कर रही है, जो काम राजस्व विभाग को करना चाहिए। मैं आपको बताने वाला हूं कि फर्जी रिपोर्ट पर एफ.आई.आर. हो रही है। यह सब मेरी जानकारी में है। हम आप लोगों के ध्यान में लाते भी हैं, परन्तु उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कानून-व्यवस्था के ऊपर में इस सरकार नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त हो गया है। पूरे प्रदेश में हा-हाकार मचा हुआ है। किसानों के ऊपर भी लाठीचार्ज होता है, परन्तु अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता है। इसलिए आप इसके ऊपर चर्चा करवायें। पुलिस अपनी प्रोफेशनल कार्रवाई करने के बजाय, अपराधियों को पकड़ने के बजाय राजनीतिक कार्रवाईयां करने में लगी हुई है। इसलिए कानून व्यवस्था की स्थिति तहस-नहस हो गई है, ठप्प हो गई है। आप स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करके इसके ऊपर चर्चा करवायें।

अध्यक्ष महोदय :- आपका स्थगन प्रस्ताव मेरे पास विचाराधीन है। अब मैं ध्यानाकर्षण की सूचना लूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गंभीर मामला है। पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है। हमने स्थगन दिया है, आप तत्काल इस पर चर्चा करवाईये। जब जनजीवन असुरक्षित है तो फिर क्या औचित्य रह गया ?

श्री नारायण चंदेल :- अगर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो जायेगा, तो उससे बड़ा विषय और क्या है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, हम किसके लिए चर्चा करेंगे ? किसके लिए राजकाज है ? किसके लिए व्यवस्था है ? किसके लिए ये सारे तंत्र है ? तो फिर चर्चा का मतलब क्या है ? इसलिए तत्काल चर्चा कराई जाये।

श्री नारायण चंदेल :- विधायक को विधान सभा आने से रोका जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है। इस पर तत्काल चर्चा कराये। सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये।

अध्यक्ष महोदय :- मैं विचार कर रहा हूं।

श्री नारायण चंदेल :- कानून व्यवस्था से बढ़कर और दूसरा कोई महत्वपूर्ण विषय हो नही सकता।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने, आपको कल से स्थगन प्रस्ताव दिया है। पूरे प्रदेश में स्थिति ऐसी है कि जनजीवन असुरक्षित है। मंत्री सुरक्षित नहीं हैं।

श्री अग्रवाल

अग्रवाल\27-02-2020\b16\12.20-12.25

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के सदस्य कितने गंभीर हैं । स्थगन लाकर सदन छोड़कर भागते हैं, इनमें कितनी गंभीरता है, यह दिखता है । धान के मुद्दे पर स्थगन लाते हैं और चर्चा से भाग जाते हैं ।(व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मंत्रियों को धमकी दी जा रही है, कलेक्टर के घर में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चोरी हो रही है। अच्छी हुआ डी.जी.पी. के घर में चोरी नहीं हुई है। (व्यवधान) चारों तरफ चोरी हो रही है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन दिया है, आप स्थगन पर चर्चा कराईए । (व्यवधान)

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सब विद्‌वान सदस्य हैं, सबकी जानकारी में होना चाहिए कि स्थगन प्रस्ताव किसी एक स्पेशिफिक विषय में होता है (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- हम लोग कानून व्यवस्था में चर्चा चाह रहे हैं, उससे गंभीर विषय कुछ नहीं हो सकता (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- पहले स्थगन स्वीकार करके चर्चा करा लीजिए, फिर उत्तर दीजिएगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप स्थगन स्वीकार कर लीजिए न (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- मेरी बात तो सुन लीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- कानून व्यवस्था पर चर्चा कराने में क्या दिक्कत है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- आप सुन तो लीजिए, मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूं । कानून व्यवस्था के बारे में कोई धमकी की बात कर रहा है, कोई ट्रांसफर की बात कर रहा है, कोई शराब की बात कर रहा है, सब विषय अलग हैं (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- कानून व्यवस्था में सब सम्मिलित हो जाती है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- कानून व्यवस्था के बारे में आपने जिस प्रकार की चिन्ता व्यक्त की है, मैं 2018-2019 की बात कर रहा हूं (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- प्रकरण क्या है, आप किस प्रकरण पर बोल रहे हैं (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- क्या बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- आप सुनिए न । सुनिए तो । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- गृहमंत्री जी समक्ष हैं, वे जबाव दे देंगे । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- आप उत्तर क्यों दे रहे हैं, गृहमंत्री सक्षम हैं, वे बैठे हैं (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- अपराध में वृद्‌धि हुई है, यह मंत्री जी का उत्तर है। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं जानकारी दे रहा हूं, जवाब नहीं दे रहा हूं।(व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- यह आपके उत्तर में है, अपराध में वृद्‌धि हुई है, अपराध का ग्राफ कम नहीं हुआ है (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं जानकारी दे रहा हूं, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आप किस विषय पर बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आप किस व्यवस्था पर बोल रहे हैं (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं जानकारी दे रहा हूं, जवाब नहीं दे रहा हूं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपकी ओर से सदन में जवाब आया है, उस जवाब में अपराध में वृद्धि हुई है, अपराध कम नहीं हुआ है । जो जानकारी आपने दी है, मुझे विश्वास है कि जो जानकारी आपने सदन में दी है, वह सही जवाब है । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, मैं जो जानकारी दे रहा हूं, वह बहुत जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूं । मैं सदन के भीतर जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- पुलिस के 58 सिपाहियों ने आत्महत्या की है । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- हत्या के बारे में आप लोगों ने जो कही है, 2018 में 904 हत्याएं हुई थीं । मैं जानकारी दे रहा हूं, जवाब नहीं दे रहा हूं । आप लोगों ने हत्या के बारे में जो बात कही है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- गृहमंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, वे जवाब देंगे । संसदीय कार्यमंत्री उपस्थित हैं, वे जवाब देंगे । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमारे स्थगन पर चर्चा करा लें, गृहमंत्री जी उसमें जवाब दे दें । गृहमंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं, वे उसका जवाब दें । जब हम इस सदन में चर्चा करेंगे तो गृहमंत्री जी उत्तर देंगे ।

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, 2018 में 83 (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- ये क्या हो रहा है, किस विषय पर बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या बता रहे हैं (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गृहमंत्री जी बैठे हुए हैं, वे जवाब देने के लिए सक्षम हैं। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कहीं आक्रोश नहीं है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये किस विषय पर चर्चा हो रही है । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल में बिलासपुर के आई.पी.एस. अधिकारी ने आत्महत्या कर ली थी (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गृहमंत्री जी बैठे हुए हैं और गृहमंत्री जी इतने अक्षम नहीं हैं, वे जवाब देने में सक्षम हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित की जाती है ।

(12:23 से 12:35 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :
12:35 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुये)

अध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत सिंह जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमारे स्थगन के बारे में कोई व्यवस्था दे देते, आज लेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है । मैंने आपको बताया कि यह पहला प्रदेश है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी को धमकी दी जा रही है, यह पहला प्रदेश है जहां मंत्री को धमकी दी जाती है, यह पहला प्रदेश है जहां विधान सभा अध्यक्ष के यहां चोरी होती है, यह पहला प्रदेश है जहां कलेक्टर के यहां चोरी होती है । पहली बार छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग हो रही है । यह सब पहली बार हो रहा है । पिछले दो साल में पुलिस के 59 जवान आत्महत्या किये हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आपकी सब बातें सुनी है । गंभीरता से विचार कर रहा हूँ । अभी आपको निर्णय दे दूंगा । श्री बृहस्पत सिंह ।

समय :
12:36 बजे

<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

<u>(1) जिला बलरामपुर के ग्राम टांगरमहर में एक बालिका के साथ अनाचार किया जाना ।</u>

श्री बृहस्पत सिंह (बलरामपुर) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

दिनांक 19.02.2020 को ग्राम टांगरमहरी के 12 वर्षीय बालिका जो कि कक्षा 8 वीं में पढ़ती है । गांव के ही शिवगढ़ी मंदिर से प्रवचन सुनकर घर आ रही थी कि दो युवक मोटरसायकल में जबरन बैठाने लगे तो पीड़िता की सहेली भागने में कामयाब हो गई, परंतु पीड़िता को अपहरित कर ग्राम दहेजवार के टोगरी में एक मकान में लेकर गए और वहां पहले से ही एक युवक था, तीनों आरोपियों ने नाबालिक पीड़िता के साथ लगातार सुबह तक अनाचार किया और भाग गये । पीड़िता अपने सहेली के घर गई, सहेली उसे उसके घर लेकर गई । पीड़िता खून से लथ-पथ थी । पीड़िता की मां एवं पड़ोसी उसे थाना बलरामपुर लेकर गए, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा पीड़िता की मां एवं परिजनों से सिर्फ यह पूछा जाता था कि रेप करते देखे हो । लगातार थाने में बैठाकर रखा गया, इलाज भी नहीं कराया गया, एफ.आई.आर. भी नहीं लिखी गई, जब ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया, तो एम.आई.सी. के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया । पीड़िता की मां एवं सरपंच दुर्गावती तथा परिजन बार-बार निवेदन करते रहे कि बच्ची का ईलाज करा दिया जाए, परंतु थाना प्रभारी बलरामपुर एवं उनके सहयोगी जबरन उठाकर रात में घर ले जाकर छोड़ गए, साथ ही धमकी दे गए कि किसी को मत बताना । पीड़िता रात भर इलाज के अभाव में

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तड़पती रही, परंतु इलाज भी नहीं कराया गया । स्थानीय विधायक, महिला सरपंच एवं परिजनों ने जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया, पीड़िता अभी भी अचेत एवं गंभीर अवस्था में है, आरोपियों को पुलिस बचाने का काम कर रही है । प्रभावशाली लोग, पीड़िता के परिजनों से लगातार बयान बदलने पर दबाव डाल रहे हैं । पुलिस एवं आरोपी के परिजन मिलकर पीड़िता को एवं इनके परिजनों को प्रताड़ित कर रहे हैं । उक्त घटना से पीड़िता के परिजनों, ग्राम वासियों, क्षेत्रवासियों में शासन एवं प्रशासन के विरूद्ध रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- अध्यक्ष महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम टांगरमहरी, थाना, बलरामपुर के अवयस्क पीड़िता के साथ घटित घटना इस प्रकार है कि दिनांक 19.02.2020 को सायं लगभग 06.00 बजे टांगरमहरी से शिवगढ़ी मंदिर प्रवचन सुनने अपनी सहेली के साथ गई थी । प्रवचन खत्म होने के बाद रात लगभग 07.30 बजे दोनों एक साथ घर वापस जा रहे थे, कि शिवगढ़ी मंदिर से वापस आते समय आगे रास्ते मे पुलिया के पास मोटरसायकल से दहेजवार निवासी दो लड़के कुलदीप और पिन्टू द्वारा पीड़िता एवं उसकी सहेली को जबरदस्ती अपने मोटरसायकल में बैठाने लगे । पीड़िता की सहेली वहां से भाग गई। पीड़िता की मां व ग्रामवालों ने दिनांक 19-02-2020 की रात्रि में ही उक्त सूचना दी जिस पर तत्काल पुलिस द्वारा ग्रामवासियों के साथ रात भर संभावित स्थानों में तलाश की गई। आरोपियों द्वारा पीड़िता को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर दहेजवार के टोंगरी में एक खाली सुनसान मकान में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। सुबह 20 फरवरी, 2020 को आरोपियों द्वारा पीड़िता को चांदो चौक में लाकर छोड़ दिया गया। पीड़िता अपने सहेली के घर गई और उसे सारी बात बताकर अपने घरवालों को घटना के संबंध में पूरी बात बतायी। दिनांक 20-02-2020 को उनके साथ थाना आकर उनकी लिखित रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 22/2020 धारा 363, 366ए, 376(2)(एन), 342, 506 भारतीय दंड विधान, पाक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत दर्ज कर विवेचना में लिया। पीड़िता को महिला आरक्षक के साथ अस्पताल भेजकर महिला डॉक्टर से डॉक्टरी परीक्षण कराया गया। विवेचना के दौरान समस्त तीन आरोपीगण पिन्टु उर्फ रवि ठाकुर, पिता मोहन ठाकुर उम्र 23 वर्ष, कुलदीप राम पिता श्री रामप्रकाश राम, उम्र 20 वर्ष निवासी दहेजवार को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर लिया गया एवं एक अपचारी बालक को बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण विवेचना में है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आज हम इतने गिर गये हैं, हमारी हालत ये हो गई है कि एक नाबालिक आठवीं कक्षा की पढ़ने वाली छात्रा जिसकी मात्र 12 साल की उम्र है उनके साथ तीन आरोपियों द्वारा लगातार रातभर गैंगरेप किया जाता है जबकि उससे जो छूटकर भाग कर उसकी सहेली गई थी, रात में ही घर में जाकर पीडिता की मॉ और मोहल्ले को बताई है, सारे मोहल्ले की महिलाएं और सारे लोग थाने गये लेकिन पुलिस की कोई मदद नहीं मिली बल्कि उनसे यह पूछा जाता था कि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

क्या आपने रेप करते देखा है? इतना ही नहीं बड़े अफसोस के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि जो आरोपी पिंटू ठाकुर है वह चार साल से लगातार थाने में बैठा रहता है और पुलिस के लिए दलाली करता है और इसे गांव वाले अभी तक समझ रहे थे कि वह पुलिस वाला है। उसने इन युवकों के साथ लगातार घटना किया। उसके बाद भी पीड़िता को उस हालत में लाया गया लेकिन उसे थाने में एक किनारे में ले जाकर बैठाया गया, एफ.आई.आर. तक नहीं लिखी गई, पुलिस वाले इतने बेशर्म थे कि उसका इलाज तक कराना उचित नहीं समझा गया। (शेम-शेम की आवाज) अध्यक्ष महोदय, इंसानियत तार-तार हो गई। एक नाबालिक 12 साल की बच्ची थाने में तड़पती रही लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। उसकी माँ तड़पती रही, उसके गांव वाले चिल्लाते रहे कि इलाज करा दो, इंसानियत बच जाए लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। ऐसे पुलिस वालों को बर्दी उतारकर बर्खास्त करना चाहिए, ऐसे आरोपियों को फांसी देनी चाहिए। जहां घटना हुई वहां से 200 मीटर की दूरी पर एस.पी. का निवास है और थाने से मात्र 500 मीटर की दूरी है और जो घटना हुई है पुलिस लाईन के बगल में ही एक घुटरी है जिसे ग्राम दहेजवार बोला जाता है, यह वहां की घटना है। पूरी रात पूरे गांव के लोग परेशान रहे, पुलिस की एक मदद नहीं मिली और पुलिस के दलाल की पुलिस वाले मदद करते रहे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ऐसे में इंसानियत तार-तार हो गई है, पूरा प्रदेश और हमारा जिला हिल चुका है। इतना हम नक्सली से नहीं डरते जितना हम पुलिस से डरने लगे हैं, हमारी ये हालत हो गई है। आपने देखा होगा कई लोगों की मौत हुई, मेरा 1999 में खुद नक्सलियों ने अपहरण किया था, उससे ज्यादा आज मैं भयभीत हूं और ज्यादा दुखी था। मैं बहुत पीड़ित हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे गुहार लगाता हूं कि 12 साल की वह यादव बच्ची, पिछड़े वर्ग की बच्ची उसका क्या दोष था जो कोई मदद के लिए सामने नहीं आया? पुलिस में इतनी इंसानियत खत्म हो गई कि वह बच्ची खून से लथपथ थाने में तड़पती रही लेकिन उसका इलाज तक नहीं कराया गया। ये बहुत शर्मनाक है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं भयभीत हूं कि कोई सदस्य इस बात को कह रहा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मैंने इस घटना के बाद एस.पी. को फोन किया, कोई नहीं सुना। आई.जी. को फोन किया नहीं सुना गया, टी.आई. को फोन किया बदसलूकी की गई। मुझसे पूछा गया कि विधायक जी क्या आप रेप करते देखे हैं ? ये टी.आई. पूछ रहा था। क्या हमारी इंसानियत इतनी मर गयी है ? हमारी इंसानियत इतनी तार-तार हो गयी है। (शेम शेम की आवाज) अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विचलित, दुखित हूं। अपनी राजनीतिक जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं देखी।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, लाईंड आर्डर में इतना अच्छा भाषण हम लोग नहीं दे पाते हैं। इतना अच्छा भाषण दे रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- चंद्राकर जी, थोड़ा रूकिए। राजनीति मत करिये, इंसानियत को इंसानियत तक रहने दीजिए। अभी राजनीति मत करिए। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने टी.आई. को फोन करके पूछा। उस बच्ची का ईलाज करवा दिया जाये, इसके बाद भी ईलाज नहीं कराया गया। पूछा गया, विधायक जी, नेतागिरी अपने जगह रहिए। ये इंसानियत थी। हम अपनी कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं। एस.पी. से पूछा गया, मैंने फोन करके निवेदन किया कि आप खुद चले जाओ, आप एस.पी. हो, आपके बंगले के बाजू की घटना है। वहां थाने में बच्ची तड़प रही है, उसका ईलाज करा दो। लेकिन एक नहीं सुना गया। टी.आई. यही पूछ रहे हैं कि क्या विधायक जी आपने रेप करते देखा है ? मैं रायपुर में रहकर क्या रेप करते देख रहा था ? अगर कोई रेप करते देख लेता तो रेप कैसे होता ? इंसानियत इतनी तार-तार हो गयी है, और तो और मैंने गृहमंत्री को फोन किया। गृहमंत्री ने भी उनको फोन किया। लेकिन गृहमंत्री की भी नहीं सुनी गयी। पुलिस इतना आप पर चढ़ गयी है। (प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा शेम शेम की आवाज) अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अफसोस के साथ निवेदन कर रहा हूं। मैं अपने राजनीतिक जीवन में कभी इतना पीड़ित नहीं रहा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, प्रार्थना है कि जो पीड़िता है, उसके परिवार को पूरा संरक्षण दिया जाये। उसको मुआवजा दिया जाये और जो आरोपी हैं, वह तो कानून कार्यवाही करेगा। अध्यक्ष महोदय, उनको फांसी होनी चाहिए। ऐसी हमारी बेटी बहू का इज्जत बचना मुश्किल हो गया है। जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 8 वीं कक्षा की पिछड़ा वर्ग की छात्रा के साथ रेप होना और पूरी रात लगातार रेप होना और खून से लथपथ हालत में गयी। इतनी बेशर्मी उसका ईलाज कराना तक उचित नहीं समझा। इससे हमारा पूरा जिला, पूरा प्रदेश शर्मशाम हो गया है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, प्रार्थना है जो पीड़िता के परिजन हैं, उनको प्रताड़ित करने के लिए आरोपी है, सहयोगी हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित न करे बल्कि बर्खास्त करें। जो नाम है उसको मैं पढ़ रहा हूं जो वहां पदस्थ टी.आई. है, जिसने हरकत किया, उसका नाम श्री उमेश बघेल टी.आई. बलरामपुर थाने का है। श्री अखिलेश सिंह एस.आई. हैं। श्री के.पी. सिंह एस.आई. हैं। श्री जोहन टोप्पो आरक्षक (318) हैं। सुधीर सिंह आरक्षक (122) हैं जो साईबर सेल भी देखता है। श्री अजय प्रजापति आरक्षक (961) हैं। शशीर तिर्की महिला आरक्षक (446) है जो उनके साथ मिलकर प्रताड़ना कर रही थी। तत्काल इनको बर्खास्त किया जाये। अगर बर्खास्त नहीं कर सकते कोई कानूनी अड़चन आती है तो तत्काल प्रभाव से निलंबित करके इनको बाहर किया जाये और जांच के बाद ऐसे पुलिस कर्मियों को वर्दी पहनने का हक नहीं बनता है। इनको बर्खास्त कर कार्यवाही किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा आग्रह है और कोई एस.पी. जिसके संरक्षण में ...।

श्री देवेन्द्र यादव :- अध्यक्ष महोदय।

श्री बृहस्पत सिंह :- अभी सुनो।

श्री देवेन्द्र यादव :- आपके ही संरक्षण में बात कर रहा हूं।

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- आप अभी रूकिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- जी-जी।

अध्यक्ष महोदय :- उनको बोलने दीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- बहुत गंभीर बात है। अध्यक्ष महोदय, जो ऐसे गंभीर मामले में संरक्षक की तरह वहां का एस.पी. और एडिशनल एस.पी. देखता रहा। थाना ऐसी जगह होती है, पुलिस ऐसी जगह होती है, पति पत्नी लड़ाई हो तो थाने में सूचना करते हैं। भाई बहन लड़ते हैं तो थाने में सूचना करते हैं, पानी में डूब जाते हैं तो थाने में सूचना करते हैं, घर में आग लग जाती है तो थाने में सूचना करते हैं, चोरी हो जाती है तो थाने में सूचना करते हैं, लेकिन इतनी दर्दनाक घटना के बाद भी ये घटनास्थल एस.पी. बंगले के पास है, श्री टी.आर.कोशिमा, जो एस.पी. बलरामपुर अमूक दर्शक बनकर देखकर वह पुलिस लाल आरोपी था उसका मदद करता रहा। ये पुलिस वाले ने प्रताड़ित किया था उसका मदद करता रहा। श्री डी.के.सिंह. जो डी.एस.पी. हैं, नक्सल आपरेशन भी देखते हैं, ये दोनों एडिशनल एस.पी. ने उनका संरक्षक के रूप में कार्य किया। इनको तत्काल जिले से बाहर करिए और ऐसे लोगों को तत्काल वी.आर.एस. देना हो, निलंबित करना हो, बर्खास्त करना हो जितनी ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही हो करें। ताकि हमारी छत्तीसगढ़ की बेटियों की इज्जत बस सके। अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा आग्रह है, प्रार्थना है।

श्री बृहमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- उत्तर तो आने दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय विधायक जी ने कहा कि मैं भयभीत हूं। मैं विचलित हूं। अगर इस सदन का कोई सदस्य भयभीत है, तो इससे गंभीर मामला कोई दूसरा नहीं हो सकता। उनके अधिकारों का संरक्षण करना हमारे इस सदन का कर्तव्य है और इसलिए आपको निर्देश जारी करना चाहिए कि उन सभी अधिकारियों को तुरंत बर्शास्त करे, निलंबित करे और माननीय सदस्य के अधिकारों को...।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब तो आने दीजिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, वह बहुत गंभीर विषय है और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि उस पर उचित कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अजय चंद्राकर :- भयभीत और विचलित में वे क्या कहेंगे। वे तो लिखा लिखाया उत्तर देंगे। आपको सरकार की ओर से वक्तव्य देना चाहिए। संसदीय कार्यमंत्री हैं, उसमें भयभीत और विचलित हैं बोल रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, माननीय सदस्य ने इस बात को उल्लेखित किया है कि माननीय गृहमंत्री को मैंने फोन किया। गृहमंत्री जी ने थाने में फोन किया उसके बाद कार्यवाही नहीं हुई ? क्या विषय है ?

अध्यक्ष महोदय :- गृहमंत्री जी का जवाब तो आने दीजिए। आप लोग बहुत उतावले हो रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- वे लिख के भेजें होंगे उसको पढ़ लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- जो भी है पढें मगर उत्तर तो आयेगा ना।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय,ध्यानाकर्षण की सूचना का जो विषय है, मैंने उसका जवाब दिया। माननीय सदस्य जी ने जो अभी पूरी अपनी बात, व्यथा रखी, उसमें उनके 5 बिन्दु मुख्य है। एफ.आई.आर. नहीं किया गया, कार्यवाही नहीं की गई, दूसरा बिन्दु है ईलाज नहीं किया गया, तीसरा बिन्दु है परिवार को संरक्षण प्रदान किया जाये। चौथा बिन्दु है पीड़िता को मुआवजा दिया जाये और पांचवां बिन्दु है कि हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को बर्खास्त करें, कार्यवाही करें। मैं पांचों बिन्दु का जवाब दे देता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय पीड़िता की सहेली भागकर गई, अपने घर में बतायी उसकी मां को जाकर बतायी, गांव वाले इकट्ठा हुए और थाने आये। थाने में जो हमारा अधिकारी था, पूरे परिवार के साथ खोजने निकला। ये 12.00 बजे थाना पहुंचे हैं और 12.00 से 3.00 बजे तक खोजने का क्रम चालू हुआ। पीड़िता का पूरा परिवार था और उसमें आरक्षक संजय साहू, प्लस बलराम और एस.आई. कोमल तिग्गा। थाने के ये तीनों अधिकारी परिवार, गांव वालों के साथ तीन घण्टे बच्ची को ढूंढने में लगाये। बच्ची उस समय नहीं मिली तो फिर परिवार वालों ने घर जाना चाहा तो उनको घर तक छोड़े। हमारे अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट लिख लें तो बोले कि सुबह आकर रिपोर्ट लिखायेंगे। उसके बाद ये आ गये। फिर उन लोग रात भर गश्त करते रहे । माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके बयान, कथन में भी यह है कि ग्रामवासियों और मां ने अपने कथन में स्वीकार किया है कि पुलिस रात को तलाश करती रही। दूसरे दिन आकर सुबह आकर जब एफ.आई.आर. किया गया तब तक बच्ची आ गई थी, जानकारी दे दी । जानकारी के कारण फिर एफ.आई.आर. दर्ज किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ईलाज नहीं कराने की जो बात है हमारे थाने का काम महिला आरक्षक के साथ अस्पताल भेजा गया, ईलाज डॉक्टर ने किया। ये जो कहना है कि भर्ती नहीं किया। डॉक्टर के विवेक पर भर्ती करने का काम होता है। पुलिस विभाग का काम है वहां अस्पताल तक ईलाज कराने के लिए पहुंचाना। डॉक्टर को लगा या नहीं लगा, ऐसा लगता है तब डॉक्टर भर्ती करता है। उन्हें यह लगा या नहीं लगा, यह डॉक्टर बतायेगा। वह सिपाही नहीं बताता कि ये भर्ती करने लायक है या नहीं है। ये लाईज के विषय में है।

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने परिवार को संरक्षण की बात कही है। हमारे विभाग द्वारा परिवार को पूरा सरंक्षण दिया जायेगा। उसको कहीं भी कोई प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा, परिवार को डरायेगा, बयान बदलने के लिए दबाव डालेगा, कुछ भी करेगा। हमारा विभाग परिवार को पूरी तौर पर संरक्षण प्रदान करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुआवजा की बात कही गई है। इसमें जो नियम है पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसके लिए अधिकृत रहता है। न्यूनतम 5 लाख से अधिकतम 10 लाख रूपये तक राहत राशि दी जाती है। पीड़िता नाबालिक हो तो 25 प्रतिशत तक की राशि तत्काल दी जाती है। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा दिनांक 26.02.2020 को पीड़िता को नियमानुसार राहत राशि स्वीकृत किये जाने के लिए पत्र भेज दिया गया है, उनको स्वीकृत होकर तत्काल मुआवजा मिल जायेगा। मैंने ये 4 बिन्दु की जानकारी दी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पांचवा बिन्दु है बर्खास्त करने की बात है और जैसा कि विधायक जी ने कहा। मैंने गृहमंत्री को फोन किया, उनकी नहीं सुनी गई, ऐसा नहीं है जैसे ही मुझे विधायक जी ने फोन से सूचना दी, मैंने तत्काल उच्च अधिकारियों को फोन किया और इसीलिए तत्काल टी.आई. को लाईन अटैच कर दिया गया ताकि अगर इनका कहना कि दबाव दिया जा रहा था, लिखा नहीं जा रहा था तो उस टी. आई. को हटाओ ताकि कोई दबाव न हो और वाजिब कार्यवाही हो। दूसरी बात विधायक जी ने 9 लोगों की सूची दी है कि इनको तत्काल वहां से बर्खास्त करें या हटायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने बहुत लम्बा चौड़ा नहीं कहकर, माननीय विधायक जी को आश्वस्त करता हूँ कि जब सीधा-सीधा पूरी कार्यवाही हुई है। कार्यवाही नहीं होना तत्काल प्रमाणित होता तो तुरंत बर्खास्त किया जाता, पर फिर भी विधायक जी की मंशा है तो मैं आई.जी. को तत्काल जांच अधिकारी नियुक्त करता हूँ और तीन दिन का समय देता हूँ। वह 3 दिन के अंदर जांच करके बता दे। जो गलत पाया जायेगा उसको तुरंत बर्खास्त और सस्पेंट किया जायेगा

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो बचाने की साजिश है। इतने बड़े गंभीर मामले में आप क्या जांच करायेंगे, पहले से ही हजारों मामले लंबित है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको बर्खास्त करवा दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वह गरीब मजदूर की बच्ची है।

श्री देवेन्द्र यादव :- यह उनके विधानसभा क्षेत्र का मामला है, आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया उनके ऊपर कार्यवाही करें।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अपराधी पकड़ें जा चुके हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- एक यादव समाज की 12 साल की बच्ची तड़पती रही और इनका विभाग मंत्री जी से गलत पाठ पढ़ा रहा है। मैंने अपनी ऑखो से देखा है। उनको घर से निकलने नहीं दिया जा

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

रहा था, मैं पूरे गांव के लोगों को लेकर आया, इनकी पुलिस इतनी गुंडागर्दी कर रही थी कि पीड़िता को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। यह हालत थी। मैंने सारे गांव वालों के सहयोग से लेकर उसे थाने में आया। घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। पुलिस के आतंक से पीड़िता इतनी भयभीत थी, पूरा गांव भयभीत था। गृहमंत्री जी को छुटकारा मिल गया है। इनके अधिकारी जो तांडव मचा कर रखे हैं, उनकी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। यह मामला इतना गंभीर है, 12 साल की बच्ची के साथ लगातार गैंगरेप हो, वह खून से लथपथ हो, वह थाने में इलाज के अभाव में तड़पती रही, उसका इलाज तक नहीं कराया गया। एलेक्सी के लिए अस्पताल ले जाया गया, वहां महिला डॉक्टर द्वारा दबाव डालकर लिखा गया। वहां पीड़िता की मॉ और महिला सरपंच उसको लगातार रोकने की कोशिश किया, बच्ची का इलाज करा दो, लेकिन उनकी एक बात नहीं सुनी गई। इनके पुलिस ने गृहमंत्री को जो जानकारी दी है, सिर्फ वह बात पढ़ रहे हैं। मैंने अपनी आँखो से देखा है, मैंने पीड़िता को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले आया हूं, इंसानियत तक खत्म हो गई थी, इन्होंने उस बच्ची को अस्पताल तक ले जाना उचित नहीं समझा। वह नाबालिग बच्ची तड़पती रही, लेकिन इनकी पुलिस ने एक नहीं सुनी, ये 6-7 लोगों को तत्काल निलंबित, बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये बहुत गंभीर मामला है। हमारी बेटियों की इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है। अपनी राजनीतिक जिंदगी में मैं कभी इतना लज्जित नहीं हुआ था। एक बच्ची को हमको अस्पताल अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाना पड़ा। उसका जिला अस्पताल में रूम नंबर 69 में इलाज चल रहा है, अभी तक उसकी कोई मदद के लिए नहीं गया है और न ही किसी ने एक रुपये की मदद की है। मेरे से जो सकता था मैने खुद 25 हजार रुपये देकर आया हूं और अभी भी उसका इलाज चल रहा है। उस जिले में ऐसा माहौल बन गया है कि पुलिस वर्सेस जनता की लड़ाई शुरू हो गई है। बेटी-बहुओं की इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है। ऐसे पुलिस वालों को तत्काल बर्खास्त करें। ये 7 लोगों का मैंने नाम पढ़ा है। उमेश बघेल टी.आई है, उसको अटैच इसलिए किया गया है कि उस टी.आई. को बचाया जा सके। अखिलेश सिंह एस.आई है, के.पी. सिंह ए.एस.आई है, जोहन टोको आरक्षक नंबर 318 है, सुधीर सिंह 122 नंबर का साइबर सेल का आरक्षक है, अजय प्रजापति आरक्षक नंबर 961 है, शशि तिर्की 466 नंबर की आरक्षक है, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करके आई.जी. स्तर के अधिकरियों से इसकी जांच कराई जाये और पीड़िता को सहायता राशि प्रदान की जाये। उसको मुआवजा देकर उसका पूरा इलाज कराया जाये। उसको संरक्षण दिया जाये। माननीय गृह मंत्री जी जो बोल रहे हैं, इनके कहने के बाद भी इनकी कोई सुनता नहीं है। यह बहुत गंभीर बात है। (शेम-शेम की आवाज) हमें अपने आप में लज्जा आ रही है कि 12 साल की बच्ची रात भर तड़पती रही, 24 घंटे से अधिक तक तड़पती रही, इसके बाद भी उसका कोई इलाज कराने तक को तैयार नहीं हुआ। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं ऐसे पुलिस वालों को तत्काल निलंबित करके उनकी वर्दी करके उनको कड़ाई से वहां से हटाईये। वहां जो हमारे जिम्मेदार एस.पी, एडिश्नल एस.पी. हैं, मैंने दोनों का नाम बताया, टी.आर.कोसमा, एस.पी. हैं,

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

जिसके बंगले से मात्र 200 मीटर की दूरी पर घटना हुई, इसके बाद भी कार्यवाही नहीं किया। डी.के. सिंह जो वहां के नक्सल आपरेशन डी. एस.पी. हैं, इस मामले को प्रभावित करने का काम किया। उसके साले का जो संरक्षक है, डी.एस.पी. का साला है, उसी का कार्यकर्ता पुलिस में चार साल से दलाली का काम करता है, खासकर उसकी करता है, इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। सच्चाई यह है कि क्योंकि वह पुलिस का दलाल है, पूरे क्षेत्र में वसूली करता है, पुलिस वालों को पैसा पहुंचाता है, इसलिए पुलिस खुलकर उसे बचाने के लिए सामने आई है। इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये। मेरा आग्रह है। और पुन: आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है बेटियों की इज्जत बचाई जाये।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह संवेदनशील मुद्दा है। इस पवित्र सदन से संदेश जाना चाहिए। जो भी दोषी व्यक्ति हैं, अगर उसके ऊपर कार्यवाही हो तो पूरे प्रदेश के एक अच्छा संदेश जायेगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इसकी कार्यवाही का सदन से घोषणा कराई जाये।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि वह डॉक्टर जिसने गरीब की बच्ची को एडमिट नहीं किया तो उसको भी सस्पेंड किया जाये । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज सदन से उसे सस्पेंड या निलंबन करने के लिये घोषणा की जाये ।

श्री शैलेष पाण्डेय (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यदि विधायक की बात नहीं सुनी जाएगी तो कैसे होगा ? वे क्षेत्र के नेता हैं उनका सम्मान है । अगर वहां पर कोई अत्याचार हो रहा है, कोई अन्याय हो रहा है तो विधायक से ही कहेगा तो मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर आज सदन को जरूर कार्यवाही करनी चाहिए ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब महिलाओं की ओर से भी आग्रह है कि विधायक महोदय ने अपने काम से जिनके द्वारा कार्यवाही के जो शब्द कहे गये हैं जो हम नहीं कह सकते और विधायक महोदय जो शिकायत कर रहे हैं तो हम सब महिलाओं की ओर से आग्रह है कि उसमें हमारा भी यही निवेदन है कि उचित कार्यवाही होनी चाहिए ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- कार्यवाही होनी चाहिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने कहा कि मैं भयभीत हूं तो उनके भय को दूर करने की जिम्मेदारी आपकी और पूरे सदन की है । आपको उसके लिये निर्देशित करना चाहिए कि कोई विधायक भयभीत नहीं हो और दूसरी बात यह कि माननीय सदस्य ने जिस पीड़ा के साथ इस बात को कहा है यह पूरे सदन की चिंता है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ बालात्कार हो जाए, विधायक जायें, शिकायत करें कोई कार्यवाही नहीं हो, ईलाज नहीं हो, विधायक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जी भयभीत हो जायें, उनका परिवार भयभीत हो जाये इससे ज्यादा इस प्रदेश के लिये दुर्भाग्यजनक कोई दूसरी घटना नहीं हो सकती । माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, माननीय गृहमंत्री जी उपस्थित हैं, यह पूरा समवेत् सदन, खाली सत्तापक्ष के सदस्य इस बारे में बोल रहे हैं लेकिन विपक्ष भी उनके साथ में है । समवेत् सदन इस बात का आपसे आग्रह करता है कि ऐसी जघन्य शर्मनाक घटना, नाबालिग बच्ची के साथ बालात्कार होना, उसमें पुलिस की, प्रशासन की लापरवाही होना इसमें अगर कड़ी कार्यवाही होगी तो पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाएं रूकेंगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो यह चाहेंगे कि आपके निर्देश पर कम से कम विधायक कहें तो उसके बाद तो पुलिस थानों में सुनवाई होना चाहिए, अस्पतालों में सुनवाई होनी चाहिए । माननीय मंत्री जी कहें उनकी भी बात न मानी जाए, माननीय विधायक जी बता रहे हैं कि मंत्री को कहा लेकिन उनके कहने के बाद भी उनकी बात नहीं मानी गई तो यह प्रदेश कैसे चल रहा है, इसे प्रदेश को कौन चला रहा है ? किसकी बात मानी जाएगी यह बहुत दुर्भाग्यजनक है ? पूरा सदन इससे चिंतित है, हम चाहेंगे कि आपका निर्देश हो और आपके निर्देश पर इस पर कार्यवाही हो ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, घटना के बाद में लगातार समाचार-पत्रों में भी पढ़ने को मिला और मैंने इसीलिए जब माननीय सदस्य पढ़ रहे थे तब मैंने कहा कि वास्तव में सदन में यह केवल बोलने का विषय नहीं है, हम सभी अंतर्रात्मा से दुखी हैं और बहुत ही व्यथित होकर चूंकि मुझे लगता है कि जितने दिन हम हाऊस में रहे हैं, आज तक जो भी घटनाएं हुई हैं मतलब हम लोग उनके अंदर की पीड़ा को देख रहे थे कि किस प्रकार से घटना हुई, घटना से ज्यादा जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा लापरवाही बरती गई, चिकित्सक के द्वारा उसमें लापरवाही बरती गई, व्यथित होकर जब उनकी बात की सुनवाई नहीं हुई तो गृहमंत्री जी को फोन किया और गृहमंत्री जी के फोन करने के बाद भी यदि अधिकारी न सुनें तो आदमी कहां जायेगा ? विधायक जैसा आदमी यदि मंत्री के पास फोन करें और मंत्री के यहां सुनवाई न हो तो किसकी सुनवाई होगी इसलिए लगभग आज सारा सदन और सभी सदस्यों की जो भावना है कि सदस्यों ने जो मांग की है कि जो कार्यवाही होनी चाहिए और ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए कि आगे इस प्रदेश में यह संदेश जाये कि यदि इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो चाहे वह बड़े से बड़ा आदमी हो, चाहे वह अधिकारी हो, चाहे जो भी हो लेकिन ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए और तत्काल होनी चाहिए जिससे आने वाले समय में इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि एक संदेश प्रदेश में सुनवाई की हो कि सरकार चल रही है, यह संदेश जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि घटना वर्ष 2019 की है, एफ.आई.आर. किस तारीख को कितने बजे हुई और उसको अस्पताल कब ले जाया गया, उसको अस्पताल किसकी गाड़ी में ले जाया गया?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, घटना 19 तारीख की शाम की है । जैसा कि विधायक जी के वक्तव्य में भी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अधिकारी बाहर गया है, समय पूछने के लिए ।

अध्यक्ष महोदय :- मेरा प्रश्न है, जवाब देने दीजिए ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष जी, 19 तारीख की घटना है । उस समय जब उसकी सहेली भागकर गई, बताई उसके बाद रात की घटना हुई उसे खोजा गया, नहीं मिली । दूसरे दिन सुबह पीड़िता को आरोपियों ने चांदो चौक में छोड़ा, जैसा कि मैंने बताया । तब वह सहेली के घर गई और सहेली के घर जाने के बाद वह अपने घर गई और अपने घर जाने के बाद फिर सबको लेकर थाने आई । एफ.आई.आर. कराने के लिए वे 11.00 बजे आए ।

अध्यक्ष महोदय :- 20 तारीख को ?

श्री ताम्रध्वज साहू : - जी, 20 तारीख को । पहले दिन रात को आए थे तो 19 की रात में खोजने निकले थे । 12 बजे रात से 3 बजे रात तक हमारे तीनों पुलिस के अधिकारी, परिवार वाले, गांव वालों ने 3 घंटे तक खोजा है । वह नहीं मिली तो परिवार वाले घर गए, थाने वालों ने कहा कि रिपोर्ट लिखाना है क्या, चूंकि उस समय बलात्कार की बात नहीं थी । उस समय अपहरण की रिपोर्ट हो सकती थी। लेकिन यह सोचकर कि सुबह रिपोर्ट लिखाएंगे, क्योंकि ऐसी घटना हो रही है यह किसी को अंदाजा नहीं था । सुबह जब वह लड़की गई फिर पता चला, तो दोपहर 1 बजे थाने में आकर एफ.आई.आर. कराई गई । थाने पहुंचने के बाद उनके द्वारा बताया गया तो उसके लिए महिला विवेचक बुलाया जाता है, क्योंकि लड़की है तो पुरूष विवेचक नहीं लिखता । इसलिए एफ.आई.आर. करते-करते एफ.आई.आर. 1 बजे हुई है । एफ.आई.आर. होने के बाद उसे मुलाहिजा के लिए ढाई बजे भेजा गया । शासकीय वाहन से ढाई बजे ले गए, मुलाहिजा के लिए अस्पताल ले गए । इतना है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गाड़ी के बारे में नहीं बताया । सच्चाई यह है कि घटना के बाद भी लड़की को सुबह तक रखा गया । थाने में एक किनारे में रखा गया, किसी से मिलने नहीं दिया गया, परिवार वालों, पत्रकारों, गांव वालों को पुलिस ने खदेड़ कर भगाया । 7-8 बजे रात तक, जब मैं यहां से निकल गया हूं, वहां पहुंचने की सूचना मिली, उसके बाद ये लोग 8 बजे लेकर गए हैं । जहां अस्पताल में ? विवाद हुआ है गांव वालों, सरपंच और उसके परिवार वालों के बीच । इसके बाद पुलिस का दल पहुंचा, जिसका नाम पढ़ रहा हूं । ये सभी लोग वहां मौजूद थे, ये सातों । इन लोगों ने ही परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा किया बल्कि दूसरे दिन अस्पताल में जाकर धमकी दे देकर, बिना कुछ लिखे ही कागज पर अंगूठा लगवा लिया गया, गांव वालों से । ऐसा भी किया गया । केवल इतना ही नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय, यदि उसे उस हालत में देख लेते, उसकी बात सुन लेते तो आपकी आंखों से आंसू आ जाते, उस स्थिति का बखान नहीं किया जा सकता । बच्ची की क्या हालत थी, वह चल नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पा रही थी, खून से लथपथ थी, तीन-चार महिलाओं ने, उसकी मां ने, उसकी दादी ने पकड़कर उसे मेरी गाड़ी में बिठाया, मैंने गाड़ी में बिठाकर ले आया है । उसका इलाज अस्पताल में अभी भी चल रहा है । आज भी उसे रूम नम्बर 69 में इलाज चल रहा है, आज भी उसे देखा जा सकता है । वह अचेत अवस्था में थी, बेहोशी की अवस्था में, उसका इलाज तक नहीं कराया गया । अध्यक्ष महोदय, क्या इंसानियत इतनी तार-तार हो गई है, पुलिस वाले यही प्रश्न पूछ रहे थे, उसकी मां, उसकी सहेली, उस सरपंच, उसके पड़ोसी, उसकी चाची, उसकी दादी से पूछा जाता था कि क्या रेप करते गांव वालों ने देखा ? अध्यक्ष महोदय, क्या यह पूछने का शब्द है ? क्या हमारी इंसानियत इतनी मर गई ? अध्यक्ष महोदय, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं ऐसे नालयक, ऐसा कमीनापन, देशभक्ति की कसम खाकर सेवा में आने वाले भक्षकों को तत्काल बर्खास्तगी की या निलंबन की कार्रवाई करके हमारे जिले से तड़ीपार करिये । जो वहां के एस.पी. हैं, जो एडीशनल एस.पी. हैं जिन दोनों के संरक्षण में ये पुलिस अधिकारी खुल आम वसूली कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, वहां आतंक मचाए हैं, उस क्षेत्र को वसूली का अड्डा बनाए हैं उनको तत्काल उस जिले से हटाइए और उस थाने के जो 7 अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने मिलकर संयुक्त रचना रची, जिन्होंने प्रताड़ना की, दुर्व्यवहार किया, ऐसे लोगों को तत्काल निलंबित करके अन्य जिलों में अटैच करिये, आई.जी. स्तर के अधिकारी से जांच कराइए और पीड़िता को मुआवजा दिलवाइए । मंत्री जी वही पाठ पढ़ रहे हैं जो उनके पुलिस अधिकारियों ने जवाब बनाकर भेजा है । आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है छत्तीसगढ़ की, हमारे गांव की बेटियों की इज्जत बचाई जाए। अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरी प्रार्थना है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी कुछ कहेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, मैंने वास्तविक घटनाक्रम की जानकारी आपको दी है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- वास्तविक तो वही पाठ पढ़ रहे हैं सर ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- तीनों अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तत्काल कार्रवाई की गई है । 20 तारीख की घटना है, 21 को गिरफ्तारी हुई, 23 को गिरफ्तारी हुई, 24 को गिरफ्तारी हुई । अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया या कार्रवाई नहीं होती, ऐसी बात नहीं है । अब उसके बाद एफ.आई.आर. में विलंब या जैसा वे कह रहे हैं चिकित्सा में विलम्ब, दो बातें आ रही हैं, उसके लिए मैंने कहा कि जांच तीन दिन के अंदर पूरी करके बर्खास्त, सस्पेंड, जो कहें, वह हम करने के लिए तैयार हैं, जिसकी गलती पाई जाएगी ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय आप कुछ कहना चाहेंगे।

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गाड़ी से ले जाने की दो बात आई। एक दो-ढाई बजे के आसपास और एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि आठ बजे के आसपास उनकी गाड़ी से गई। सही चीज क्या है?

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत गंभीर बात हो गई।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक मंत्री दूसरे मंत्री से अध्यक्ष से अनुमति लेकर पूछें।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने पहले आपको बताया है कि गृह मंत्री को एक कद्दावर मंत्री ने पत्र लिखा है और एक मंत्री ने दूसरे मंत्री को पुलिस के प्रताड़ना के खिलाफ में पत्र लिखा है। यह सरकार चल रही है। माननीय सदस्य की पीड़ा आप देख रहे हैं और उसके बाद मंत्री जी का जो जवाब आ रहा है। और कुछ बचा है क्या? आपके संरक्षण में आपके निर्देशन में माननीय मंत्री जी को तत्काल घोषणा करनी चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज गृह मंत्री जी ने 5 विषय रखे हैं। बृहस्पत सिंह जी ने जो उल्लेख किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि मुझे खतरा है, यह उन्होंने प्राथमिकता से उत्तर में दिया है। हमने और आपने भी उनके भाषण को सुना है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि वह गरीब की बच्ची है। असहाय है। इसलिए उसे वहां पर थाना में बैठा कर रखा गया है। आपसे निवेदन है कि इन्हें निलंबित करने की घोषणा की जाए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज एक विशेष बात हो गई कि इनके उनके तीनों में उत्तर है तो सरकार की संयुक्त जिम्मेदार कहां गई? सरकार है या नहीं है? किसकी बात सही मानी जाए? सरकार कहां पर है?

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही दूरस्थ अंचल के जिम्मेदार वरिष्ठ विधायक ने प्रश्न पूछा। एक बच्ची के साथ दुराचार की घटना का मामला है। बहुत ही गंभीर मामला है। यह शर्मनाक घटना है। हम लोग व्यथित है। चुप हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि उनकी बात से सहमत नहीं हैं। आपने गिरफ्तार किया, वहां तक भी बात ठीक है। इसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रश्न बलात्कार, दुराचार की घटना और उसके चिकित्सा के जाते तक जिन-जिन प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हुआ, जैसा कि माननीय विधायक बता रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है तो यह बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि हमारी पुलिस रक्षक है। अगर एक बच्ची की रक्षा के लिए पुलिस सहयोग न करे या एक बच्ची के भक्षक को बचाने के लिए पुलिस का रोल अगर है तो ये दोनों ही चिंतनीय प्रश्न है। इसलिए अभी इसे किसी राजनीतिक फायदे नुकसान से देखने की जरूरत नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई राजनीति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की एक अबोध बच्ची के संग हुई घटना से हम सब शर्मसार हैं। अगर इस घटना में कोई कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अगर आपको उचित लगता है तो जरूर करिएगा, ताकि एक संदेश जाए। क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही शांत, सरल और सभ्य प्रदेश है। इस प्रदेश में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

ऐसे दानवीय घटनाओं का कोई स्थान नहीं हो सकता। यह एक प्रकार से निर्भया की घटना जैसी ही घटना है। इस पर चिंतन करना चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज उपस्थित हैं तो इस पर जो भी आप कड़े से कड़े कार्रवाई की घोषणा कर सकते हैं, कर दीजिए। किसी निर्दोष को जबर्दस्ती फंसाने के लिए वे बोल तो नहीं रहे हैं। अगर कोई निर्दोष हो तो आप उसे मत फंसाइए। लेकिन अगर कहीं कोई दोषी हो तो उसे बख्सइए भी मत। चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी हो। चाहे वह अपराधी हो, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही संवेदनशील मामला है और बच्ची के बलात्कार का मामला है। पूरा सदन इस घटना से आहत है, लेकिन आरोपी पकड़े जा चुके हैं। अधिकारियों ने जो असंवेदनशीलता दिखाई और जो प्रक्रिया में विलंब हुआ है, जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने सदन में बात रखी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में घोषणा करता हूं कि उन सात अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाता है (मेजों की थपथपाहट) और जांच किया जाकर कार्रवाई की जाएगी। एक सप्ताह के भीतर ही हम जांच कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत सिंह जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी..।

श्री भूपेश बघेल :- अब क्या बचा है?

अध्यक्ष महोदय :- अब क्या बचा है?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एक सेकण्ड, इस घटना में माननीय मुख्यमंत्री जी यह कह रहे हैं कि जांच के बाद अगर वे दोषी पाये गये तो बर्खास्त किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय :- सवाल ही नहीं यह तो..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्योंकि निलंबित पुलिस के कर्मचारी हैं। जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है। माननीय सदस्य भी बार-बार यही कह रहे हैं कि उन्हें बर्खास्त किया जाए। इस गंभीर घटना में छत्तीसगढ़ में यह कार्रवाई हो जायेगी तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एफ.आई.आर. दर्ज किया जायेगा। माननीय विधायक जी स्वयं कह रहे हैं कि 7 पुलिस कर्मचारी अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही है, तो उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर उन्हें बर्खास्त करने की कार्रवाई करे। बर्खास्त तो आप तुरंत नहीं कर सकतें। आप आश्वासन दे दें तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में संदेश जायेगा।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सदन में यदि नेता कोई घोषणा कर दे, उसके बाद भी आप सवाल उठाये ? आप सभी सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया। फिर आप प्रश्न उठा रहे हैं। यदि आपको लगता है कि उसमें उस प्रकार से गलती हुई है, बर्खास्त करने के लायक गलती हुई है तो वह भी कार्रवाई होगी। लेकिन जांच तो होने दीजिये। वह

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

भी न करने दें। घोषणा के बाद भी आप सवाल उठायेंगे तो फिर उसके बाद सदन का क्या गरिमा रह जायेगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों को बहुत बधाई देता हूं कि आप उस पीड़िता को न्याय करने में मदद किए, इसके लिए धन्यवाद।

(2) प्रदेश में राशन कार्डों की छपाई तथा वितरण में अनियमितता किया जाना।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- 15 फरवरी, 2020 की स्थिति में विभागीय अधिकारियों द्वारा राशनकार्डों के छपाई/वितरण में अनियमितता की गई है। 2019 की अवधि में जहां 70 लाख से अधिक राशनकार्ड विभाग ने संवाद से महज 3.50 रूपये के भाव में छपवाये, वहीं जिला स्तर पर बिना किसी आदेश/निर्देश के अधिकारियों ने नियम कानून कायदों को ताक में रखकर लाखों के हिसाब से मनमर्जी चहेते प्रिन्टर्स से राशन कार्ड छपवा लिए। जिला स्तर पर छपावाये गये प्रति राशनकार्ड की कीमत औसतन 11 रूपये प्रतिकार्ड के हिसाब से भुगतान कर दिया। यह सिलसिला विगत 5-6 वर्षों से निरंतर चल रहा है। राशन आवंटन के लिए अब तक विभाग के पास एक्जाई रिपोर्ट तक भी तैयार नहीं है। प्रदेश के लगभग 12,500 राशन दुकानों को मनगढ़त राशन कार्ड के आकड़ों के आधार पर राशन दिया जा रहा है। राशन दुकानों का स्टाक मिलान करना अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। अब तक राशन कार्ड की संख्या के औसत से राशन दुकानों को 25 करोड़ से अधिक का चावल आवंटित कर दिया। जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर से दिसम्बर 2019 की अवधि में लगभग 7,000 राशन दुकानों को शेष स्टाक के समायोजन किए बिना ही चावल का आवंटन कर दिया। स्टाक का मिलान, अफसर अपने टेबल पर बैठे ही कम्प्यूटर में कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता तो यह है कि कम्प्यूटर के आकड़ों के हिसाब से राशन दुकानों में 18 फरवरी, 2020 की स्थिति में ही शेष खाद्यान्न है ही नहीं। 18 फरवरी 2020 तक भी नये राशन कार्ड 70 प्रतिशत ही वितरित हो पाये हैं। बिना कार्ड के राशन आवंटन जारी है, जो गरीबों को नहीं मिल रहा है। इससे प्रदेश की जनता में भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत):- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 18 फरवरी 2020 की स्थिति में 13.95 लाख अन्त्योदय राशन कार्ड, 42 लाख प्राथमिकता राशनकार्ड, 38,275 एकल निराश्रित राशनकार्ड, 6,171 अन्नपूर्णा राशनकार्ड, 9,744 नि:शक्तजन राशनकार्ड एवं 8.72 लाख सामान्य राशनकार्ड कुल 65.22 लाख राशनकार्ड प्रचलित है। इन राशनकार्डों में प्रतिमाह राशन सामग्री का आवंटन उचित मूल्य दुकानों में संलग्न राशनकार्ड के आधार पर निर्धारित पात्रता अनुसार आनलाईन जारी किया जाता है। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रचलित राशनकार्डों का वर्ष 2019 में नवीनीकरण किए जाने तथा सार्वभौम पी.डी.एस. के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अन्तर्गत सामान्य परिवारों को राशनकार्ड जारी करने के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुसार राशनकार्डों की छपाई छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से किया गया। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा प्रति राशनकार्ड की छपाई के लिए प्रेषित दर प्राथमिकता राशनकार्ड हेतु 4.97 रूपये, अन्त्योदय राशनकार्ड हेतु 4.97 रूपये, अन्नपूर्णा राशनकार्ड हेतु 5.44 रूपये, नि:शक्तजन राशनकार्ड हेतु 5.20 रूपये, एकल निराश्रित राशनकार्ड हेतु 5.00 रूपये एवं सामान्य राशनकार्ड हेतु 4.97 रूपये पर कुल 71.75 लाख राशनकार्डों की छपाई की गई है। जिलों में संचालनालय से प्रेषित सामान्य राशनकार्ड की मात्रा जिलों में प्राप्त आवेदन की तुलना में कम होने के कारण माह दिसम्बर, 2019 में संचालनालय से दिए गए निर्देश के सन्दर्भ में जिला- रायपुर, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव एवं कोरिया द्वारा लगभग 75,000 सामान्य श्रेणी के राशनकार्ड 5.05 रूपये से 8.50 रूपये प्रति राशनकार्ड की दर से छपाई की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में 12,306 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। इन उचित मूल्य दुकानों में संलग्न राशनकार्डों के आधार पर प्रतिमाह राशनकार्डों के लिए निर्धारित मासिक पात्रता अनुसार जारी किया जाता है । उचित मूल्य दुकानों में आवंटित चांवल एवं अन्य राशन सामग्री का भण्डारण उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा प्रस्तुत मासिक घोषणा पत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाता है । माह जुलाई में आवंटित चांवल 1.70 लाख टन के विरूद्ध 1.69 लाख टन चांवल का भण्डारण, माह अगस्त में आवंटित चांवल 1.92 लाख टन के विरूद्ध 1.88 लाख टन चांवल का भण्डारण, माह सितंबर में आवंटित चांवल 1.92 लाख टन के विरूद्ध 1.88 लाख टन चांवल का भण्डारण, माह अक्टूबर में आवंटित चांवल 1.92 लाख टन के विरूद्ध 1.85 लाख टन चांवल का भण्डारण, माह नवम्बर में आवंटित चांवल 2.13 लाख टन के विरूद्ध 2.06 लाख टन चांवल का भण्डारण, माह दिसम्बर में आवंटित चांवल 2.13 लाख टन के विरूद्ध 2.07 लाख टन चांवल का भण्डारण उचित मूल्य दुकानों में किया गया । राशन कार्ड नवीनीकरण उपरांत पात्र पाए गए 56.40 लाख राशनकार्डों का हितग्राहियों को वितरण किया जा चुका है । सार्वभौम पी.डी.एस. के अंतर्गत जारी किए गए सामान्य ए.पी.एल. राशनकार्ड में से दिनांक 22.02.2020 तक 8.53 लाख राशनकार्डों का वितरण हितग्राहियों को किया गया है । अधिकांश जिलों में सामान्य राशनकार्ड वितरण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है । जिला महासमुन्द, रायपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार एवं सरगुजा में सामान्य राशनकार्ड वितरण की कार्यवाही प्रचलित है । अत: यह कहना सही नहीं है कि खाद्यान्न सामग्री के आवंटन/वितरण का हिसाब नहीं है तथा राशनकार्ड वितरण किये बिना ही राशन सामग्री का आवंटन जारी किया गया है । प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं पूछा है कि आप बिना राशनकार्ड के राशन दे रहे हैं । मैंने यह पूछा है कि आप राशनकार्ड में भी राशन दे रहे हैं, वह राशन वितरण हो रहा है और पूरे लोग ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं ? इसका हिसाब-किताब आपके आफिस में ठीक से नहीं

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

रहता है, मैं इस विषय में बाद में पूछूंगा । एक तरफ आपने कह दिया, आपने सिर्फ कुछ जिलों का जिक्र किया । आपने मुंगेली में भी राशन कार्ड की छपाई का आदेश किया है । आपके एक अधिकारी ने प्रदेश के सभी जिलों को राशन कार्ड प्रिंट कराने एवं कम्प्यूटर मरम्मत आदि के लिए राशि का प्रस्ताव भेजने का प्रस्ताव दिया था । उसमें मुंगेली में भी प्रस्ताव आया और मुंगेली के श्रीमान् फूड आफिसर ने कोरिया जिले में कोई प्रिंट करने वाला है, उसका एक टेण्डर वहां डाला था, उसको मंगाकर उसी को कॉपी करके मुंगेली में खरीद लिया । आपने अपने जवाब में मुंगेली का जिक्र नहीं किया, मैं मुंगेली का इसलिए बोल रहा हूं कि मुंगेली मेरा गृह जिला है और मैं उस जिले के माध्यम से पूरे प्रदेश के जिले के बारे में आपसे वस्तुस्थिति जानने, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं । आप मुझे पिछले चार साल का बता दीजिए कि कुल कितने राशन कार्ड प्रिंट कराए गए हैं ? उसमें ज्यादा देरी हो तो उस प्रश्न को भी छोड़ दीजिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जिला स्तर पर प्रिंटिंग कराए जाने के लिए क्या राज्य स्तर से निर्देश जारी हुआ ? यदि हां, तो आदेश कब हुआ । आपने जिला स्तर में प्रिंटिंग कराने का कोई आदेश दिया क्या और अगर दिया है तो कब दिया और कौन-कौन से जिले में दिया है ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं है, उनको अपने उत्तर में बता चुका हूँ कि पूरे प्रदेश में राशन कार्ड का नवीनीकरण किया गया, जिसकी संख्या 45 लाख 23 हजार है । जो यूनिवर्सल पी.डी.एस. सिस्टम 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन जब लागू हुआ, पूरे प्रदेश में यूनिवर्सल पी.डी.एस. सिस्टम के लिए राशन कार्ड छपवाये गये, हम लोग जो छपवाते हैं, वह संवाद के माध्यम से छपता है । जहां-जहां पर समय निर्धारित हुआ, लोगों में कार्ड बनवाने की उत्सुकता थी, एकाएक भीड़ बढ़ गया । कुछ जगहों ने हमने रिलेक्शेसन जरूर दिया कि जहां-जहां ज्यादा डिमांड है, प्रदेश से उनको निर्धारित तिथि में कार्ड नहीं मिल पा रहा है तो छपवा सकते हैं । उसके लिए निर्देश गया है । आप जिस मुंगेली जिले की बात कर रहे हैं, मुंगेली जिले में वर्ष 2019-2020 में राशन कार्ड नहीं छपवाये गये हैं । जहां राशन कार्ड छपवाये गये हैं, उन जिलों का जिक्र करके मैं बता देता हूँ । आपका रायपुर जिले में 40 हजार राशन कार्ड, बालोद जिले में 7 हजार राशन कार्ड, बेमेतरा में 6 हजार राशन कार्ड, राजनांदगांव में 10 हजार राशन कार्ड, कोरिया जिले में 12 हजार राशन कार्ड, कुल मिलाकर 75 हजार राशन कार्ड छपवाये गये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, मैं आपकी बात को समझ गया । मंत्री जी, उत्सुकता बोले हैं ना, कार्ड की उत्सुकता थी, यहीं से तो इसका खेल शुरू होता है । संवाद में 3.50 रूपये के राशन कार्ड को 9.50 रूपया में अपने अधिकारियों को दिया, बिना टेण्डर के छपवाये, मनमर्जी छपवाये, कोई हिसाब-किताब नहीं है, आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, 35 रूपये किलो चावल बांटना है, गरीबों को 1 रूपया में देना है । राशन कार्ड का हिसाब किताब नहीं है । मैं यह आज का नहीं बोल रहा हूँ । अध्यक्ष महोदय, पांच-छैः साल से राशन माफिया इस प्रदेश में काम कर रहा

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

है । मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मुंगेली का आपने जिक्र नहीं किया, कलेक्टर मुंगेली ने ई.ओ.डब्लू. को चिट्ठी लिखा है । उसमें सब कुछ लिखा है कि 20 लाख रूपये का आबंटन प्रदाय किया, जिसमें राशन कार्ड का उल्लेख नहीं है । संचालनालय द्वारा राशन कार्ड छपवाने के संबंध में कोई दिशा-निर्देश इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है । राष्ट्रपति राशन कार्ड कव्हर 9.45 प्रति नग की दर से हुआ है । अध्यक्ष महोदय, जो काम संवाद में तीन करोड़ में हो सकता था, वह 8 करोड़ में वहां हो रहा है । माननीय मंत्री जी, आपके जिले में राशन माफिया सक्रिय हो चुके हैं । आप यह पैसा देते हैं draft implementation guideline for States in U.T.S. in to computerization of targeted public distribution opration इसके मद में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप सिवाय कम्प्यूटर बनवाने के राशन कार्ड छपवा सके । आप इस तरीके से इस पैसे का जो दिल्ली की सरकार से आता है, पूरा फण्ड ही उसी के लिए है, only for computer है । आप उसमें राशन कार्ड छपवा रहे हैं । वहां तक भी आपत्ति नहीं है । राशन कार्ड छपवाने का आपका कोई नियंत्रण नहीं है । जो अधिकारी कोरिया का टेण्डर ...।

(माननीय मंत्री श्री अमरजीत भगत के खड़े होने पर)

सुन लीजिए ना, मैं दो मिनट बोल ही देता हूँ । फिर इकट्ठे जवाब दे देना, मैं कोई आरोप लगाने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मैं व्यवस्था सुधरवाना चाहता हूँ । कोरिया का राशन कार्ड छापने का एक टेण्डर हुआ, उसको मुंगेली का फुड आफिसर, उस महापुरूष को मोहम्मद अकबर जी खाद्य मंत्री थे, मैं उनको वहां से बोल कर हटवाया था, यह बहुत महापुरूष है, करोड़ो रूपये का घपला कर रहा है । इसको कहीं भेज दो, पता नहीं वहां से तत्काल हटाये, पर वह कहां है, मुझे नहीं मालूम । एक तो राशन कार्ड छपवाने में पूरे जिलों में भ्रष्टाचार हुआ है, दूसरी बात है राशन माफिया कलेक्ट्रेट के राशन फुड डिपार्टमेंट में बैठे रहते हैं । कोई भी राशन दुकान वाले का जो बचत रहता है, उसको उल्टे-सीधे दिखवाते हैं, जिनके पास शिकायत होती है, सिर्फ उसी की जांच करते हैं, बाकी के वहां वैसे ही चलता है, जितना राशन जाना है, जा रहा है, कोई उठा रहा है, नहीं उठा रहा है ।

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा, मैं समझता हूं कि सभा सहमत है। भोजन की व्यवस्था माननीय कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे जी) की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं माननीय पत्रकारगणों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार ग्रहण करें।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, लखमा जी को दो कमरे में व्यवस्था करानी पड़ेगी। अच्छा हो गया, पंडित जी का खाना है। मैं बोला कि आदरणीय चौबे जी का खाना एक कमरे में हो जायेगा, आपका खाना दो कमरे में रखना पड़ेगा। दो में रख देना क्या तकलीफ है, एक इधर और एक उधर। जो कमरे में आप रखेंगे उधर भीड़ ज्यादा रहेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी आपसे सिर्फ यह चाहता हूं, मेरी मंशा ये है कि अगर सरकार के पैसे का अनावश्यक रूप से राशन कार्ड छपवाने में दुरूपयोग हो रहा है तो उसकी आप जांच करायेंगे क्या कि अनावश्यक रूप से क्यों छपवाया गया, बिना अनुमति के क्यों छपवाया गया या कम पैसे में क्यों नहीं छपवाया गया, ज्यादा में क्यों छपवाया गया? दूसरा- हर महीने आप ये आदेश जारी करेंगे क्या कि जो राशन आवंटित होता है उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र आने के बाद और जब उसे आप वेरीफाई कर लो कि वहां पर पूरी तरह से राशन बिक गया है तब आप राशन दें यह व्यवस्था यदि करेंगे तो राशन माफिया खत्म हो जायेगा? बहुत बुरी तरह से राशन माफिया सक्रिय है। मैं आपसे बता रहा हूं किसी दिन बहुत बड़े घोटाले का भंडाफोड़ हो जायेगा इसलिए आपके हित में बोल रहा हूं। खाद्य मंत्री वैसे ही संवेदनशील पद होता है। आप इन दोनों बातों की घोषणा कर दीजिए, मेरी बात समाप्त हो जायेगी। आप राशन के आवंटन और वितरण के वेरीफिकेशन कराने के लिए एक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे क्या और उसकी प्रगति प्रतिवेदन लाकर फिर राशन देने और ये जो राशन कार्ड छपाई के नाम पर जो आप संवाद को छोड़कर जिले को अधिकार दिये हैं उसे वापस लेकर संवाद में ही छपवायेंगे क्या मेरा यह कहना है? इसमें अभी तक 5-6 करोड़ का घपला तो हो चुका है लेकिन आगे न हो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, धर्मजीत सिंह जी, आपने जो एक साथ ढेर सारा प्रश्न कर दिया, अब पूरे का जवाब देना भी जरूरी है। आपने जो प्रश्न किया है वह 28 फरवरी, 2020 से किया है और आप जो ई.ओ.डब्ल्यू. का प्रश्न पूछ रहे हैं, आपके मुंगेली जिले में जो ई.ओ.डब्ल्यू. की कार्यवाही हुई है वह वर्ष 2013-14 की है। वर्ष 2013-14 का करने वाले उधर बैठे हैं और आप इधर से पूछेंगे तो जब से पूछेंगे तभी से तो उत्तर मिलेगा ना।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, सुन लीजिए। मैं आपको पहले बोला कि 5-6 साल से यह चल रहा है मैं किसी को सर्टीफिकेट देने के लिए यहां नहीं खड़ा हुआ हूं। मेरा बताने का आशय यह है कि इस प्रकार से राशन माफिया सक्रिय हैं। मैं आपको आगाह कर रहा हूं यदि आपको नही छपवाना है तो हर जिले में 200 रूपये का राशन कार्ड छपवाओगे, हम आपका क्या कर लेंगे?

असंपादित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, आप जितनी बात बोल रहे हैं ना, हम उन बातों की आपको जानकारी दे रहे हैं कि ई.ओ.डब्ल्यू. की जो कार्रवाई हुई वह वर्ष 2013-14 की है और वर्ष 2015-16 में आवश्यकतानुसार छपवाने का आदेश जो वहां से जारी हुआ था वह दिसंबर, 2019 में अभी जब यूनिवर्सल पी.डी.एस. सिस्टम लागू हुआ तो राशन कार्ड को आवश्यकतानुसार जिले में छपवाने के लिए संचालनालय से निर्देश दिया गया था। हम पूरे काम संवाद के माध्यम से करवाते हैं केवल ये 5 जिले हैं जहां पर जिले में छपवाया गया है और कुल कितने का छपवाया गया है तो 4 लाख 3 हजार 790 रूपये का कार्ड छपा है और उसका भुगतान कितना हुआ है तो 1 लाख 8 हजार 264 रूपये का और अभी भी उसका 2 लाख 95 हजार 526 रूपये का भुगतान नहीं हुआ है। जब ये टोटल 4 लाख का है और कहां आप 5 करोड़ और 6 करोड़ की बात कर रहे हैं। पूरा काम हम संवाद के माध्यम से ही करवाते हैं, संवाद उसके लिए अथराईज्ड है, उसका रेट एप्रूव्ड है।

श्री धर्मजीत सिंह :- जिले में प्रिंटिंग नहीं हो रही है?

श्री अमरजीत भगत :- मैंने बताया न कि 5 जिले में प्रिंटिंग हुई है शेष जिले में उस निर्धारित अवधि में नहीं हुआ है।

श्री धर्मजीत सिंह :- ठीक है, अब राशन का बता दीजिए। मैं बाकी उसको पता कर लूंगा, फिर बात कर लेंगे, विधानसभा ता है ही ना।

श्री अमरजीत भगत :- खाद्यान्न के आवंटन के लिए एक नियम बना हुआ है कि जो माह भर में एक तारीख से 30 तारीख तक जो चावट बंटता है, जो राशन बंटता है उसका डाटा 10 तारीख तक पहुंच पाता है और पहुंचने के बाद एम माईनस टू प्लस थ्री मतलब जब आबंटन जारी करते हैं तो पिछले महीने जो आबंटन जारी हुआ रहता है उसमें कितना बंटा है और कितना शेष है उसको माईनस करके जो वहां का वितरक रहता है, उसके शपथ पत्र के अनुसार ड्राफ्ट जमा करने पर उसको आबंटन जारी किया जाता है। ये चीज सतत् प्रक्रिया है और आप जो बोल रहे हैं कि स्टाक का निरीक्षण नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। टीम बनी हुई है और रिदम है, 10 प्रतिशत दुकान का निरीक्षण किया जाता है। यह प्रक्रिया सतत् चलती है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मुंगेली जिला का आप कम से कम जांच करवा ही दो। हर दुकान की वेरिफिकेशन करवा दो।

श्री अमरजीत भगत :- आप जहां-जहां को बोलेंगे, हम करवा देंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- जहां-जहां का नहीं, मुंगेली का करवा दो।

श्री अमरजीत भगत :- बिल्कुल आप जहां-जहां का बोलेंगे हम करवा देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- देवव्रत जी।

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, मार्च अप्रैल बजट सत्र

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

में माननीय अकबर जी खाद्य मंत्री थे, मेरा एक प्रश्न आया था। उसमें उन्होंने जांच का आदेश दिया था, जिसमें गंडई नगर पंचायत और राजनांदगांव जिले में बहुत सारे किसानों की यह शिकायतें थी कि मंत्री जी ने जांच का आदेश दिया था, जो मरे हुए व्यक्ति हैं, विगत दो,तीन,चार वर्षों से उनके नाम पर राशन निकाला जा रहा है। मंत्री के द्वारा जांच आदेश देने के बाद में जांच हुई। जांच होने के बाद केवल गंडई में 47 नाम आये जो मरे हुए व्यक्ति थे और उसमें से 14 लोगों की मृत्यु लगभग दस साल पहले हो गयी थी। मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस पर जब कार्यवाही हुई, तो खाद्य विभाग के किसी अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, पूरे जिले में कोई कार्यवाही नहीं हुई, केवल एक नगर पंचायत मोहर्रिर को निलंबित किया गया। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उसके बाद पुनरावृत्ति यह होती है कि जब नये कार्ड छपकर आते हैं, तो वे जो मरे हुए व्यक्ति थें, जो जांच में प्रभावित हुए थे, जिनको निरस्त कर दिया गया था उनके कार्ड पुन: बनकर आ गये और जो कार्ड छापने वाली कंपनी है, संवाद और जो निजी लोगों ने राजनांदगांव में छापा था, उनके ऊपर फिर दोषारोपण कर दिया गया। मैं एक बार माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि राजनांदगांव जिले में मरे हुए व्यक्ति के जो पुनर जांच में, जिनके कार्ड निरस्त हो चुके थे, उनके फिर से नये कार्ड बन गये, गलती शायद छापने वाली की रही हो या विभाग की रही हो। इसमें जो भी दोषी व्यक्ति हैं, खाद्य विभाग के अधिकारियों पर कार्यवाही होगी कि नहीं होगी।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय, आप जो बात कह रहे हैं, पहले ऐसा हुआ होगा, एक बार मान सकता हूं। लेकिन जब से हमने राशन का नवीनीकरण जुलाई 2019 से अक्टूबर 2019 तक एक अभियान चला करके किया है। उसमें जितने भी मानी लीजिए, बोकस कार्ड थे या यहां नहीं रहते हैं या जो मरे हुए लोग हैं, उनका तो नवीनीकरण होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि अब हम आधार से लिंक कर रहे हैं तो मरे हुए व्यक्ति का आधार से लिंक अब कैसे होगा ? उनका शपथ पत्र, उनका आवेदन लिया जा रहा है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है, इसके बावजूद अगर आप बोल रहे हैं तो लिखकर देंगे हम उसको दिखवा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- लालजीत सिंह राठिया।

श्री लालजीत सिंह राठिया (धरमजयगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से नया राशनकार्ड बना हुआ है, आवेदन हुआ है, मैं हमारे जिले में देख रहा हूं । बहुत सारे आवेदन और जानकारी आ रही है। राशनकार्ड नये बनने के कारण किसी घर में पांच, सात सदस्य हैं, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण वहां दो लोगों का नाम आया है, किसी परिवार में एक ही सदस्य का नाम आया है, तीन लोग का है, बाकी सदस्यों का जो है, वह राशनकार्ड में नाम छूट गया है। इसके कारण बहुत से लोग जिले के कलेक्टर के ऑफिस में, खाद्य अधिकारी के यहां जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आपका इसमें कोई विशेष प्रश्न हो तो पूछिए। आप भाषण मत दीजिए।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- विशेष प्रश्न ही है, इसके कारण जो है गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा है। उनको चावल नहीं मिल पा रहा है। उसके कारण राशन गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें माननीय मंत्री जी जवाब दें।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो सतत प्रक्रिया है। अगर किसी का राशनकार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो एक आवेदन देंगे, सुधर जायेगा और शासन इसके लिये पूरी तरह से गंभीर है। जो भी बतायेंगे हम कार्यवाही करेंगे।

समय :
1:39 बजे

नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267 "क" के अधीन निम्नलिखित शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाएगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभाग को भेजा जायेगा।

1. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
2. श्री संतराम नेताम, सदस्य
3. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
4. श्री अरूण वोरा, सदस्य
5. श्री शैलेष पाण्डेय, सदस्य

समय :
1:40 बजे

प्रतिवेदन की प्रस्तुति

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री धनेन्द्र साहू (सभापति) :- अध्यक्ष महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2020 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्र.	सदस्य का नाम	समय
(क्रमांक -04)	श्री कुंवर सिंह निषाद	01 घण्टा
(क्रमांक -06)	श्री देवेन्द्र यादव	30 मिनट
(क्रमांक -07)	श्री शिशुपाल शोरी	01 घंटा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय :
1:41 बजे

<u>याचिकाओं की प्रस्तुति</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नलिखित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

01. श्री सौरभ सिंह
02. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा

समय :
1:42 बजे

<u>माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)</u>

<u>"माननीय राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए छत्तीसगढ़ विधान साभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ है।"</u>

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में कृतज्ञता ज्ञापन पर विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अभिभाषण की पूरी कॉपी 50 बिन्दु और 20 पेज पढ़ने के बाद लगा कि इसमें न सरकार की दिशा है, न दृष्टि है और न ही कोई कार्ययोजना है। कार्ययोजना का प्रारूप भी रहता है वह भी अस्पष्ट है। मैं यदि केमिस्ट्री की भाषा में कहूं तो केमिस्ट्री की सरल भाषा में कहा जाता है कि ये भाषण रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन, दिशाहीन और दृष्टिहीन है। ये मैं जब पूरे के पूरे भाषण की तुलना कर रहा था । 14 महीने समय बीत गये । सरकार के एक साल पूरे हो गये। दूसरे साल की शुरूआत हो गई। बजट आने का समय आ गया। मगर प्रमुख बिन्दु जो ये 36 लक्ष्य निर्धारित किये थे, उन 36 लक्ष्यों को स्पर्श किया है या नहीं। उस 36 लक्ष्य के बारे में कोई कार्ययोजना है या नहीं। मूल विषय यह रहता है। यदि आपने इसका प्रावधान नहीं रखा तो कम से कम उस लक्ष्य को छूने का प्रयास होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर सबसे महत्वपूर्ण 8-10 बिन्दुओं पर बहुत जल्दी-जल्दी जानकारी दूंगा। यदि आपने इस पूरे के पूरे अभिभाषण में किसानों के हितैषी होने की बात कही है

असंपादित/प्रकाशन के लिये नहीं

मगर आपका दृष्टिपत्र मैं मानता हूँ कि यह 5 सालों के लिए है। मगर एक साल, डेढ़ साल और दूसरे साल की तैयारी हो गई। यानी दो साल का समय निकल गया। किसानों को 2 वर्ष का धान का बोनस भुगतान के लिए न आश्वासन है न इस पर दृष्टि है । दाना-दाना धान खरीदने की बात कहां चली गई। आज भी पूरे छत्तीसगढ़ में किसान सड़क बंद करके रखा है। इसके साथ ही साथ सारे 36 लक्ष्य को निर्धारित करने की बात नहीं कहता। मगर ये छत्तीसगढ़ के 10 लाख नवयुवक, इस विधान सभा की ओर देखते हैं, उनको उम्मीद और आशा थी कि आपने अपने घोषणा पत्र, दृष्टिपत्र में सारी बातों का जिक्र किया और उनको लगता है कि जैसे ही ये सरकार का बजट आएगा, उनके लिए जो वायदा किया गया था, घर-घर रोजगार, हर घर रोजगार, राजीव गांधी मित्र योजना के तहत 10 लाख बेरोजगार नवयुवकों को सामुदायिक विकास और समाजसेवी गतिविधियों में भाग लेने के लिए न्यूनतम ढाई हजार रूपये दिया जायेगा। ये कोई जिक्र भी नहीं आ रहा है। चर्चा भी है और भूल गये हैं। 2 सालों का बोनस भी भूल गये हैं। इन योजनाओं के साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण विषय जिसमें पैसा भी नहीं लगना है, बहुत ज्यादा बजट भी नहीं लगना है इसमें जो उस घोषणा के अनुरूप नहीं, उसके विपरित काम हो रहा है। अनियमित संविदा दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित रिक्त पदों की नियमितीकरण की जायेगी, किसी की छंटनी नहीं की जायेगी। इससे बड़ा असत्य सरकार की तरफ से नहीं आ सकता। कल कर्मचारियों का आंदोलन हो रहा था, 6 हजार से ज्यादा की संख्या में कर्मचारियों की छंटनी हो गई। ये दोहरी नीति है। एक तरफ तो बोलते हैं कि हम किसी को नहीं निकालेंगे और उन्होंने वादा किया अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के रिक्त पदों को नियमित किया जायेगा। जो आलरेडी जहॉ संविदा में काम कर रहे हैं, ऐसे 6 हजार लोगों के लिए लिए कर्मचारी सड़क में आ गये, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा कि हम शराबबंदी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, शराबबंदी तो भूल गये, सरकार को बने हुए 14 महीने हो गये हैं, समिति पर समिति बन रही है। 5 मंत्रियों की कमेटी बन गई। विधायकों, जनता से राय ली जा रही है। गली-गली पूछा जा रहा है। मगर शराब जो पहले शराब की दुकान में बिकती थी, अब गली-गली कोचियों के माध्यम से बिक रही है। और सबसे बड़ी बात जो पूरे छत्तीसगढ़ के गली-गली में जनचर्चा है और जिसको छत्तीसगढ़ का बच्चा-बच्चा जानता है, कोई व्यक्ति से पूछ लो, प्रति बॉटल 5 रुपये जो निकलता है, वह किसके खाते में जाता है, आज तक इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है और न इसका खंडन हुआ। मुझे लगता है कि इसका खंडन होना चाहिए कि हम 5 रुपया नहीं लेते, वह 5 रुपये प्रति बॉटल, करोड़ो रुपये रोज का पैसा कहां जाता है, उसका अलग से हिसाब-किताब होता है। इस विषय को लेकर आज तक समझ नहीं आया, निश्चित रूप से कम से कम जो सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगे थे, बंद हो गये हैं उसको चालू तो कर दें। वहां पर जितनी भी दुकान हैं, वह वेयर हाउस की हैं, वहां पर निकाल दें। शराब की दुकान बंद करने की बात बोलते हैं, बियर के शॉप बंद करने से शराबबंदी नहीं हो सकती। शराबबंदी के लिए आपने कहा है कि हम पूर्ण शराबबंदी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करेंगे। आपने महिलाओं को भरोसा दिलाया है, विश्वास दिलाया, उसके विपरीत काम हो रहा है। यह नीतिगत विषय है जिसमें पैसा नहीं लगना है। जिसमें सरकार की वाहवाही ही होना है। छत्तीसगढ़ में लोकपाल अधिनियम लागू किया जायेगा, मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी इसके अधीन लायेंगे। इसमें क्या जाता है? इसकी तैयारी के लिए कितना समय लगता है? विधानसभा चल रही है, इतना लंबा सत्र है, लोकपाल अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया क्यों नहीं प्रारंभ की जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आउटसोर्सिंग समाप्त कर दी जायेगी, कब समाप्त की जायेगी? आउटसोर्सिंग पूरे छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग से लेकर अन्य सभी विभागों में चल रही है। एक लाख पद भरे जायेंगे जो आउटसोर्सिंग से भरे जा रहे हैं, उनकी नियुक्ति को क्यों रोका गया है? आउटसोर्सिंग से क्यों भरा गया है? संपत्ति कर को 50 प्रतिशत कम किया जायेगा। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, मैं सारे विषयों को छूने की जरूरत नहीं समझता। मैं तो बजट के इस भाषण के पहले पैरा से शुरूआत करना चाहता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने कम से कम भारत के संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ाने के लिए योगदान दर्ज किया। यह हमारे सौभाग्य का विषय है। यदि आपने इतना कुछ कहा और ये कहा कि आरक्षण हुआ है, मगर इस आरक्षण के लिए जिसे धन्यवाद देना चाहिए, बाबा साहब अंबेडकर के सपने और भावना के अनुरूप यदि इस देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 10 साल के लिए केन्द्र सरकार से आरक्षण बढ़ा दिया तो यह समवेत विधानसभा को उनको धन्यवाद देना चाहिए कि नरेन्द्र मोदी जी ने उस सपना को पूरा करने की दिशा में काम किया और आगामी 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ा दिया। नरेन्द्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाया गया था, जिसके लिए षडयंत्र और आंदोलन किया जाता था। आज भी अफवाह फैलाई जाती है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में आयेगी तो आरक्षण को समाप्त कर दिया जायेगा। उसी नरेन्द्र मोदी जी, अमित शाह जी की सरकार ने 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ा दिया। आज मैं इस विधानसभा के माध्यम से पूरे के पूरे सदस्यों की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और अफवाह फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि कम से कम आरक्षण में राजनीति करना बंद करें। आरक्षण एक सपना है और इसको हम सब मिलकर पूरा करने की बात करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे विषय पूरे राज्यपाल के अभिभाषण में हैं, इसमें बड़ी-बड़ी बातें कहीं गई हैं। प्रदेश में नगरीय निकायों तथा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में पूरी पारदर्शिता, निपष्पक्षता से संपन्न हुए। कहां की निष्पक्षता, पारदर्शिता? पूरे के पूरे पंचायती राज चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव में अधिकारी से लेकर कर्मचारी और जिस प्रकार सत्ता का नंगा नाच देखने को मिला, अपने आप में उदाहरण है। बस्तर में बिजली बंद कर दी जाती है, वोटों की गिनती होती है और सबसे बड़ा अपमान तो मतदाता का हुआ है । मतदाता का अपमान ऐसे कि यदि उसको महापौर चुनने के लिये एक वोट देने का अधिकार था, सभापति और अध्यक्ष बनाने के लिये एक वोट देने का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अधिकार था तो वह अधिकार आम जनता से छीना गया और इंडायरेक्ट इलेक्शन इसलिए किया गया कि खरीद-फरोख्त की राजनीति हो सके । आज तक मैंने चुनाव की प्रक्रिया में बहुत सारी बातें देखीं लेकिन पहली बार छत्तीसगढ़ में यह समझ में आया कि जब जनपद अध्यक्ष के लिये और जिला अध्यक्ष के लिये मतदान होता है और मतदान की प्रक्रिया में कैसे षड़यंत्र किया जा सकता है ? मैंने छत्तीसगढ़ के दो नगर पंचायत के चुनाव में देखा कि 15 में से 9 लोग प्राक्सी वोट दे रहे हैं, आपने सुना होगा एक वह व्यक्ति जो विकलांग होगा, अंधा होगा, जो देख नहीं सकता, कमजोर होता है वह एस.डी.एम. को आवेदन करता है और प्राक्सी वोट के लिये अनुमति होती है । पढ़े-लिखे लोग, ग्रेजुएट लोग, स्वस्थ लोग, 9-9 लोगों ने बोड़ला और पंडरिया में प्रॉक्सी वोटिंग की है इससे ज्यादा वोट को प्रभावित करने के लिये और क्या षड़यंत्र हो सकता है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत चुनाव में जीत हो जाती है, हार हो जाती है लेकिन मैंने बदले की इस तरह की राजनीति आजतक नहीं देखी । मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि बेमेतरा में जिला पंचायत की अध्यक्ष सुनीता साहू बनी, बहुमत के साथ बनी । उसके पति का अपराध यह था कि वह सहकारी समिति में पिछले 15-20 सालों से सदस्य और अध्यक्ष था । जैसे ही वह अध्यक्ष बनते हैं, 20 तारीख को उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज होता है, उसके पति के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज होता है । उसका अपराध केवल यह है कि उसकी पत्नि भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के प्रत्याशी को हराती है, यदि पंचायती राज में ऐसा चलेगा, यदि इस प्रकार की नीति चलेगी, जनप्रतिनिधियों का लगातार अपमान किया जायेगा और यह तरीका, यह हालत आज हमने पूरे छत्तीसगढ़ में देखी और आज पूरे छत्तीसगढ़ में जो स्थिति बन रही है तो आज मैं यह कहना चाहूंगा कि इस स्थिति को सरकार को ठीक करने का काम करने की जरूरत है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लाना चाहता हूं । मैं छत्तीसगढ़ के उस पैरा को दोहराना चाहता हूं कि राज्य के सहकारी शक्कर कारखाने में उत्पादित शक्कर को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दिया जाएगा। ठीक है, कवर्धा के शक्कर को इथेनॉल प्लांट डाल दिया जायेगा । अब यह हालत हुई कि पिछले 10 सालों में शक्कर का कारखाना बहुत बेहतर तरीके से चल रहा था । एक शक्कर कारखाने से दो शक्कर कारखाने हो गए और करीब-करीब 400 से ज्यादा छोटे-छोटे प्लांट वहां पर लगे हुए हैं । गन्ने का इतना उत्पादन हो रहा है लेकिन जब सरकार की नीति गलत होती है, आपने 355 रूपए देने की बात कही, आपने 50 रूपए बोनस देने की बात कही ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दुर्भाग्य यह हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा क्षेत्र में, पंडरिया क्षेत्र में, मुंगेली क्षेत्र में जहां गन्ने का उत्पादन बढ़ रहा था । आप आश्चर्य करेंगे कि रकबा 40 प्रतिशत कम हो गया, किसी क्षेत्र में अचानक गिरावट आने का कारण मैंने पता लगाया कि गन्ने का उत्पादन 40 प्रतिशत कम क्यों हो गया, क्या कारण है जिसकी वजह से लोग लगातार गन्ने की खेती से दूर हो रहे

अप्रकाशित/असंशोधित के लिए नहीं

हैं । दरअसल 8-8 महीने तक शक्कर के कारखानों में पेमेंट नहीं होती है । तौलाई ढंग से नहीं होती और उससे बड़ी बात बोनस के लिये आंदोलन करता है । एक क्विंटल उनको शक्कर देने की बात हुई थी, इन सारी बातों से दूर होते जा रहे हैं इसलिए गन्ने की फसल के लिये जो 8-8 महीनों का रूका पेमेंट, उनके बोनस की व्यवस्था इस काम की दृष्टि से यह पूरे के पूरे वहां के लोगों में, किसानों में निराशा है । मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय को बार-बार बताता रहूंगा । एक बात जो छत्तीसगढ़ के बुनकरों के लिये आपने कही और छत्तीसगढ़ के बुनकरों के लिये आपने कहा कि हमने 175 करोड़ पेमेंट कर दिया । मेरे क्षेत्र में कवर्धा से लेकर राजनांदगांव तक और जांजगीर-चांपा से लेकर कोरबा तक पूरे छत्तीसगढ़ में 40,000-50,000 परिवार हैं और आप तो उस पीड़ा को मुझसे ज्यादा समझते हैं । आपके पूरे क्षेत्र में कभी आपने उनको बुलाकर पूछा है कि वे बेरोजगार क्यों हो गये हैं ? 40,000 हाथों के काम क्यों बंद हो गये हैं ? बुनकरी का पूरा काम बंद क्यों हो गया है ? स्कूल में कपड़ा सिलाई के लिये जो कपड़ा देते थे और जिनको धागा दिया जाता था वह काम बंद क्यों कर दिया गया है ? गांधी जी को 150वें वर्ष में याद कर रहे हैं, गांधी जी का संस्मरण कर रहे हैं लेकिन गांधी जी को याद करने के साथ-साथ उस करघा के उस उद्योग को, हाथ से जुड़े हुए लोगों के लिए हमने नीति बनाई थी, वे सारे डिफाल्टर हो गए थे, हमने उनको कर्जमुक्त किया था, बैंक से उनको लोन दिया था, ग्लेज़िंग यूनिट क्यों बंद हो रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, आप तो इस बात को ज्यादा गंभीरता से समझते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट बंद हो रहे हैं । पैसों की कमी से ये पूरा का पूरा कारोबार सिमट गया है । पूरी समाप्ति की ओर है और इसलिए एक विषय को मैं बजट में डिटेल में जाउंगा, आज संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा । इस पूरे अभिभाषण में मैं एक चीज देख रहा था कि 2210 करोड़ की लागत से 3700 किलोमीटर की 355 सड़कों का निर्माण किया जाएगा । इसमें मुझे एक चीज दिखी वह यह कि यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यह केन्द्र की योजना है, यह केन्द्र से मिलने वाली राशि से बनेगी । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जिस दिन छत्तीसगढ़ में 2003 में मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया था, इस छत्तीसगढ़ में 1800 किलोमीटर सड़कें थीं और जिस दिन मुख्यमंत्री पद छोड़ा तो 20 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हुआ, यानी 18 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ और इसके साथ-साथ उस समय छत्तीसगढ़ में कुल 30 हजार किलोमीटर सड़कें थीं, यह बढ़कर 60 हजार किलोमीटर हो गईं । यानी 60 हजार और 40 हजार, कुल मिलाकर 1 लाख किलोमीटर सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या लोक निर्माण विभाग की हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं इसके दूसरे पहलू पर जा रहा हूं । इस निर्माण के लिए माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी स्व. अटल बिहारी बाजपेयी जी को धन्यवाद् जिन्होंने इस योजना की शुरूआत की और देश के लाखों गावों को जोड़ने का काम किया । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि पूरे बजट में एक साल निकल गया, दूसरे साल में आ गए । मैं जानता हूं कोई नई सड़क नहीं होगी । आप बना भी नहीं सकते, यह जो 60 हजार और 40 हजार किलोमीटर सड़कें बन गई हैं,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इन पीएमजीएसवाई सड़कों का जीवनकाल पांच साल होता है । बाकी नेश्नल हाईवे की उम्र लम्बी होती है । इन सड़कों में हर पांच साल में रिन्यूवल कराने की जरूरत पड़ती है । मुझे आश्चर्य होता है, नये निर्माण कार्य भले ही ठप हो जाएं लेकिन पांच साल में ए.आर. का काम भी नहीं हो पाएगा । क्या हमारी स्थिति इतनी दिवालिया हो गई है ? हमने 14 महीनों में सारे काम को बंद कर दिया । यही स्थिति रही तो एक पूरी एक लाख किलोमीटर सड़कें जर्जर हो जाएंगी । पूरे छत्तीसगढ़ की वही स्थिति होगी जो मध्यप्रदेश की स्थिति थी, गड्ढे गड्ढे के बीच में सड़क । आज इस काम की शुरूआत हो चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय, इनकी जो फ्लैशिप स्कीम है ।

अध्यक्ष महोदय :- कुछ बजट के लिए भी रहने दीजिए ।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आज मैं बहुत संक्षिप्त में बोलूंगा । बिल्कुल बिंदुओं को छूकर जा रहा हूं । कहा जाता है कि हमने पंचायती राज में यह कर दिया, वह कर दिया । पंचायती राज, नगर पालिका और नगर निगम के रिजल्ट आए 542 के परिणाम आए भारतीय जनता पार्टी के 210 पार्षद जीतकर आए, कांग्रेस के 270 जीतकर आए, फर्क कितना रहा, सिर्फ और सिर्फ 10 प्रतिशत का फर्क है । नगर पालिका में 735 पार्षदों में 296 भारतीय जनता पार्टी के और 353 कांग्रेस के आए, 39 और 47 परसेंट । यानी फर्क सिर्फ और सिर्फ 14 प्रतिशत का है । नगर पंचायत में देखा जाए तो 1545 में 615 भारतीय जनता पार्टी के जीतकर आए और 798 कांग्रेस के आए, सिर्फ और सिर्फ 9 प्रतिशत का फर्क है । यह बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि इसमें हम जीत गए और सिर्फ 10-11-12 प्रतिशत का ही फर्क है । वैसी ही हालत मैं दूसरे चुनाव का भी बताना चाहता हूं कि पंचायती राज के चुनाव में जिला पंचायत के 400 में चुनाव हुए 169 भारतीय जनता पार्टी, 217 कांग्रेस, इसमें 42 परसेंट और 54 परसेंट का फर्क आया है । जनपद सदस्यों में कुल 2983 में से 1286 यानी 43 परसेंट हम जीते, 1448 कांग्रेस जीती, इतना ही फर्क है । मगर मैं यह कह सकता हूं हमारे अध्यक्ष कम बने ।

समय :
2.00 बजे

यह बात मैं कह सकता हूं कि एक षड्यंत्र किया गया और यह षड्यंत्र का हिस्सा रहा कि भारती जनता पार्टी के कम लोग अध्यक्ष के पद में जीतकर आयें। इनकी सारी योजनाओं में एक विषय है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से जिस बात की चर्चा होती है, उसमें नरवा, घुरवा, गरूवा और बारी की चर्चा होती है। हम इसका विरोध इस बात के लिए नहीं करते, मगर आप उस कंसेप्ट को अमेरिका में जाकर बता सकते हैं, मगर छत्तीसगढ़ में इस विधान सभा में बैठकर उस कंसेप्ट को, उस प्लान को हम कैसे क्रियान्वित कर सकते हैं, उसके क्रियान्वयन के लिए जरूरी है कि हम इस पूरी योजना को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करें। यदि नरवा की बात करते हैं। उसके साथ-साथ एक बड़ी घोषणा आप इसमें पढ़ेंगे कि सिंचाई की क्षमता को आने वाले 5 साल में दोगुना किया जाएगा। आप नरवा बना रहे हैं। 5

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

साल में आपकी कल्पना है कि सिंचाई की क्षमता को दोगुना कर दिया जाएगा। सिंचाई की क्षमता दोगुना कैसे करेंगे, कार्ययोजना कभी डिस्कशन में आये तो मैं प्रश्न पूछूंगा। आज वर्तमान में सिंचाई क्षमता 36.8 है। राज्य के गठन के समय 23 प्रतिशत सिंचाई क्षमता थी। इसका मतलब है कि 13 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होता था। वर्ष 2000 से वर्ष 2016 तक सिंचाई की क्षमता 23 प्रतिशत से बढ़कर 34.29 प्रतिशत हो गयी। इसका मतलब है कि 16 साल में सिंचाई क्षमता में वर्ष 2000 से वर्ष 2016 के बीच में जो वृद्धि हुई है 23 प्रतिशत से बढ़कर 34 प्रतिशत यानी 12 प्रतिशत बढ़ी है। यानी हर साल यदि एवरेज लगाया जाए तो .68 परशेंट इस पूरे वर्ष 2000 से वर्ष 2016 में रकबा में वृद्धि हुई है। ये आंकड़े सरकार के आंकड़े हैं। इस आंकड़े के अनुसार यदि आप सिंचाई क्षमता को दोगुना करना चाहते हैं और यही बजट रहेगा और यही स्थिति रहेगी तो आने वाले समय में यदि सिंचाई क्षमता को दोगुना करना है तो उसे दोगुना करने के लिए आपको कम से कम .68 से बढ़ाकर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत का ग्रोथ होगा। 10 प्रतिशत कि ग्रोथ का मतलब है कि जल संसाधन के बजट को 15 से 20 गुना बढ़ाने की जरूरत होगी। जमीन को अधिग्रहण करने के लिए पैसा लगेगा और हमारे सिंचाई करने की क्षमता ही 32 लाख 35 लाख हेक्टेयर तक जाकर रूक जायेगा। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो प्रेक्टिकली संभव नहीं है। आप संसाधन क्या लगा रहे हैं ? जो संसाधन हम लगा रहे हैं, वे भी बंद हो गये। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमने छत्तीसगढ़ में पुरानी योजनाओं को लागू करने के लिए एक योजना शुरू की थी। अटल जी का लक्ष्य किसानों की आमदनी दोगुना करने का था, इसलिए उस योजना में हम लोगों ने तय किया था कि छत्तीसगढ़ की जो पुरानी योजना है, उन पुरानी योजनाओं को एक साल या दो साल की सीमा में शुरू किया जाए। लक्ष्य भागीदारी एक योजना बनायी, जिसका असर यह हुआ कि एक साल में 1 लाख 795 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई क्षमता बढ़ी। मगर वह प्रतिशत भी दो प्रतिशत होता है। इस दो प्रतिशत के दर में ही हम बढ़ते जाएं तो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए 50 लाख लगेंगे। इसलिए जब नरवा की बात करते हैं, ड्रीप इरीगेशन की बात करते हैं, वाटर हारवेस्टिंग की बात करते हैं, जल नीति की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कम से कम गंभीर तो रहें। क्या जल नीति है ? इस विषय में 4 घंटे बात हो सकती है। एक-एक नीति पर बात हो सकती है। पर सवाल यह है कि पैसा ही नहीं है तो मैं किस नीति पर बात करूं ? आपकी जल नीति क्लीयर नहीं है। आपने स्प्रिंकलर ड्रीप के लिए क्या कार्ययोजना बनायी ? यह तय नहीं। मध्यम बांध के लिए आप क्या करेंगे ? यह तय नहीं। जो योजनाएं पिछले 20 साल से अधूरी पड़ी हैं, उन अधूरी सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए कोई एक्शन प्लान, कोई कार्ययोजना नहीं है। यदि लक्ष्य भागीदारी योजना की तरह ही योजना बनाकर काम करेंगे तो हमें अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए 20 साल 30 साल इंतजार करना पड़ेगा। मगर ग्रोथ तो बढ़ायें। इस प्रकार नरवा की यह हालत रहेगी। दूसरा विषय इसमें मैं यह कहना चाहूंगा, जिस विषय को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी चर्चा करते हैं। गरूवा की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अब नरवा खत्म

हुआ। गरूआ का किस्सा शुरू हो रहा है। इसमें तो व्यापक चर्चा होगी। इस अभिभाषण में तो कुछ है नहीं। यदि गरूवा का हिसाब करे तो छत्तीसगढ़ में गौ धन की उपस्थिति गाय, बछड़े, बैल, सांड, करीब-करीब 98 लाख हैं। यदि आप उसमें भैंस को जोड़ दें, भैसा को जोड़ दें, पाड़ा को जोड़ दे तो 19 लाख और, करीब-करीब 1 करोड़ 17 लाख पशुधन हमारे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हैं। 20 हजार गांव हैं। ये जो गौठान योजना बनना चाह रहे हैं। उसको कहा जा रहा है, यदि मैं उसको परिभाषित शब्द में बोलू तो डे शेल्टर है। डे शेल्टर का मतलब दिन भर गाय घर में रहे, दोपहर को रख दें, शाम को ले जाये। अध्यक्ष महोदय उनको खिलायेंगे क्या ? आप तो गांव से, गवई से आते हैं। वहां पैरे की व्यवस्था की जायेगी। पैरा खाने से गाय न मरता है न जीता है। आज जो गौठान की हालत है, मैंने इससे बदतर गौठान की हालत नहीं देखी है। गाय वहां पर बिना पैरा, भूसा, पानी के तड़फ-तड़फकर मर रही हैं। आप योजना बनाये तो उसके पहले सोच बना लें, उसकी घोषणा बाद में करें। दो साल इंतजार कर लें। यदि गाय मरी है तो गौ हत्या का पाप, उसका भागीदार कौन होगा ? यह भी तो निर्धारित करना पड़ेगा। आज हजारों की संख्या में गायें हैं। गौठान में न तो सुरक्षा हेतु दीवाल है, न पैरा की व्यवस्था है, न भूसा की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न चारे की व्यवस्था है। 1 करोड़ से ज्यादा पशुधन को 20 हजार गांवों में गौठान के निर्माण के लिए आपने कहा है, मैंने पूरा अभिभाषण पढ़ लिया है। एक विकासखण्ड में 1 आदर्श गौठान बनाया जायेगा। यानि 146 अपग्रेड करेंगे। बाकी जगह क्या स्थिति रहेगी ? सरकार का दूसरा साल आ गया भाई। 5 साल की कार्यअवधि है। इस 5 साल में आप ज्यादा से ज्यादा 200 गौठान बनायेंगे, 145 गौठान बनायेंगे। गाय की व्यवस्था क्या होगी ? इस व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। उससे आगे उसके बाद मैं तीसरे मुद्दे में आ जाता हूं। घुरवा।

अध्यक्ष महोदय :- उसको तो छोड़ दीजिये।

डॉ. रमन सिंह :- अब घुरवा तो गांव-गांव तक है। घुरवा और बाड़ी को छोड़ता हूं अध्यक्ष महोदय। मैं अब मूल विषय पर आता हूं, जिसके लिए आज मैं यहां खड़ा हूं। आपकी अनुमति से बाकी विषय तो मैं बाद में ले लूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मूल विषय है, आज छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है। ये एप्लीकेसन्स मेरे पास पड़े हैं। किसान सामूहिक इच्छा मृत्यु चाह रहा है। बिरकोना, सरोना, लोरमी, धमतरी, सुहेला, बोड़ला, कांकेर, बीजापुर, जांजगीर, बेमेतरा, साजा, सलिहा, ये सारे सात दिन, सात रात गिरते हुए पानी में, ओले में वहां बैठे थे। वहां क्यों बैठे थे ? उनको बैठने का क्या शौक हो गया ? उनका क्या अपराध था ? किस वजह से उनको वहां बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा ? उसके पीछे कारण सिर्फ एक है कि ये पूरे के पूरे किसानों को, मैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से बात शुरू कर देता हूं, 12,860 किसानों 9 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के लिए आपने सोसायटी से उनको अनुमति प्रदान की। आपने उनके लिए टोकन जारी कर दिया। ये टोकन जारी हो गया। 21, 22, 23 और 24 तारीख को

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

टोकन जारी हो गया। पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे लाखों किसानों को टोकन जारी हुए तो धान क्यों नहीं खरीदा गया? यह सरकार की असफलता थी कि उनका धान नहीं खरीदा गया। इनके सोसायटियों के पास बारदाने नहीं पहुंचे, बोरे नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से 8 दिन खरीदी बंद रही। किसान आज सड़क में बैठ रहा है, खाना बना रहा है, पानी और ओले के बीच बैठा हुआ है। उन किसानों को एक ही चीज का आश्वासन चाहिए कि भैय्या, जिसके पास टोकन है, उनका धान खरीदा जायेगा। वह किसान, सरकार से अपनी आत्महत्या के लिए क्यों मांग करेगा? यदि वह किसान अड़ा हुआ है कि सरकार ने जो वादा किया है, सरकार ने जो टोकन दिया है, उस टोकन के अनुरूप उनको धान बेचने के लिए अनुमति मिल जाये तो आज मुझे लगता है, मुख्यमंत्री जी के जवाब में यह बात आयेगी किटोकन मिले हुए छत्तीसगढ़ के सारे किसान, आपने कहा था कि प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदेंगे। आकड़े बताये जा रहे हैं कि हमने तो 19 लाख 55 हजार किसानों को पंजीकृत किया । 18 लाख, 20 हजार किसानों की धान बेचने वालों की संख्या हुई । आपके समय में कम खरीदा जाता था। जब 16 लाख किसानों का पंजीयन होता था तो 82 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा गया, जब 19 लाख किसानों का पंजीयन हुआ, तब भी 82 लाख टन धान खरीदा जाता है । इसका मतलब है कि 3 लाख, 60 हजार किसानों का अतिरिक्त पंजीयन होता है और वे 3 लाख, 80 हजार किसान दूसरे फसल को छोड़कर धान की खेती के लिए प्रेरित हुए हैं । प्रेरित इसलिए हुए हैं कि सरकार ने डंके की चोट में कहा था कि हम दाना-दाना धान खरीदेंगे, धान खरीदी की पूरी व्यवस्था करेंगे और आज वही किसान सड़क में आ रहा है । किसानों पर लाठी चार्ज हो रहा है, आज किसान प्रताड़ित हैं । इन सारे विषयों को लेकर ही आज हम सबने आपका ध्यानाकर्षित किया । मुझे राज्यपाल के अभिभाषण में सिर्फ यही कहना है । यह पूरे का पूरा अभिभाषण जो माननीय राज्यपाल से पढ़वाया गया है, मुझे बहुत दुख होता है कि माननीय राज्यपाल से असत्य और इस प्रकार का अधूरा अभिभाषण पढ़वाया गया और मैं इसका विरोध करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद डॉ. साहब ।

अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- मैं सदन को एक जानकारी देना चाहता हूं कि राज्यपाल जी के अभिभाषण के लिए 7 घंटे निर्धारित हुए थे, जिसमें कांग्रेस के लिए 5 घंटे, भाजपा के लिए 1 घंटा, 15 मिनट, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जोगी) के लिए 20 मिनट और बसपा के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित है । माननीय डॉ. साहब ने अपना भाषण 30 मिनट तक दिया है और 1 घंटे, 47 मिनट भाजपा के दल के लोगों को प्राप्त हो चुका है । मैं माननीय विपक्ष के नेता के अलावा किसी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य को बोलने का अवसर नहीं दे पाऊंगा । आप सबको बजट पर पर्याप्त चर्चा करने को मिलेगा । कृपया उसके लिए तैयारी कर लें ।

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप यह बोलेंगे कि किसी को अवसर नहीं दूंगा तो आपसे तो पूरा आग्रह करेंगे कि आप अवसर दें ।

अध्यक्ष महोदय :- आग्रह करते रहिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- दूसरी बात, मेरा यह कहना है कि अभी समय है, आप घंटे को मत गिनिए कि कितना घंटा किसको दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी पार्टी के सदस्यों को कितने घंटे बोलना है, ये तय है ।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मेरे बजट के समय को कम कर दीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं ।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं उस समय कम बोल लूंगा, 10 मिनट बोल लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपकी तरफ इंगित नहीं कर रहा हूं ।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आपने समय की तुलना कर दी इसलिए मैंने कहा । मैं बजट में बोलूंगा ही नहीं, मगर मेरी पार्टी के सदस्यों को बोलने दिया जाए । अजय चन्द्राकर जी बोलना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं बसपा के मात्र एक सदस्य को बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आप बता रहे हैं, कभी भी विधान सभा में यह तय होता है, परन्तु अध्यक्ष को अधिकार है कि वे सबको अवसर देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- वह अधिकार है तो अधिकार का उपयोग करेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे पास में पर्याप्त समय है ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, उसको फिर से बांट देंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए आपने बहुत सारे सदस्यों का समय काटा है और हम बैठेंगे और बैठकर सुनेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- मेरी बात तो सुन लीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सिर्फ एक सदस्य अजय चन्द्राकर जी बचे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- कर लेंगे । आप उनको निर्धारित कर दीजिए कि कितने मिनट बोलेंगे। अगर एक, दो घंटे बोलेंगे तो हम कहां से समय दे पाएंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, आप जितनी देर कहेंगे, उतनी देर बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप मत बोलिए, उस समय बोलिएगा । बसपा के एक ही सदस्य बोल पाएंगे ।

अशोधित/असंपादित के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्य 2-2, 3-3 मिनट बोल लेंगे, यदि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं बोलेंगे, बजट में नहीं बोलेंगे, यदि आप उसमें समय निर्धारित करेंगे तो ऐसा कौन सा अवसर आएगा, जिसमें बोलेंगे । इसलिए सदस्यगण 2-2, 3-3 मिनट बोलेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने जितने नाम दिए हैं, अगर 2-2, 3-3 मिनट बोलेंगे तो मैं उन सबको सुन लूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी उदारता ध्यानाकर्षण में ऐतिहासिक थी ।

अध्यक्ष महोदय :- वह तो अलग बात है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- छत्तीसगढ़ बनने के बाद ऐसा ध्यानाकर्षण कभी नहीं चला, जैसा आज चला । प्रश्न ही नहीं हो रहा था, ध्यानाकर्षण में भाषण हो रहा था।

अध्यक्ष महोदय :- बसपा के एक सदस्य बोल पाएंगे और अतिरिक्त व्यवस्था माननीय जनता कांग्रेस (जोगी) के लिए है । एक सदस्य उस पार्टी के बोलेंगे । हमारी ओर से कौन बोलने को तैयार है । बृहस्पत सिंह जी गायब, शैलेश जी गायब हैं । ममता चन्द्राकर जी बोलिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, आप किसी पार्टी के नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, नहीं, हमारी ओर से ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपने कहा कि हमारी ओर से कौन बोलेंगे । आपके तो हम लोग हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- ममता चन्द्राकर जी अपनी बात शुरू करिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, विपक्ष को आपके संरक्षण की जरूरत होती है इसलिए वह आपका है । आप हमारा विपक्ष बोलें ।

अध्यक्ष महोदय :- हमारी ओर से ।

समय :
2:14 बजे

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए)

श्रीमती ममता चन्द्राकर (पण्डरिया) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। हमारी सरकार 13 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुकी है । छत्तीसगढ़ में आज हमारी सरकार किसानों को लेकर और सभी वर्गों को लेकर कार्य कर रही है और बहुआयामी प्रयास कर रही है और उसमें सफल होना शुरू कर दिया है । हमारी सरकार ने युवाओं के लिए, महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत से कार्य शुरू कर दिया है । मैं छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल की बात करूंगी, महिलाओं के रोजगारमूलक कार्य के लिए, रोजगार देने के लिए जो कार्य है, उसमें महिलाओं की जो पेंशन की बात होती है, छत्तीसगढ़ के दुरूस्थ अंचल जहां ग्रामीण रहते हैं, जो बुजुर्ग महिलायें, पुरूष बैंक नहीं जा पाते हैं, उनके लिए जो हमारी

असंशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

सरकार ने सुविधायें शुरू की है, वह बी.सी.सी. सखी बैंक के रूप में शुरू की है । छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 हजार बी.सी.सी. सखी सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 1 हजार ने कार्य शुरू कर दिया है । यह बहुत ही अच्छी सुविधा है । हमारी सरकार ने गरीबों के पेंशन की सुविधा के लिए जो सखी बैंक की शुरूआत की है, उसके लिए सरकार को बहुत-बहुत बधाई दूंगी । साथ-साथ युवाओं के रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, हमारी सरकार ने 10 आदर्श महाविद्यालय की स्थापना, 54 महाविद्यालय में अधोसंरचना विकास की बात, 34 सरकारी कालेजों में 4 हजार सीटें बढ़ाई गई है, जो शिक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है । हमारी सरकार ने युवाओं के लिए, बेटियों के लिए जो शिक्षा की सीटें बढ़ाई गई है, उसके लिए मैं हमारी सरकार को बधाई दूंगी । कन्या छात्रावास, हमारे छत्तीसगढ़ में सभी जगह कन्या छात्रावास की आवश्यकता है, हर जिले में यह कन्या छात्रावास का निर्माण होना है, मैं इसके लिए भी अपनी सरकार को बधाई दूंगी । सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से यह भी कहूंगी कि जहां इतने सारे आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना हो रही है, उसमें हमारे विधान सभा पंडरिया में कुण्डा के लिए कन्या महाविद्यालय की मांग करती हूँ । ग्रामीण अंचल की बेटियों को शिक्षा के लिए दूरदराज जाना पड़ता है । कुण्डा एक क्षेत्र है, जहां एक कालेज का होना बहुत ही आवश्यक है । मैं इस सदन से अवगत कराऊंगी कि हमारी बेटियां दूरदराज न जाये, अपने ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर न निकलकर शिक्षा की यह व्यवस्था हमारी सरकार करे, मैं इस सदन से यह निवेदन करती हूँ । इसके साथ ही राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के समर्थन के साथ सरकार को बधाई देते हुये अपनी वाणी को विराम देती हूँ । आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, चीन के एक जो दार्शनिक थे...।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, आपका क्या है, जब भी भाषण आता है ना, हम लोगों को डर लगता है । आपका जो पोश्चर है, वह बदलता रहता है । आज सुबह शिव डहरिया जी के बारे में इतनी लंबी बातचीत हुई, जब आसंदी से एक निर्देश आया तो आपका पोश्चर कैसे था ? अच्छा है, बगल में अभी कोई बैठे नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब वह मंत्री बन गये हैं, नये सदस्य नहीं है । उनको पान खाकर अंदर नहीं आना चाहिये । पान को उगलवा कर आईये, उसके बाद उसकी बात रिकार्ड में आनी चाहिये । माननीय सभापति महोदय, एक महान चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था कि एक शेर से ज्यादा एक दमनकारी सरकार से डरना चाहिये । केशकाल में किसानों की पिटाई के बाद और हर साल लगातार आंदोलन और किसानों के साथ दुर्व्यवहार के बाद, भूपेश सरकार का असली चेहरा, सामने आ चुका है, वह चेहरा है, एक दमन का चेहरा । मैं छत्तीसगढ़ की जनता को राज्यपाल महोदय के एड्रेस के माध्यम से, उसकी चर्चा के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वह एक लम्बी लड़ाई के लिए तैयार हो जाये । यह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सरकार अपने असली चेहरे में आ चुकी है, उन सारी बातों को भूल चुकी है, जिसको लेकर वह सत्ता में आई थी । माननीय सभापति महोदय, इस सरकार का पहला अभिभाषण हुआ, आनंदीबेन पटेल महोदया महामहिम थी, माननीय सिंहदेव साहब आप ही की ओर, माननीय आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल महोदया थी, अपना पहला एड्रेस खोल लीजिए, लायब्रेरी से मंगवा लीजिए, तैयारी करवा लीजिए, आपने कहा कि हमने जनघोषणा पत्र को आत्मसात किया है । आप मुझे यह बतायें कि यह आत्मसात होता क्या है? अभी दारू की खूब चर्चा चल रही थी। दारू में पानी मिला देते हैं तो वैसा ही आत्मसात है क्या कि एक रंग हो गया? क्या है आत्मसात की परिभाषा? जो आपने तथ्य कहलवाया है और जो आपके सालभर के कृत्य हैं वह उस आत्मसात शब्द को अपमानित करते हैं। माननीय सभापति महोदय, जो-जो चीजें बोली जा चुकी हैं मैं कोशिश करूंगा कि उसको न बोलूं। आपने 10 वर्षों के लिए अनुमोदन किया, श्रेय लेते रहे। इसमें काफी चर्चा उस समय भी हो चुकी, आज भी हो चुकी आपको बधाई, सदन को बधाई, वह सर्वसम्मत था। आपने नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का श्रेय लिया है कि चुनाव संपन्न हो गये। चुनाव संपन्न नहीं कराओगे तो आपको वित्त आयोग का पैसा कहां से मिलेगा? लेकिन आपने चुनाव कैसे करवाया? इस छोटे से राज्य में राजनीतिक स्थिरता का अपना महत्व है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से, नगरीय निकायों से नेतृत्व की पौध तैयार होती है आगे चलकर वह बड़े पदों में जाते हैं। डॉ. रमन सिंह उसके उदाहरण हैं, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उसके उदाहरण हैं। आपने बीज को ही पूरा खराब कर दिया, नस्ल ही खराब कर दी। आपने पैदाईशी हार्स ट्रेडिंग सिखा दिया। माननीय राजा साहब, हार्स ट्रेडिंग में कई जगह ऐसा हुआ, पुराने जमाने में हार्स ट्रेडिंग शब्द का उपयोग घोड़ों के व्यापार से था। कई लोगों का हिसाब बाकी है। राजा को घोड़ा मर गया तो पूछ को दिखा देते थे कि देखिए घोड़ा मर गया लेकिन मैं घोड़ा खरीदा था, ये पूछ है तो पूछ दिखाकर पैसा ले लेते थे। लोग आपका पूछ लिये-लिये घूम रहे हैं, अभी हिसाब बाकी है, दो-चार को अभी मारेंगे कि हार्स ट्रेडिंग का वोट देने के बाद हिसाब-किताब नहीं किए हो। वह पूछ लेकर घूम रहे हैं। तो आपने नस्ल खराब कर दी, बीज खराब कर दी। ये आगे चलकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनेगी। मैंने आपके पहले अभिभाषण में आपके जनादेश का स्वागत किया था कि छत्तीसगढ़ की जनता ने परिपक्व जनादेश दिया है, भले वह कांग्रेस के पक्ष में हो।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय सभापति महोदय, हमर गोवा में काय होए रहिस? गोवा में जब हमारे कांग्रेस का बहुमत था तो आप लोगों ने वहां कैसे करके सरकार बनाई? माननीय चन्द्राकर जी, इसको बता दें?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपके पिताजी से वह दवाई मैं पूछ चुका हूं। वह कैसे होगा दवाई मुझको बताकर गये हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति जी, आप जनघोषणापत्र को आत्मसात किए हैं, हार्स ट्रेडिंग में बात हुई। अब उसके बाद पटनायक जी की अध्यक्षता में आपने बैठक कर दी, कितने लोगों के मुकदमें आपने सालभर में वापस लिये? इसमें बताना था ना, बड़ी उपलब्धि थी। खाद बेचे, घुरवा के खातू बेचे इसे आप बता सकते हो कि इतना खाद हमने भेजा, पर बड़ी सेवा जिसको बता रहे हो उसका एक लाईन आपके पास नहीं है, एक आंकड़ा नहीं है। इसमें मेरा एक प्रश्न है, उत्तर आयेगा, यदि सरकार ईमानदार है, आपमें तनिक भी ईमानदारी है तो आप ये बताईयेगा कि टाटा को कितनी जमीन चढ़ गई थी? उद्योग विभाग के सचिव बैठे हैं कि टाटा को जमीन दी जा चुकी थी या नहीं दी गई थी या सरकार के पास जमीन थी, किसकी जमीन किसको वापस हुई? आपने श्रेय लेने का, राजनीतिक नाम कमाने का ये कौन सा तरीका ईजाद कर लिया? अब इसका दूसरा पहलू सुन लीजिए। जनघोषणा पत्र में पहले भाषण में आपने कहा कि लोगों से चर्चा करेंगे, विकास का मार्ग खोजेंगे। पूरी दुनिया में लैंड बैंक ले-देकर बनता है। आपने जमीन वापस करके अपनी पीठ थपथपा ली पर बस्तर में सड़क बना लो, दुनिया बना लो, सब कर लो किन्तु रोजगार एक प्रमुख विषय बना रहेगा। एक नगरनार से बस्तर की सेवा नहीं हो सकती ये बात जानिएगा। आपने सेवा नहीं की है, पाप किया है।

माननीय सभापति महोदय, अबूझमाड़ क्षेत्र की विशेष चिंता की गई है। आपने क्या चिन्ता की है? अबूझमाड़ वेरियर एल्विन के समय से जैसा था अभी भी वैसा ही है। थोड़ा भी बदलाव नहीं आया है। अब आप क्या विशेष चिन्ता किए हैं उसे आप मुझे बतायेंगे। आपने कहा है कि वन प्रबंधन सदस्यों को प्रशिक्षण देकर क्षमता विकास किया जा रहा है। क्या लाईवली होम मिनिस्टर बैठे हैं। सभापति महोदय, कौन से समिति का कितने लोगों को क्या क्षमता विकास दिया उसको बताने में क्या बुराई है ? बताने में क्या बुराई है ? वन क्षमता में क्या क्षमता विकास किया? सिर्फ और सिर्फ आप मुद्दाविहीन हैं, एक साल की आपकी उपलब्धि कुछ भी नहीं है। इसलिए ये लचर पत्र आपने पढ़वाया है। लचर, आपको आंकड़े बताने में क्या बुराई थी, क्या आपने वन समितियों को इतना इस ट्रेड में ऐसा प्रशिक्षण दिया है, इतने लोगों का बैंक फायनेंस हुआ, इतने लोगों का मार्केटिंग का इंतजाम हुआ। किसने मना किया था, चार लाईन और केबिनेट में अनुमोदित कर देते। फिर आप आगे बढ़ें। समर्थन मूल्य आप चार हजार रूपये किये हैं। एक मात्र संस्था थी सरकारी उपक्रमों में जो लाभ में चलती थी। दो साल से बोनस नहीं बंटा है, अब बोनस नहीं बांटेंगे, बोनस के पैसे को आपने समर्थन मूल्य में तब्दील कर दिया। इस साल, जब पिछले साल का पत्ता बिकेगा तब आपको पता चलेगा कि वह संस्था भी आपकी एक सस्ती राजनीतिक के कारण घाटे में आ रही है और कोई दूसरा कारण नहीं है। मैं मांग करता हूं कि जो दो साल से रूका बोनस है, उसको दीजिए और चार हजार रूपया दीजिए, तब मैं कहूंगा कि आप आदिवासियों की सेवा कर रहे हैं, तेंदूपत्ता संग्राहकों की सेवा कर रहे हैं। आप ऐसा बता रहे हैं..।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- अजय भैया, उसमें घाटा कैसे हुआ जरा आप मेरे को बतायेंगे। कैसे घाटा हुआ ?

श्री अजय चंद्राकर :- बिक तो जाने दो।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी।

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- तेंदूपत्ता आदिवासी भाईयों का है। उसके अनुसार दे रहे हैं। आप लोग बोनस के नाम में इतनी ज्यादा वाहवाही लूटते थे, बोनस उनका अधिकार है।

श्री अजय चंद्राकर :- पिछले साल का आक्सन तो हो जाने दो।

श्री उमेश पटेल :- विनोद जी, क्या है अजय भैया यह चाहते हैं कि बजट भाषण में राज्यपाल जी से पूरा बजट अनुदान के रूप में चर्चा हो जाये या पूरा बजट अनुदान मांग ले आये।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, यह समय मेरे समय में ना जोड़ा जाये।

सभापति महोदय :- विनोद जी, समय कम है।

श्री अजय चंद्राकर :- बहुत ही क्षमतावान सरकार की...।

श्री विनोद सेवन लाल चंद्राकर :- जिस ढंग से बात की जा रही है, सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप है, बोलने में कोई आरोप नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- श्री जनाब मोहम्मद अकबर जी इस सदन में आ चुके हैं। क्या बात करते हैं ? हम वनोपज संख्या की खरीदी को आठ से बढ़ाकर बाईस कर दिये। माननीय राजा महाराजा धिराजा साहब, सिंहदेव जी, ट्राईफेड में जितने वनोपज की सूची जारी की है, जितने छत्तीसगढ़ में होते हैं, आदिवासियों की, वनवासियों की, वनोपज संग्रहकर्ताओं की आपको सेवा करनी है, तो आप पूरा खरीदीये न जो छत्तीसगढ़ में होते हैं। ये आठ बारह, चार ग्यारह गिनती क्यों गिन रहे हैं ? क्यों गिनती गिन रहे हैं ?

श्री विनोद सेवनलाल चंद्राकर :- भैया, इसके लिये भी हम केन्द्र सरकार के पास चलते हैं, जो समर्थन मूल्य का रेट था उसको किसने गिराया ? केन्द्र सरकार ने गिराया है। लाख का रंगीनी लाख और सफेद लाख दोनों का रेट गिराया है।

श्री अजय चंद्राकर :- आदरणीय भैया, मोहम्मद से यह अपेक्षा नहीं करता। बाकी 12 लोगों से मैं कर लूंगा तो कर लूंगा। सरकार ने लूमरू एलिफेंट रिजर्व, दिल्ली सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया। आपने एक कोल ब्लाक को काट दिया। दिल्ली का जो है और छत्तीसगढ़ का जो नोटिफिकेशन प्रस्तावित है, क्या आप उसको पटल में रखेंगे ? आप नेचुरल सोर्स जो हैं, हाथियों को .....।

श्री मोहम्मद अकबर :- 452 वर्ग किलोमीटर का भारत सरकार का है। यहां 1995 वर्ग किलोमीटर बढ़ा करके किया गया है। किसी हिस्से को कांटा नहीं गया है। ये आपकी जानकारी के लिये है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- जो नकियाखदान कोल ब्लाक है, उसको आपने नोटिफिकेशन से पृथक किया है कि नहीं किया है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- किसी भी कोल ब्लाक को नोटिफिकेशन से अलग करने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। जितना कैचमेंट एरिया है, जो जरूरी है, वह पूरे कैचमेंट एरिया को शामिल करते हुए 1995 वर्ग किलोमीटर का किया गया है।

श्री सौरभ सिंह :- नकिया कोल ब्लाक के लिये जो प्रस्तावित वन कक्ष हैं, वह लेमरू प्रोजेक्ट में है कि नहीं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- देखिए, आप पर्टिकूलर जो कोल ब्लाक की बात कर रहे हैं, मैं आपसे जितना कैचमेंट एरिया है, यदि उसमें कोई भी कोल ब्लाक हो, पूरे कैचमेंट एरिया को शामिल किया गया है, क्योंकि ये एलिफेंट रिवर्ज के लिए आवश्यकता है और 1995 वर्ग किलोमीटर किया गया है। किसी को कोई कोल ब्लाक बचाना या फंसाना ये काम सरकार ने नहीं किया है।

श्री अजय चंद्राकर :- चलिये, मैं आपकी बात को तो कांटता नहीं हूं। आप सही बोल रहे होंगे मान लेता हूं। अभी मान लेता हूं।

सभापति महोदय :- चलिये, संक्षेप में जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये टोक देते हैं सब रिदम खराब हो जाता है। क्या है कैबिनेट में भर्ती की अवधि तो रोज बढ़ती है। कभी समय में नहीं भर पाते तो कैबिनेट को वह नियमित काम है। यह अभिभाषण में कहने का विषय नहीं है। आज बस्तर में भर्ती नहीं हो पायी, अवधि में छूट देनी है, हर साल कैबिनेट में वह विषय आता है। आपने इसमें छपवाकर कोई बहादुरी नहीं की। ऐसा विषय छपवाओं कि लगे हां, नई सरकार आयी है। उसके बाद क्या है विधायकों को स्थानीय अध्यक्ष बनाये हैं तो अच्छा किया है, उसमें क्या है ये अभिभाषण के लायक विषय है। चपरासी को बना दे चाहे एस.डी.एम को बना दे। माननीय विधायकों को बनाया है तो अच्छा किया है। ये अभिभाषण के विषय, एक एक्जीक्यूटिव ऑर्डर तो है। माननीया राज्यपाल से कहलवाने के लिए और कोई विषय नहीं थे।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- तुमन चपरासी मन ला बनात रहेव?

श्री अजय चन्द्राकर :- मे आज भले तोला पूछे देव प्रश्न, लेकिन जब तक आमूलचूल तोर व्यवहार प्रणाली ला नइ करबे, हममन अइसने चुप रहिबो।

माननीय सभापति महोदय, गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही में बधाई दे देता हूँ उसकी जरूरत थी। हमने अपने सरकार से भी आग्रह किया था, लेकिन ये सदन की गरिमा को सवाल है पिछली बार जब हमने प्रश्न किया था तो इसी सरकार ने कहा था, आज जयसिंह अग्रवाल जी को बुलाकर पूछ लीजिए कि 28 वां जिला बनाने का कोई विचार नहीं है। आप सदन में घोषणा कर देते तो इस सदन की गरिमा बढ़ती। सदन समाप्त हुआ और आप बोलते हैं कि 28 वां जिला बनेगा। सदन में घोषणा करने में आपका क्या

जाता। सदन में कुछ कहते हैं और बाहर कुछ कहते हैं इसीलिए हर सदन में विशेषाधिकार आता है। इसीलिए आपका राजिम पुन्नी मेला एक दिन में तुरंत आता है।

माननीय सभापति महोदय, नई पंचायतें बनायी गई हैं। माननीय पंचायत मंत्री जी हमने छत्तीसगढ़ में कहा कि हम एक हजार की आबादी में बनायेंगे, ये हमारा नियम है। एक हजार की आबादी हुई, आपने बना दिया। पंचायती राज में निर्णय तब होता है कि मैं इतनी आबादी में बनाऊंगा, ये नई चीजें करूंगा, साक्षरता को हटाने को छोड़, आपने पंचायती राज में कोई काम नहीं किया। आप चाहते हैं कि वित्त आयोग के पैसे में गौठान के नाम से दुरूपयोग जो मैं करवा रहा हूँ मैं सीधे आदेश दे रहा हूँ जिसके लिए आप पहाड़ सिर में उठा लिये थे। मोबाईल-मोबाईल करके वह काम आप पिछले दरवाजे जो आप कर रहे हैं, उसके लिए आप शिक्षा को हटाये हैं कि आपका आदेश माना जाये, राशि का दुरूपयोग हो। पंचायतों की स्वायत्ता समाप्त हो। ये आप करने जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज पी.डी.एस. में काफी चर्चा हो गई। 5 जिले में कार्ड दूसरे छपे हैं। 17 जिलों में दूसरे कार्ड छपे हैं इसमें दूसरे छपे हैं। पी.डी.एस. आ गया। कल भाई माननीय शिवरतन शर्मा जी ने आर. जी. टैक्स का उल्लेख किया था। मोहम्मद भईया आप भी खाद्य मंत्री थे। आप आर. जी. टैक्स को अच्छे से जानते हो, अब उसका दायरा बढ़ गया है। मतलब आप समझ लीजिए कि हम लोग सनातन धर्म में पानी देते हैं तो पितृ पक्ष में एक अंजली पानी भीष्म पितामह के लिए भी दिया जाता है। गिद्ध निगाहें बोलते हैं वह कितनी ऊंचाई में उड़े, मरे सांप, जानवर को देख ही लेगा। यहां जो काम होगा माने आर. जी. टैक्स की नजर पड़ेगी ही पड़ेगी। आप जो काम करोगे उसके लिए एक अंजली निकालना पड़ेगा। नहीं तो छत्तीसगढ़ में काम नहीं कर सकते। रेती, नान, कोटा में, उसके बाद परिवहन को पास करवाने में, दारू में, दारू में तो दो पेटी रखी जाती है ऐसा बोलते हैं आज पीने वाले बढ़ गये कोटा कम हो गया। एक, एक नंबर के पेमेण्ट का है और एक, दो नंबर के पेमेण्ट का है। ये पहला राज्य है तो ये खाद्य विभाग और जो आर. जी. टैक्स है उसका दायरा विस्तृत हुआ है कि जब तक आप एक अंजली पूर्णाहूति नहीं डालोगे, छत्तीसगढ़ में काम नहीं कर सकते। चाहे कोई भी आदमी हो, उसकी निगाहें तेज है । तीसरी सरकार। हम पंचायती राज को तीसरी सरकार बोलते थे। अब उसको चलिये चौथी सरकार बोल देते हैं। ये जो आर. जी. टैक्स है उसको आप नहीं चुकाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे।

माननीय सभापति महोदय, आदिवासी अंचल में पोषण, ये नई योजना नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी, पूरा निजाम बदला, वित्त मंत्री जी नहीं बदले। वह रमन सिंह जी को बजट प्रबंधन सीखा देते थे उधर भी वित्तीय व्यवस्था अच्छी बताते हैं और इधर भी अच्छा बताते हैं तो ये वैसी है कि इधर से पकड़ो, चाहे इधर से घूमाकर पकड़ो उसका नाम बदल जाता है इधर से उधर। मुख्यमंत्री कुपोषण योजना, प्रधानमंत्री कुपोषण योजना, राजा साहब कुपोषण योजना, प्रजा साहब कुपोषण योजना, बस्तर योजना

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

महाकांता योजना, महापोषण योजना छत्तीसगढ़ योजना, ऐसा उसका नाम बदल जाएगा, लेकिन कुपोषण भर दूर नहीं होगा। नाम बदलकर आप डेंटिंग-पेंटिंग करके आप पेश कर दीजिए।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- भा.ज.पा. की केन्द्र की सरकार भी योजनाओं का नाम बदल दी। बाकी अभी भी मनमोहन सिंह जी की सभी योजनाएं चल रही हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- 2500 रुपये देने की ऋण माफी और 2500 रुपये समर्थन मूल्य की बात अब आपने आत्मसात किया है। राजा साहब, 2500 रुपये तो आप दे नहीं पाये, 1815, 1835 रुपये चल रहा है, अंतर की राशि के लिए आप कमेटी बनाये हैं, इसी अभिभाषण में आखिरी में दारू का भी उल्लेख है। अंतर की राशि, उधर विशेषज्ञ लोग बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए, आप समर्थन मूल्य से बोनस कितना प्रतिशत दे सकते हैं, केन्द्र सरकार का कानून क्या बोलता है, उसका उलंघन करोगे तो क्या होगा, वह बैठे हैं, वह अच्छे से जानते हैं, आप जानते हैं। जिस दिन आपने 2500 रुपये लिखा, क्या आप उस कानून को नहीं जानते थे? उस दिन मोदी जी का नाम क्यों लेते थे? जब पहले साल दिया तो मोदी जी का नाम क्यों नहीं लेते थे? आज मोदी जी कहॉ से बीच में आ गये। 2500 रुपये के लिए केन्द्र सरकार के पास जाओ, 2500 रुपये के लिए हावर्ड, आक्सफोर्ड चलेंगे, ये कहां से आ गया?

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, समाप्त करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आपका आदेश हो गया है, दो मिनट में समाप्त करता हूं। दूसरा आपने उद्यानिकी फसलों के बारे में कहा है। जो उद्यानिकी में नियुक्त हुआ है, आपने पहली बार कहा कि बागवानी विशेषज्ञ को लाये हैं। वह दिल्ली से आया है, आप नहीं लाये हैं। आजकल ट्रान्सफर दिल्ली से होता है। मैं तो मुख्यमंत्री जी को दमदार आदमी मानता था। आज के पेपर में भी छपा है कि बी.ओ., डी.ओ. के ट्रान्सफर दिल्ली के आदेश पर हुए। वह उद्यानिकी वाला ऐसा दिखाता है, इसका मतलब क्या होता है, मैं नहीं जानता। आज आप रुपया की परिभाषा बता रहे थे। रुपया हजार, करोड़, लाख है, वह ऐसा-ऐसा करता है, इसका मतलब क्या होता है, मैं नहीं जानता, पर वह बोलता ऐसा ही है। इसका मतलब क्या है, मैं नहीं जानता। चूंकि माननीय सभापति महोदय का आदेश हो चुका है। आपने शराबबंदी को आत्मसात किया है। इस अभिभाषण में कहा है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- हम लोगों को कम से कम बता दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं नहीं जानता। आज वह मुझको रूपया का हिसाब समझा रहे थे। आपने आत्मसात किया है। आपको कमेटी बनाने के लिए जनादेश नहीं मिला था, शराबबंदी के लिए जनादेश मिला था। आप जन-घोषणा पत्र बनाये थे, यह ध्यान रखियेगा। अंत में माननीय सभापति महोदय, एक बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हावर्ड गये थे। नरवा, गरवा, घुरूवा, बारी को पूरा देश सराह रहा है, इसमें काफी बात हुई है। मैं दो चीजों का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसको हावर्ड में बताना चाहिए, मैं तो इतना प्रतिबद्ध छत्तीसगढ़िया हूं कि आप कुछ भी कर लो, छत्तीसगढ़ के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बाहर छत्तीसगढ़ की आलोचना नहीं करूंगा, हिन्दुस्तान के बाहर हिन्दुस्तान की आलोचना नहीं करूंगा, चाहे राजस्थान की सरकार की हो। लेकिन दो चीजों को पूरे देश को हमको बताना चाहिए, छत्तीसगढ़ में जो इनोवेशन, नवाचार हो रहे हैं। धान खरीदी, आपको किसी अधिकारी का कोई लिखित में आदेश नहीं मिलेगा कि रकबा सरेण्डर करो, रकबा कम करो, मौखिक निर्देश है। आपको किसी अधिकारी का कोई निर्देश नहीं मिलेगा कि टोकन कितना जारी होगा, टोकन जारी, आपको लिखित में कोई निर्देश नहीं मिलेगा कि 200, 400 या 600 क्विंटल एक दिन में खरीदे जायेंगे, लेकिन वहां वह धान खरीदी में 200, 400, 600 टोकन अनवेलिड हो गया। आज हमने 400 क्विंटल खरीद लिया। मौखिक निर्देश की प्रशासन की एक नई शैली विकसित हुई है। निजाम मौखिक आदेश पर चल रहा है, कानून का राज खत्म हो गया है और किसके लिए है, उन गरीब किसानों, उस जहालत झेलने वाली जनता के लिए है, राजा, महाराजा के लिए नहीं है। दूसरी बात जितने काम हैं, आप लाख बजट पेश कर लो, मेरे साथ चलिये, मैं दिखाता हूं कि चालू काम बंद हैं, भुगतान बंद है। आज के पेपर हैं कि पलायन हो रहा है। आपके एक अधिकारी ने कह दिया है कि हर साल पलायन में जाते हैं। दूसरी बात यह पहला राज्य बना जहां कलेक्टर के संरक्षण में शराब बिकती है, अवैध शराब बिकती है, ये हमारे प्रदेश का नवाचार है। इसको लोगों को बताना चाहिए। ये हमारे प्रदेश का नवाचार है कि हम बोनस देने के लिए कमेटी बनाते हैं।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें। श्री देवव्रत सिंह जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये हमने आत्मसात किया है। लेकिन अल्पकालीक ऋण माफ कर देते हैं। ये हम नवाचार कर रहे हैं कि वन टाईम सेटलमेन्ट के लिए पैसा नहीं है, यह बोल जरूर देते हैं। यह पहली बार हो रहा है, बजट देखने के बाद उसको और बोलूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी हाउस में घोषणा करते हैं वह भी क्रियान्वित नहीं होती। और कौन सी बातें आप करते हैं? आप छोटे-छोटे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पढ़ाते हैं । आपको गरीबों की आह लगेगी, आपको किसानों की आह लगेगी, आपको उन मजदूरों की आह लगेगी जो पलायन कर रहे हैं। आज असमय फसलों का जो नुकसान हुआ है, आज मैं अपने मोबाईल में आपको दिखा सकता हूं, आज की तारीख तक एक भी आदमी सर्वे के लिये नहीं पहुंचा है । कल बोल रहे थे कि 3 दिन में पहुंच जायेगा । पिछले साल का मुआवजा नहीं मिला है यह स्थिति है, सरकार पूरी तरफ असफल, छोटे-छोटे प्रशासनिक आदेश, इतना लचर अभिभाषण छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि एक प्रिंसिपल नियुक्त कर दिये, एक बाबू नियुक्त कर दिये और एक और शब्द है । सुपेबेड़ा में पेयजल की व्यवस्था, मैं बोलता हूं कि सुपेबेड़ा पर आपने पिछली बार उत्तर दिया था, यह आपका विषय है, लगभग 14 करोड़ समथिंग लाख की बजट प्रोविजन है यह बताना चाहिए कि प्रशासकीय स्वीकृति हो गयी और काम शुरू हो गया, सुपेबेड़ा के जल के बारे में हम चिंतित हैं, आप फोन नंबर दे कहते हैं यह भी इनोवेशन है । मेरा फोन नंबर दें और आप यहां आकर क्या बोलते

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

हैं कि सब कोई किडनी रोड से नहीं मरे हैं, जो मैं बोलता था तब आप यहां टेबल पीटते थे । अब क्या हुआ ?

सभापति महोदय :- समाप्त करें ।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, पूरी तरफ असफल सरकार, दमनकारी सरकार, चेहरा खुल गया, मैं आज के अभिभाषण के इस बात के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता से कहूंगा कि यह जननायक बन गये हैं, इतनी जल्दी गुंडाधुर हो गये, इतनी जल्दी लोकगीतों में बस गये, पहले मुख्यमंत्री हैं जो साल भर के अंदर छत्तीसगढ़ के फाग में छाये हैं । ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ संघर्ष के लिये, ऐसे असत्य कथन करने वालों की सत्ता के लिये, सत्ता के खिलाफ संघर्ष के लिये तैयार रहिये । माननीय सभापति महोदय, इन बातों के साथ आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग पिछले दो दिनों से माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री धनेंद्र साहू जी के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है । मैं समझता हूं कि प्रदेश की जो धान को लेकर सबसे बड़ी समस्या है उसको लेकर व्यापक रूप से चर्चा प्रदेश में हुई । हम लोगों ने महसूस किया कि जिला राजनांदगांव में धान खरीदी अच्छे से हुई और कुछ जिलों में जहां धान खरीदी ठीक से संचालित नहीं हुई उसके लिये मैं पूर्ण रूप से वहां के जिला के जो कलेक्टर हैं या जो समितियों के प्रबंधक हैं । मुझे लगता है कि धान खरीदी का जो सिस्टम है उसके साफ्टवेयर में जो थोड़े-बहुत चेंजेस किये गये, उस चेंजेस की आवश्यकता नहीं थी ।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक रकबे का प्रश्न है, रकबे को काटने को लेकर किसानों में जरूर नाराजगी थी लेकिन हम लोग इस बात को भी महसूस करते हैं कि यदि सही धान खरीदी करना है और यदि हम चाहते हैं कि एक-एक किसानों की धान खरीदी हो तो उसके लिये और बेहतर प्रणाली बनाने की आवश्यकता है । हम लोग इस बात को महसूस करते हैं कि बहुत सारे लोगों का धान टोकन लेने के बाद भी खरीदा नहीं जा सका लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि हम जैसे ऐसे बहुत सारे बड़े किसान हैं जिनके यहां धान का उत्पादन लगभग 22 से 25 क्विंटल एवरेज होता है और शासन 15 क्विंटल धान खरीदती है और बाकी का जो 7-10 क्विंटल धान होता है उसको हम गरीब किसानों के खाते में खपाने का काम करते हैं और यह पूरे प्रदेश में होता है तो यह दोनों प्रकार की बातें धान खरीदी में हैं । पहली बात कि कुछ किसानों का धान जरूर छूट गया लेकिन यह बात भी सही है कि जहां समिति प्रबंधक चाहता है या समिति का अध्यक्ष चाहता है और उसकी सहमति रहती है तो ऐसे बहुत सारे एकाउंट होते हैं, ऐसे बहुत सारे खाते होते हैं जिनमें वास्वितक में धान नहीं हुआ होता है और उसमें बड़े किसानों का धान खपाया जाता है । जहां तक धान के रेट का मामला है निश्चित रूप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यह एक राजनीतिक निर्णय हुआ कि 2100 रूपये देंगे, 2200 रूपये देंगे और

बाद में वर्तमान सरकार ने 2500 रूपये धान का दिया और इस साल भी देने के लिये कृतसंकल्पित हैं किंतु एक लंबे समय के बाद हम धान खरीदी को लेकर बात कर रहे हैं तो यह हमारे प्रदेश के लिये एक बड़ी समस्या है । माननीय सभापति महोदय, हम धान इसलिए खरीदते हैं कि उसका चावल बनना है, अब हम यदि केवल इस बात पर विचार करें कि छत्तीसगढ़ में कितने दिनों तक, कितने लंबे समय तक और कितने मिलियन टन हम धान खरीदेंगे ? जिस तरह के आंकड़े हैं उस हिसाब से हर साल धान खरीदी बढ़ती चली जाएगी । उस धान का क्या होगा ? यदि सदन में हम चर्चा कर रहे हैं तो भविष्य की चर्चा भी होनी चाहिए । क्या धान की खेती उत्पादक रह गयी है? मैं लगभग 112-115 एकड़ में धान की खेती करता हूं । लेकिन इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी किसान इस बात का दावा नहीं कर सकता कि एक वर्ष में उस जमीन में, जिसमें धान की खेती होती है, उसमें एक साल में एक एकड़ में 40 हजार रूपया भी बचता होगा । तो इसलिए कि धान की खेती पूरे विश्व में लगभग नगण्य है और आज हम वर्ल्ड प्राइज़ इंडेक्स की बात करें कि धान का रेट क्या है ? ठीक है कि हम राजनीतिक निर्णय में उसके लिए 2100 की मांग करें, 2500 की मांग करें । हम 2500 रूपए क्विंटल दे दें लेकिन विश्व में सबसे अधिक धान अभी साउथ कोरिया और चीन के कुछ प्रांतों में होता है लेकिन वहां भी वर्ल्ड प्राइज़ इंडेक्स में रूपए में केल्क्यूलेट करें तो 1925 रूपए धान का अधिकतम् रेट है । क्योंकि अर्थतंत्र के हिसाब से बात करेंगे तो जितना महंगा धान का रेट होगा, उतना महंगा चावल होगा । छत्तीसगढ़ सरकार कमिटेड है कि हम बीच के अंतर को देंगे लेकिन चावल और धान के रेट में जो अंतर आता जा रहा है वह कहीं न कहीं हमारे बजट के पैसे से निकलता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब छत्तीसगढ़ के धान को न तो केन्द्र सरकार लेगी और न ही मार्केट में उसकी लेवाली होगी । मैं तो अभी भी कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में आप दर निर्धारित कर दें 2500 रूपए क्विंटल का लेकिन खरीदने के लिए प्रायवेट बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाना चाहिए कि वे लोग आकर धान खरीदें, उसकी मिलिंग करें और विदेश एक्सपोर्ट करें । वह भी तब जब धान की अच्छी क्वालिटी होगी तब खरीदा जाएगा अन्यथा हमारे धान का लेवाल इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब हमसे ज्यादा धान का उत्पादन तेलंगाना और तमिलनाडु में हो रहा है । मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के सारे रिसोर्सेस को हम धान खरीदी में लगा दें और उसके भविष्य के बारे में न सोचें तो यह भी उचित नहीं होगा । सभापति महोदय, अभी पूरे प्रदेश में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि हुई । मैं समझता हूं कि जो कबीरधाम जिला है, दुर्ग जिला है, बेमेतरा जिला है, उसमें ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है । मैं आपको बताना चाहूंगा कि 90 प्रतिशत किसानों ने उसका बीमा नहीं कराया है । दुर्ग जिले और कवर्धा जिले में बैंक ने भी उसका इंश्योरेंस नहीं किया था, राजनांदगांव के लिए तो आदेश था इसलिए वहां पर बैंक ने इंश्योरेंस किया है । मुझे लगता है किसानों को शासन राजस्व के तहत कुछ राशि दे दे तो दे दे, अन्यथा उनका बड़ा नुकसान होने की स्थिति है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय, मैं एक और विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । अभिभाषण में एक अच्छी बात का उल्लेख है कि बस्तर में पिछले कुछ सालों में जो निर्दोष आदिवासी लोग हैं, जिन्हें नक्सली प्रकरण में फंसाकर या जोड़कर लम्बी सज़ा दी गई है । जस्टिस ए.के.पटनायक की अध्यक्षता में एक समिति बनी है, वह स्वागत योग्य बात है । लेकिन अभी भी उसका दायरा केवल बस्तर तक सीमित है । सभापति महोदय, राजनांदगांव जिले में भी ऐसे लगभग 50 से ऊपर घटनाएं हैं जिसमें निर्दोष आदिवासी पिछले कुछ वर्षों में लम्बी सजा काट रहे हैं, जिसमें उनकी भूमिका नहीं है । इसका दायरा बस्तर से बढ़ाकर राजनांदगांव तक किया जाना चाहिए । स्कूलों में लगभग 15000 शिक्षकों की भर्ती की बात अभिभाषण में की गई है । मैं समझता हूं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहले नियुक्ति होनी चाहिए और सीधी नियुक्ति होगी तो निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर ऊपर आएगा । तेंदूपत्ता का पारिश्रमिक बढ़ाया गया लेकिन लघु वनोपजों के वितरण और प्रसंस्करण के लिए जब तक उद्योग नहीं लगेंगे तब तक लघु वनोपजों का लाभ नहीं मिल पाएगा । सभापति महोदय, एक बड़े विषय पर प्रश्न काल का लम्बा समय निकला कि शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं और किस प्रकार की शराब आ रही है । सभापति महोदय, हम जब सदन में होते हैं, हम जब किसी मंच पर होते हैं, हम जब भाषण देते हैं, हम जब कोई कार्ययोजना बनाते हैं तो पूर्ण शराबबंदी की बात सब लोग करते हैं । ऐसा एक भी राजनीतिक दल नहीं है जो शराबबंदी की बात नहीं कहता । सब घोषणा पत्र में कहते हैं, सदन के अंदर भी कहते हैं लेकिन हम सब लोगों ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव देखे हैं । एक भी जनप्रतिनिधि यहां अपने हृदय पर हाथ रखकर कह दे कि बिना शराब बांटे कोई व्यक्ति जीता है या नहीं जीता है । मैं समझता हूं कि इस चुनाव में शराब बांटने की सारी सीमाएं टूट गईं और कुछ जगहों पर तो यह स्थिति थी कि हम जैसे जनप्रतिनिधियों को हमारे समर्थक आकर कहते थे कि भइया आप मध्यप्रदेश से शराब लाकर यहां व्यवस्था करो, आप शराब की व्यवस्था नहीं करोगे तो हम चुनाव नहीं जीतेंगे । जब नगरीय निकाय के चुनाव, पंचायती राज के चुनाव में धड़ल्ले से शराब बांटने के बाद ही रिजल्ट प्रभावित हुए और कहीं कहीं यह दुर्भाग्य का विषय है सदन में इस बात कोई नहीं बोलता । लेकिन कई जगह तो मतदाताओं की सोच ऐसी बन गयी थी कि ये तो इसलिए चुनाव हारेगा, क्योंकि यह शराब नहीं बांटेगा। जब हम ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं कि हमारे यहां पंचायती राज के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव जितने छोटे चुनाव हैं, वे बिना शराब व्यवस्था के नहीं हो सकता। किसी जमाने में लोग पैसा बांटकर चुनाव जीत जाते थे। अब तो पैसा सेकण्डरी हो गया है। शराब प्राथमिकता हो गई है। तो हमारे छत्तीसगढ़ की आज जो स्थिति है, उसमें हम क्या शराबबंदी कर पायेंगे। लोगों की सोच क्या है? शासन ने समिति बना दी। समिति जब रिपोर्ट देगी तब देगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि छत्तीसगढ़ में 14 साल और 15 साल का व्यक्ति शराब पी रहा है। क्या आप अचानक शराबबंदी कर पाओगे और बिना शराब के आज कल एक भी चुनाव संपन्न नहीं हो पा रहे हैं। जब तक इस मामले में जनजागरण नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

होगा, सोच नहीं बनेगी। मैं तो यह कहता हूं कि शासन निर्णय लेगा या नहीं लेगी। घोषणा पत्रों में आता रहेगा या जाता रहेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि जिनके लिए हम सोच रहे हैं, क्या इस प्रदेश की जनता शराबबंदी के लिए तैयार है? यदि मानसिकता है तो शराब की दुकानें बंद करने से न कोचिये खत्म हुए हैं और न शराब का चलन खत्म हुआ है। सभापति महोदय, इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। हम जनहित में चाहते हैं कि लोग शराब का सेवन न करें। पर क्या यह सच्चाई नहीं है? बहुत सारी बातें अभिभाषण में लिखी गई हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो नरवा, घुरवा, गरूआ, बारी कार्यक्रम है, उसे न केवल अमेरिका में मुख्यमंत्री जी ने कहा बल्कि अन्य जगह इसकी प्रशंसा की। हम लोग स्वयं इस कार्यक्रम की प्रशंसा करते हैं। मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में यह एक बड़ी सोच है। पर जितना वित्तीय प्रबंधन उस कार्यक्रम के पीछे होना चाहिए, वह अभी तक नहीं हो पाया है। कहीं न कहीं यह धान का मामला हमारे इस बड़ी योजना को प्रभावित कर रहा है और नरवा, घुरवा जैसे कार्यक्रम को जिसकी पूरे प्रदेश में और पूरे देश में चर्चा है, उसे और अधिक संसाधन देने की जरूरत है। माननीय पंचायत मंत्री अभी बैठे थे। आज भी कोई विधायक नरवा, गरूआ में कुछ अपनी विधायक निधि की राशि देना चाहता है तो इसके लिए प्रावधान आज तक नहीं हो पाये हैं। यह दुर्भाग्य का विषय है कि गवर्नमेंट का फ्लेगशीप प्रोग्राम है और हम अधिकतर योजनाओं में ग्राम पंचायत का सरपंच 14वीं वित्त आयोग में राशि देना चाहता है तो उस पर रोक लगी हुई है। यदि गवर्नमेंट का यह फ्लेगशीप प्रोग्राम है तो उसमें अधिक से अधिक राशि का प्रावधान होना चाहिए। आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री केशव प्रसाद चन्द्रा।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजेपुर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है, उसके बारे में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल का अभिभाषण तय करता है कि सरकार ने लोगों के हित के लिए क्या किया और सरकार का विजन और उद्देश्य आने वाले दिनों के लिए क्या है? यह सरकार जो गठित हुई, छत्तीसगढ़ के केवल किसान ही नहीं बल्कि वर्ग को एक उम्मीद और विश्वास देकर जीतकर यहां पर आयी है। इन्होंने वर्तमान पंचायत मंत्री के नेतृत्व में लोगों की समस्याओं को सुनकर घोषणा पत्र बनवाने की जिम्मेदारी और जवाबदारी दी है। सभी वर्गों को ऐसा आश्वासन दिया गया कि उनको लगने लगा कि यह सरकार बना देंगे तो यह हमारे हित में काम करेगी। इन्होंने बहुत सारे बिंदुओं पर घोषणा पत्र भी बनाया, लेकिन माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर उन घोषणा पत्रों की या उसे कैसे पूरा करेंगे, उसका न कहीं स्वरूप दिखता है और न ही कहीं सरकार का विचार दिखता है। युवाओं को रोजगार देने की बात है। शिक्षकों के लिए वेकेंसी निकले हुए एक साल से ज्यादा समय हो गया। तमाम प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हुई। पिछली सरकार ने पुलिस के लिए जो वेकेंसी निकाली थी, इस सरकार ने उसे निरस्त कर दिया, लेकिन आज भी पुलिस की

अशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

भर्ती छत्तीसगढ़ में नहीं हुई। पढ़े-लिखे लोग सरकार की नीति के कारण बेरोजगार घूम रहे हैं। अनियमित कर्मचारी जो संविदा पर कार्यरत थे, उन्होंने पिछली सरकार में लंबा आंदोलन किया और आज जो सरकार में बैठे हैं, उन्होंने जाकर आश्वासन दिया और पत्र लिखकर दिये कि आप हमारी सरकार बना देंगे तो हम आपको नियमित करेंगे। हम आपको नहीं निकालेंगे, लेकिन उस पर सरकार की कोई चिंता नहीं है। माननीय सभापति महोदय, विद्या मितान, आप पिछले समय विधान सभा में थे। जब विद्या मितान की भर्ती की गई तो यहां कितना आरोप लगा। विद्या मितान के बारे में ऐसा लगने लगा कि यह सरकार जो पिछले समय विपक्ष में थी, बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। लेकिन आज सरकार में आने के बाद उनको अतिथि शिक्षक के रूप में लिए हैं। उनका भी कोई भविष्य नहीं है। उनके पद के विरूद्ध नई भर्ती की जा रही है। उनको कोई प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है। जबकि इन्होंने कहा था कि अगर वे योग्य हैं तो हम उनको नियमित करेंगे। माननीय सभापति महोदय, ऐसे बहुत सारे चाहे इस प्रदेश के शिक्षाकर्मी की बात करें, चाहे इस प्रदेश के कोटवारों की बात करें, कम्प्यूटर आपरेटरों की बात करें या किसान या मजदूर की बात करें, केवल एक असत्य आश्वासन, असत्य विश्वास देकर के पूर्ण बहुमत की सरकार, सरकार में बैठ गई है। लेकिन इनके पास कोई योजना नहीं है, जो घोषणा-पत्र जारी किया है, उस पर आगे काम करें।

माननीय सभापति महोदय, सरकार की कोई भी योजना होता है, उसका बेहतर अध्ययन करके बनाया जाता है। लेकिन उस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर रहती है कि उस योजना को फालो करने के लिए, उस योजना को पूरा करने के लिए, उसका योजना का लाभ जिसे मिल रहा है, उसके लिए आपकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है ? लेकिन छत्तीसगढ़ में हमको कहीं बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था नहीं दिख रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे ही प्रश्न पर सदन में घोषणा किए थे कि किसी भी किसान का रकबा नहीं घटेगा। यदि थोड़ा बहुत किसी का तालाब है उसका पंजीयन हो गया है, किसी का खलिहान है उसका पंजीयन हो गया है, या कोई किसान जिस जमीन पर धान की खेती नहीं करता है, मूंग, दलहन-तिलहन की खेती करता है, हम उस रकबा को कम करेंगे। लेकिन जब हम वहां पर प्रेक्टकली देखें, वहां पर व्यवहारिक रूप से देखें तो ऐसा कोई किसान नहीं बचा था, जिसका थोड़ा बहुत से लेकर बहुत ज्यादा तक रकबे में कटौती नहीं की गई हो। किसान के 18 एकड़ खेत में 17 एकड़ काट दिया गया, उस किसान ने केवल एक एकड़ का धान बेचा। पुन: उसमें जब रकबा जुडवाने की बात आई तो तहसीलदार से एस.डी.एम., एस.डी.एम. से कलेक्टर, कलेक्टर से आपके रायपुर तक आये। माननीय सभापति महोदय मैं, व्यक्तिगत रूप से दो बार यहां आया। ऐसे किसानों का दो महीने तक रकबा नहीं जुड़ पाया और आज भी नहीं जुड़ा है। आज भी वह किसान अपने रकबे पर जो खेती किए हैं, उससे वंचित हो गये।

समय :
2:58 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, अगर हम यहां किसान की बात कर रहे हैं, उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है, उसकी बात कर रहे हैं तो हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हम घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। हम किसानों के शुभचिंतक नहीं हैं। अगर आप किसान के शुभचिंतक हैं, अगर किसानों ने आपको चुना है, तो आपके ही रिकार्ड में, आपके के ही अधिकारी के द्वारा, आपके ही राजस्व अधिकारी के द्वारा सत्यापित करके पंजीयन किया गया है। अगर आज 1 लाख 25 हजार आकड़े के ऐसे किसान धान नहीं बेच पाये हैं तो आप सदन से क्यों घोषणा नहीं कर देते कि हम उन किसानों का धान खरीदेंगे। आपने तो टोकन भी काटा है। अगर टोकन काटने के बाद भी धान नहीं ले रहे हैं तो यह सीधी-सीधी बात है कि आपकी नीयत किसान के हित में नहीं है। आप किसान को लाभ देना नहीं चाहते हैं, बल्कि किसान का शोषण करना चाहते हैं, किसान को प्रताड़ित करना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ प्रदेश में मजदूरों के लिए कोई योजना नहीं है कि उनको कैसे काम दिया जाये। आज पूरे मजदूर पलायन कर रहे हैं। आज किसी भी रेल्वे स्टेशन पर चले जाईये, किसी भी बस स्टैण्ड पर चले जाईये, कम से कम 25 से 30 प्रतिशत आपको ऐसे लोग मिलेंगे, जो काम की तलाश में इस प्रदेश के बाहर जा रहे हैं। रोजगार गारन्टी कहीं कोई काम शुरू नहीं हुआ है। शासन के पास काम ही नहीं है, तो मजदूरों को कहीं काम नहीं मिल रहा है। यहां थोड़े-बहुत उद्योग लग गये हैं, तो उसमें बिहार के लोग आ गये, झारखण्ड के लोग आ गये, उत्तरप्रदेश के लोग आ गये ।

समय :
3:00 बजे

ऐसे लोग वहां काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए वहां कोई स्थान नहीं है । माननीय सभापति महोदय, जब आप अपना भाषण दे रहे थे तो अभी जो बरसात हुई है, उसमें हुए नुकसान का जिक्र कर रहे थे । केवल अभी बरसात हुई है, उसमें नुकसान की बात नहीं है, बल्कि खरीफ की फसल के समय भी बेमौसम बरसात हुई थी । किसानों का फसल डूब गया था, उसमें भी नुकसान हुआ । यहां सदन में घोषणा करते हैं कि हमने कलेक्टर को आदेश दे दिया । इनके पटवारियों को खेतों में जाकर परीक्षण करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई पटवारी किसी के खेत में नहीं जाता । आज पटवारी से बड़ा प्रशासनिक अधिकारी और पटवारी से बड़ा भ्रष्ट इस प्रदेश में कोई अधिकारी नहीं है । बिना पैसे के लेन-देन किए कोई पटवारी अपने बाप का फौती काटने वाला नहीं है, इस प्रदेश में यह व्यवस्था हो गई है । वहा आंकड़ा बनाकर भेज रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ है । जब नुकसान नहीं हुआ है, यह लिखकर भेज रहे हैं तो किसानों को लाभ कैसे मिलेगा ।

असंपादित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, शराब बंदी पर सबकी चिन्ता है क्योंकि इससे सरकार को कितनी आय हो रही है, राजस्व की कितनी हानि हो रही है, विषय यह नहीं है। विषय यह है कि शराब का क्या प्रभाव समाज के ऊपर पड़ रहा है, आने वाली पीढ़ी इससे कैसे प्रभावित हो रही है, ये हमारे समाज के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कितना नुकसानदायक है । हमको शराब से कितना राजस्व मिलता है, यह सरकार का ही आंकड़ा है । अगर राजस्व नहीं भी मिलेगा तो क्या यह प्रदेश नहीं चलेगा ? इस सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी के लिए पांच रूपए बढ़ा दिए । मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आपकी सबसे अच्छी योजना जिसकी बदौलत आपने चुनाव जीता, उसको पूरा करने के लिए आपको शराब से पैसा चाहिए । माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके लिए आपको धन्यवाद । शराब बेचकर आप प्रदेश को चलाना चाह रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, नुकसान सबको है और सबसे ज्यादा नुकसान इस शराब से हमारे आने वाली पीढ़ी को है, जिसको हम अपना भविष्य कहते हैं । देश का निर्माता बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, लेकिन आज शराब के कारण, शराब के सेवन के कारण, उस प्रवृत्ति के कारण हमारे देश का भविष्य नष्ट हो रहा है । इस प्रदेश में किस बात के लिए शराब बंदी चाहिए, लेकिन सरकार को चिन्ता है कि शराब बंदी हो जाएगी, नशाबंदी हो जाएगा तो उसका समाज में क्या विपरीत असर पड़ेगा । कई लोग हैं, जिनका जीवन बिना शराब के नहीं चलेगा, लेकिन सरकार इस बात की चिन्ता नहीं कर रही है कि कितने लोग हैं, जो शराब के कारण अपने जीवन को बरबाद कर रहे हैं । आपने घोषणा की कि हमारी सरकार बनने के बाद हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन राजस्व और राजस्व के अलावा जिन बातों का जिक्र प्रश्नकाल में आज प्रमुख रूप से हुआ, राजस्व के अलावा पैसे की आवक समाप्त मत हो जाए, इसलिए यह सरकार की भी नीयत नहीं है कि शराबबंदी हो । इन्होंने तीन समिति बनाई, पहला विधायकों की समिति, दूसरा प्रशासनिक अधिकारियों की समिति और तीसरा सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की समिति बनाई । सरकार बता दे कि उसमें उन्होंने कितनी बार बैठक की, मैं खुद उस समिति में हूं। मात्र एक बार बैठक हुई, कुछ नाश्ता किए, चाय पीये, उसके बाद बैठक समाप्त हो गई । यह प्रक्रिया पांच साल तक चलेगी । निर्णय कुछ नहीं लेंगे । सर्वे कराएंगे कि शराब बंद कर देंगे तो हम चुनाव जीतेंगे या नहीं और शराब चालू रहेगा तो हम जीतेंगे या नहीं, उसके ऊपर इनका निर्णय होना है।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार के अंतिम समय में जिनके कारण यह सरकार ने अपने जनाधार को खोया, उसका प्रमुख कारण था कि उस योजना का लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा था, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ी जा रही थी । पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि आप कमीशनखोरी बंद कर दो और सरकार में बैठे लोगों ने खूब हल्ला मचाया । यह दुर्भाग्य है कि इधर बैठते हैं तो भाषा दूसरी हो जाती है, उधर बैठते हैं तो भाषा बदल जाती है । इधर शुभचिंतक बने रहते हैं, उधर जाते हैं तो शोषक बन जाते हैं, यह हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है । आज जो प्रदेश के मुखिया बने हैं,

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, मुझे याद है जब हम यहां बैठते थे, पिछले सरकार को बोलते थे, क्या जिनका पंजीयन हुआ है, उसी को बोनस दे रहे हैं ? इस प्रदेश में तो 32 लाख किसान है, ऐसे किसान है जो पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं । ऐसे किसान भी हैं, जिनके रिकार्ड में पुरखौती जमीन जो है, नहीं आ पा रहा है । उन किसानों को आप क्यों बोनस नहीं देंगे ? मौका आपके हाथ में है । लोगों ने आपको चुना है, आप उन 32 लाख किसानों को बोनस दे दीजिए । आपने कहा कि पिछली सरकार ने गलती किया है, दो साल का बोनस नहीं दिया ।

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्रा जी, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे ।

श्री केशव चन्द्रा :- सभापति महोदय, हम पिछले सरकार की गलती को पूरा करेंगे और दो साल का बोनस देंगे, जो 300 रूपये का बोनस नहीं दिया है, लेकिन अब वह भूल गये । अब लगता है कि रात को भी उनको सपना नहीं आता है कि हमने कहा है कि 300 रूपये का बोनस देंगे । माननीय सभापति महोदय, यह प्रदेश किसानों का प्रदेश है, मजदूरों का प्रदेश है, अगर यहां पर आपको किसी के हित पर काम करना है, मजदूरों और किसानों के हित पर काम करना है, आपने राज्यपाल महोदया से ऐसी-ऐसी चीजों को कहलवाया है, जो जनता के हित पर नहीं है । आपका विजन क्या है, आपने नहीं बताया है । मैं तो इस सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जिन उद्येश्यों को लेकर, जिन बातों को लेकर, आपने लोगों के बीच में जनाधार लिया है, आज भी उनको याद कीजिए, आज भी उनको पूरा कीजिए । हम पक्ष-विपक्ष में है, यहां चर्चा होती है । आपकी मजबूरी है, आप सरकार का पक्ष रखेंगे । आप अधिकारियों को बचायेंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है, इसको आप जानने का प्रयास करें ? जब तक आप प्रशासनिक कसावट नहीं लायेंगे, तब तक आप अपने कर्मचारियों को सही काम करने के लिए टाईट नहीं करेंगे, जब तक आप भ्रष्टाचार को यहां से समाप्त नहीं करेंगे, जब तक आप शराबबंदी नहीं करेंगे, हम बेहतर छत्तीसगढ़ की कल्पना नहीं कर सकते, हम संस्कारित समाज की कल्पना नहीं कर सकते । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझको समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- माननीय श्री रजनीश सिंह जी ।

श्री रजनीश सिंह (बेलतरा) :- सभापति महोदय, राज्यपाल जी के अभिभाषण के कृतज्ञता प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । माननीय सभापति महोदय, जो अभिभाषण सरकार के द्वारा पढ़ाया गया है, पिछले फरवरी माह में बजट पर बहस हो रही थी, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉ.रमन सिंह जी ने कहा था कि यह सरकार जिस रास्ते पर चल रही है, जो इनका वित्तीय प्रबंधन है, आने वाले एक वर्ष के भीतर हम लगभग 21 हजार करोड़ कर्ज ले चुके होंगे । जब हम इस फरवरी में बात कर रहे हैं तो स्थिति सच साबित हो चुकी है । अभी तक यह सरकार 17 हजार 700 करोड़ इन 13-14 महीनों में कर्ज ले चुकी है । यदि महीने में देखें तो 1250 करोड़ रूपया महीना कर्ज ले रहे हैं, यदि एक दिन में बात करें तो 41 करोड़ से ज्यादा कर्ज ले रहे हैं, यदि इसे घण्टे में बात करें तो 1

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करोड़ 70 लाख प्रति घण्टा कर्ज ले रहे हैं । यह सरकार कहती है कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़बो, यह नवा छत्तीसगढ़ गढ़बो के लिए नहीं है, यह छत्तीसगढ़ को बोरबो के लिए काम कर रहे हैं, माननीय सत्तापक्ष की ओर से जब भी बात शुरू होती है, जितने वक्ता खड़े होते हैं, सब बोलते हैं, 15 साल, 15 साल, 15 साल । मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि बहुत सारे सदस्य हैं, बहुत बड़ा बहुमत है, बहुत बड़ी जीत के साथ आये हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- सारा पैसा तो आप लोग खर्च करके चले गये, अब हम लोगों को कर्ज लेना पड़ेगा ना? कैसे करेंगे रजनीश भैय्या?

श्री रजनीश कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मैं उसी में आ रहा हूं। आप 15 साल की बात करते हैं। सभापति महोदय, ये देश वर्ष 1947 में आजाद हुआ। तब से प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे, मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, सांसद थे, विधायक थे, बजट भी होता था लेकिन वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 2000 तक हम मध्यप्रदेश का हिस्सा थे और वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, वर्ष 2003 तक जो माननीय सदस्य हैं, बहुत सारे सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं, कई-कई बार बड़े-बड़े पदों में रहे हैं, अभी भी हैं, मैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि वह जहां भी रहते हैं, जिस गांव, शहर, स्थान में रहते हैं वहां वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 2003 तक एक बार वहां विकाश के क्या-क्या काम हुए थे उसकी एक सूची बना लें। इसी प्रकार हितग्राही मूलक योजनाएं वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 2003 तक कितनी चल रही थीं उसकी एक सूची बना लें। वर्ष 1947 से वर्ष 2003 तक पंच से पार्लियामेंट तक, प्रधानमंत्री तक एकछत्र राज करने वाली सरकार रही है। न उस समय मीडिया का इतना प्रभाव था, न निर्वाचन आयोग था, न उस समय राईट टू इंफार्मेशन था। एक लाईन का आदेश निकलता था जैसे जज किसी को Kill death देते हैं तो अपना निब तोड़ देते हैं वैसे ही आदेश निकलता था कि फलाने लिपिक को तमाम नियमों को शिथिल करते हुए कुलपति नियुक्त किया जाता है।

श्री शैलेश पाण्डे :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय मोहले जी सो रहे हैं।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- सभापति महोदय, तो ऐसी सरकार रहते हुए इन्होंने क्या-क्या किया है इसकी थोड़ा सा लिस्ट बना लें और वर्ष 2003 से वर्ष 2018 तक इन 15 सालों की लिस्ट बना लीजिए। एक बार आप लोग कोशिश कर लीजिए बन जाता है तो ठीक है नहीं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं मेहनत करके प्रत्येक जगह की सूची निकाल दूंगा और आप लोग देखेंगे कि वर्ष 1947 से लेकर वर्ष 2003 तक और वर्ष 2003 से वर्ष 2018 तक तमाम बातों में चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्थायी परिसंपत्ति हो, बिजली, पानी, सड़क की बात हो मैं विषय में नहीं जाता लेकिन आप देख लीजिए कि जो 15 साल का काम है उसे यदि किसी तराजू में तौला जायेगा तो आप लोग नीचे रहेंगे और आपकी तरफ यदि कई टन भार रखा जायेगा तो भी जो खाई है उसे आप पाट नहीं पायेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- रजनीश भैय्या, बहुत-बहुत धन्यवाद। वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार की तारीफ करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। केन्द्र पोषित बिना भेदभाव की बात हो रही है। केन्द्र बिना भेदभाव के छत्तीसगढ़ को धन देता था।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- एक बार आप उसकी जांच करा लेना कि इन 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो पहले साईकिल में चलते थे वह 15 साल कार में चढ़े हैं।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। सभापति महोदय, यदि उस विषय में जाउंगा प्रति व्यक्ति, प्रति कैपिटा कितनी-कितनी आय हुई है तो बहुत बड़ा विषय है। बिजली की खपत हो, पर कैपिटा आय हो, छत्तीसगढ़ का बजट हो जो कि 7 हजार करोड़ से 1 लाख करोड़ में आ गया है तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं।

सभापति महोदय, आदरणीया महामहिम राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण की जो 20 पेज की पुस्तिका पढ़ी गई है इसमें 20 बार अनुसूचित जनजाति शब्द का कहीं न कहीं, किसी न किसी संदर्भ में उपयोग किया गया है। ये अनुसूचित जनजातियों के प्रति उनके काम करने के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके जीवन में अच्छाई लाने के लिए, सुख-शांति-समृद्धि लाने के लिए कितने संवेदनशील हैं कि बस्तर में जब किसान आंदोलन होता है, वह धरना-प्रदर्शन करते हैं तो बेरहमी से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया जाता है। ये सिर्फ आदिवासी नृत्य का आयोजन करके ही ये सोचते हैं कि हमने छत्तीसगढ़ के जो अनुसूचित जनजाति के भाई बहन हैं उनका पूरा कल्याण कर दिया। इनका यह विजन है

सभापति महोदय, इस पूरे अभिभाषण में शहरी क्षेत्र का कोई उल्लेख नहीं है। लगभग 35 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्र में निवास करती है। इसमें उसका एक शब्द नहीं आया है। नगरीय निकाय का एक बार जिक्र हुआ है कि हमने पारदर्शिता से चुनाव कराये हैं उसके बाद शहरी क्षेत्र का कहीं उल्लेख ही नहीं है। शहरी क्षेत्र की इतनी बड़ी आबादी का उल्लेख नहीं होना यह दर्शाता है कि हम इनके प्रति क्या रवैया रखते हैं ? सभापति महोदय, चूंकि समय कम है मैं अपने विधानसभा का एक विषय लेते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। बिलासपुर नगर निगम, वैसे तो पांच साल में सभी वार्डों का परिसीमन होता है। लेकिन इस बार बिलासपुर नगर निगम का इतिहास भी बदल गया, भूगोल भी बदल गया, उनका नागरिक शास्त्र भी बदल गया और अर्थशास्त्र भी बदल गया। उसमें एक बड़ी नगरपालिका को एक बड़ी नगर पंचायत को और 18 बड़े बड़े पंचायतों को जिनकी वोटर संख्या बीस हजार बाईस हजार है। ऐसे पंचायतों को मिला करके वृहत नगर निगम बिलासपुर बनाया गया है। बिलासपुर नगर निगम में जो आने वाले ग्रामीण गांव हैं, जो अधिकांश बेलतरा विधानसभा के हैं, उसमें कुछ तखतपुर के भी है, कुछ बिल्हा के कुछ मस्तूरी के भी हैं। लेकिन जो अभिभाषण है उस नगर निगम के लिये जो छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर है, जहां लगभग दस करोड़ की राशि जो पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय से

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

स्वीकृत हुआ था, वह इसलिए लेप्स हो गया क्योंकि तब तक वह राशि जारी होते होते वह नगर निगम क्षेत्र में शामिल हो चुका था। जैसे मैंने बताया, उस क्षेत्र में बड़े बड़े पंचायत हैं, उन पंचायतों के लिये इसमें कोई जिक्र नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इतना बड़ा नगर निगम आपने बना लिया और इतने बड़े बड़े पंचायतों को आपने शामिल कर लिया। निश्चित रूप से उसमें जो अभी अमृत मिशन योजना चल रही है उसको पूरा बिलासपुर नगर निगम में शामिल किया जाये। बाकी के जो काम हैं, उसको प्राथमिकता देते हुए बिलासपुर नगर निगम को विशेष पैकेज देते हुए खास करके जो अभी ग्रामीण क्षेत्र शामिल हुए हैं, उसको विशेष पैकेज देते हुए उनके इन्फ्रास्टकचर के निर्माण के लिये पानी, सड़क, बिजली के लिये विशेष प्रावधान करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने बोलने का अवसर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के विरोधाभास की कुछ बातों को उल्लेखित करने के लिए खड़ी हुई हूं। वर्ष 2019 दिसंबर में जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के घोषणा पत्र एक प्रेम पत्र की तरह था। जिसमें दो प्रमुख बातें महिलाओं को खुश करने के लिए शराबबंदी और पुरूषों को खुश करने के लिए 2500 रूपये धान समर्थन मूल्य की बात थी। उसी से प्रभावित होकर हमारे समक्ष जो कांग्रेस पार्टी की सुनामी सी बही, 68 विधायक चुनकर आये और अब 69 हो गये हैं। यह कहना चाहती हूं कि उस घोषणा पत्र का असर, क्योंकि विधानसभा का वातावरण बहुत बोझिल सा हो गया है। चोरी चोरी फिल्म बहुत पुरानी थी। शायद मेरे जमाने की थी। उसके एक गाने का उल्लेख करना चाहूंगी। प्यार हुआ इकरार हुआ और त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में उसका इजहार भी हुआ। अभी हाल फिलहाल धान खरीदी को लेकर काफी तकरार भी हो रही है। लगातार टोकन मिल गया, धान खरीदी नहीं हो रही है। धान सड़ रहा है। एक लाख से अधिक किसान वंचित हो गये हैं। अब ये तकरार के बाद जो तीन वर्ष का कार्यकाल रहेगा, वह सही मायने में आपकी इम्तिहान का रहेगा। तीन वर्ष के बाद उस इम्तिहान का क्या परिणाम होगा, यह तो परमात्मा या छत्तीसगढ़ की जनता ही बता सकती है। मैं आप सबसे इस सदन से अनुरोध करना चाहूंगी कि जो आपने घोषणा पत्र में कहा लिखा है उसे पूरा करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जिन राज्यों में जैसे, गुजरात, तमिलनाडू में शराब बंदी हुई है तो वहां निश्चित ही उन्नति हुई है। दूर क्यों जाएं, हमारे मध्यप्रदेश में शराब बिक्री की जो पुरानी व्यवस्था थी, अभी भी वैसे ही चल रही है तो वहां भी इतनी ज्यादा शराब बिक्री या अपराध, शराब से संबंधित नहीं हो रहे हैं या दुर्घटनाएं नहीं हो रही हैं जो हमारे राजय में हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, हाल में दिल्ली का भी चुनाव हुआ। श्री केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने शुरू से ही जो बातें, जनता की बहुत ही मूलभूत समस्या थी शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने नरवा, गरवा, बारी, ये योजनाएं प्रारंभ की हैं और जैसे केजरीवाल जी ने पूरा ध्यान, अपना पूरा बजट सकूल, शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगाया। यहां तक कि अभी हाल में जब

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अमेरिका के राष्ट्रपति आये थे तो उनकी श्रीमती मलेनिया ट्रम्प किसी स्कूल में गईं । वहां की प्रगति और बच्चों के व्यवहार देखकर बहुत ही खुश हुईं तो हम भी अपने प्रदेश को शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी धान, शराब से संबंधित घोषणाएं हैं इन चारों चीजों पर फोकस करते हुए, अपने प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने में प्रयास करें, मेरी नई सरकार से यही अपेक्षा है।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि समय भी काफी हो गया है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् भी देना चाहूंगी कि जब अचानक हम लोग अपेक्षा नहीं कर रहे थे तो बिन बादल बरसात जैसे उन्होंने गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही को जिला घोषित किया। 10 फरवरी को स्वर्गीय श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल जी के जन्मदिवस के अवसर पर उसका औपचारिक उद्घाटन भी हुआ, इसके लिए मैं धन्यवाद् भी दूंगी।

माननीय सभापति महोदय, पर आज मैं ये कहना चाहूगी कि ये दु:ख का विषय है कि इसे पूर्ववर्ती सरकार को भी पहले ही बना देना था क्योंकि जो हमारा पिछड़ा हुआ जिला है आाज भी वहां यदि महिलाओं को प्रसव में कोई कॉम्पलीकेशन होता है तो बिलासपुर ही भागना होता है। वहां तीनों विकासखण्ड में एक भी महिला डॉक्टर पदस्थ नहीं है कि सिजेरियन सेक्शन या अन्य ऑपरेशन करके बच्चे को सुरक्षित निकाला जाये। अभी वहां शिक्षा और स्वास्थ्य की अपार संभावनाएं हैं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी बाहर चले गये हैं, पर मैं विभाग के लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पेण्ड्रा में कॉलेज के 4 बड़े-बड़े भवन बने खड़े हुए हैं एक ही में पढ़ाई हो रही है और दो खाली है। वहां करीब 3 हजार विद्यार्थी हैं तो ऐसे साईंस और आर्टस दोनों की कक्षाएं उनमें प्रारंभ करें ताकि वहां का स्तर ग्रामीण अंचल, आदिवासी बाहुल्य जिला ऊपर उठ सके। दूसरी बात गौरेला में भी कॉलेज है जहां भी कम से कम 2 हजार बच्चे पढ़ सकते हैं। शासन के द्वारा आज की स्थिति में 500 बच्चों को कॉलेज पढ़ने की अनुमति दी गई है तो उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में ग्रामोद्योग बहुतायत है। जैसे राज्यपाल के अभिभाषण के 13 वें पृष्ठ में लिखा है कि ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना है। वहां एक संस्था है जो मिट्टी के गोबर से आदिवासी आभूषण बनाते हैं। मरवाही आर्ट का भी नाम सुना है। धागे से वहां के जनजीवन की कलाकृति को उकेरा जाता है आप उसको बेचने का कुछ ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि लोगों को आर्थिक स्थिति और अन्य महिला समूह भी उनसे जुड़कर आगे बढ़ सके। इसके अतिरिक्त खेती के लिए जैसे जगदलपुर से पेण्ड्रा, गौरेला, मरवाही की जलवायु काफी मिलती जुलती है। जगदलपुर में काजू की खेती होती है। वर्तमान में पेन्ड्रा से कटहल, जामुन, मुनगा, सीताफल आदि फल दिल्ली तक भेजा जाता है। माननीय कृषि मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जैसे आप अन्य जिलो में नई-नई फसल लगाने का अनुसंधान कर रहे हैं, पेन्ड्रा में भी काजू, जामुन, कटहल तो वहां से भेजा ही जा रहा है, हमारा क्षेत्र अमरकंटक से भी जुड़ा है तो स्ट्राबेरी और अन्य फसलें जो वहां के कृषि वैज्ञानिक उचित समझें, उसे बढ़ावा दें ताकि उस क्षेत्र की उन्नति हो सके। यह न हो कि जिला बनने के बाद भी वह वैसे के वैसा पिछड़ा रह जाये। इसके

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अतिरिक्त कृषि मंत्री जी के ही क्षेत्र की बात है। वहां 2 हजार एकड़ में अंग्रेजों के जमाने की एक शासकीय डेयरी चलती है, जहां करीब 1 हजार शाहीवाल हरियाणा की गायें हैं, 500 जमुनापारी और अन्य उच्च प्रजाति की बकरियॉ वहां रहती हैं। उसका सिर्फ ये उपयोग हो रहा है कि वह बैगा जाति के लोगों को जोड़े से प्रदान करते हैं। न बैगा लोग उसकी ठीक से देखभाल कर सकते हैं, न खिलाने-पिलाने की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके बारे में भी आप लोग सोचें। क्योंकि वहां पूरे प्रदेश से कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशु चिकित्सक आते हैं, वहां उनके रहने की भी कुछ अच्छी व्यवस्था हो जाये। यही मैं अनुरोध करूंगी।

माननीय सभापति महोदय, अंत में कहना चाहती हूं कि जो हमारी नई राजधानी बन रही है, मुझे खुशी हुई कि अंततः उसका विकास हो रहा है, नहीं तो सिर्फ सड़कें और सरकारी दफ्तर ही दिखते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी, मंत्रियों और अफसरों के घरों के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। हम विधायकों के लिए भी वहां आवास की व्यवस्था की जाये तो अच्छा होगा।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है। सारे विधायक इस बात को सुन रहे हैं।

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- संसदीय कार्य मंत्री भी आप हैं। आप लोगों ने सिर्फ अधिकारी, मंत्री, राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री के आवास की वहां व्यवस्था की है, भूमिपूजन किया है। एकात अच्छा मुहुर्त देखकर विधायकों के लिए भी आवास की व्यवस्था कर दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- भाभी जी, आप मुहुर्त निकलवा लेना, उसके लिए भी हम लोग तैयारी किये हुए हैं।

डॉ.(श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- आप पंडित जी हैं। इसके साथ ही विधानसभा का भी पिछले कई साल से देख रही हूं कि नई विधानसभा बनाने के लिए 50 लाख बजट में रखा है, अब 50 लाख में तो पता नहीं क्या होगा? इस बार आशा करती हूं कि बजट में प्रावधान होगा। क्योंकि उतनी दूर से फिर यहां आना एक प्रेक्टिकल एप्रोच नहीं रहेगा। इसलिए अपनी बात को बहुत लंबी न करते हुए आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आदरणीय जोगी जी ने ही यहां पर विधानसभा बनाने का प्रस्ताव लाया था, वहां ले जायेंगे तो जोगी जी नाराज तो नहीं होंगे?

श्री शैलेश पांडे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृजज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए अपनी बात रख रहा हूं। पिछले 15 महीने में जिस प्रकार से दिन-रात काम करते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी एक हार्डवर्कर की तरह जिस प्रकार से प्रदेश की जनता के लिए काम रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, हमारे सभी साथी विधायक प्रदेश की जनता की भलाई के लिए पिछले 15 महीने से

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

अपने किसी भी सुख को न लेते हुए जनता की सेवा कर रहे हैं, उससे हमारे प्रदेश की जनता बहुत ही प्रसन्न है। इसका परिणाम यह है कि पिछले 1 साल पहले जिस प्रकार से जनता ने भारी बहुमत देकर कांग्रेस की सरकार लाई थी, कांग्रेस की सरकार पर विश्वास किया था । उसी एक साल के कार्यकाल को देखते हुए पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से नगर-निगम चुनाव हुए और नगर-निगम चुनाव में पूरे शहरों की जनता जो हमारे माननीय सदस्य श्री रजनीश सिंह जी भी कह रहे थे, उन्होंने इस बात को रखा था, उन्होंने क्षेत्र की बात को रखा था, मैं भी यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नगर-निगम की जो सरकारें आयीं, नगर-पंचायतों की आयीं, नगर-पालिकाओं की जो कांग्रेस की सरकारें पूरे प्रदेश में आयी हैं इससे यह साबित होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं पूरे शहरी क्षेत्रों में भी कांग्रेस की सरकार को यानी कांग्रेस के कार्यकाल को, हमारी सरकार के जो कार्य हैं उसको जनता ने पसंद किया ।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर यह बात भी कहना चाहता हूं कि जो ग्रामीण सरकार के जो चुनाव हुए उसमें भी हमारी कांग्रेस की सरकार का जो एक साल का कार्यकाल रहा है उसको किसानों ने, ग्रामीण लोगों ने पसंद किया और लगभग-लगभग सभी जनपदों में और जिला पंचायतों में लगभग जो है वह हमारी कांग्रेस की सरकार के काम पर मुहर लगायी, जनता ने विश्वास दिखाया । मैं इस अवसर पर आज सदन से पूरे प्रदेश की जनता का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से उनके कुशल नेतृत्व में प्रदेश चल रहा है, प्रदेश में खुशहाली आ रही है इससे लगता है कि पूरा प्रदेश अच्छी स्थिति में है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विपक्ष ने बहुत सारे आरोप लगाये कि किस प्रकार से नगर-पंचायत, नगरपालिका और नगर-निगम के जो चुनाव हुए या ग्राम पंचायतों के जो चुनाव हुए कि निष्पक्षता नहीं रहेगी, हमारी सरकार ने जो इंडायरेक्ट चुनाव करने की घोषणा की उसमें बहुत आरोप-प्रत्यारोप लगे, लोग मीडिया में गये, कोर्ट में भी लेकिन आप यह बात जानते हैं कि जनता इस इन सब बातों को नहीं मानती है, जनता को उकसाया नहीं जा सकता है, जनता अच्छा काम करने वालों पर ही मुहर लगाती है और उनकी बातों को नकारते हुए हमारे पूरे प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से सरकार के काम में विश्वास दिखाया यह बहुत ही तारीफ के काबिल था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय था वह निर्णय बहुत ही सराहनीय निर्णय था और उसको पूरे प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया और हमारे कांग्रेस के कार्यकाल की, एक वर्ष के कार्यकाल पर मुहर लगायी ।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जिस प्रकार से गरीब लोगों को चावल देने के लिये जो योजना बनायी उसमें केवल 1 रूपये में जो 35 किलो चावल देने की बात बोली यह बहुत बडी बात है । मैं बिलासपुर का विधायक हूं, मैं देखता रहता हूं कि जनता को जो चीजें चाहिए पहले राशनकॉर्ड में इतनी दिक्कतें हुआ करतीं थीं, पहले केवल बी.पी.एल. परिवारों को ही दिया जाता था लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज बी.पी.एल.

असंशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

ही नहीं ए.पी.एल. केटेगरी के लोगों को भी चावल दिया जा रहा है यानी कि वे पूरे प्रदेश की चिंता कर रहे हैं । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नेतृत्व है वह जनता के लिये मतलब प्रदेश में कोई भी आदमी, कोई भी गरीब हो या अमीर हो कोई भूखा नहीं रहेगा । यह उनके कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है । हमारी सरकार का दिल भी बहुत वृहद् है, हम लोगों ने किसानों से जो वायदा किया था उस वायदे को हम लगभग-लगभग निभा चुके हैं और जो बचा हुआ वायदा है उसको भी हम लोग निभाने वाले हैं । अन्नदाता का एक-एक अन्न सरकार खरीदेगी और उस अन्न का उपयोग प्रदेश की जनता की भलाई के लिये किया जायेगा और इसीलिए ए.पी.एल. और बी.पी.एल. परिवारों को पी.डी.एस. सिस्टम के अंतर्गत उनको चावल दिया जा रहा है, राशन की सुविधाएं दी जा रही हैं । इसके लिये भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरे मंत्रिमण्डल को बहुत-बहुत बधाई देता हूं । तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे विधायक बने लगभग सवा साल हुआ है, प्रदेश में हमारे आसपास के क्षेत्र की जो जनता है वह स्वास्थ्य को लेकर हमारे पास आती है । स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या है और यह एक बड़ी चुनौती भी है और उस चुनौती को समझना जरूरी है कि जो मरीज ईलाज कराने के लिये आता है, आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है । पिछले 15 वर्ष तो आपकी सरकार रही, हमारी सरकार को अभी मात्र 15 महीने ही हुए हैं लेकिन इन 15 महीनों में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय टी.एस. सिंहदेव जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे पूरे मंत्रिमंडल ने जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनता को जो राहत दी है, वह बहुत बड़ी राहत है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- शैलेश जी, इस सरकार से बिलासपुर में आपको राहत मिली है या नहीं।

श्री शैलेश पाण्डे :- मैं पूरी राहत में हूं भइया । स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष बीमारियों को लेकर 20 लाख तक की सहायता देने की घोषणा की गई है, यह बहुत बड़ी बात है कि अब प्रदेश में केवल पांच लाख तक ही नहीं, अब 20 लाख तक की सहायता दी जा सकती है । स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह बहुत ही तारीफ के काबिल है । इससे प्रदेश की जनता में खुशहाली है, प्रसन्नता है और एक आशा भी है कि हमको अगर बड़ा इलाज कराना होगा तो वह भी संभव होगा । मैं पिछले एक साल में यह भी बताना चाहता हूं कि मैं बिलासपुर से वास्ता रखता हूं । हमारे क्षेत्र में पूरे क्षेत्र की जनता चाहती थी कि बिलासपुर शहर का स्तर बढ़े । उस स्तर को बढ़ाने के लिए पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया लेकिन हमारी सरकार ने एक साल में ही बिलासपुर नगर निगम को महानगर निगम बनाया और 70 वार्ड बनाकर यह काम किया । यह कार्य पिछले 20 साल में नहीं हुआ । आज हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि रायपुर के बाद प्रदेश में सबसे बड़ा शहर बिलासपुर ही है । हमारी सरकार ने उसको ध्यान देते हुए महानगर निगम का दर्जा देकर उसका दायरा बढ़ाया। इस संबंध में सकार की मंशा, बहुत अच्छी है कि हम 15 ग्राम पंचायतों को, 2 नगर पालिकाओं को और 1 नगर पंचायत को उसमें जोड़ा गया है । सभापति महोदय, इन ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़कर शहर में लाया गया है और इनका भी विकास किया जा रहा है । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया

जी की जो सोच है इस सोच को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने शहर का विस्तारीकरण करके बहुत अच्छा काम किया । इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भर्तियां की गई है इन भर्तियों के माध्यम से शिक्षा का स्तर सुधरेगा । आज सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास है तो वह गवर्नमेंट के पास है । गवर्नमेंट में यदि शिक्षकों की कमी होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी तो हम गरीब बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे ? हमारी सरकार ने इसे संवेदनशीलता से लेते हुए 15000 शिक्षकों की भर्तियां की हैं, ये भर्तियां शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएंगी इससे गरीब बच्चा और अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा । सभापति महोदय, मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता हूं । आपको याद होगा कि हमारे देश में कुछ साल पहले नोटबंदी कर दी गई थी । इसके कारण हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ ही उद्‌योगों की अर्थव्यवस्था भी धराशाई हो गई थी । आप यह जानते हैं कि गांव में कोई बैंक की सुविधा नहीं होती है, गांव की महिलाएं अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके घरों में रखा करती हैं । अब उनके अंदर डर था कि फिर न जाने कब नोटबंदी कर दी जाए और उनका जमा पैसा अवैध घोषित हो जाए । इसका डर आज भी पूरे देश में है । लेकिन हमारी सरकर ने इसको संवेदनशीलता से लेते हुए ग्रामीण अंचलों में घर पहुंच बैंक सेवा बढ़ाते हुए 3 हजार बीसी सखी सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा है । 1 हजार ने काम शुरू भी कर दिया है । यह बहुत ही सराहनीय बात है, इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब, बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं उनके अंदर भी आत्मबल और आत्मविश्वास जागृत होगा ।

सभापति महोदय, मैं माननीय राजयपाल महोदया के अभिभाषण के माध्यम माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ उत्तरोत्तर वृद्‌धि कर रहा है, विकास कर रहा है और इसी तरह तेजी से आगे बढ़ता रहेगा । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद् ।

श्री शिवरतन शर्मा :- शैलेश जी, समय पर्याप्त था, इस सरकार के द्‌वारा जो आपकी उपेक्षा हो रही है उस पर भी बोल दो ।

श्री रविन्द्र चौबे :- 15 साल किसकी उपेक्षा हुई है, सब जानते हैं।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय सभापति महोदय, जी छत्तीसगढ़ विधान सभा की 5वीं विधान सभा सरकार के दूसरे बजट सत्र और माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में मुझे बोलने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का अभिभाषण माननीय सम्मानीय राज्यपाल सुश्री अनुसूईया उईके के माध्यक से प्रस्तुत किया गया, जो हम सभी महिलाओं के लिए आदर्श है और महिला सशक्तीकरण का शाश्वत प्रतीक है। सम्माननीय महोदय जी, मैं अपने आपको इस सदन में सौभाग्यशाली भी मानती हूं कि प्रमुख विपक्षी दल की एक मात्र महिला सदस्य होने के नाते मुझे आपका संरक्षण, आपका सानिध्य हमेशा मिलता रहा है और

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मिलता रहेगा। चूंकि यहां पर विषय यह है कि जिस प्रकार सरकार ने अपने अभिभाषण को सम्माननीय राज्यपाल के माध्यम से प्रस्तुत किया और सरकार के अभिभाषण में अंतर-आत्मा तब दुखती है जब पूरे छत्तीसगढ़ में आधे से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हुई महिलाएं हैं। इन्हीं महिलाओं के हित संवर्धन की बात यदि सरकार करती है तो सरकार ढकोसला करती है। क्योंकि सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में महिलाओं की शिक्षा के बारे में और खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता को दिखाया था। पूरे प्रदेश में जितनी भी महिला समूह हैं, उनके ऋण माफी के लिए और जितनी भी विधवा महिलाएं हैं, उन्हें पेंशन देना, 9वीं कक्षा की बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल देना, ऐसी विभिन्न प्रकार की बातों को उन्होंने स्पष्ट किया था, लेकिन अपने अभिभाषण में सरकार ने कहीं भी महिलाओं के एक शब्द को केन्द्रित नहीं किया है। उनके अभिभाषण में महिलाओं को अछूता रखा गया है। इससे सरकार क्या साबित करना चाहती है? सरकार की क्या मंशा है, इस बात को वह स्पष्ट नहीं कर पा रही है। माननीय महोदय जी, मैंने उक्त जो बातें कही हैं और वास्तव में यदि सरकार महिलाओं का हित चाहती है, महिलाओं को समाज में विशेष स्थान दिलाना चाहती है और विशेषकर सरकार यह चाहती है कि यदि महिलाएं अपने घर-परिवार के साथ सुरक्षित रहे। उनके घर-परिवार में उनका संबंध अच्छे से बना रहे। समाज में उन्हें विशेष स्थान मिले और उनकी आर्थिक स्थिति यदि मजबूत हो, इस प्रकार की मंशा यदि वास्तव में सरकार की है तो उन्हें केवल और केवल एक काम करना पड़ेगा और जिसका मैं पुरजोर विरोध करती हूं, वह है शराब। सरकार को शराबबंदी करनी पड़ेगी तभी छत्तीसगढ़ राज्य का उद्धार हो सकता है। आज सबसे ज्यादा कोई वर्ग पीडित है तो वह महिला वर्ग पीडित है। आज दिनभर का जो सदन चला, उसमें प्रमुख केन्द्र कोई रही तो महिला केन्द्रित रहीं। चाहे वह छोटी सी 12 साल की बच्ची रहे या चाहे कोई महिला रहे। आज यदि दिनभर सदन चला तो केवल और केवल शराबबंदी के लिए सदन चला है। माननीय महोदय जी, मैं अपने शब्दों के माध्यम से सरकार को यह कहना चाहती हूं कि आप केवल और केवल शराबबंदी करके छत्तीसगढ़ का उद्धार कर सकते हैं। शराब से आपको केवल राजस्व की प्राप्ति होती है। आप केवल इसी राजस्व से छत्तीसगढ़ का संचालन नहीं करते। मुझे बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरे धमतरी जिले की दो घटना है, जिसका उल्लेख मैंने सुबह किया था। केवल और केवल शराब के कारण सिंहावा क्षेत्र में एक पुरूष ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और मेरे धमतरी विधान सभा क्षेत्र में एक सप्ताह पूर्व मेरे पड़ोस के गांव में एक महिला ने अपने शराबी पति को अपनी बहन के साथ मिलकर मार डाला। ऐसा जघन्य अपराध करने के लिए शराब प्रेरित कर रही है। छत्तीसगढ़ की विधान सभा ने एक नयी परंपरा को जन्म दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर विशेष सत्र का आयोजन करने का निर्णय लिया। वास्तव में इस परंपरा की सराहना पूरे प्रदेश में और पूरे देश में भी हुई है, लेकिन वास्तव में इस सदन में बहुत अच्छा अनूठा उदाहरण जाता, यदि इस दिन सरकार यह घोषणा करती कि पूर्ण शराबबंदी कर दी जाए। शराब की बिक्री पर रोक लगा दी जाए, लेकिन शुरू से ही

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सरकार की यह मंशा थी ही नहीं। माननीय महोदय जी, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि यदि एक किसान कहता है कि मुझे खेत तक यदि पहुंचना है तो आप धरसा सड़क बनवा दीजिए, लेकिन सरकार वह काम नहीं करती। लेकिन हाइवे से 500 मीटर की दूरी पर यदि शराब की दुकानें खुल जाती हैं तो सरकार के माध्यम से कहें या विभागों के अधिकारियों के माध्यम से कहें, वहां पर चमचमाती डब्ल्यू.बी.एम. की सड़क बना दी जाती है ताकि शराब पीने वालों को दुकान तक जाने में कोई असुविधा न हो, यह सरकार की उपलब्धि है। माननीय महोदय जी, मुझे बहुत दुःख होता है, चूंकि मैं एक महिला हूं और शराब के विरोध में बोल रही हूं, इसलिए मुझे कोई शर्म नहीं है।

माननीय महोदय जी, सरकार का अभिभाषण आता है। उसमें बार-बार बस्तर क्षेत्र और वहां के वनवासियों और वहां के किसानों का जिक्र होता है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि अपने प्रमुख विषयों को लेकर, विशेषकर अपनी उपज को बेचने का अधिकार और उनके लिए संरक्षण मांगने के लिए लोकतान्त्रिक तरीक से धरनास्थल पर जिन किसानों की बर्बरतापूर्वक पिटाई हुई है, किसानों को दौड़ा-दौड़ाकर मारा गया है, क्या वे किसान नहीं थे ? क्या वे वनवासी नहीं थें ? क्या वे बस्तर की हमारी आदिवासी भाई-बहनें नहीं थीं ? जिन्हें दौड़ा-दौड़ाकर सरकार के माध्यम से मारा गया था। माननीय महोदय जी, मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या 14 महीने की उपलब्धि सरकार की क्या यही है, जो किसान मार खा रहे हैं ? अपने अधिकार को पाने के लिए किसान मार खा रहे हैं। यदि वे लोकतान्त्रिक तरीके से धरना दे रहे थे तो उसमें क्या गलत है ? सरकार ने उन किसानों को मारने के लिए क्यों आदेश दिया ? सरकार के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कथन में यह अभिभाषण प्रस्तुत करती है और करनी में बस्तर का बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए सरकार की कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी, आप भी जानते हैं कि इनके कार्यकाल में 8 जिले में धारा 144 लगाये थे और 36 किसानों को 3 दिन तक जेल में रखा गया था, उसमें मैं भी थी। मैं बताना चाहूंगी कि रात को 3.00 बजे बिस्तर से उठाकर किसानों को धारा 144 लगाकर जेल के अंदर करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये किसान हितैषी में बात कर रही हैं।

सभापति महोदय :- चलिये, उनको अपनी बात कहने दीजिये। आप अपनी बात जारी रखिये।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- सभापति जी, मेरी बहन छन्नी साहू जी जिस विषय को रख रहीं थी, वह स्वयं कांग्रेस कमेटी के धरना के खिलाफ बैठी थी। तो मेरी बहन का आक्रोश जायज है।

सभापति महोदय :- चलिये, आप अपनी बात रखिये। उन्होंने क्या किया, उस पर मत जाईये। आप अपनी बात कहिये।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- कांग्रेस कमेटी की नहीं थी, वह किसानों का आंदोलन था। जिसमें मैं भी एक किसान की बहु थी, उसके कारण मैं भी वहां धरना प्रदर्शन में गई थी।

सभापति महोदय :- चलिये, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये। आप अपनी बात कहिये।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- सभापति महोदय जी, मैं मेरी बहन के साथ खड़ी हूं, वह राजीव भवन में भी धरने में बैठी थीं।

सभापति महोदय :- राजनीतिक बात नहीं, आप अपनी बात कहिये। आप अपने विषय की बात करिये।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय जी, चूकि चर्चा कल भी हुई थी। कल सत्ताधारी पक्ष के एक बहुत ही वरिष्ठ विधायक सम्माननीय बड़े भैय्या धनेन्द्र साहू जी ने इस विषय को कहा था कि जिसे मैं आज दोहरना चाह रही हूं। उस समय तात्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी की सरकार थी और उन्होंने आरोप लगाया कि उनके सरंक्षण में चिटफंड कम्पनियां चल रही थीं, उन्हें सरकार का सरंक्षण मिल रहा था। माननीय महोदय जी, मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि 14 महीने के कार्यकाल में उन्होंने कितने चिटफण्ड कम्पनियों के मालिक के विरूद्ध कार्रवाई की ? कितने कम्पनियों की शिकायत आई, कितने कम्पनियों की सम्पत्तियों को कुर्क किया गया और कितने निवेशकों की राशि वापिस दिलाई गई ?

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करियेगा।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय जी, बुनकरों का विषय इस अभिभाषण में आया। माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में बुनकरों का विषया आया। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि कितने ऐसे हमारे बुनकर भाई हैं, जिन्हें बैंक से लोन देने के लिए सरकार स्वयं उसके साथ खड़ी रही।

सभापति महोदय :- चलिये, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय जी, हमारे युवा साथियों को रोजगार देने की बात आई। हर जगह काले, महाविद्यालय खोलने से काम नहीं होगा। वहां पर सीटों की संख्या बढ़ाने से काम नहीं होगा। वहां पर प्राध्यापकों की व्यवस्था करनी होगी। वहां से पढ़-लिखकर जो युवा निकलते हैं, उन्हें रोजगार देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय :- कृपया, अब अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, सरकार को 14 महीने हो गये हैं और वास्तव में जनता है जो सब जानती है, जनता, जनार्दन है। जनता फर्श से अर्श पर बैठना जानती है तो अर्श से फर्श पर भी लाना जानती है।

सभापति महोदय :- कृपया, अपनी बात समाप्त करें।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- चूंकि नेता प्रतिपक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्‌बोधन होना है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा है तो नये सदस्यों को एक-एक मिनट में राज्यपाल महोदया के अभिभाषण से संबंधित अपनी बात कहें। श्रीमती छन्नी साहू जी।

समय :
3:50 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

श्रीमती छन्नी चंदू साहू (खुज्जी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण और हमारी सरकार के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं माननीय राज्यपाल और हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने किसानों के हित में, मजदूरों के हित में काम किया है, जो 15 सालों की पूर्ववर्ती सरकार ने आजतक किसानों के हित में बात नहीं की, उनके हितों के लिए कुछ काम नहीं किया । मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने किसानों का धान 25 सौ रूपये क्विंटल में खरीदा । साथ-साथ मैं राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया, जो पूर्ववर्ती सरकार में कई किसान धान बेचने से वंचित थे । हमारी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया और किसानों का धान खरीदकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी बहन बोल रही थी कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद किसानों को दौड़ा-दौड़ाकर मारा जाता था । मैं बताना चाहती हूं कि पूर्ववर्ती सरकार के समय मैं स्वयं तीन दिनों तक जेल में थी । जिस समय 8 जिलों में धारा 144 लगाई गई थी और किसानों को रात में तीन बजे बिस्तर से उठाकर जेल में भेजा गया था, यह इनके कार्यकाल का है । मैं बताना चाहती हूं कि भरी बरसात में 20 हजार किसान सड़क में अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तब डा. रमन सिंह जी कहां थे ? विपक्ष के नेता आज किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, जब धारा 144 लगाई गई थी, उस समय ये लोग कहां थे । मैंने तो सुना था कि जहां दंगा फसाद होता था, वहां धारा 144 लगाई जाती थी, लेकिन इनके कार्यकाल में किसानों के लिए धारा 144 लगाते थे और बिस्तर में सोए हुए किसानों को उठाकर जेल में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है । मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी । अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर माननीय धनेन्द्र साहू जी के द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण को देखेंगे तो राज्यपाल का अभिभाषण सरकार द्वारा किए जाने वाले पूरे साल की कार्य योजना, आगामी समय में करने वाले कार्य और उसका स्वरूप दिखना चाहिए कि सरकार क्या करने जा रही है, लेकिन पूरे अभिभाषण को देखने के बाद में न इसमें सरकार की कोई दिशा है, न कोई दशा है, न ऐसी कोई कार्य योजना है, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता का भला होने वाला हो और छत्तीसगढ़ की जनता के कल्याण के लिए कोई कार्ययोजना बने, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं । अभिभाषण की कंडिका दो देखेंगे तो उसमें लिखा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने 2 अक्टूबर को गांधी जी के संबंध में चर्चा कराई, लेकिन चर्चा कराने के बाद में अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और दो दिन के बाद में मार्च शुरू होने वाला है यानी 6 महीने हो गए, आपके उद्घाटन के बाद में 6 महीने का समय प्रारंभ होने वाला है और इस 6 महीने में मुख्यमंत्री जी के द्वारा 150वीं जयंती के अवसर पर कौन सा कार्यक्रम चलाने वाले हैं, उस कार्यक्रम की न तो रूपरेखा प्रस्तुत की गई हो, न ही उसकी कोई कार्ययोजना बनी है । किस-किस महीने में कौन-कौन सा कार्यक्रम करेंगे, उसका स्वरूप क्या होगा, उस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में कहां-कहां करेंगे, साथ ही साथ में किस कार्यक्रम के लिए बजट की राशि जो निर्धारित की जानी चाहिये, यह राशि हम साल भर के लिए निर्धारित करते हैं, बजट में रखते हैं, जिसके माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 150 वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाये, इस प्रकार की कोई आज तक कोई जानकारी हाऊस से प्राप्त नहीं हुई है । पता नहीं, इसमें जो दिया गया है कि वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं कराना है तो कौन बोल रहा है कराईये करके ? लेकिन महामहिम से असत्य कथन कराने की आवश्यकता क्या है, यह दिखावा क्यों करना चाहते हैं ? जब कार्यक्रम करना चाहते हैं, लिखा हुआ है, कम से कम आप झूठ बोलें, महामहिम से तो झूठ न बोलवायें ? उनसे तो असत्य कथन न करवायें ? उनसे असत्य कथन करवाकर क्या बताना चाहते हैं ? सरकार के द्वारा कंडिका 2 में किस प्रकार अभिभाषण करवाया गया है, यह अभिभाषण पूरा पढ़ने के बाद, आपके सामने में यह दिख रहा है कि कौन से कार्यक्रम में कराने वाले हैं । इसलिए मैंने कहा कि जो लिखा गया है, उसमें कम से कम सरकार की गंभीरता होनी चाहिये ? वास्तव में उसको हमने पढ़ा दिया है तो पढ़ाने के बाद में उस कार्यक्रम के आगे रूपरेखा कोई हो, मैं समझता हूँ कि मुख्यंत्री जी उसको रखेंगे, ताकि संपूर्ण सदन को इसकी जानकारी हो जाये । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आरक्षण को लेकर 10 वर्ष की समयावधि बढ़ाई गई । निश्चित रूप से यह

असंशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आगामी 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ाई जानी चाहिये । मैं इसके लिए इस देश के कानून के निर्माता माननीय डॉ.भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करना चाहता हूँ, याद करना चाहता हूँ, जिसके कारण यह आरक्षण की प्रक्रिया आई । प्रक्रिया आने के बाद में आरक्षण को लगातार जो बढ़ाने का क्रम चला है, वास्तविक में लोक सभा के द्वारा, नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा, इसको लोक सभा में लाया गया और लाने के बाद में इसको पार्लियामेंट में पारित किया गया । पारित करने के बाद में कम से कम पूरे देश में 50 परशेंट जो राज्य है, ऐसे 50 प्रतिशत राज्यों की ओर से आनी चाहिये और जब हम लोग लायें हैं तो उस समय 50 परशेंट से ऊपर की स्थिति आ गई थी, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि हम सभी को इस पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है । इसको बढ़ाने में हम सब की सहभागिता रही है, सर्वसम्मति से इसको पारित किया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में एक विचित्र प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है । सरगुजा, बस्तर, मैदानी एरिया, तीनों की भौगोलिक स्थिति, वहां की सामाजिक, आर्थिक स्थिति, आप देखेंगे कि भिन्न-भिन्न है । इस समय जो प्रदेश में स्थितियां उत्पन्न हुई है, हमारा जो बस्तर है, नक्सलवाद की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। आये दिन जो घटनायें घट रही है, इस कारण से बड़ी जन-धन की हानि हो रही है, उसमें एक लाईन केवल लिखा गया है, उसके लिए एक अच्छे वातावरण का निर्माण, उस निर्माण में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए हम आगे बढ़कर समाज को कैसे जोड़ सकें ? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह देखेंगे कि एक तरफ जब लोग नक्सलवाद से जूझ रहे हैं, नक्सलवाद की जो समस्या है, वास्तविक में इस प्रदेश की गंभीर समस्या है । इस समस्या के कारण, हमारे प्रदेश के जो बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति, जो विकास में खर्च होनी चाहिये, वह विकास में खर्च न होकर, केवल हमारे नक्सल में, जो वहां की समस्या का निराकरण कैसे हो सके, एक भारी-भरकम राशि खर्च की जाती है । उसके बाद भी आज देख रहे हैं कि लगातार घटनायें हो रही हैं। सड़कें बनने में बाधा उत्पन्न हो रही है, गाड़ियों को जलाया जा रहा है, पुल-पुलियों को बम से उड़ाया जा रहा है, वहां पर नक्सलियों के द्वारा व्यक्तियों और पंचायत प्रतिनिधियों को लोगों के बीच बुलाकर उनकी हत्या हो रही है यह निश्चित रूप से एक गंभीर चिन्ता का विषय है। सुकमा जिले में नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में ग्राम पटेल की हत्या कर दी। जगरगुंडा थाना क्षेत्र के कामपारा गांव में सुडाम हूमा ग्राम पटेल को गोपनीय बैठक में सर में डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। दंतेवाड़ा में अभी 8 लोगों की हत्या हो गई। दुर्गकोंदल कांकेर में दादू सिंह की नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी गई, बीजापुर के केशतुल्लम कैंप के जवानों की शहादत हुई है। इसके साथ ही साथ एक जो गंभीर समस्या है कि वहां पर जो जवान तैनात हैं वह आत्महत्या कर रहे हैं। वास्तव में यह प्रदेश के लिए गंभीर चिन्ता का विषय है। जवानों को वहां पर काम करने के लिए ड्यूटी पर तैनात किया गया है लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर जिस प्रकार के वातावरण का निर्माण होना चाहिए वह नहीं है। आखिर वह कुंठित क्यों हो रहे हैं? कुंठा से ग्रसित क्यों हो रहे हैं? यहां के जवान

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

झारखंड में अपने अधिकारी को मारकर खुद आत्महत्या कर लिया। बस्तर क्षेत्र में छ: जवानों को गोली से मारा और उसके बाद अपनी हत्या कर ली। गीदम के बस स्टैंड में अपने आपको गोली मार लिया। आखिर इसके लिए जवाबदार कौन है? जो रक्षक हैं यदि उसके साथी ही भक्षक बन जाएं तो इसके लिए जवाबदार कौन है? वास्तव में इसमें चिंता करने की आवश्यकता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, उसके लिए उच्च स्तरीय निर्देश दिये गये हैं, ऐसा उत्तर में बताया है। क्या निर्देश हैं ये नहीं मालूम।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह चिंता का विषय है कि जो अपने घर-परिवार, समाज, प्रदेश को छोड़कर वहां जाकर आम लोगों के जीवन की रक्षा के लिए ड्यूटी पर तैनात है यदि हम उनकी चिंता नहीं करेंगे, प्रदेश उनकी चिंता नहीं करेगा, विभाग उनकी चिंता नहीं करेगा तो क्या उनको सुसाईड करने के लिए छोड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यह उनके साथ सरासर अन्याय है। जिनकी बदौलत इस प्रदेश में आज हम लोग सुरक्षित हैं ऐसे लोगों की चिन्ता करने की आवश्यकता है। इसके लिए जवाबदार कौन है विभाग को इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। क्या वहां पर उनको जो आवश्यक सुविधा मिलनी चाहिए उसका अभाव दिख रहा है? एक अच्छे वातावरण के साथ बैठकर उनके साथ बातचीत करके जो एक माहौल बनाना चाहिए क्या वहां पर उसका अभाव है? क्या लोगों के बीच सामंजस्य की कमी है कि उस सामंजस्य के अभाव में लोग अपने को अकेला पा रहे हैं और अकेले होने के कारण कुंठाग्रस्त हो रहे हैं? वास्तव में जब तक हम उनकी चिन्ता नहीं करेंगे क्योंकि यह हमारे प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए आये हुए हैं और ऐसे लोग यदि आत्मघाती कदम उठायें और वहां पर अपने साथियों को मारेंगे तो मुझे लगता है कि प्रदेश में निश्चित रूप से इसकी चिंता होनी चाहिए। हम लोग वहां एक तो नक्सलियों से पीड़ित हैं, दूसरा हमारे जवान पीड़ित हैं।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद हम जब सरगुजा की बात करेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि हाथियों के प्रहार से जिनकी मृत्यु हुई, जन-धन की हानि हुई, आपने उनके मुआवजा की राशि बढ़ाई और उसकी खूब तारीख की कि हमने उसे 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रूपये कर दिया लेकिन यह इसका उपाय नहीं है। एक गणेश नाम का हाथी है वह भी नक्सली से कम नहीं है, वह अभी तक 19 लोगों को मार चुका है। जैसे यहां नक्सली का टेरर है वैसे ही वहां हाथी का टेरर है। वह 19 लोगों को मार चुका है।

श्री रविन्द्र चौबे :- उसकी भी ट्रेनिंग पिछले 15 साल की है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अब पिछले 15 साल की है, 20 साल की है मैं इस पर नहीं जा रहा हूं। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि हमारी तो 14 साल की है तो हम क्या करें ? चलिये, उनकी ट्रेनिंग 15 साल की है, आपकी सरकार आने के बाद में ये जन धन की हानि रूक गयी है।

श्री शिवरतन शर्मा :- नेता जी, 14 महीने में ये सुधार नहीं पाये।

श्री रविन्द्र चौबे :- उसमें भी दो हाथी है। एक जाहिर और एक इंपेरियर है। (हंसी)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 200 से ऊपर लोग अभी मारे गये हैं। उसके साथ ही साथ में लगभग खेतों की फसलों को जो नुकसान हुआ है, 15 हजार हेक्टेयर से ऊपर की फसलों को नुकसान हो गयी है। लगभग पांच हजार मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं और ये 15 साल की बात कर रहे हैं। अभी जब से कांग्रेस की सरकार आयी है। आप समाचार पत्र उठाकर देख लीजिए। इस समाचार पत्र में आपको एक दिन ऐसा नहीं दिखेगा कि जहां पर हाथियों के आंतक के लोग शिकार नहीं हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके भी क्षेत्र प्रभावित हैं। महासमुंद तक आ गये हैं। अभी भी हैं। अभी लगातार घटनाएं हो रही है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नेता जी, अभी सक्ति में हाथी नई घूसे हे और घूसेगा भी कैसे ? स्पीकर का क्षेत्र है, घूस ही नहीं सकता है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल वहां पर क्षतिपूर्ति की राशि दे देने से वहां की पीड़ा कम नहीं होगी। घटनाएं कम नहीं हो रही है। लोग अपने मकान को छोड़ दिये हैं, मकान को छोड़ करके ऊपर में मचांद बना रहे हैं और मचांद बना करके लोग पेड़ों के ऊपर में रह रहे हैं। घर के नीचे में नहीं रह रहे हैं, घर के ऊपर में मचांद बना करके रह रहे हैं, टेंट लगा करके ऊपर में रह रहे हैं। प्रदेश में पूरे नक्सलियों से एक तरफ दहशत है और दूसरी तरफ जहां पर हाथी है, हाथी से इतनी दहशत है कि आज आम जन जीवन पूरा सरगुजा अंचल और वहां के बाद में महासमुंद तक की जो स्थिति है। आज लोग सुरक्षित नहीं हैं। सुरक्षा नहीं होने के कारण लोगों के जीवन में जिस प्रकार से जो घटनाक्रम चल रही है, निश्चित रूप से ये प्रदेश के लिए चिंता का विषय है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय कौशिक साहब, इसीलिए संयुक्त विपक्ष बना दिये हैं। हाथी का दहशत इतना भी उधर अलग रहे।

श्री धरमलाल कौशिक :- वास्तविक में ये जो संयुक्त विपक्ष आया ना। अध्यक्ष जी, ये संयुक्त विपक्ष यहां का उपज नहीं है। ये संयुक्त विपक्ष दिल्ली का उपज है। दिल्ली का उपज क्यों हैं, ये मालूम है, खाता नहीं खुल रहा है। खाता नहीं खुलने के कारण में आपको संयुक्त बनाना पड़ा है। यहां संयुक्त विपक्ष का उपज नहीं है। ये दिल्ली का है और आप जहां जहां हैं, उस बात पर मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको मालूम है कि आप क्यों बनाये हो और बनाने के बाद में जब चुनाव हो जाता है तो आप किसको दोष देते हो। आपके नेता किसको दोष देते हैं। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- नेता जी, दिल्ली में कांग्रेस को मजबूत करने के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी को परमानेंट भेज देना चाहिए।

श्री कवासी लखमा :- आपको साथ देना।

श्री शिवरतन शर्मा :- राष्ट्रीय नेता बना रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- तुम देखोगे ना।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बस्तर का बताया। दूसरा हमारा सरगुजा का जो एरिया है, तीसरा हमारा जो मैदानी एरिया है तो मैदान एरिया में कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है, लैंड आर्डर की क्या स्थिति है ? ऐसा कोई दिन नहीं है कि जब आप समाचार पत्र देखेंगे पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। सबसे ज्यादा घटाना आपकी राजधानी रायपुर में है। कलेक्टर के घर में चोरी हो जाती है, सी.साहब के जो घर हैं, वहां पर बगल में हत्याएं हो जाती है। वहां लूट हो जाती है। अनाचार की घटनाएं लगातर बढ़ रही है। लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अपहरण की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। 2018-2019 का आप देखेंगे तो आपकी जो कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है, बद से बद्तर होती जा रही है। अभी कल ही सरकार की तरफ से जवाब आया है। इस जवाब में वर्ष 2018-19 का जो अंतर है। वर्ष 2018 का टोटल जो अपराध देखेंगे तो 2180 है और आप वर्ष 2019 का देखेंगे तो 7822, अपहरण पिछले समय 2366 और इस बार 2703। 2300 और 04, 27। मुख्यमंत्री जी, अपहरण में ये वृद्धि हो रही है उसके बाद में छेड़छाड़ की घटनाएं 1258 में 1315, बलात्कार की घटनाएं 2126, इस बार 2405। ये लगातार अपराध में वृद्धि हो रही है और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है, मैंने कहा कि जो रायपुर में वृद्धि हो रही है। मैंने सुबह बताया कि डोनेश राणा, 9 वर्ष की अपहरण करके हत्या कर दी जाती है। आपकी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। भिलाई में जिस प्रकार से अपहरण कर लिया जाता है और उसके साथ ही साथ में पिछले समय जो पुलिस की प्रताड़ना हुई। कुछ आपकी पुलिस की कस्टडी और उसके बाद जेल की कस्टडी में हुई। जहां पर हत्याएं हुईं मैंने एक उदाहरण दिया मैं अभी अंबिकापुर गया था कि पंकज बेग उसके परिवार वाले मिलने के लिए आये। जब वे मिलने आये तो उन्होंने मुझे आवेदन दिया। मैंने पूछा कि आवेदन में क्या है बोले साहब, कि वहां पर आप लोगों की विधान सभा में कार्यवाही होगी। उसमें एफ.आई.आर. तो हो गयी, लेकिन एफ.आई.आर. होने के बाद आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और गिरफ्तारी न हो, इसके लिए वहां उनके परिवार वालों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उसको जाकर प्रताड़ित कर रहे हैं और इस प्रकार से प्रदेश में पूरी जो कानून की बदहाल स्थिति है केवल उतना ही नहीं है बल्कि उससे आगे भी आप देखेंगे कि प्रदेश में आत्महत्या की ओर लोग बढ़ रहे हैं। कल की ही एक घटना है एक महिला अपने दो बच्चों के साथ कुंए में कूदकर आत्महत्या कर ली। इसके पहले भी इस प्रकार की आत्महत्याएं हो रही हैं और मुझे जो जानकारी है कि पूरे देश में हम लोगों के छत्तीसगढ़ का स्थान पांचवे नंबर पर आ गया, जहां पर आत्महत्या के लिए लोग प्रेरित हो रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ रही है आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां निर्मित हो रही है ? आदमी आत्महत्या तब करता है जब उनके जीवन में सारा अंधेरा हो जाये और उनको लगता है कि कोई विकल्प नहीं है तब आत्महत्या के लिए आदमी प्रेरित होता है। आखिर इस प्रदेश में हो क्या रहा है? जब प्रदेश में आत्महत्या रोकने में भी सरकार विफल रही और इस प्रकार से लगातार जो घटनाएं बढ़ रही हैं निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, बालोद के तर्रे गांव में छोटी बच्ची को 03 नकाबपोशों के द्वारा उठाकर ले गये। ये तो बच्ची की बहादुरी है कि किसी प्रकार से उनके चंगुल से छूट गई। आज की जो घटना है मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता, लेकिन जिस प्रकार से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है इससे कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। बल्कि कानून व्यवस्था की स्थिति और बदतर होने वाली है। जब तक आप इसमें लगाम नहीं लगायेंगे तो आज तो प्रदेश में ये स्थिति है कि यदि घर से कोई बालक स्कूल गया है या कोई व्यवसायी घर से निकलकर दुकान गया है तो जब तक वह घर वापस न पहुँच जाये, तब तक उनके लिए वह चिंता का विषय है। वह सकुशल घर वापस पहुंच जाये, ऐसा चाहते हैं। आज प्रदेश में ये स्थिति निर्मित हो गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ में जो स्वास्थ्य की स्थिति है। स्वास्थ्य में बजट में बहुत कुछ बोलेंगे, अभी बोलने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर डॉ. खूबचंद बघेल के नाम से जो अभी घोषणा की गई है। मैं वास्तविक में उसको देख रहा तो मुझे लगा कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसको पूरा देखने पर पता लगा कि आयुष्मान भारत योजना जो है आपने उसको पूरा लागू कर दिया है। 50 हजार रूपये जो स्मार्ट कार्ड से दिया जाता था आपने उसी को ही लागू कर दिया है आपने केवल नाम परिवर्तन किया है। नाम परिवर्तन करने के साथ में आपने कुछ नहीं किया।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय नेता जी, राशि परिवर्तन हुई है। 5 लाख रूपये हुआ है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 लाख उसमें भी था, 50 हजार था, वही 50 हजार है, वही 5 लाख है जिसमें आपने नाम परिवर्तन करके किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने संजीवनी योजना में राशि बढ़ाई है, उसमें 20 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सहायता दी जायेगी। लेकिन सामान्यत: संजीवनी योजना में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कलेक्टर ऑफिस में फार्म लिये और फार्म भरने के बाद में विभाग में जमा कर दिये और विभाग में जमा करने के बाद में उसको इलाज के लिए राशि मिल जाती थी। आज उसके लिए चक्कर लगाने की आवश्यकता है। आपकी 102 और 108 एम्बुलेंस की दुर्गति है। उसमें स्थिति यह है कि यदि आज उसके भरोसे रहेंगे तो वहीं उनकी मृत्यु हो जायेगी। आप 108 में फोन करेंगे तो कोई गाड़ी नहीं आने वाली है। उन गाड़ियों में जो लगातार सुविधा मिल रही थी, 102 में जो सुविधायें मिल रही थीं, आज उन सुविधाओं से वंचित हो गये हैं। मैं आपको उदाहरण सहित बताना चाहता हूं। दुर्ग की गर्भवती महिला को रायपुर लाने के लिए वाहन नहीं मिला और उनकी मृत्यु हो गई, अंबिकापुर में चंदौरा क्षेत्र के घुमाडांड में दुर्गावती की मृत्यु इसलिए हो गई कि 108 संजीवनी एम्बुलेन्स ने आने से मना कर दिया। यह अभी जनवरी की घटना है। अंतागढ़ के मलमेटा गांव की गर्भवती युवती के लिए 108 और 102 एम्बुलेन्स ने आने से मना कर दिया, इनकी आटो में डिलीवरी हुई है। छिंदगढ़ ब्लाक में श्रीमती रीना को 108 और 102 एम्बुलेंस नहीं मिली, नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। छिंदगढ़ के धनीसार ग्राम के मजदूर विरेन्द्र की एक वर्षीय बेटी

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

की मृत्यु हो गई, 108 एम्बुलेंस वाले ने लाने से इंकार कर दिया। मैं आपको कितने उदाहरण बताऊं। पूरे प्रदेश में इसी प्रकार की स्थिति है। आपने एक एम.ओ.यू. किया, उनको 300 नये एम्बुलेंस देना था और भुगतान भी हो गया, लेकिन आज तक सरकार को जो एम्बुलेंस की सुविधा मिलनी चाहिए, उनके एम्बुलेंस अभी तक नहीं आये हैं, जो पुरानी गाड़ी है, उसी पुरानी गाड़ी में यह सुविधा चल रही है। इसके बाद में जब फोन करते हैं तो यह बताया जा रहा है कि गाड़ी खराब है, गाड़ी नहीं पहुंच रही है, आप किराये की गाड़ी में करके ले आयें। आखिर आपने उनके साथ में एम.ओ.यू. क्यों किया? जब एम.ओ.यू. 300 गाड़ी देने का है तो गाड़ी क्यों नहीं आ रही है? यदि गाड़ी नही आ रही है तो उसके ऊपर कोई बातचीत की जा रही है? उसकी कोई इंक्वायरी हुई है? इंक्वायरी करने के बाद में प्रापर रूप से गाडियॉ चलें, इसकी आपने कोई चिंता की? माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे स्वास्थ्य विभाग की बदहाल स्थिति आपके सामने में है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी दो दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी सामूहिक मुख्यमंत्री कन्या विवाह में गये थे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये की बात आई है। पूरे साल भर में आपको कहीं दिखाई नहीं देगा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह संपन्न हुए हैं। अभी 13-14 महीने के बाद में आयोजन हुआ है। पिछले समय में ऐसी कोई विधानसभा, ऐसा कोई ब्लाक, ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह संपन्न न हुआ हो। इस प्रकार के आये दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहते थे जिससे परिणय सूत्र में बंधने वाले ऐसे वर-वधु को लाभ मिलता था। लेकिन लगभग 13-14 महीने के बाद में ये पहली बार आयोजन हुआ है। इससे लाखों लोग वंचित रहे हैं। आपने 15 हजार से 25 हजार बढ़ा दिया, आपके 25 हजार रुपये का लाभ किसको मिला? जब आप आयोजन ही नहीं कर रहे हैं तो लाभ किसको मिलेगा?

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग के द्वारा इसी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन होता था, लेकिन दोनों में अंतर है। उसको बंद कर दिया गया। इसलिए बंद कर दिया कि हम इसमें कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री कन्या विवाह में केवल बी.पी.एल. कार्डधारियों को कार्यक्रम में आयोजित करेंगे। जब श्रम विभाग की योजना है, उस श्रम विभाग की योजना के अंतर्गत जो पंजीकृत मजदूर हैं और जिनका पंजीयन हुआ है, चाहे उनका बी.पी.एल. में नाम हो या न हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसे हजारों जो वहां पर काम करने वाले श्रमिक हैं, ऐसे लोगों को लाभ मिलता था, उनके परिवारों को लाभ मिलता था । आज सब उससे वंचित हो गये हैं । उसमें इसकी जो राशि है उसी राशि को बढ़ाकर इसमें 10,000 बढ़ाकर उसे 25,000 कर दिये । इसमें अलग से कोई व्यवस्था नहीं की तो मतलब तो एक ही हुआ कि आपने ऐसे हजारों लोगों को वंचित कर दिया, श्रम विभाग के अंतर्गत जिनको लाभ मिलना चाहिए, आज वे लाभ से वंचित हो गये इस प्रकार से उनको लाभ मिलने के बजाय आज इस प्रदेश के लाखों लोगों का नुकसान हुआ है । वे इससे वंचित रहे हैं, जिन परिवारों को परिणय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सूत्र में बंधना था, जिन वर-वधुओं को ऐसे लोगों को सरकार ने केवल अपनी वाहवाही के कारण उनको वंचित रखा है । उनके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए और जो बंद की गयी योजनाएं हैं उन योजनाओं को पुन: प्रारंभ करना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कौशल उन्नयन । प्रदेश में 27 जिले हैं और अभी 28 जिले हुए हैं । लाईवलीहुड कॉलेज है जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है और किसी को 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 2-2 साल ऐसा प्रशिक्षण देने के बाद उनको बैंक के द्वारा लोन मिलजाता है और लोन मिलने के बाद वे अपना रोजगार खड़ा करते हैं । आज यहां पर जब आत आयी है कि कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन कौशल उन्नयन और रोजगारपरक प्रशिक्षण के अनेक उपाय किये जा रहे हैं । क्या उपाय किये जा रहे हैं वह अभी तो धरातल पर नहीं है लेकिन जो उपाय किये गये थे और 27 जिलों में जो लोग प्रशिक्षण ले रहे थे ऐसे लाखों लोगों को जरूर वंचित किया गया है कि आज उनका प्रशिक्षण बंद हो गया है, कॉलेज वहां पर बना हुआ है, स्टॉफ वहां पर है, बिल्डिंग है, बाकी केवल प्रशिक्षण लेने वाले वहां पर नहीं हैं, मुझे नहीं मालूम कि क्यों बंद किया गया है लेकिन इस विषय पर विचार करना चाहिए और विचार करके जिनको वहां से रोजगार मिलने की जो स्योरटी थी, गारंटी थी ऐसे लोगों को क्यों वंचित किया गया है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बस्तर प्राधिकरण और सरगुजा प्राधिकरण और उसके बाद एक मध्यक्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया । इस मध्यक्षेत्र प्राधिकरण का लाभ लोगों को क्या मिला ? केवल यह लाभ मिला है कि दो विधायकों को वहां बैठायेंगे या दो जनप्रतिनिधि जिनको भी बैठाना है, दो को वहां बैठायेंगे और दो को मध्यक्षेत्र में बैठायेंगे । हमको तो यह उम्मीद थी कि यदि आपने मध्यक्षेत्र बनाया है तो हमारे मध्यक्षेत्र में रहने वाला जो आदिवासी समाज है, जो बस्तर प्राधिकरण और सरगुजा प्राधिकरण से वंचित हैं, जिनको लाभ नहीं मिल रहा है तो यह मध्यक्षेत्र प्राधिकरण, आदिवासी प्राधिकरण बना देने से उनको लाभ मिलेगा लेकिन बनाने के बाद केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिये गये और आज उस क्षेत्र के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वह उस लाभ से वंचित हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि आपने बनाया है आपकी नीयत ठीक है इसमें आप केवल एक चीज और जोड़ दीजिए कि जो मैदानी क्षेत्र में रहने वाला हमारा एक बड़ा तबका आदिवासी समाज है, ऐसे आदिवासी समाज को जो लाभ नहीं मिल रहा है तो ऐसे आदिवासी समाज को लाभ मिले तब यह कहा जायेगा कि आपके बनाने की सार्थकता है नहीं तो केवल आप संतुष्टिकरण की राजनीति के लिये चल रहे हैं और आप केवल जनप्रतिनिधियों को संतुष्ट करना चाहते हैं जिनके लिये बनाया गया है उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा तो आपके मध्यक्षेत्र प्राधिकरण बनाने से आपकी कोई सार्थकता नहीं होगी और न ही किसी के लिये लाभ का विषय होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- और कितना समय लेंगे ?

अप्रवेदित/असंशोधित के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- अभी एक और मुख्य विषय बचा है उसमें जितना समय लग जाये और आप जब बोलेंगे तो मैं बंद कर दूंगा । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, चलिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शराबबंदी की जो बात आयी । माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जन घोषणा-पत्र में जो कहा कि शराबबंदी करेंगे । अब 5 साल की बात आ गयी है, वह आपके विवेक के ऊपर छोड़ दिये हैं कि आप करेंगे या नहीं करेंगे, आपने कहा क्या करेंगे उसे आप जानें लेकिन निश्चित रूप से प्रदेश में शराबबंदी के नाम पर बड़े तबके पर महिलाओं का समर्थन मिला लेकिन सरकार में आने के बाद में उस शराबबंदी को भूल गये और केवल भूले नहीं हैं । अब छत्तीसगढ़ की शराब दुकानों में मध्यप्रदेश की शराब बिक रही है । उड़ीसा की दारू छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र की दारू छत्तीसगढ़ में बिक रही है, ये शराब बाजार में नहीं बल्कि इनकी सरकारी दुकानों में बिक रही है । कुछ के ऊपर कार्रवाई की गई और लगभग 20 से 30 परसेंट ओवर रेटिंग का मामला आया है । इस ओवर रेटिंग के लिए कार्यवाही किस पर की गई है, प्लेसमेंट कंपनी के अदने से कर्मचारी पर । अध्यक्ष महोदय, सुनने में तो यह आया है कि वहां पर पैसा रखने के लिए आजकल दो पेटियां रखी जा रही हैं । पहली पेटी में परमिट का माल का पैसा और दूसरी पेटी में बिना परमिट वाले माल का पैसा रखा जा रहा है । वास्तव में मैं तो आपसे अनुमति लेना चाहता हूं कि यह जो डिस्टलरी के बाहर जो बैरियर लगाये गए हैं अब उस पर कोई भरोसा नहीं रह गया है । एक बैरियर उसके आगे लगना चाहिए कि उनकी डिस्टलरी से कितना माल निकला है और आने वाले बैरियर में उसको चेक करके उसका मिलान करने की आवश्यकता है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- यह जो दो पेटी वाली बात आप कर रहे हैं, एकाध नाम बता सकते हैं क्या ?

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं नाम बताने के लिए ही बोल रहा हूं ।

श्री मोहम्मद अकबर :- बताइए ना ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं नाम बताउंगा ना । मैं इसीलिए अध्यक्ष महोदय से बोल रहा हूं कि आप परमिट करिये कि आपका जो बैरियर लगा हुआ है उसके बाद एक और बैरियर लगाने का परमिट हमको दिया जाए । वास्तव में कितना माल निकल रहा है, किन दुकानों में जा रहा है । आपके दुकान का स्टॉक कितना होना चाहिए, उसके वेरीफिकेशन का समय आ गया है, उसका वेरीफिकेशन होना चाहिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी आज ही प्रश्न के उत्तर में आया है कि शराब की बिक्री कम हो रही है और शराब पीने वालों की संख्या बढ़ रही है । दोनों बातें एक साथ कैसे हो रही हैं ? आप सडनली किसी दुकान में जाएंगे तो आपको दो पेटियां मिल जाएंगी अगर बताकर जाओगे तो नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मिलेगी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ओरिजनल आबकारी मंत्री आप ही हो । जो आप बोलोगे वह भी खड़ा होकर वही बोलेगा ।

श्री मोहममद अकबर :- मान लो बिक्री में कमी हो रही है तो पीने वाले कम हो रहे हैं, इसको दूसरी तरफ मोड़ने का कोई मतलब नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ऐसा है माननीय मंत्री जी, आज माननीय देवव्रत जी ने कहा है कि चुनाव में कितनी दारू खपी है और उसके बाद दारू की बिक्री में कमी हो गई । जितनी दारू पकड़ी गई है वह मध्यप्रदेश की लेबल वाली है ।

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन जी, पिछली सरकार में एम्बुलेंस में शराब डालकर आप लोग बांटे थे । उसको भी भूलना नहीं चाहिए आपको ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी भी वही हो रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- लेकिन हमने शराबबंदी नहीं कहा था ।

श्री उमेश पटेल :- आपने कहा था ।

श्री अमरजीत भगत :- शराबबंदी की बात करते हैं और शराबबंदी में कमी आ रही है तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए ।

श्री उमेश पटेल :- आपके आबकारी मंत्री थे अमर अग्रवाल जी । उन्होंने सदन में घोषणा की थी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- हमने कहा था कि हम धीरे-धीरे कम करेंगे । हमने पांच हजार तक की आबादी की दुकानें कम कर दी थीं ।

श्री उमेश पटेल :- मैं पिछले कार्यकाल में था, उस समय के माननीय आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल जी ने घोषणा की थी उन्होंने कहा था कि यह हमारा पहला स्टेप है और अगले स्टेप में हम शराबबंदी कर रहे हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- सरकार को धन्यवाद दीजिए कि धीरे धीरे खपत कम हो रही है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- शराबबंदी के बारे में तत्कालीन सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाती थी या नहीं की जाती थी । मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक नृत्य दल आया था । जो नाच गाना प्रस्तुत करके शराबबंदी के लिए जागरूकता पैदा कर रहा था । उस नृत्य दल के सारे लोग खुद ही पिये हुए थे (हंसी)। तो आप कहां की बात कर रहे हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- उसके बिना नृत्य नहीं हो सकता ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपको पड़ोसी का अहसास होता है या नहीं ।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं टी.वी. पर आबकारी मंत्री जी का इंटरव्यू देख रहा था और व बता रहे थे कि हमारा लक्ष्य आने वाले समय में 5 हजार करोड़ रूपए राजस्व अर्जित करना है । यह शराब बंद करने की दिशा में नहीं है। दूसरा पता नहीं आप लोग कौन सा 5 रूपये वाला शीशी शुरू कर दिये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- फिर बीयर फेक्ट्री खोल लो।

श्री धरमलाल कौशिक :- बीयर फैक्ट्री खोलने की बात हो रही है।

श्री कवासी लखमा :- वो बात याद है खोलेंगे, बेचेंगे हैदराबाद में। (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- आप हैदराबाद में बेचेंगे। अभी तो मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा है। अब हैदराबाद बेचने जायेंगे या हैदराबाद से बुलवा रहे हैं, यह तो समय बताएगा कि हैदराबाद से बात करके यहां पर दारू बुलवाकर बेच रहे हैं, क्योंकि आप रोक पाने में तो अक्षम हो गये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- दारू के बारे में आप बहुत सख्त थे। उसका नाम नहीं लेना है, उसमें चर्चा नहीं करना है। उसका क्या कारण है? (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- विपक्ष के सदस्य ज्यादा उछल रहे हैं, ऐसा लग रहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- दारू की दिशा में बंद करने के लिए जो कदम उठाये जाने चाहिए, इस सरकार के दूर-दूर तक कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है कि ये दारू बंद करने वाले हैं। बल्कि उसमें राजस्व की हमारी आय कैसे बढ़े, उस दिशा में अभी विचार कर रहे हैं। प्रीमियम दारू दुकान खोलने की तैयारी कर रहे हैं। मॉल में दारू दुकान खोलने की तैयारी कर रहे हैं। बंद करने का पता नहीं कितना दिखावा किये हैं, लेकिन खुलने का नहीं बताये हैं कि कितने खुलने वाले हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप केवल इतना बता दीजिए कि आप सुझाव देने क्यों नहीं आ रहे हैं। बंद करने के लिए जो कमेटी बनायी गयी है, उसमें यदि आप आकर सुझाव दें तो आगे की कार्यवाही बढ़े। आप क्यों नहीं आ रहे हैं?

श्री धरमलाल कौशिक :- यदि दारू बंद करने की नीयत है तो न मीटिंग की आवश्यकता है और न ही सुझाव की आवश्यकता है, न बैठक की आवश्यकता है। आपको यदि बहाना करना है कि हमें दारू बंद नहीं करना है तो आप 10 मीटिंग कर लीजिए। आपने इतने दिन से तो कमेटी बनाया है। पता नहीं आपकी कमेटी कहां गयी और क्या हुआ? अभी तक इनकी कमेटी में कुछ जन्मा ही नहीं, बल्कि एक नई बात आयी कि 5 रूपये शीशी और ली जाए। हो सकता है कि कमेटी की अनुशंसा हो कि 5 रूपये प्रति शीशी लिया जाए।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, नेता जी का जब तक कमेटी में सुझाव नहीं आयेगा, तब तक ऐसा ही रहेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपको जब बंद करना होगा, तब वैसे ही बंद कर देंगे, लेकिन आप बंद करने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि सरकार के पास खजाना खाली है। आप कर्जे में आ गये हैं। 17

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हजार करोड़ रूपये से अधिक का कर्जा आप ले लिये हैं। आप यदि बंद करेंगे तो 5 हजार करोड़ का और भार उसके ऊपर पड़ेगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नेता जी, लखमा जी बहुत दिन हो गया है, बंद कर चुके हैं।

श्री मोहन मरकाम :- वे आजकल दूध पी रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं लखमा जी के ऊपर आरोप नहीं लगाता। हमारे आदिवासी मंत्री हैं..।

श्री बृहस्पत सिंह :- 5 रूपये शीशी वाली बात नेता जी कहां से लाये?

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, इन्हें 5 रूपये वाली शीशी वाली बात उनको स्वीकार है। पता नहीं आपको स्वीकार है या नहीं है। मंत्री जी को तो स्वीकार है।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप तो लेते नहीं हैं तो आपको कैसे पता?

श्री धरमलाल कौशिक :- मुझे लेने या देने से मतलब नहीं है। वह तो फिर वही हो जायेगा जो हमने पुलिस वाला विषय आपको बोला। इसलिए इस विषय को रहने दीजिए। लेने-देने का नहीं है। रोज पेपर में छप रहा है। अब किसके-किसके लिए ले रहे हैं, अलग-अलग आ रहा है। किसी दिन गौठान के लिए आ रहा है। किसी दिन और कुछ के लिए आ रहा है। अब वह पैसा कहां आ रहा है? कहां जा रहा है ? वह तो सरकार जाने और मंत्री जाने। इसका हमें हिसाब करना नहीं है लेकिन 5 रूपये शीशी पर शीशी..।

श्री उमेश पटेल :- नेता जी, आप लोग अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं। जब कमेटी बनी हुई है। आपको बुलाया गया है और आपसे सुझाव मांगा गया है तो आप क्यों नहीं आते?

श्री शिवरतन शर्मा :- कमेटी की आवश्यकता ही क्या है? आपके जन-घोषणा पत्र में आपने कहा है कि पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे। आप लागू करो। कमेटी बनाना मतलब गोल-गोल घुमाना।

श्री उमेश पटेल :- क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने कहा है न पूर्ण शराबबंदी करेंगे। आप पूर्ण शराबबंदी कीजिए। कमेटी की जरूरत ही नहीं है।

श्री मोहम्मद अकबर :- क्या है न आपके महत्वपूर्ण सुझाव के बगैर नहीं हो पा रहा है न।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी, आप लोग सक्षम हैं। आप लोग अपना घोषणा-पत्र बनाकर लेकर आये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट। अध्यक्ष जी..।

अध्यक्ष महोदय :- शराब पर ज्यादा चर्चा न करें। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- आपने कमेटी बनायी। ये नहीं आये। हम नहीं आये, पर ये तो आये थे। अभी तक आप सिर्फ एक मीटिंग किये हो। सत्यनारायण जी जैसा शराब के बारे में विशाल अनुभव जिनके पास हो, वे आबकारी मंत्री थे, इस नाते बोल रहा हूं तो आप अभी तक मीटिंग नहीं कर पाये हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आखिर ऐसी कमेटी का फायदा क्या है ? उसे सिंबॉलिक लगाकर रख दिये हैं। करना नहीं है तो मत करिए। बंद करना है तो बंद करिए। नहीं करना है तो मत करिए। जो करना है, वह करिए, लेकिन साफ-साफ जरा बोल दीजिए ताकि प्रदेश की जंता के बीच में भ्रम मत रहे। और रहा सवाल कौन पीता है, किसे ज्ञान है या नहीं है, आप कैसे जानोगे ? माननीय मंत्री लखमा यहां किसी को भेजे थोड़ी न हैं कि जो बॉटल पीये हैं या नहीं पीये हैं, उसका आप एग्जामिनेशन ले लिये हो। पहले भेजकर देखो। कौन-कौन एक्सेप्ट करता है और कौन नहीं करता है ? तब आपको पता चलेगा।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि लखमा जी हमारे कद्दावर नेता हैं। उनके पीने और नहीं पीने के सन्दर्भ में यहां पर चर्चा करना उचित नहीं है। क्योंकि वे उस विभाग के मंत्री हैं। वे चाहते हैं कि प्रदेश के लोगों को अच्छी क्वालिटी का शराब मिले और उसके लिए वे टेस्ट करते हैं तो क्यों हम मना करेंगे। इसलिए हम, उनको मना भी नहीं करेंगे और उनके लिए पीने की बात भी नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब समाप्त करिये।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की 2 सौ फूड पार्क बनाने की घोषणा थी। इन्होंने जन घोषणा-पत्र में कहा था कि 2 सौ फूड पार्क बनायेंगे। 14 महीने बीत जाने के बाद भी इनका एक भी फूड पार्क नहीं बना है। कम से कम 1 ब्लाक में 1 पार्क बनायेंगे। यदि आपकी नीयत 1 भी फूड पार्क बनाने की नीयत है तो सभी ब्लाकों में जमीन का चिन्हांकन हो जाता। उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती। अध्यक्ष महोदय, इतनी घोषणा किए हैं, इतनी घोषणा करने के बाद सत्ता में आने के बाद इतने मदान्त हो गए हैं कि सारी घोषणा भूल गये हैं। आप चिंता मत करो, आपको जनता याद दिलायेगी। उसके बाद भी सरकार का इस प्रकार से रवैया चल रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो प्रदेश का सबसे बड़ा चिंता का विषय है और उस पर वास्तव में यदि कहे कि यह सरकार यदि सत्ता में आई है, तो सत्ता में आने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण वह किसान और धान है। मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने के पहले कहा था कि 25 सौ रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदेंगे और 25सौ रूपये क्विंटल धान खरीदने के बाद दो साल का बोनस भी देंगे। कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ, यह इनके जन घोषणा-पत्र में लिखा है और उसके कारण ये सरकार में आये। आज सरकार में जो बहुमत दिख रही है, केवल उसी के कारण है। लेकिन सरकार में आने के बाद इन्होंने क्या किया ? जब कर्जमाफी की बात आई, तो कर्जमाफ करने के बजाय केवल अल्पकालीन ऋण माफ किया गया। या तो बजट के समय किसानों को स्पष्ट कर देते तो बाकी किसान जो व्यवसायिक बैंक से जो कर्ज लिए हैं, वह अपना कर्ज अदा कर देते। आज उनको बैंक द्वारा पेनाल्टी लगाया जा रहा है। उनको नोटिस आ रहा है और किसानों को पेनाल्टी के साथ भुगतान करना पड़ रहा है। इस सरकार ने कर्जमाफी के नाम पर किसानों को धोखा दिया गया है। आज लाखों किसान उसका भुगतना भुगत रहे हैं। माननीय अध्यक्ष

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

महोदय, इस सरकार के चक्कर में, इनकी बात पर विश्वास करके जगदलपुर के किसान को जेल जाना पड़ा। नहीं तो किसान को जेल नहीं जाना पड़ता। आज मेरे पास दो किसान का आवेदन आया है कि वे दो-दो लाख रूपये पटा दिए हैं। तो मुख्यमंत्री जी ये जो पैसा पटा दिए हैं, उस पैसे को वापिस करेंगे। उन लोगों ने कर्ज लिया था, बैंक का तकादा आया तो उनको लगा कि उनको पैसा मिल जायेगा और उसने पटा दिया। ये लोग दो-दो लाख रूपये पटाये हैं। ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो पैसा पटाकर बैठे हुए हैं, उनके पैसे वापिसी की गारंटी हो जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले साल बजट को देखा। बजट के बाद बीच में अनुपूरक भी देखा और उस अनुपूरक में भी बोनस का कहीं उल्लेख नहीं है। किसानों को जो दो साल का बोनस दिए जाने की बात है, उनको एक पैसा बोनस नहीं मिला है। इसके साथ 25 सौ रूपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी की बात है। पिछले समय आपने धान खरीदा। लेकिन अब जब धान खरीदने की बात आई तो आज किसी किसान को 25 सौ रूपया किसी के खाते में नहीं गया है, नंबर-1, नंबर-2 पिछले 15 सालों में जिन किसानों ने धान बेचा तो कभी किसानों को यह नहीं लगा कि धान बेचने में हमको मशक्कत करने की आवश्यकता है। किसान का जो भी लक्ष्य तय हुआ। वे सोसायटी में गये और वहां जाकर अपना धान बेचा। लेकिन इस बार जब नवम्बर में खरीदने की बात आई तो वह दिसम्बर हो गया। 1 दिसम्बर के बाद हर शनिवार और रविवार बंद। धान बेचने के लिए आपका शाम के साढ़े पांच बजे का समय तय है। लेकिन दारू के लिए रात के 8 बजे तक दारू मिलेगा, 10 बजे तक दारू मिलेगा, दारू के लिए 5 बजे बंद नहीं है। लेकिन किसान धान बेचने जायेंगे वे शाम को नहीं बेच सकते। क्योंकि आफिस टाईम समाप्त हो गया है। किसान भले परेशान रहें, चक्कर काटता रहे। प्रत्येक वर्ष एक एकड़ में 15 क्विंटल धान खरीदने की व्यवस्था की थी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, पहली बार इस सरकार ने एक एकड़ में 15 क्विंटल धान खरीदने के बजाय उसके रकबे की कटौती कर दी। अधिकारी उन किसानों को बोलते थे कि आप तो मेड़ में टमाटर लगाये हो, आप तो मेड़ में सब्जी ले रहे हो, आप तो मेड़ में अरहर ले रहे हो, इसके पहले भी तो ले रहे थे, जो ले रहे थे । आपने 15 क्विंटल खरीदने की बात की, उसमें भी आपने किसानों को धोखा दिया । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार जो मौसम का मार हुआ है, लगभग 4-5 बार अवरोध हुआ है । एक दिन के बारिश के कारण एक-एक सप्ताह तक खरीदी बंद रही है । चार दिन, पांच दिन, छः दिन तक, उसके बाद में किसानों को जो टोकन जारी किया गया, मुख्यमंत्री जी को मैं पेपर में देख रहा था, टी.वी. में भी सुना, तीन टोकन नहीं अगर आपको पांच टोकन लगेगा तो आपको पांच टोकन देंगे । चार टोकन की आवश्यकता पड़ेगी तो चार टोकन देंगे । इसलिए किसान के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका दिसम्बर, जनवरी और आपका 15 फरवरी, इसमें आप छुट्टी निकाल दीजिए, एक महीने में चार दूनी आठ, दो महीने में आठ दूनी सोलह और उसके बाद में बीस । उसके बाद शासकीय छुट्टी और उसके बाद बरसात । एक महीने पहले देरी से

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

खरीदी शुरू किये, उसके बाद में यह कटौती हो गयी, सरकार की शुरू दिन से यह नीयत रही है कि किसान कम से कम कैसे खरीदे । हतोत्साहित कैसे किया जाये, जैसे ही जाये तो बोले माइश्चर है, बेरहमी के साथ में उनके बोरों की छेदाई किये, उसके बाद बोले माइश्चर है, आप धान को सुखाओ । न धान के वहां बिछाने की व्यवस्था, न तारपोलिन की व्यवस्था, किसान को आप बोले कि सुखा दो । किसान ने धान वापस कर दिये ।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- धरम भईया, आप लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं । मैं एक किसान हूँ । मैं अपना कर्जा चुकाया, उसके बाद में खाते में पैसा आया है । पहली बात तो इसमें आप झूठ बोले । आप लगातार बोल रहे हैं कि किसानों का धान नहीं लिया गया है । इतना धान कहां से आ गया ? 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो गयी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक एकड़ में 15 क्विंटल धान की खरीदी है । आप पर्ची ले आओ, मैं आपका ही पर्ची दे दूंगा । मैं किसान हूँ, मेरे को रकबा और डिसमिल मालूम है । मुझे बताने की जरूरत नहीं है । सरकार कैसे बेईमानी कर रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ? किसान जब परेशान हुआ है ना...। (व्यवधान)

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- मैं भी किसान हूँ, मैं प्रूफ दे दूंगा । मैं प्रूफ लाकर बता रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, छोड़िये आप । आप अपना जारी रखिये, 50 मिनट पूरे हो चुके हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से किसानों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया है, जिस प्रकार से किसानों के धान को जब्ती करने का प्रयास किया है, जो किसानों का धान जब्ती हुआ है, उसका धान आज तक नहीं छूटा है । फोन करने के बाद भी अधिकारी बोले, धान को 20 तारीख को छोड़ेंगे। अभी भी उनका धान नहीं छूटा है । किसान पर्ची लेकर घूम रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 सालों में जो किसानों के साथ नहीं हुआ है, वह अन्याय किये हैं, रकबा की कटौती, 15 सालों में कभी किसानों के रकबा की कटौती नहीं हुई है, हर सोसायटी में कम सेकम 200 एकड़, 100 एकड़, 300 एकड़, 400 एकड़, हर सोसायटी में है, 1333 सोसायटी है, यदि 100 जोड़ लीजिए तो आपका कितना निकल जायेगा । यह आपके रकबे की कटौती है ।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- 15 सालों में ....(व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- कभी आपने सहमति पत्र नहीं भरवाया है । जो किसान को धान बेचना है, आकर बेचे । लेकिन सहमति पत्र भराना । सहमति पत्र कैसे कि आप इसमें दस्तखत करो । खुद अधिकारी भर रहे हैं, भरने के बाद में बोल रहे हैं किइसमें दस्तखत करो । दस्तखत करने के बाद में किसान जब दोबारा गया, साहब मुझे धान बेचना है, उन्होंने कहा कि आपने सहमति पत्र भर दिया है । इसलिए आपका धान अब नहीं बिकेगा । आपने सहमति पत्र में दस्तखत किया है । किसान सहमति पत्र को लेकर बैठे हुये हैं, धान अभी भी उनके घर में पड़ा हुआ है । आपने टोकन की बात की है कि हम

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पांच टोकन देंगे, तीन टोकन के बाद में जब किसान धान लेकर गये, आज भी टोकन किसानों के हाथ में है ।

श्री अमरजीत भगत :- 83 लाख, 83 लाख धान कहां से आ गया महाराज । आपके समय में 70 से ऊपर बढ़ते नहीं थे ।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं बता देता हूं, (मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल द्वारा समय बर्बाद है कहने पर) समय बर्बाद है तो मैं बैठ जाता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान के विषय में बोलना समय बर्बाद है तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने स्थगन लाया था, आपने कृपा पूर्वक उसको स्वीकार किया, ट्रेजरी बेंच ने इस पर अपनी सहमति दी, ये पूरा भाग गए और अब उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो यह समय बर्बाद नहीं हो रहा है तो और क्या है? आपको जब समय मिला था तो चर्चा नहीं किए और अब आप चर्चा कर रहे हो? (मेजों की थपथपाहट)

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि ये भागने की बात है और चर्चा नहीं करने की बात है तो आपने अभिभाषण में 2500 रूपये क्यों लिखा? या तो इसे आपको अभिभाषण में डालना नहीं था। इसीलिए मैंने इसे झूठ का पुलिंदा कहा। यदि आप डाले हो तो उस पर चर्चा करनी पड़ेगी और चर्चा करने में यदि समय जाया हो रहा है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी, उसे ठीक से पढ़ लो, पिछले साल जो 2500 रूपये दिये उसका उल्लेख है।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं इसी बात पर तो चर्चा कर रहा हूं कि आपने पिछले साल 2500 रूपये दिया इसे मैंने कहा और मैं इस बात की बात कर रहा हूं। श्री कवासी लखमा :- दिल्ली से जो कागज आया उसके बार में बताओ न कि वह क्यों मना कर रहे हैं? वहां जाकर बोलो ना।

श्री धरम लाल कौशिक :- आखिर ये सहमति पत्र के नाम से आपको पीड़ा क्यों हो रही है? 15 सालों में तो सहमति पत्र नहीं भरवाया गया। ऐसी इनकी कौन सी मजबूरी हो गई, कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि किसानों से सहमित पत्र लेना पड़े? आखिर उनके रकबे की कटौती क्यों करनी पड़े? इसका जवाब कौन देगा? 15 साल तक तो किसानों को कभी ये आवश्यकता नहीं हुई है? मैंने कहा है कि सहमति पत्र भराने के बाद यदि किसान धान बेचने जा रहे हैं तो उनको बोल रहे हैं कि आपने सहमति पत्र पर दस्तखत किया है इसलिए आपका धान नहीं खरीदेंगे। मैंने टोकन की बात कही कि आपने टोकन की बात की थी कि मैं 5 टोकन दूंगा। आपके अधिकारी बता रहे हैं कि 3 टोकन के बाद आपके साफ्टवेयर उसे एलाऊ नहीं कर रहे हैं और किसान टोकन रखे हुए खड़े हैं, उनका धान ट्रैक्टर में लदा हुआ है और वह आज भी सड़कों पर बैठे हुए हैं। इस भरी बरसात और ओला में किसान टोकन लेकर ट्रैक्टर में धान भरकर सड़कों पर बैठे हुए हैं। आखिर इसका जवाब कौन देगा?

अशोधित/असंपादन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- तीन टोकन के बाद साफ्टवेयर आंय-बांय बोलने लग जाता है और गांव में लोग गांव की भाषा में बोलते हैं कि पूरा धान खरीदी में दाऊ अऊ मंडल के चलत हे, दूसर काकरो नई चलत हे। (हंसी) का बात सही हे अपन ल नही मालूम पर गांव के मन कथे कि पूरा धान खरीदी में दाऊ अऊ मंडल के चलत हे।

श्री विनोद सेवन लाल चन्द्राकर :- भैय्या, ये सरकार में दाऊ मन के नई चलिस। दाऊ मन के धान ह छोटे-छोटे किसानमन के खाता में बिके हे, अब दुनो दाऊमन ला तकलीफ होवथे। (हंसी)

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, आज भी किसान सड़कों पर हैं। कल रात मुझे साजा से फोन आया कि भैय्या आखिर आगे हमारे धान के मूल्य का क्या होगा। किसान असमंजस की स्थिति में बैठे हुए हैं। टोकन लेकर बैठे हुए हैं। यदि आपको धान नहीं खरीदना है, आपकी खरीदने की नीयत नहीं है तो क्यों उनको टोकन दे दिये? दूसरी बात आपने 2500 रूपये प्रति क्विंटल में खरीदने की घोषणा की इसके पहले किसान को 2500 रूपये नहीं मिल रहा था यह हम सबको मालूम है। 2500 रूपये देने के बाद प्रदेश का जो बाकी फसल का रकबा है उन्होंने दूसरी फसल के बजाय धान लेना स्वीकार किया। जिस बात को ये लोग बोल रहे हैं कि हमने 82 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, मैं ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं कि यदि ये धान खरीदते तो अभी तक किसान 100 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान बेच दिया होता। 100 लाख मीट्रिक टन से ऊपर किसानों के पास धान है। लेकिन सरकार ने शुरू दिन से यह नियम बनाकर रखा कि हमें किसान को परेशान करना है, धान नहीं खरीदना है और उसका नमूना आज भी सड़कों पर दिख रहा है।

श्री ननकीराम कंवर :- अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी कैसे करनी है सरकार के किसी अधिकारी को नहीं मालूम। मैं इसका स्पष्ट उदाहरण बतलाऊंगा। सक्ती क्षेत्र में एक भी कटौती नहीं की गयी है। मेरे क्षेत्र में कई किसानों का जप्ती किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, आपका और मेरा पर्सनल टर्म हो सकता है (हंसी) इसमें हंसने की बात नहीं है लेकिन किसी भी कलेक्टर को कोई आदेश नहीं गया है कि धान कैसे खरीदा जायेगा। एक सहकारिता का उप संचालक आता है और बोलता है कि इतना धान क्यों खरीद लिया? वे डाट रहे हैं। वे बेचारे छोटे कर्मचारी बोले, साहब नहीं खरीदने के लिये कहे हैं। मैंने कहा, ऐसा तो सरकार ने नहीं कहा है। आप बतला दीजिए अगर किसी ने कहा हो तो कि रकबा की कटौती की है। किसी ने आपको आदेश दिया है तो बता दो। लेकिन हर कलेक्टर के यहां यही स्थिति है। इसमें आपको हंसने की बात नहीं है। सरकार में आये हैं, जो भी कर सकते हैं करें। लेकिन ये अधिकारियों की बात को तो थोड़ा समझें। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने कहा था, कलेक्टर को बता दो, इनकी नौ किसानों का धान दिया था। उस समय बोले, थोड़ा चमकाना पड़ता है। मैंने कहा चमकाईये और आपको चमकायेंगे तो कैसे लगेगा ? उसके बाद और जप्ती होती गयी। तहसीलदार जप्ती करने गया और तो और फूट ऑफिसर जप्ती किये। पुलिस वाले अच्छी

तरह से जानते हैं, जप्ती में जप्तीपत्रक दिया जाता है, कोई भी जप्तीपत्रक नहीं दिया गया। सुपुर्दनामा दिया जाता है, एक को भी सुपुर्दनामा नहीं दिया गया। आपको ताज्जुब होगा, उसके बाद रिट में गये। रिट में चीफ जस्टिस ने उनकी बिना सुनवाई के चीफ सेक्रेटरी को आदेश कर दिया। ये मामला है। आप कम से कम इससे तो बचें। सरकार चला रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। आपकी अधिकारी कुछ भी कर रहा है। आपने कलेक्टर को कहा था, किसी अधिकारी को बोले की उनका धान छुड़वा दें। साहब, आज तक नहीं छोड़ा है। मेरे जैसे विभाग चला लोगे ने तो ऐसा नहीं होगा। किसी से भी पूछ लो, उससे कहीं भी शिकायत नहीं मिलेगी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- का हे गा सियान कोचिया मन, किसान हा तो बिना पूछे ले जावत रिहिस।

श्री ननकीराम कंवर :- मैं गृह विभाग में पांच साल था। अपराध में कमी आयी है। इतना ही योग्य मंत्री हो तो अपराध में कमी करके देखो। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख हो रहा है। जब मैं गया था तो किसान बोलते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- कंवर साहब।

श्री ननकीराम कंवर :- एक मिनट, आप क्या बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- उनको बोलने दीजिए ना।

श्री अमरजीत भगत :- मैं आप ही के बारे में बोल रहा हूं।

श्री ननकीराम कंवर :- आप असत्य कथन कर रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- आज जब गृहमंत्री थे तो कार्यवाही करने के बजाय (व्यवधान) लगवाते थे। अपराध में कमी आये करके।

श्री ननकीराम कंवर :- मैं कवर्धा गया था। बोले, साहब किसानों ने खेत में गांजा बो दिया है। उनका इतनी तकलीफ हुई है। यानी हम धान बोकर अपराध किये हैं। आपने यह स्थिति पैदा कर दी है। धन्यवाद।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हुआ है। इसके बाद में सत्यापन हुआ, जो पटवारी हैं, बाकी अधिकारी हैं, किसानों के ऊपर उनको भरोसा नहीं है। किसानों ने इनके ऊपर भरोसा किया। इनकी सरकार बनवाई। यदि सरकार को किसान के ऊपर भरोसा नहीं है कि वे खेत का धान ले करके आयेंगे तो पटवारी और बाकी अधिकारी जा करके उनके खेत में सत्यापन कर रहे हैं। उनके घर में जा करके सत्यापन कर रहे हैं और सत्यापन करके यह बता रहे हैं कि ये धान है कि नहीं है। इतना अविश्वास आप किसान के ऊपर मत करो। उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा तो बोरी तो दिये नहीं, जानबूझकर ये प्राब्लम क्रियेट किये। कृत्रिम रूप से बोरा का अभाव पैदा किये जिससे बोरा किसानों को ना मिले। किसानों पर दवाब डाला गया कि धान बेचना ही है तो अपने बोरे में ला करके दो,

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

जिसका पैसा नहीं मिलेगा। किसान अपने बोरे में भी धान लाकर बेचे। उसके बाद में इतने में इनका मन नहीं भरा तो सरकार किसानों के ऊपर लाठीचार्ज की। जो किसानों के बदौलत में सरकार बनी, अंततः किसानों को ही पीटवाने का काम इस सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय में बात करेंगे तो मुख्यमंत्री जी को कैसा अच्छा लगेगा ? जिनकी वोट के बदौलत जीत करके आये और उसके ऊपर लाठीचार्ज करेंगे। यदि सदन में उस बात को कहे तो कैसे अच्छा लगेगा। ये इनकी सरकार चल रही है। इसलिए मैंने कहा कि महामहिम से जिस प्रकार से उन्हें असत्य बोलवाया गया और जिस प्रकार से इस सरकार का कोई विजन उस पूरे पचास प्वाईंट में आज सरकार क्या करने जा रही है, दिखाई नहीं दे रही है ? जो उसका अभाव दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं उसका विरोध करते हुए, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर हमारे सभी साथियों ने चर्चा में भाग लिया। माननीय धरमलाल कौशिक जी, माननीय धनेन्द्र साहू जी, माननीय शिवरतन शर्मा जी, मोहन मरकाम जी, धर्मजीत सिंह जी, संतराम नेताम जी, नारायण चंदेल जी, श्रीमती इंदू बंजारे, कृष्णमूर्ति बांधी जी, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी, सौरभ सिंह जी, डॉ. रमन सिंह जी, श्रीमती ममता चन्द्राकर जी, अजय चन्द्राकर जी, देवव्रत सिंह जी, केशव प्रसाद चन्द्रा जी, रजनीश कुमार सिंह जी, डॉक्टर रेणु जोगी जी, श्री शैलेष पाण्डे जी, रंजना डिपेन्द्र साहू जी, साहू जी, सभी साथियों ने इस चर्चा में भाग लिया और अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और माननीया राज्यपाल जी को आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमारी सरकार की नीतियों, योजनाओं, नवाचार, उपलब्धियों और इससे जन-जीवन पर पड़े असर के बारे में कहा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीया राज्यपाल जी ने इस सदन में परम्पराओं और कार्यप्रणाली की सराहना की और मैं समझता हूँ कि पूरा सदन राज्यपाल जी के प्रति कृतज्ञ है। सरकार के कामकाज के कारण से छत्तीसगढ़ की विशिष्टता बढ़ी है और छतीसगढ़ पूरे देश में नये विश्वास का प्रतीक बना है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब शासन और जनता एक जैसा सोचते हैं दोनों के सपने और लक्ष्य एक जैसे होते हैं तो सरकार के कामकाज की दिशा स्वतः तय हो जाती है। अगर सरकार एक-एक करके जनता के मुताबिक काम करती है तो जनता को यह महसूस होता है कि यह सरकार उनकी सरकार है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी जी की जो तृष्टिसीट का सिद्धांत है यही कहता है कि सारे संसाधन, सारे अधिकार जनता के है। हम सिर्फ उनके ट्रस्टी हैं इसलिये हमारी कोई अलग राय नहीं हो सकती। हमें जनता की राय से ही सरकार चलानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी सदस्यों ने बात कही। अब एक-एक करके जवाब दूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं कुछ बातें जरूर कहना चाहता हूँ। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष की ही बात से

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

शुरू करता हूँ। माननीय नेता जी ने नक्सलियों के बारे में बड़ी चिंता व्यक्त की । इस प्रदेश की नक्सल समस्या बड़ी समस्या है। उन्होंने इस समस्या के बारे में कहा कि एक लाईन का कह दिया है राज्यपाल के अभिभाषण में एक लाईन की बात कही गई है। विश्वास, विकास और सुरक्षा। ये तीन ऐसे शब्द है जिसको लेकर ये सरकार चल रही है और जिसके कारण से आज पूरे प्रदेश में एक वातावरण बना है। उन आदिवासी अंचलों में लोंगों का विश्वास बढ़ा है और नक्सली घटनाओं में कमी आयी है। इसका उदाहरण सीधा-सीधा है नेता जी ने जो बातें कहीं। आंकड़े बता रहे हैं। बीते साल और उसके पिछले साल में नक्सली घटनाओं में 37 प्रतिशत की कमी आयी है। सुरक्षाबलों की शहादत में 62 प्रतिशत की कमी आयी है, नागरिकों की हत्या में 48 प्रतिशत की कमी आयी है। ये आंकड़े हैं मैं अपनी ओर से कोई बात नहीं कह रहा हूँ। ये केवल उस निर्णय के कारण से विश्वास, विकास और सुरक्षा। वरना आपने तो क्लोज डोर मिटिंग करवाई थी। हम लोग दिन भर क्लोज डोर मिटिंग में बैठे रहे। सारे अधिकारियों को बाहर कर दिये, केवल जनप्रतिनिधि थे, पत्रकारों को भी बाहर कर दिया गया। बड़ी गंभीरता से चर्चा किये और सारे सुझाव दिये, लेकिन क्या हुआ ? घटनाएं बढ़ती गई, हमने जो विश्वास की बात कही । हमने विश्वास जीतने के लिए सबसे पहला काम लोहाण्डीगुड़ा में आदिवासियों की जमीन को वापस करने का। 10 गांव के 1700 किसानों का 4200 एकड़ जमीन हमने वापस की। (मेजों की थपथपाहट) उन आदिवासियों का जो तेन्दूपत्ता है पूरे देश में सर्वाधिक 4 हजार प्रति मानक बोरा की दर से हमने खरीदा। पिछली सरकार में केवल 8 लघु वनोपज को शासकीय दर पर खरीदते थे। इस साल उसको बढ़ाकर हमने 22 किया है। ये विश्वास की बात है, वहां के लोगों का विश्वास जीतने का काम किया है। ये लोग तो आरोप लगाते थे कि ये नक्सलियों के साथ मिले हुए हैं, केस वापिस कर रहे हैं, नक्सलियों को छोड़ रहे हैं। उन भोले-भाले आदिवासियों को जो अपराध में दर्ज कर दिया गया था कि फला गांव में घटना घटी और अपराध क्रमांक सो एण्ड सो, फला व्यक्ति एवं अन्य, आपने वह अन्य के चक्कर में सारे गांव के आदिवासियों को उठाकर बंद कर दिया है। आपने एक अविश्वास का वातावरण पैदा किया था। हमने कहा कि हम विश्वास जीतना चाहते हैं। जो लोग वास्तविक अपराधी हैं, नक्सली हैं, उनको छोड़ने का सवाल नहीं उठता। लेकिन जो निरपराध हैं, उनको छोड़ने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस ए.के. पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और एक-एक प्रकरण की जांच कर रहे हैं और जांच करके उनको छोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं। यह विश्वास जीतने की बात है। विश्वास जीतने का काम किया। छत्तीसगढ़ में जहां 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जहां 37 प्रतिशत से अधिक बच्चे कुपोषित हैं, जहां 41 प्रतिशत से अधिक महिलायें एनीमिया से पीड़ित हैं, यह आंकड़ें पूरे छत्तीसगढ के हैं, तो बस्तर की स्थिति क्या होगी? सरगुजा की स्थिति क्या है? वहां ये आंकड़ें और अधिक हैं। गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले दंतेवाड़ा में 57 प्रतिशत, वहां एनीमिया से पीड़ित महिलाओं की संख्या 60 प्रतिशत से ऊपर है, कुपोषित बच्चे 50 प्रतिशत से ऊपर हैं। हमने सुपोषण

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

योजना, हाट बाजार क्लीनिक योजना शुरू की। आप जो डी.एम.एफ. के पैसे से एयर स्ट्रिप बनाते थे, वह पैसा उन आदिवासियों के दैनंदिनी जीवन में जो उपयोगी है, उसमें खर्च करना शुरू किया। हमने सुपोषण योजना शुरू की है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस जगरगुंडा की बात कर रहे हैं, तारमेटला और जगरगुंडा लगा हुआ है, जहां हमारे 74 जवान शहीद हुए। वहां 13 साल से स्कूल बंद था। इस साल उस स्कूल को शुरू ही नहीं किया, बल्कि 305 बच्चे पढ़ रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) ये विश्वास का असर है। उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, उसके भोजन, उसके रोजगार की चिंता की। आपने आदिवासियों को पट्टा देना बंद कर दिया था। आपने तो आदेश जारी कर दिया था कि विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाये और सारे प्रकरण निराकरण हो गये हैं। यह तो हम लोगों ने विरोध किया था, तब जाकर रूका था। हम हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि उन सारे आदिवासियों को या जो परंपरागत रूप से निवास करते हैं, जिनका कब्जा 13 दिसंबर 2005 से पहले है, उन सबको पट्टा देंगे। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, ये विश्वास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग विकास की योजना लगातार बना रहे हैं और काम हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब फिर सुरक्षा है, आप पिछला आंकड़ा निकाल लीजिए, जितने बड़े नक्सली, बड़े हथियारबंद नक्सली इस एक साल में मारे गये, गिरफ्तार किये या सरेण्डर किये, पिछले आप किसी साल का निकाल कर देख लीजिए उतना आपको नहीं मिलेगा। ये काम हमने किया है। यही कारण है कि पूरे पंचायती राज चुनाव में, आपके शासन में 5 साल का ज्यादा समय नहीं बीता है, 5 साल पहले कोई सुकमा, दंतेवाड़ा का कोई व्यक्ति पंचायत में सरपंच के लिए फार्म भर देता था तो उसको नक्सली उठाकर ले जाते थे। इससे आप इंकार नहीं कर सकते। लेकिन इस साल पंचायत चुनाव में एक भी घटना नहीं घटी। (मेजों की थपथपाहट) जहां चुनाव नहीं होते थे, उन जगहों में चुनाव हुए। ऐसा वातावरण था, जहां कभी चुनाव नहीं होता था, वहां 4-4, 5-5 लोग सरंपच, जनपद, जिला पंचायत के लिए लड़ रहे हैं, एक उत्साह था। ये परिवर्तन आया है। आपने सुरक्षा, कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में कहा। आपने पता नहीं कौन सा आंकड़ा उठा लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 हत्या के प्रकरण 907 और वर्ष 2019 में 881, हत्या के प्रयास 675 और वर्ष 2019 में 609 इस प्रकार 9 परसेंट की कमी आयी है । आपके शासनकाल में डकैती 83 और हमारे में केवल 49 इस प्रकार 41 परसेंट की कमी आयी है, बलवा 679 और इस समय 639, इनके कार्यकाल में आगजनी 349, हमारे कार्यकाल में 279, धोखाधड़ी और खायनात के भी इसी प्रकार आंकड़े हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी ।

श्री भूपेश बघेल :- धन्यवाद । मैं तो आपको और श्री शिवरतन शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा, मैं श्री ननकीराम कंवर जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब नेता जी बोल रहे थे तब इधर से टोकाटाकी क्यों हुई है बल्कि उधर से ही ज्यादा टोकाटाकी हुई है । (मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- क्या है कि वह आंकड़ें न हमको भी वैसे ही लिखकर मिलते थे और इतना बेहतर बताते थे जिसकी हद नहीं है । आप भी वही आंकड़े पढ़ रहे हैं जिसको हम पढ़ते रहे हैं, कुछ जो इनबिल्ट है न, उसको आप बोलिये, उस आंकड़े के चक्कर में ही हम बोल रहे थे । (हंसी)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि कहां से उठाकर ले आये । यह विधानसभा का है, मुझे किसी अधिकारी ने पर्ची लिखकर नहीं दी है । आप एक-बार सुन लीजिए और यदि आपने गलत दिया है तो आपके अधिकारियों ने मुझे यहां गलत जानकारी दी है क्योंकि यह विधानसभा का प्रश्न और उत्तर है । उसको मैंने आपको बताया है, गलत है तो उसे आप तय करिये कि आप गलत हैं कि आपके अधिकारी गलत हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- चलिये धन्यवाद । माननीय अध्यक्ष महोदय, आम जनता का विश्वास छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ की पुलिस पर बढ़ी है । चाहे बिलासपुर की घटना हो, चाहे रायपुर के प्रवीण की घटना हो, चाहे वह भिलाई की घटना हो, सारे अपहरण के केस में पुलिस ने जो तत्परता दिखायी है । रायपुर की जो घटना घटी है न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लोगों ने छत्तीसगढ़ की पुलिस ने जो काम किया है की सराहना की । (मेजों की थपथपाहट) क्योंकि उसका षड़यंत्र कहां हुआ गुजरात की जेल में, वे लोग कहां के थे जो अपहरणकर्ता थे, वे उड़ीसा के, उत्तरप्रदेश के, बिहार के थे । इतने बड़े ग्रुप ने अपहरण किया और हमारी पुलिस उसको छुड़ाकर ले आयी, मैं तो पुलिस को बधाई दूंगा । (मेजों की थपथपाहट)

श्री शिवरतन शर्मा :- आज श्री बृहस्पत सिंह जी जिस कार्यवाही का उल्लेख कर रहे थे ।

श्री मोहन मरकाम :- कार्यवाही तो हो गई न ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री बृहस्पत सिंह जी ने जिस घटना का उल्लेख किया, जो ध्यानाकर्षण लाया है उसमें भी अपराधी पकड़े गये हैं। मीना खलखो केस जैसा लीपापोती हमने नहीं किया । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अपराध घटित होते हैं इससे कोई इंकार नहीं कर सकता लेकिन अपराधियों को पकड़ने में जो तत्परता और जो साहस हमारी पुलिस ने दिखाया है निश्चित रूप से यह प्रशंसा करने की बात है । (मेजों की थपथपाहट) नेता जी ने एक बात का उल्लेख किया, उन्होंने एक बात कही कि जो जवान हैं वे आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन नेता जी ने यह नहीं बताया कि जवान किसके हैं । वे जवान सी.आर.पी.एफ. के हैं, आई.टी.बी.पी. के हैं । आपके अच्छे सुझाव आये हैं, जब सी.आर.पी.एफ. के डी.जी. मुझसे मिलने आये थे तब भी मैंने चिंता व्यक्त की थी कि इस प्रकार की जो घटनायें हैं उसे किस प्रकार से रोका जाये, ऐसा क्यों हो रहा है ? उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, हमारे जवानों में इतना तनाव क्यों बढ़ रहा है, जवान चाहे सी.आर.पी.एफ. के हों, चाहे आई.टी.बी.पी. के हों, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के क्यों न हों, जवान तो हम सबके हैं लेकिन यदि तनाव बढ़ता है तो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

निश्चित रूप से तनाव के पीछे के कारण को जानना-समझना होगा और उसे दूर करना होगा लेकिन नेता जी मैं आपके संज्ञान में यह ले आता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो घटनायें घटी हैं वह आई.टी.बी.पी. और सी.आर.पी.एफ. के हैं । यह सुझाव आप भारत के केन्द्रीय मंत्री को जरूर दें और हम लोग भी उनको लिखेंगे । मैंने अपने चिंता तो व्यक्त कर दी है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने चिंता जाहिर की । मैंने उस समय भी कहा कि अपने प्रदेश को छोड़कर, घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर यहां आए हैं और यदि ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो चिंता का विषय है । यदि आपको लगता है कि चिंता का विषय नहीं है और मैंने गलत कहा है तो कोई बात नहीं ।

श्री भूपेश बघेल :- मैंने तो कहा है, मैंने स्वयं ही अपने आप को उसमें शामिल किया है । जवान चाहे छत्तीसगढ़ सरकार के हों या सीआरपीएफ के हों, पैरा मिलिट्री फोर्स के हों वे हम सबके हैं, केवल आपके नहीं हैं, वे हम सबके हैं । जहां तक कार्रवाई की बात है, यदि सीआरपीएफ कैम्प में कोई घटना घट रही है तो उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती । अध्यक्ष महोदय, मैं अभी माननीय अजय जी की बात सुन रहा था वे बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे थे । वे कभी किसानों की चिंता व्यक्त करते हैं, कभी धान की चिंता व्यक्त करते हैं । मुझे एक घटना याद आ रही है । महाभारत समाप्त होने के बाद शांति पर्व था । शांति पर्व में सरशैय्या में भीष्म पितामह लेटे हुए हैं और पांडव, कृष्ण जी के साथ जाकर ज्ञान लाभ ले रहे थे । रोज यह घटना घटती थी लेकिन द्रौपदि हंसती रहती थी । अर्जुन ने डपटते हुए कहा कि पितामह यदि कोई ज्ञान की बात कर रहे हैं तो तुम हंस क्यों रही हो ? द्रौपदि ने कहा कि इनका ज्ञान उस समय कहां था जब मेरा चीर हरण हो रहा था (मेजो की थपथपाहट) ? अध्यक्ष महोदय, पितामह ने उस बात को सुन लिया और कहा कि उस समय दुर्योधन के अन्न का पर्दा मेरी आंखों पर पड़ा हुआ था इसलिए मेरी सोच और मेरा विवेक भी काम नहीं कर रहा था । उसके अन्न का असर था । अजय जी आप दस साल तक कुछ नहीं कर पाए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने तो इसीलिए कहा कि आप आंकड़े मत पढो ।

श्री भूपेश बघेल :- मैंने नहीं पढ़ा और मैं आपको बता दूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- भीष्म पितामह का उल्लेख मैंने जिन अर्थों में किया आप उस अर्थ में न लेकर, दूसरे अर्थों में कह रहे हैं । मैं अज्ञानी हूं मान लिया ।

श्री भूपेश बघेल :- आपका ज्ञान तो अजीर्ण हो गया है, आपको कैसे अज्ञानी बोल सकते हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- भीष्म पितामह के नाम से हर सनातन धर्म का आदमी एक अंजलि पानी देता है । यहां भी छत्तीसगढ़ में काम करने वालों को एक आर.जी. टैक्स देना पड़ता है, मैंने यह कहा ।

श्री भूपेश बघेल :- किसानों की बात कर रहे हैं, अच्छा है । लेकिन आप 10 साल तक मंत्री रहे । उस समय तक कोई सुझाव नहीं दिया । 5 रूपया बोनस के लिए तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष आदरणीय

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

रविन्द्र चौबे जी ने हाथ जोड़कर कहा कि डॉक्टर साहब पांच रूपया बोनस तो दे दीजिए । लेकिन रमन सिंह जी टस से मस नहीं हुए थे, तब आपका ज्ञान कहां था ? तब आपकी आंखों के सामने पर्दा था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उस समय हम दोनों विधान सभा में नहीं थे ।

श्री भूपेश बघेल :- मैंने इसीलिए 10 साल कहा, 15 साल नहीं कहा । आपकी सरकार 15 साल चली, आप 10 साल मंत्री थे और उनके पीछे ही बैठते थे । तब आपने एक भी सुझाव नहीं दिया । अध्यक्ष महोदय, ये किसानों की बड़ी बात कर रहे हैं, किसानों की इनको बड़ी चिंता है । इतनी अधिक चिंता कि इन्होंने स्थगन लाया तब इनको विश्वास नहीं था कि ट्रेजरी बेंच स्थगन स्वीकार भी कर लेगा । अब स्वीकार हो गया तो चर्चा होती और चर्चा होती तो सारी बातें खुलती कि 15 साल तक इन्होंने क्या-क्या किया ? 2100 देने का वायदा किया था, नहीं दिया । 300 रूपया बोनस देने का वायदा किया था, नहीं दिया । किन कारणों से नहीं दिया ? सोसायटियों में बैनर टंग जाता था कि जो 75 क्विंटल से ऊपर धान बेचेगा उसका राशन कार्ड कट जाएगा । वे सारी बातें आती ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी भी टंगा है कि साढ़े 37 क्विंटल धान बेचेगा उस पर विचार होगा ।

श्री भूपेश बघेल :- वह तुम्हारे समय का आदेश होगा। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- मुख्यमंत्री जी, आप पता करवा लीजिए। अभी भी साढ़े 37 क्विंटल का टंगा था।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी बैनर वह टंगा है कि दिल्ली में जिनकी सरकार है, उनने कहा 1815 रूपये से एक रूपया ज्यादा नहीं देना। वह बैनर टंगा है। नेता प्रतिपक्ष जी, उसमें आपने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। आपने कुछ नहीं कहा।

श्री अजय चन्द्राकर :- दिल्ली वाले से पूछकर घोषणा-पत्र बनाये थे क्या?

श्री रामकुमार यादव :- राजा हो या रंक सबकी व्यवस्था है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, आज जो हाउस में सबसे बड़ी घटना घट रही है, वह दूसरी चीज है। माननीय मुख्यमंत्री पहले 6 महीने दक्षिणमुखी हनुमान जी थे। दिन भर क्रोधित रहते थे। आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं। (हंसी) अमेरिका में क्या सीखे हैं, आप यह बताइए। आप भाषण छोडिए। (हंसी) नहीं तो हर बात पर क्रोधित होते थे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अजय ने जो चीट भेजी थी, उस पर मुस्कुरा रहे हो क्या? (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- आज ऐसा क्या हुआ है ? हावर्ड में क्या लीला है? कौन-सा जंतर-मंतर हुआ? कहानी आपको बतानी पड़ेगी।

श्री भूपेश बघेल :- भाई, मैं पहले भी मुस्कुराता था। मैं जब वहां बैठता था, तब आप कितना टोकते थे ? डिरेल करने की कितनी कोशिश होती थी?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, आप भी शामिल थे, इसीलिए वे नहीं बता रहे हैं। (हंसी) अगर आप शामिल नहीं रहते तो यह कहानी सदन में आ जाती। किस कारण से ऐसा हुआ है?

श्री भूपेश बघेल :- भाई, मैं चरण भैया के साथ ही था। मैं अध्यक्ष के साथ ही रहा।

श्री अजय चन्द्राकर :- साथ नहीं वे भागीदार थे। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- भागीदार कैसे साथ में होंगे। (हंसी) अब चर्चा हो गई। संयुक्त विपक्ष बन गया। पहली बार कलई खुली। पहली बार इन्होंने स्वीकार किया कि सचमुच में हम एक हैं। (हंसी) नहीं तो चुनाव के पहले एक दिन टी.वी. में डिबेट चल रहा था तो बृजमोहन जी कहते थे कि जब तक जोगी कांग्रेस में है, तब तक हमें सत्ता से कोई नहीं हटा सकता। जोगी हमारे साथ नहीं हैं। जोगी के खिलाफ बयानबाजी होती थी। चुनाव के समय उनका फोटो चिपकाते थे। अब संयुक्त विपक्ष में आ गये तो सही चेहरा सामने आ गया। हाथी भी उसमें आ गया है। (हंसी) संयुक्त काले कपड़े पहनकर आ गये। तीनों मिले तो कोई अच्छा काम करते। तीनों पहली बार मिले तो कोई ठीक-ठाक काम करते, काला कपड़ा पहनकर आ गये। (हंसी) लेकिन अजय जी, मैं कहना चाहूंगा कि आप काले कपड़े पहनें या चाहे कुछ भी पहन लें। काले कपड़े या तो जादूगर पहनते हैं। जादूगर भी बता देता था कि यह हाथ की सफाई है। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी जादू की झप्पी में तो राजा साहब बेहोश हो गये। (हंसी) हमारी बात तो आप छोड़ो। वे अभी होश में नहीं हैं। (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय मुख्यमंत्री जी वह शनिदेव वाला कपड़ा था। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- शनिदेव वाला था। अच्छा। (हंसी)

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्मरण दिलाना चाहूंगी कि जब मैं कांग्रेस पार्टी में थी तो मैं भी काले कपड़े पहनी थी।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- वह कांग्रेस का काला कपड़ा था। यह विपक्ष का काला कपड़ा है। दोनों काला में अंतर है।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- मैं निरंतर ही विपक्ष में हूं। मैं क्या करूं? (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- भाभी जी, अब इसमें तो कुछ नहीं कह सकते। ऊपर वाले ने जो व्यवस्था की है, उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं कहाथव, भाभी जी का करही जो करना रहिसे, सब्बो ला भैया करदेहे । (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- भाभी, छत्तीसगढ़ी में एक कहावत हे। लकड़ी के संग में कीला तक बोहाजथे। (हंसी) कीला ला यदि पानी में डालबे तो बूड़ जाथे। लेकिन लकड़ी में ठोकाये रही न तो ओ हा पानी में बोहा जाथे कीला तक। आपकी स्थिति अइसने हे। (हंसी)

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- जैसी हूं वैसे ही खुश हूं। धन्यवाद। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- हमारे वरिष्ठ सदस्य ने कहा है कि ये शनि का कपड़ा है। शनिदेव भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये काले मन से गये थे। यदि सही मन से जाते न तो शनि भी प्रसन्न होते, लेकिन इनका मन ही काला था।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हमारा मन तो काला नहीं था। हम तो महाकाल बनकर आये थे। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- फिर भाग क्यों गये ? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आकड़े हैं, आप देख लें। 2012-13 में 68% किसान धान बेच पाये थे,2013-14 में 71%, 2015-16 में 83%, 2017-18 में 76% किसान धान बेच पाये थे। वहीं 2018-19 तथा 2019-20 में हमारे शासनकाल में 92.54 प्रतिशत किसानों ने धान बेचा(मेजों की थपथपाहट) और इस साल 93.11% किसानों ने धान बेचा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह 96% भी हो सकता है।

श्री भूपेश बघेल :- वह सब्जबाग आपको दिखा सकते हैं। मैं बताया न कि दुर्योधन के अनाज का असर था, जो भीष्मपिता के आंखों में पर्दा पड़ गया था। वैसे ही आपकी आंखों में पर्दा पड़ गया था। आप किसान पुत्र हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आज ही मुझे एक प्रश्न के उत्तर में जानकारी मिला है कि कुल 33 हजार किसानों का 6 फरवरी तक पूरा धान खरीदा गया था। जितनी उनकी कैपेसिटी थी। आज उत्तर मिला है, कल उस पर चर्चा होनी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं, आपको दुर्योधन की एक बात समर्पित करता हूं। दुर्योधन को सब समझाते हैं तो आखिरी में वह भड़कर बोलता है कि तुम लोग क्या समझते हो, मैं धर्म नहीं जानता क्या, परन्तु मेरा मन अधर्म में लगता है, तुम लोग उसको क्या कर लोगे। यही आपके साथ लागू है।

श्री भूपेश बघेल :- मैं, आपसे वही बात कह रहा हूं। देखिये, जब तक डॉ. रमन सिंह के साथ रहे हैं, आप किसान की बात किए ही नहीं हैं। वही तो मैं कह रहा हूं।

श्री कवासी लखमा :- आपने पेपर में बोला था कि कर्जा माफ होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। इसीलिए तो जिला पंचायत, जनपद पंचायत में तो पूरा साफ हो गये। लेकिन इस्तीफा तो दिए नहीं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि ये किसानों के हित में रहते, यदि इनके आंखों में पर्दा नहीं पड़ा होता तो जुलाई, 2014 में केन्द्र सरकार ने आदेश जारी किया कि यादि आप बोनस देंगे, तो सेन्ट्रल पुल में आपके प्रदेश से अनाज नहीं खरीदेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये उस समय विरोध किए होते तो ऐसा नहीं होता। लेकिन उस समय इनकी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ था। ये लोग उसी कारण से तीन साल बोनस नहीं दिए। जब आखिरी में चुनाव नजदीक आ गया, शिवरतन शर्मा, अजय जी, बृजमोहन जी, सारे लोग गये कि मोटा भाई, हम लोगों को बख्श दो, हमको कम से कम एक साल बोनस देने की अनुमति दे दो, नहीं तो हम गांव में घुस नहीं पायेंगे, किसानों के पास जा नहीं पायेंगे,

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

वोट नहीं मांग पायेंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। यहां के सारे लोग शरणागत दंडवत् हो गये। मोटा भाई प्रसन्न हुए। उन्होंने अनुमति दे दी।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- जो-जो गये थे, वे जीतकर भी तो आये हैं।

श्री भूपेश बघेल :- क्यों ? अमर अग्रवाल जी नहीं गये थे क्या ? पाण्डेय जी नहीं गये थे क्या ? मूणत जी नहीं गये थे क्या ? सब गये थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुमति मिल गई। दो साल के लिए ढील दी गई। बोनस दिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान जान गये कि इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। केवल चुनाव के साल में बोनस और बाकी तीन साल कोनस। यही कारण है कि चुनाव के पहले बोनस दिए। विशेष सत्र बुलाये। एक दिन का सत्र था। हम लोग बैलगाड़ी से आये थे। बोनस देने की घोषणा की। आज आज कर्जा-कर्जा की बात कर रहे हैं। आप बोनस देने के लिए कर्ज लिए हैं, मेरे पास रिकार्ड है। आप बैंक से कर्ज लिए थे, बाजार से कर्ज लिए थे, तब आप बोनस दे पाये थे। आप हमको बोल रहे हैं। हमारी सरकार किसानों की सरकार है। उसके लिए बाजार से भी कर्ज लेंगे और बैंक से भी कर्ज लेंगे। लेकिन अन्नदाता को दु:खी नहीं होने देंगे। यह हमारी सरकार है।

श्री अजय चन्द्राकर :-हम कहां कह रहे हैं हमारी सरकार है। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- सरकार तो हमारी सरकार है।

श्री भूपेश बघेल :- लो, अब पहले दोनों तय कर लो। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप हमारे मुख्यमंत्री हैं। हमारी सरकार है, इसको स्वीकार करने में हमको संकोच नहीं है। पर हमारी सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। किसानों का शोषण कर रही है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब शिवरतन जी की बात क्या करें ? शिवरतन जी ने मुझे ब्रांड अम्बेसडर बना दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां राम का नाम आयेगा, वहां रावण का नाम आयेगा ना ? जहां गांधी का नाम आयेगा, वहां गोंडसे का भी नाम आयेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, दीवान जी की एक कविता है, मैं पढ़ना चाहूंगा -

वो दुनिया के पापी लोगों,
मेरी गंगा में स्नान करो,
मेरे सुख से है जलन अगर,
तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो,
मेरी मॉ बहनों के सिर पर,
यह शांति सत्य की गागर है,
खारी मीठी नदियां मिलती,

अशोधित/अप्रकाशन के लिए नहीं

मेरा भारत एक सागर है,
हम कालजयी हैं,
वीर पुरूष चलता रहता है यज्ञ समर,
हम राम युद्ध करके कितने रावण हो गये अमर,
वेदान्त हमारा स्वाभिमान,
शिष्टता हमारी सीता है,
हर शब्द हमारा सिद्ध मंत्र,
हर सांस हमारी गीता है । (मेजों की थपथपाहट)

गोंडसे के ऊपर बहुत नारे लगाये गये, एक बार गोंडसे मुर्दाबाद तो बोल दें । नहीं बोल सकते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, जो धान की स्थिति है, घड़ियाली आँसू बहा रहे हैं । कोई काम नहीं है, क्या करेंगे । 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लिये । आप आंकड़े देख लीजिए, आपके शासनकाल में कितने का रजिस्ट्रेशन कराते थे, कितने का धान बेचते थे ? आप जितना रजिस्ट्रेशन कराते थे, लाख किसान, डेढ़ लाख, दो लाख, तीन लाख, पांच-पांच लाख किसानों ने धान नहीं बेचा, आज हमको कह रहे हैं कि एक लाख किसानों का धान खरीदो ? हम धान खरीदेंगे, अध्यक्ष महोदय । लेकिन वास्तविक किसान जो है, उसको लाभ मिलना चाहिये, कोचियों को दलालों को नहीं मिलना चाहिये, दलाल कहने से आपको बड़ी तकलीफ हो गयी । कह दिये भाजपा के दलाल, वह आपके नेता बोले थे, रमन सिंह जी ने क्या कहा था, रमन सिंह जी ने कहा था, कमीशनखोरी एक साल के लिए छोड़ दो, किसको कहा था जो कमीशन लेते हैं, उसी को कमीशनखोर कहेंगे । कमीशन को हिन्दी में कर देंगे तो क्या होगा ? दलाल कोई गाली है ? दलाल पथ है, दलाल सरनेम के बहुत सारे लोग रहते हैं, आढ़त काटते हैं, रामसागरपारा में रहते हैं, पहले पुरानी मंडी थी, सारे लोग आढ़त काटते थे, वही तो दलाली है । 8 परशेंट । धान में आज भी 8 परशेंट है । धान में 1 परशेंट, डेढ़ परशेंट, सब्जी में 8 परशेंट । भई यह कोई गाली नहीं है, इतना नाराज नहीं होना है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप साहित्य, कविता सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं कोई खण्डन नहीं कर रहा हूँ । दलाल शब्द कहां पर कैसे उपयोग हो तो मैं अभी बोल सकता हूँ क्या ? मोहन मरकाम जी का राम नाम सत्य हो गया करके । बोल सकता हूँ ? बोलिये यह सही है तो ? इसीलिए शब्द किस तरह से कहां पर उपयोग किये गये, उसका महत्व है । पोश्चर क्या था, उसका महत्व है । आप जो कह रहे हैं, वह गलत नहीं है । लेकिन मैं उसी को बोल सकता हूँ कि राम नाम सत्य है ।

श्री भूपेश बघेल :- अजय जी, आज आप बोल रहे हैं न अच्छा लग रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उनको बताईये, जिनके समर्थन में बोल रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- वही बात तो मैं कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय । जब आप ऊंगली उठाते हैं ना तो तीन ऊंगली खुद के तरफ होती है । जब आप बोलते हैं ना तो आपकी भाव भंगिमा क्या होती है, वह हम लोग देखते हैं । उन लोग तो देख ही नहीं पाते हैं । चंदेल जी चले जाते हैं । वही स्थिति आप पर लागू होती है । इसबात का आप भी ध्यान रखें । माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार के सामने हमने अनेक बार निवेदन किया, हम आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, पिछले साल जैसे आपने छूट दिया था, जब आपकी सरकार थी, उसी प्रकार से हमको भी छूट दे दें । आपसे पैसा लेंगे नहीं ...।

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची के पदक्रम 6 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाए । मैं समझता हूं कि सदन सहमत होगा ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । हमने केंद्र सरकार से निवेदन किया, बार बार किया, प्रधानमंत्री जी से समय मांगा, नहीं मिला, चिट्ठी-पत्री लिखी लेकिन कृषि मंत्री से मुलाकात हुई, खाद्य मंत्री से मुलाकात हुई, पेट्रोलियम मंत्री से मुलाकात हुई। हमारे साथ कृषि मंत्री जी, खाद्य मंत्री जी भी गये थे, हम लोगों ने निवेदन किया, पासवान जी बोले कि मैं आपके साथ 200 प्रतिशत हूं, क्योंकि मैं सर्वहारा वर्ग से आता हूं और जानता हूं कि किसानों की तकलीफ क्या है और इसलिए भूपेश भाई आज 100 प्रतिशत कह रहे हैं मैं आपसे 200 प्रतिशत सहमत हूं, लेकिन अनुमति मिले तब ना। अनुमति मिली ही नहीं और चिट्ठी जो आई उसमें लिखा क्या था कि आप जो बोनस दे रहे हैं उससे बाजार विकृत हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, कैसे विकृत हो जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है? छत्तीसगढ़ में बाजार का संतुलन तो सबसे ज्यादा बढ़िया है। आप देख लें कि अकेले मार्च महीने में ऑटोमोबाईल सेक्टर में 36 प्रतिशत की ग्रोथ है, अकेले रियल स्टेट में डेढ़ गुना की वृद्धि हुई है, टेक्सटाईल्स में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जेम एंड ज्वेलरी में 84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारे द्वारा किसानों के धान खरीदने और बोनस देने से न केवल किसान सुखी हैं बल्कि व्यापारी और उद्योगपति भी सुखी और खुश हैं। (मेजों की थपथपाहट) ये योजना आप बतायें, वहां शुरू करें लेकिन मैं सदन से यह सहमति चाहूंगा। नेता जी ने जो बात कही यह बात बिल्कुल सही है कि 2500 रूपये प्रति क्विंटल देने के कारण से लोगों का अब धान की खेती की तरफ रूझान बढ़ा है और आंकड़े भी यह बता रहे हैं कि इस साल हमारी सोसायटी में 2.5 लाख किसानों ने धान का अधिक रजिस्ट्रेशन कराया और 19 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। लोगों का धान के प्रति आकर्षण बढ़ा है, उत्पादन भी बढ़ेगा। अब सवाल इस बात का है कि हमारा जो पी.डी.एस. सिस्टम है उसमें 24-25 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता है। भारत

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

सरकार ने हमसे इस साल 24 लाख मीट्रिक टन खरीदने का वायदा किया है। बचत धान हमारा बचेगा। हमने भारत सरकार से निवेदन किया कि आप कुछ मत करें, हमको अनुमति दे दीजिए कि हम उससे एथेनॉल बना दें। उससे नये उद्योग खुल जायेंगे और न केवल बरसात की फसल बल्कि गर्मी के धान की भी समर्थन मूल्य से ज्यादा में बिक्री होगी। यहां जो उद्योग लगेगा उसमें हम उड़ीसा, झारखंड या दूसरे प्रदेश का धान नहीं आने देंगे जब तक कि वह हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीद नहीं लेते। यदि प्लांट चलाने की जरूरत पड़ेगी और धान की कमी पड़ेगी तो भले ही दूसरे राज्य से लायें लेकिन जब तक हमारा धान है, हमारे किसानों का धान है तब तक हम यहां खरीदें। अब कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर जी तो आपके मित्र हैं, वह बोलते हैं कि एक साल के लिए आपको अनुमति मिलेगी। एक साल में कैसे प्लांट लग जायेगा? कोई 100-150 करोड़ रूपये यदि लगायेगा और यदि उसे 5 साल या 10 साल की अनुमति नहीं मिलेगी तो कोई प्लांट कैसे चला सकता है? यह केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, यदि एथेनॉल प्लांट बन जाता है, अनुमति मिलती है तो देश में आज एफ.सी.आई. के ऊपर जो दबाव है उसमें कमी आयेगी। जो किसानों को दाम नहीं मिल पा रहा है वह मिलने लगेगा और तीसरी बात यह है कि भारत सरकार के पास जो विदेशी धन लगता है, पेट्रो डॉलर लग रहा है क्योंकि हमारे पेट्रोल की पूर्ति हम कर नहीं पाते बल्कि उसमें मदद मिलेगी। लेकिन आपकी हठधर्मिता कि उधर हम अनुमति नहीं देंगे, इधर हाथ बांध दीजिए कि खाओ, खाने भी नहीं देते। उधर अनुमति भी नहीं देते और इधर ये हल्ला करते हैं। तो दोनों काम नहीं चलेगा भाई। दो गला नहीं होना चाहिए, एक ही गला होना चाहिए। मैं दोगला नहीं बोल रहा हूं। (हंसी) लेकिन वहां के सुर अलग, यहां के सुर अलग, ये तो नहीं चलेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल के क्या नियम हैं आपको जन घोषणा पत्र बनाने के पहले जानकारी में था, तो आपने जन घोषणा पत्र में जो 2500 रूपये प्रति क्विंटल धान की कीमत देने की घोषणा की थी तो उसमें सेन्ट्रल के नियमों को ध्यान में रखना चाहिए था। घोषणा आप करो और उम्मीद करो कि केन्द्र हमको मदद करे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- एक रूपये की भी मदद नहीं चाहिए।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, हमको तो मदद ही नहीं चाहिए। आपने कभी वर्ष 2014 की चिट्ठी पटल पर रखी जो श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सभी राज्यों को लिखा था? कभी जानकारी दी? आपने नहीं दी। इन चुनावों के समय आपने 300 रूपये बोनस दिया, दिया कि नहीं दिया। जब आप 300 रूपये बोनस दे सकते हैं तो हम 700 रूपये क्यों नहीं दे सकते और हमने दिया है, डंके के चोट पर दिया है और आगे भी देंगे ? (मेजों की थपथपाहट) आप रोक लीजिए, हमने टांग दिया, ठीक है, आप बड़े हैं। भारत सरकार हैं, हम लोग छोटे राज्य के हैं। किसानों के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, हमको कोई भी दबा सकता है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब दबने वाले नहीं हैं। हमने दूसरा रास्ता निकाल लिया है। हम अपने किसानों को 2500 रूपये देंगे मतलब देंगे। (मेजों की थपथपाहट) हमारे किसानों को मिलेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

योजना का नाम बदल जायेगा, क्या आप रोक सकते हैं ? रायती योजना आंध्रप्रदेश में चल रहा है। कालिया योजना उड़ीसा में चल रहा है। भारत सरकार खुद किसान न्याय योजना चला रही है। किसान सम्मान निधि योजना चला रहे हैं। 6 हजार रूपये दे रहे हैं ना। लेकिन 6 हजार रूपये के लिये हम कभी नहीं बोलते हैं। चक्का जाम करिये, मैं आपको आंकड़े देता हूं। अध्यक्ष महोदय, 23 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और पहला किस्त 19 लाख रूपया मिला है। दूसरा किस्त 18 लाख रूपया मिला है और अभी 78 हजार है। केवल 78 हजार किसानों को आपने 6 हजार रूपये दिया है, उसका किस्त नहीं मिल रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी ? हम तो प्रति एकड़ दस हजार रूपये से ऊपर दे रहे हैं, 11 हजार रूपये दिये हैं। 5 एकड़ किसान को 56 हजार रूपये मिला है। (मेजों की थपथपाहट) आप 6 हजार रूपये एक किसान को दे रहे हैं, हम एक एकड़ में दे रहे हैं। दस हजार रूपये से ऊपर 11 हजार रूपये मिलता है। आप 6 हजार रूपये भी नहीं दे पा रहे हैं और उसमें भी जो 23 लाख रजिस्ट्रेशन कराएं हैं, उसमें 18-19 लाख को दिये हैं, उसके बाद आज कम होते होते 78 हजार हो गया। आप दो हजार रूपये भी नहीं दे पा रहे हैं। चक्काजाम करना है तो इसके लिये करिए। चलिये, आप चिट्ठी लिखिए। हमारे साथ दिल्ली चलिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के हितैषी रहते तो किसानों को 6 हजार रूपये तो दिलवा देते । आप वह भी नहीं कर पा रहे हैं। किसानों की बात अभी जो सामने आयी, बारिश हुई हमने समय भी बढ़ा दिया। टोकन भी वितरण करने के लिये कहा, लेकिन मैं एक उदाहरण दूंगा। बीजापुर में इस पूरे सीजन में 48 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी हुई। आखिरी दिन में 16 हजार आ गया। राज्य के संचित निधि को अपव्यय तो नहीं होने देंगे। किसान को मिले, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार की नीति है, किसान के जेब में जाना चाहिए। लेकिन उसके आड़े में कोई दूसरा पैसा कमा ले, ये बर्दाश्त नहीं है। टोकन मिला है, परीक्षण करायेंगे, सचिव स्तर के अधिकारी जायेंगे, हर जिले में जायेंगे, परीक्षण करेंगे, जिनको टोकन मिला है, परीक्षण करने के बाद उसका धान खरीदेंगे। (मेजों की थपथपाहट) 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं, दस, बीस, पच्चीस हजार मीट्रिक टन के लिये पीछे हटेंगे ? लेकिन आप लोग घड़ियाली आंसू बहाना बंद करिये। कभी किसान के साथ नहीं खड़े थे। आज किसानों की हितैषी बन रहे हैं। मेरे पास भी मेरे पूरे परिवार में करीब ढाई सौ एकड़ जमीन है। मेरे नाम से भी जमीन है। लेकिन उसमें केला बोता हूं, पपीता बोता हूं, सब्जियां लेता हूं। मैं उसका धान नहीं बेचता। जिस खेत में धान बोता हूं उसी का धान जाता है। बहुत सारे किसान हैं, आप तो किसान हैं, आपके पास जमीन है, जितनी जमीन है, उसमें धान भी बोते हैं, सब्जी भी लगा लेते हैं, आपके नाम से उसमें खाता है। तालाब भी होगा, बगीचे भी होंगे, तो क्या बगीचे के नाम से उसका भी धान खरीद लें ? ये तो आपकी नीति है। हमने थोड़ी बनाई है। यदि आपने उसको नहीं काटा है तो यह हमारी गलती नहीं है। बगीचे के नाम से, आपके नाम से दस एकड़ जमीन है, दो एकड, ढाई एकड़ यदि दूसरी चीजें हैं, तालाब है, बगीचा है, शमशान का रास्ता है, सार्वजनिक उपयोग का है, लेकिन आप ही के नाम से जमीन दर्ज है, चारागाह है।

अप्रमाणित/असंशोधित के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- एक मिनट, इसमें मेरा सुझाव है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं।

श्री भूपेश बघेल :- धन्यवाद।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी इस बात को उठाया था कि गिरदाउली प्रथा हमारे यहां है और गिरदाउली में जब अधिकारी जाते हैं, पटवारी जाते हैं, खेत पर जाते हैं और खेत पर जा करके उसी समय उस पर लिखते हैं। उसमें तिलहन है, दलहन है । आम का बगीचा है। यदि आप गिरदौली प्रथा को कर लें, यह प्रदेश और किसान के हित में होगा और इसके बाद में आपको किसान के ऊपर अविश्वास नहीं करना पड़ेगा। किसान कभी सरकार को धोखा नहीं दिया है। किसान अपने खेत में जो धान बोया है, उसी को बेचा है तो केवल गिरदौली की बातें, यदि आप गिरदौली को मान लेंगे तो किसान का भला हो जाएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि ये बात सही भी मान ली जाये तो पूरी जमीन के के.सी.एफ. दर्ज रहते हैं बगीचा है, आम है जो भी है जो-जो लगे हैं ए.पी.सी. के पास भी पूरी रिपोर्ट रहती है धान का रकबा, इतना है उतना है। ये प्रक्रिया पंजीयन के पहले क्यों नहीं हो सकती थी ? और फिर उसको पंजीयन के बाद क्यों काटा गया? फिर उसके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? जो उसका नियम पालन नहीं किये। जब सरकार के निर्देश स्पष्ट थे तो फिर उस अधिकारी के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या है कि 15 सालों में तो सब व्यवस्था को तहश-नहश कर डाले हैं जो विभाग का अधिकारी है, वह अपने विभाग भर का काम नहीं करता, बचत सब काम करते हैं। आपके कारण यही स्थिति है। अभी विधान सभा सत्र समाप्त होने दीजिए फिर आप ग्राम सुराज चल रहा है दो-ढाई महीने तक सब लोग गांव में पड़े हैं। विभाग का काम कब करेगा? अब ये तिहार, बिजली तिहार, चाउर तिहार, फलाना तिहार, ढेकाना तिहार, इसी में आपका समय निकल जाता था। अजय जी, सुधारने में समय लगेगा। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी तिहार तो मानते हन। हरेली चलतेच हे। सबो तिहार तो मनाते हन। अउ यहू चलत हे।

श्री भूपेश बघेल :- वास्तविक तिहार। ये छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान बढ़ाने वाला तिहार है। वह भी त्यौहारों का हिस्सा है हमारी संस्कृति का हिस्सा है। माननीय अजय जी, अभी जब आप पूछ रहे थे कि हार्वड गये थे तो क्या हुआ? हम लोग वहां गये तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और तिज त्यौहार का असर, अमेरिका तक में दिखा है। वहां छत्तीसगढ़ की अरपा पैरी के धार का गीत भी गया और नृत्य भी हुए और हम वहां अमेरिका में फरा, चौसेला और मूंगेड़ी बड़ा भी खाये हैं। ये छत्तीसगढ़ियों का स्वाभिमान बढ़ाने वाला है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा न कहते हुए सबको समटेते हुए, बहुत सारी बातें आ गई हैं। हालांकि बहुत सारी बातें कहनी थीं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि एक साल में हमारी सरकार ने जो काम किया तो सर्वाधिक धान उत्पादन के लिए भारत सरकार ने कृषि कर्मण पुरस्कार दिया, आदरणीय चौबे जी पुरस्कार लेने गये थे। (मेजों की थपथपाहट) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजना में 22 पुरस्कार मिले हैं (मेजों की थपथपाहट) मनरेगा में अकेले 7 पुरस्कार मिले हैं (मेजों की थपथपाहट) ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 9 पुरस्कार मिले हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 22 पुरस्कारों में वर्ष 2018-19 की बात करेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आकांक्षी जिले में हमारा सुकमा अव्वल आया है। (मेजों की थपथपाहट) बालमित्र पंचायत पुरस्कार, पोषण अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 5 पुरस्कार मिले हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी वर्ष 2018-19 का आएगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए कोण्डागांव देश में अव्वल। (मेजों की थपथपाहट) पंचायत चुनाव का निर्वाचन तो अभी हुआ है, उसमें भी हमारे अव्वल हैं। (मेजों की थपथपाहट)03 आंगनबाड़ी केन्द्र और कल हमारे उद्योग मंत्री जी गये थे, हमारे उद्योग मंत्री जी भी देश में दूसरे स्थान का पुरस्कार लेकर आये हैं (मेजों की थपथपाहट) इनको नीतिन गड़करी जी ने सम्मानित किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अकबर जी, आप बताईयेगा कि उसको स्टारडम क्या है? पुरस्कार भर लेकर आये हैं। बाकी आप बता देंगे। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि केवल अंग्रेजी सीखाने का काम किये हैं। आप हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान की बात करते हैं, लेकिन सब जितने कार्यक्रम हैं वह सब अंग्रेजी में है साईन इण्डिया, मेक इन इण्डिया, फील गुड, स्टार्टअप इण्डिया, स्टैण्डअप इण्डिया, वह सारे। अभी चल रहा है सी.ए.ए., एन.आर. पी., एन.पी.आर. एन.आर.सी. सब लोगों को अंग्रेजी सीखाने का काम कर रहे हैं। अब हिन्दी में भी कोई योजना बनाकर बताईये।

श्री बृहस्पत सिंह :- हिन्दी आये तब तो हिन्दी के नाम से योजना बनाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी से बोला हूँ कि छत्तीसगढ़ी में संसदीय शब्दावली बनाईये, क्योंकि हम लोग इधर-उधर बोल देंगे तो आप असंसदीय है, बोल देंगे। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदया के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद जो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

इस कृतज्ञता ज्ञापन की चर्चा में भाग लिये, आपके प्रति और माननीय राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, ओलावृष्टि के बारे में कुछ नहीं कहा गया। आपने समापन कर दिया, ओलावृष्टि के बारे में, किसानों की फसल क्षति के बारे में आपने कुछ नहीं कहा, इसके विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं।

समय :
5:45 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>ओलावृष्टि एवं किसानों की फसल की क्षति के बारे में उल्लेख न होने के विरोध में।</u>

(श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा ओलावृष्टि एवं किसानों की फसल की क्षति के बारे में उल्लेख न होने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

<u>सदन को सूचना</u>

<u>भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके तैलचित्र के समक्ष पुष्पांजलि कार्यक्रम</u>

अध्यक्ष महोदय :- भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कल शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2020 को प्रात: 10.30 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय स्थित सेन्ट्रल हाल में उनके तैलचित्र के समक्ष पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय मंत्रीगण एवं आप समस्त माननीय सदस्यों से आग्रह है कि कृपया उक्त पुष्पांजलि कार्यक्रम पर उपस्थिति देवें।

<u>माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष महोदय :- मैं समझता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में जितने संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, उन पर एक साथ मत ले लिया जाये।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - '' माननीय राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

असंपादित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 28 फरवरी 2020 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(5 बजकर 48 मिनट पर विधानसभा शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2020 (फाल्गुन 9, शक संवत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक 27 फरवरी, 2020

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं